ISSN 0975-4083



रिसर्च जरनल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइन्सेस

Peer-Reviewed Research Journal

UGC Journal No. (Old) 2138 Impact Factor 6.375 (IIFS)
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory
ProQuest, U.S.A. Title Id : 715204

अंक - 29, हिन्दी संस्करण, वर्ष-15, अप्रैल-सितम्बर 2025



2025
www.researchjournal.in

आई. एस. एस. एन. 0975-4083

रिसर्च जरनल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइन्सेस

Peer-Reviewed Research Journal
UGC Journal No. (Old) 2138
Impact Factor 6.375
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest, U.S.A. Title Id : 715204

अंक-29 | हिन्दी संस्करण | वर्ष-15 | अप्रैल-सितम्बर 2025

डॉ. अखिलेश शुक्ल
प्रधान सम्पादक (ऑनरेरी)
प्राध्यापक, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड तथा पं. गोविन्द वल्लभ पंत एवार्ड से सम्मानित
akhileshtrscollege@gmail.com

डॉ. संध्या शुक्ल
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
drsandhyatrs@gmail.com

डॉ. गायत्री शुक्ल
अतिरिक्त निदेशक, सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
shuklagayatri@gmail.com

डॉ. आर. एन. शर्मा
सेवानिवृत्त आचार्य, उच्च शिक्षा, रीवा
rnsharmanehru@gmail.com

सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
की मुख्य शोध पत्रिका

Experts & Members of Advisory Board

- Prof. Hemanta Saikia, Assistant Professor, Department of Rural Development,Debraj Roy College, Circuit House Road, Golaghat, Assam, India.Pin-785621
  jio84hemant@gmail.com
- Dr. Puran Mal Yadav, Department of Sociology, Mohan Lal Sukhadia University
  UDAIPUR – 313001 (Rajasthan)
  pnyadav1964@gmail.com
- Dr. Ram Shankar. Vive Chancellor, Pt. Shambhu Nath Shukla University, Shahdol, (M.P.)
  rs_dubey@yahoo.com
- Prof. Anjali Bahuguna, Department of Economics, School of Humanities and Social Sciences (SHSS),, HNB Garhwal University, (A Central University), Srinagar-246174 (Garhwal)
  anjali shss@gmail.com
- Dr. Sanjay Shankar Mishra, Professor of Commerce, Govt. TRS PG College, Rewa (M.P.)
  ssm6262@yahoo.com
- Dr. Pramila Shrivastava, Associate Professor, Department of Economics, Govt. Arts College Kota (Raj),
  dr21pramila@gmail.com
- Dr Alka Saxena, D. B. S. College, Kanpur (U.P.)
  alknasexna65@yahoo.com
- Dr. Deepak Pachpore, Journalist
  deepakpachpore@gmail.com
- Dr. C. M. Shukla, Professor of History Government Maharaja College, Chhatarpur District Chhatarpur(M.P.),
  rajan.19shukla@gmail.com
- डॉ. देवेन्द्र मुझाल्दा
  आचार्य, भूगोल विभाग, माधव विश्वविद्यालय, पिण्डवाड़ा, सिरोही (राजस्थान)
  devendranuzalda@gmail.com
  डॉ. रामेश्वर मिश्रा
  सह प्राध्यापक, शोध एवं विकास समन्वयक, संजीव अग्रवाल ग्लोबल एजुकेशनल विश्वविद्यालय भोपाल (म.प्र.)
- rameshwar.s@sageuniversity.edu.in

Guide Lines

- **General:** English and Hindi Editions of Research Journal are published separately. Hence Research Papers can be sent in Hindi or English.
- **Manuscript of research paper:** It must be original and typed in double space on the one side of paper (A-4) and have a sufficient margin. Script should be checked before submission as there is no provision of sending proof. It must include Abstract,Keywords, Introduction, Methods, Analysis, Results and References. Hindi manuscripts must be in Devlys 010 or Kruti Dev 010 font, font size 14 and in double spacing. All the manuscripts should be in two copies and in Email also. Manuscripts should be in Microsoft word program. Authors are solely responsible for the factual accuracy of their contribution.
- **References :** References must be listed cited inside the paper and alphabetically in the order- Surname, Name, Year in bracket, Title, Name of book, Publisher, Place and Page number in the end of research paper as under- Shukla Akhilesh (2018) Criminology, Gayatri Publications, Rewa : Page 12.
- **Review System:** Every research paper will be reviewed by two members of peer review committee. The criteria used for acceptance of research papers are contemporary relevance, contribution to knowledge, clear and logical analysis, fairly good English or Hindi and sound methodology of research papers. The Editor reserves the right to reject any manuscript as unsuitable in topic, style or form without requesting external review.

लेखकों से निवेदन-

- रिसर्च जरनल ऑफ आर्टस एण्ड मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइंसेज (ISSN-0975-4083) सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज की मुख्य शोध पत्रिका है।
  शोध पत्रिका उलरिच इन्टरनेशनल पीरियाडिकल्स डाइरेक्ट्री प्रोक्वेस्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका से इंडेक्स्ड और लिस्टेड हैं।
- शोध पत्रिका का अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करण अलग-अलग प्रकाशित होता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइंसेस का प्रकाशन प्रतिवर्ष मार्च तथा सितंबर में किया जाता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइंसेस को इम्पैक्ट फैक्टर एवं आई.एस.एस.एन प्राप्त हैं। शोध पत्रिका Peer-Reviewed हैं।
- शोध पत्रिका के नवीनतम अंक में प्रकाशित शोध पत्रों को हमारी वेबसाइट www.researchjournal.in (Current Issue) में देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है।
- शोध पत्रिका का प्रिंट एडीशन सदस्यों को अलग से डाक द्वारा भेजा जाता है।
- शोध पत्र में शीर्षक, नाम, पद, पदस्थापना का विवरण, पत्र व्यवहार का पता तथा दूरभाष क्रमांक, मोबाइल नं., ई-मेल एड्रेस अवश्य दिया जाये।
- शोध पत्र के प्रारम्भ में कम से कम 50-100 शब्दों का सारांश दिया जाये।
- मुख्य शब्द सारांश के नीचे टाइप कराया जाये।

- शोध पत्र में शोध पद्धति तथा शोध में प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- शोध पत्र में निष्कर्ष और अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची दी जाये। संदर्भ ग्रंथों का विवरण पूरा दिया जाये। लेखक का नाम, वर्ष, पुस्तक का नाम, प्रकाशक का विवरण, प्रकाशक का स्थान और पृष्ठ संख्या आदि का विवरण दिया जाना चाहिए।
- शोध पत्र माईक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में टाइप किया हुआ होना चाहिए। (नोट- पेज मेकर की फाइल, पी.डी.एफ. फाइल, स्कैन मैटर आदि में कदापि शोध पत्र न भेजें) शोध पत्र हिन्दी लिपि में कृतिदेव या देवलिस फांट 010(फॉन्ट साइज 14, स्पेस डबल, मार्जिन ए-4 साईज के कागज में चारो तरफ 1 इंच) में भेजा जाना चाहिए।
- शोध पत्र के साथ यह घोषणा अवश्य संलग्न करें कि शोध पत्र मौलिक है तथा इसे कहीं अन्यत्र प्रकाशनार्थ प्रेषित नहीं किया गया है।

सर्वप्रथम शोध पत्र ई-मेल द्वारा भेजें-

- **researchjournal97@gmail.com,**
- **researchjournal.journal@gmail.com**
- शोध पत्र की स्वीकृति की सूचना सम्पादकीय कार्यालय द्वारा लेखक को ई-मेल एवं दूरभाष द्वारा प्रदान की जाती है।

© सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज

एक अंक रुपये 500.00	-सदस्यता शुल्क -	
अवधि	व्यक्तिगत सदस्यता	संस्थागत सदस्यता
वर्ष एक	2000-00	2500-00
वर्ष दो	2500-00	4000-00

सदस्यता शुल्क की राशि गायत्री पब्लिकेशन्स के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ब्रांच-रीवा सिटी (आईएफएस कोड 0004667 MICR Code 486002003) के खाता क्रमांक 30016445112 में जमा की जाय।

प्रकाशक: गायत्री पब्लिकेशन्स
रीवा- 486001 (म.प्र.)

मुद्रक: ग्लोरी ऑफसेट
नागपुर

संपादकीय कार्यालय

186/1, विन्ध्य विहार कालोनी
रीवा- 486001 (म.प्र.)
E-mail- researchjournal97@gmail.com, researchjournal.journal@gmail.com
www.researchjournal.in
दूरभाष - 7974781746

रिसर्च जरनल में प्रस्तुत किये गये विचार और तथ्य लेखकों के है, जिनके विषय में सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं है। रिसर्च जरनल के सम्पादन एवं प्रकाशन में पूर्ण सावधानी रखी गई है, किन्तु किसी त्रुटि के लिए सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं है। सम्पादन का कार्य अव्यावसायिक और ऑनरेरी है। सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र, रीवा जिला रीवा (म.प्र.) रहेगा।

सम्पादकीय

ज्ञान, शोध और नवाचार किसी भी राष्ट्र की आत्मा हैं। वर्तमान अंक इन्हीं तीनों तत्वों के संगम का सशक्त उदाहरण है, जो भारतीय समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, दर्शन और शिक्षा के विविध आयामों को एक समन्वित दृष्टि से प्रस्तुत करता है। यह अंक केवल अकादमिक विमर्श का संग्रह नहीं, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है जो भारत की आत्मा को उसके वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में देखने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम दिखाई देता है, जहाँ शोध विचारों को दिशा देता है और नवाचार उन्हें क्रियान्वयन का मार्ग दिखाता है।

इस अंक का आरंभ अखिलेश शुक्ल के आलेख "सशक्तिकरण से सतत विकास तक: महिला उद्यमिता और नवाचार का विश्लेषण" से होता है, जो महिला सशक्तिकरण को विकास की रीढ़ के रूप में प्रस्तुत करता है। लेखक ने यह प्रतिपादित किया है कि महिला उद्यमिता न केवल आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करती है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भी आधार बनती है। इसी क्रम में निशी मिश्रा का आलेख "ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे: विजन 2047 विकसित भारत में आधुनिक परिवहन का उभरता स्वरूप" भारत के आधुनिक अवसंरचनात्मक विकास की झलक प्रस्तुत करता है। इसमें परिवहन को विकास का मेरुदंड बताते हुए भविष्य की नीतिगत दिशा का विवेचन किया गया है।

कृषि और ग्रामीण समाज से संबंधित अध्ययन में देवेन्द्र मुझाल्दा का आलेख "कृषि क्षेत्रों में कृषकों की कृषि विपणन व्यवस्था का अध्ययन" उल्लेखनीय है, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति और सुधार की संभावनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। इसी कड़ी में रजनीकान्त कुमार का आलेख "महिला सशक्तीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास" यह दर्शाता है कि महिलाओं की भागीदारी के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती।

रेखा पाण्डेय और अखिलेश शुक्ल का संयुक्त आलेख "ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका: रीवा जिले के संदर्भ में एक अध्ययन" ग्रामीण भारत में परिवर्तन की ठोस मिसाल प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन बताता है कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएँ न केवल आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो रही हैं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी सशक्त निर्णयकर्ता के रूप में उभर रही हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में शिव कुमार दुबे और नमिता गुप्ता का आलेख "जबलपुर-कटनी जिले में साक्षरता का सामाजिक प्रतिरूप" यह संकेत करता है कि साक्षरता सामाजिक समानता का आधार है। वहीं विपाषा चौधरी और चांदनी मरकाम का शोध "मलिन बस्तियों के पारिवारिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा स्तर का सामाजिक-आर्थिक जीवन पर प्रभाव" सामाजिक असमानताओं की गहरी पड़ताल करता है।

पुष्पा का आलेख "बिहार में महिला सशक्तिकरण: अवसर और संभावनाएँ" महिला जागरूकता और नीति-निर्माण के संबंध में बिहार की स्थिति को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार गंगा देवी बैरागी का आलेख "जनजातीय समाज में महिलाओं की समस्याएँ एवं निराकरण" जनजातीय जीवन के जमीनी यथार्थ को सामने लाता है।

प्रियंका गुप्ता और अखिलेश शुक्ल का आलेख "महिला सशक्तिकरण की दिशा में गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय भूमिका और सामाजिक परिवर्तन" सामाजिक क्षेत्र में एनजीओ की सशक्त भूमिका को रेखांकित करता है। वहीं विनेता का आलेख "कार्यस्थल में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका" आधुनिक कार्यसंस्कृति में भावनात्मक संतुलन के महत्व को विश्लेषित करता है।

अंजली पण्डया का आलेख "भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: विश्लेषण और मूल्यांकन" यह दर्शाता है कि भारतीय शिक्षा की आत्मा अपने प्राचीन ज्ञान-स्रोतों से ही पोषित होती है। इसी क्रम में मुक्ता दुबे का आलेख "भारतीय ज्ञान परम्परा में राजनीतिक दर्शन एवं उसकी वर्तमान प्रासंगिकता" भारतीय राजनीतिक चिंतन की जड़ों को वर्तमान सन्दर्भों से जोड़ता है।

इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में भारती शर्मा का आलेख "महाभारत एवं गांधी संग्राम" आदर्श और यथार्थ के संघर्ष को दार्शनिक दृष्टि से व्याख्यायित करता है। जितेन्द्र कुमार और दीपक कुमार दिनकर का आलेख "राजेन्द्र प्रसाद का शिक्षा संबंधी विचार: एक अध्ययन" भारतीय शिक्षा के मानवीय दृष्टिकोण को सामने लाता है।

अनिल हनवत का आलेख "भारतीय लोकतंत्र: स्वतंत्रता से डिजिटल युग तक का एक विश्लेषण" लोकतंत्र के विकास की यात्रा को गहराई से प्रस्तुत करता है। वहीं मेघा माहेश्वरी और रश्मि सोमवंशी का आलेख "तिलक, गोखले के लोकतन्त्र पर विचार" भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के वैचारिक विमर्श को पुन: जीवंत करता है।

प्रभा जैन का आलेख "स्वेच्छातंत्रवाद का विश्लेषणात्मक अध्ययन: रॉबर्ट नॉजिक के विशेष संदर्भ में" पश्चिमी दार्शनिक चिंतन की आलोचनात्मक विवेचना प्रस्तुत करता है। इसी क्रम में पवन कुमार त्रिभुवन का आलेख "स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की सहभागिता: बिहार का अध्ययन" स्थानीय शासन में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण विमर्श प्रस्तुत करता है।

लोक संस्कृति के क्षेत्र में डी. एस. भण्डारी का आलेख "गढ़वाल हिमालय के मांगल गीत" लोकधुनों में समाहित सांस्कृतिक चेतना को उभारता है। वहीं मधु का आलेख "महाकवि भवभूति की कृतियों में धर्म का स्वरूप (आराध्य देवों के विशेष संदर्भ में)" साहित्य और दर्शन के सुंदर संगम का उदाहरण है।

कमलेश कुमार सिंह का आलेख "भारतीय दार्शनिक परम्परा में समत्व योग" भारतीय दर्शन के गूढ़ भाव को सरलता से उद्घाटित करता है। इतिहास के क्षेत्र में राम देव जाट का आलेख "19वीं सदी में राजपूताना की देशी रियासतों में प्रशासनिक आधुनिकीकरण: एक ऐतिहासिक अवलोकन" भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के विकास की ऐतिहासिक झलक प्रस्तुत करता है।

सत्यवीर कुमार पासवान का आलेख "कम्बुज कला एवं भारतीय प्रभाव: एक अनुशीलन" भारतीय कला के वैश्विक प्रभाव की सशक्त प्रस्तुति है। वहीं मनीता कुमारी यादव का आलेख "सैनिक विद्रोह की कड़ी में 1857 ई. में रामगढ़ बटालियन का शौर्यपूर्ण इतिहास" भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली अध्याय को पुन: जीवंत करता है।

इन सभी शोध पत्रो का सार यह है कि वे विचारों के विविध आयामों को एकीकृत करते हैं, कहीं यह सशक्तिकरण का विमर्श है, कहीं शिक्षा और ज्ञान का, कहीं संस्कृति और इतिहास का, तो कहीं दर्शन और लोकतंत्र का। यह अंक न केवल शैक्षणिक दृष्टि से समृद्ध है, बल्कि समाज की चेतना को नए विचारों से आलोकित करने का प्रयास भी है। अंतत:, यह शोध पत्रिका उन सभी लेखकों और शोधार्थियों के बौद्धिक समर्पण की प्रतीक है, जिन्होंने अपने लेखन से समाज, राष्ट्र और मानवता के विकास का स्वप्न साकार करने का प्रयास किया है। हमें विश्वास है कि यह अंक शोधार्थियों, शिक्षाविदों और पाठकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और एक सशक्त, जागरूक तथा ज्ञान-आधारित भारत की दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा देगा।

डॉ. अखिलेश शुक्ल
प्रधान सम्पादक

अनुक्रमणिका

01.	सशक्तिकरण से सतत विकास तक: महिला उद्यमिता और नवाचार का विश्लेषण **अखिलेश शुक्ल**	09
02.	ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे: विजन 2047 विकसित भारत में आधुनिक परिवहन का उभरता स्वरूप **निशी मिश्रा**	23
03.	कृषि क्षेत्रों में कृषकों की कृषि विपणन व्यवस्था का अध्ययन **देवेन्द्र मुझाल्दा**	31
04.	महिला सशक्तीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास **रजनीकान्त कुमार**	38
05.	ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका: रीवा जिले के संदर्भ में एक अध्ययन **रेखा पाण्डेय** **अखिलेश शुक्ल**	46
06.	जबलपुर-कटनी जिले में साक्षरता का सामाजिक प्रतिरूप **शिव कुमार दुबे** **नमिता गुप्ता**	55
07.	मलिन बस्तियों के पारिवारिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा स्तर का सामाजिक आर्थिक जीवन पर प्रभाव **विपाषा चौधरी** **चांदनी मरकाम**	70
08.	बिहार में महिला सशक्तिकरण: अवसर और संभावनाएँ **पुष्पा**	79
09.	जनजातीय समाज में महिलाओं की समस्याएं एवं निराकरण **गंगा देवी बैरागी**	86
10.	महिला सशक्तिकरण की दिशा में गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय भूमिका और सामाजिक परिवर्तन **प्रियंका गुप्ता** **अखिलेश शुक्ल**	94
11.	कार्यस्थल में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका **विनेता**	104
12.	भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: विश्लेषण और मूल्यांकन **अंजली पण्डया**	110
13.	भारतीय ज्ञान परम्परा में राजनीतिक दर्शन एवं उसकी वर्तमान प्रासंगिकता **मुक्ता दुबे**	116
14.	महाभारत एवं गांधी संग्राम **भारती शर्मा**	122

15. राजेन्द्र प्रसाद का शिक्षा संबंधी विचार: एक अध्ययन 130
जितेन्द्र कुमार
दीपक कुमार दिनकर
16. भारतीय लोकतंत्र: स्वतंत्रता से डिजिटल युग तक का एक विश्लेषण 137
अनिल हनवत
17. तिलक, गोखले के लोकतन्त्र पर विचार 146
मेघा माहेश्वरी
रश्मि सोमवंशी
18. स्वेच्छातंत्रवाद का विश्लेषणात्मक अध्ययन: रॉबर्ट नॉजिक के विशेष संदर्भ में 153
प्रभा जैन
19. स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की सहभागिता: बिहार का अध्ययन 160
पवन कुमार त्रिभुवन
20. गढ़वाल हिमालय के मांगल गीत 166
डी. एस. भण्डारी
21. महाकवि भवभूति की कृतियों में धर्म का स्वरूप 172
(आराध्य देवों के विशेष संदर्भ में)
मधु
22. भारतीय दार्शनिक परम्परा में समत्व योग 178
कमलेश कुमार सिंह
23. 19वीं सदी में राजपूताना की देशी रियासतों में प्रशासनिक आधुनिकीकरण: 184
एक ऐतिहासिक अवलोकन
राम देव जाट
24. कम्बुज कला एवं भारतीय प्रभाव : एक अनुशीलन 189
सत्यवीर कुमार पासवान
25. सैनिक विद्रोह की कड़ी में 1857 ई. में रामगढ़ बटालियन का शौर्यपूर्ण इतिहास 194
मनीता कुमारी यादव

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 6.375, ISSN 0975-4083
Vol.- 29, Hindi Edition, Year-15, April- September 2025

सशक्तिकरण से सतत विकास तक: महिला उद्यमिता और नवाचार का विश्लेषण

•अखिलेश शुक्ल

सारांश- महिला उद्यमिता आज के सामाजिक और आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण धुरी बन चुकी है। महिलाएं अपने नवाचार, दृढ़ता और नेतृत्व क्षमता से न केवल व्यवसायिक क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन भी ला रही हैं। उनके उद्यम केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सामाजिक दायित्व, पर्यावरणीय संरक्षण और सांस्कृतिक मूल्यों को भी समाहित करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से महिला उद्यमियों को सृजनात्मकता, धैर्य, सामाजिक जिम्मेदारी, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की प्रेरणा मिलती है। प्राचीन काल से ही महिलाएं ज्ञान, शिक्षा और समाज सेवा में अग्रणी रही हैं। आज की महिला उद्यमिता इसी परंपरा को आधुनिक व्यवसायिक संदर्भो में जोड़कर आगे बढ़ा रही है। महिला उद्यमिता में नवाचार का स्वरूप कृषि, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, फैशन और पर्यावरणीय प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में दिखाई देता है। महिलाएं पारंपरिक शिल्प और कलाओं को आधुनिक रूप में प्रस्तुत कर रही हैं और वैश्विक स्तर पर भारतीय हस्तकला को पहचान दिला रही हैं। साथ ही, वे समाज सेवा और पर्यावरणीय स्थिरता पर आधारित स्टार्टअप्स के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा दे रही हैं।

मुख्य शब्द- उद्यमिता, विकास, नवाचार, दृढ़ता, नेतृत्व क्षमता

कौशल विकास महिला उद्यमिता को सशक्त बनाने का प्रमुख साधन है। सही प्रशिक्षण और तकनीकी दक्षता से महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं और अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित कर सकती हैं। इससे न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि समाज में समानता और सामाजिक न्याय भी स्थापित होता है।
अंततः, महिला उद्यमिता, नवाचार और सतत विकास का संगम न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति को भी नई दिशा देता है। यह संतुलित और समग्र विकास की आधारशिला है। यहाँ इस विषय सशक्तिकरण से सतत विकास तक: महिला उद्यमिता और नवाचार का विश्लेषण से संबंधित पाँच मुख्य शब्द दिए गए हैं–

- सशक्तिकरण (Empowerment)– महिला उद्यमिता का मूल उद्देश्य, जिससे

• विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश

महिलाएं आत्मनिर्भर और निर्णय लेने में सक्षम बनती हैं।

- नवाचार (Innovation)- नए विचार, उत्पाद और सेवाओं के माध्यम से समाज और बाजार में बदलाव लाने की क्षमता।
- भारतीय ज्ञान परंपरा (Indian Knowledge Tradition)- प्राचीन मूल्यों, आध्यात्मिकता और समग्र दृष्टिकोण से मिलने वाली प्रेरणा।
- सतत विकास (Sustainable Development)- पर्यावरणीय संरक्षण और सामाजिक समानता को ध्यान में रखते हुए विकास करना।
- कौशल विकास (Skill Development)- प्रशिक्षण और दक्षता के माध्यम से महिलाओं को उद्यमिता में सक्षम बनाना।

महिला उद्यमिता नवाचार और सतत विकास, महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और उनके कारोबार को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को कहा जाता है। मेरा यह मानना है की महिला उद्यमियों के सतत विकास को बढ़ावा देकर देश में संतुलित विकास को हासिल किया जा सकता है। महिला उद्यमी नवाचार और सुदृढ़ता की उज्ज्वल किरण बनकर उभर रही हैं। उद्योगों को बदल रही हैं और अपने दूरदर्शी नेतृत्व से बाधाओं को पार कर रही हैं। उनके उद्यम केवल व्यवसाय नहीं हैं। वे दृढ़ संकल्प, रचनात्मकता और सशक्तिकरण की शक्तिशाली कहानियाँ हैं, जो अनगिनत लोगों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती हैं।

भारतीय ज्ञान परंपरा और महिला उद्यमिता- भारत की ज्ञान परंपरा प्राचीन काल से ही समृद्ध रही है। महिला उद्यमिता के संदर्भ में, भारतीय ज्ञान परंपरा से मिलने वाली प्रेरणा और मार्गदर्शन आज भी महिलाओं के व्यवसायिक प्रयासों को शक्ति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने का तरीका प्रदान करती है। यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को जोड़ने और समग्र दृष्टिकोण अपनाने का मार्गदर्शन देती है। महिला उद्यमिता में भी इसी दृष्टिकोण को अपनाकर महिलाएं अपनी व्यावसायिक सफलता प्राप्त कर सकती हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से मिलती प्रेरणा से महिलाएं अपनी उद्यमिता को समाज और संस्कृति के साथ जोड़ सकती हैं। जिसमें न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान बल्कि विज्ञान, गणित, चिकित्सा, और अन्य शास्त्रों का भी अद्वितीय योगदान है। भारतीय समाज में महिलाओं का योगदान हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है, चाहे वह शास्त्रों का अध्ययन हो या फिर समाज में उनके द्वारा किए गए कार्य। महिला उद्यमिता के संदर्भ में, भारतीय ज्ञान परंपरा से मिलने वाली प्रेरणा और मार्गदर्शन आज भी महिलाओं के व्यवसायिक प्रयासों को शक्ति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा का इतिहास बहुत पुराना है। वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, और अन्य प्राचीन ग्रंथों में महिलाओं का उल्लेख महत्वपूर्ण स्थान पर किया गया है। भारतीय समाज में हमेशा से ही महिलाओं को ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाता रहा है और यह परंपरा आज भी जीवित है। प्राचीन भारत में कुछ प्रमुख महिलाएं जैसे गार्गी, मिथिली और अनसूया ने न केवल समाज को दिशा दी, बल्कि ज्ञान, शिक्षा और समाज सेवा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही, भारतीय शास्त्रों में गृहस्थ जीवन, जीवन के उद्देश्यों और

सृजनात्मकता के बारे में गहरी समझ दी गई है, जो महिलाओं को अपने जीवन और व्यवसाय के उद्देश्य को समझने और उसे सही दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करती है।

भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने का तरीका प्रदान करती है। यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को जोड़ने और समग्र दृष्टिकोण अपनाने का मार्गदर्शन देती है। महिला उद्यमिता में भी इसी दृष्टिकोण को अपनाकर महिलाएं अपनी व्यावसायिक सफलता प्राप्त कर सकती हैं।

भारतीय ज्ञान परंपरा से मिलती प्रेरणा से महिलाएं अपनी उद्यमिता को समाज और संस्कृति के साथ जोड़ सकती हैं।

1. सृजनात्मकता और नवाचार- भारतीय हस्तशिल्प, कढ़ाई, पेंटिंग, और अन्य पारंपरिक शिल्पकलाएँ महिलाओं द्वारा सदियों से की जाती रही हैं। महिलाएं अब इन पारंपरिक कलाओं और शिल्प को आधुनिक रूप में बदलकर स्टार्टअप्स चला रही हैं और इन्हें वैश्विक स्तर पर प्रचलित बना रही हैं।

2. समाज के प्रति जिम्मेदारी और सेवा- भारतीय ज्ञान परंपरा में हमेशा समाज के प्रति जिम्मेदारी और सेवा का महत्व बताया गया है। महिला उद्यमिता को इस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है कि महिलाएं अपने व्यवसायों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। समाज की भलाई, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, और पारिस्थितिकी के संरक्षण जैसे मुद्दों पर आधारित स्टार्टअप्स महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकते हैं।

3. आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन- भारतीय परंपरा में ध्यान, योग और मानसिक संतुलन का विशेष महत्व है। यह उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं को आंतरिक शांति और आत्मविश्वास प्राप्त करने में मदद कर सकता है। जब महिलाएं मानसिक रूप से संतुलित होती हैं, तो वे अपने व्यवसायों में अधिक सफल होती हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा यह सिखाती है कि व्यावसायिक जीवन को मानसिक संतुलन और शांति के साथ जोड़ा जाए, जिससे दीर्घकालिक सफलता प्राप्त हो सकती है।

भारतीय ज्ञान परंपरा से मिलने वाली सीख

1. धैर्य और संघर्ष- भारतीय परंपरा में धैर्य और संघर्ष को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। यह सीख महिला उद्यमियों को अपनी यात्रा में आने वाली कठिनाइयों को सहने और निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। महिला उद्यमिता में सफलता पाने के लिए यह गुण अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर स्टार्टअप के सफर में उतार-चढ़ाव आते हैं, और धैर्य के साथ निरंतर प्रयास करना सफलता की कुंजी है।

2.संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी- भारतीय परंपराओं में महिलाओं को हमेशा ही संवेदनशील और सहायक के रूप में देखा गया है। यह गुण महिलाओं को अपने व्यवसाय के दौरान समाज की आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। महिला उद्यमिता को सामाजिक बदलाव के रूप में देखा जा सकता है, जहां महिलाएं अपने व्यवसाय के जरिए समाज के दबे-कुचले वर्ग, जैसे ग्रामीण महिलाएं, बच्चों और कमजोर वर्गों के लिए काम करती हैं।

3.आध्यात्मिकता का व्यवसाय में समावेश- भारतीय ज्ञान परंपरा में आत्म–ज्ञान और आध्यात्मिकता का गहरा संबंध है। महिलाएं इस पारंपरिक दृष्टिकोण को अपने व्यवसाय में समाहित कर सकती हैं, ताकि वे केवल लाभ की ओर न बढ़ें, बल्कि अपने व्यवसाय को समाज, पर्यावरण और मानसिक भलाई के लिए लाभकारी बना सकें। उदाहरण के लिए, महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे आयुर्वेद, प्राकृतिक उत्पाद, और योग आधारित स्टार्टअप्स इस –ष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं।

महिला उद्यमिता के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रभाव

- भारतीय ज्ञान परंपरा का महिला उद्यमिता पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
- यह महिलाओं को सशक्त बनाने, उन्हें जिम्मेदारी का अहसास कराए, और जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है।
- भारतीय महिला उद्यमी अब पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक व्यवसायिक दृष्टिकोण को जोड़कर नए–नए और अभिनव समाधान प्रस्तुत कर रही हैं।

1.आधुनिक तकनीकी क्षेत्र में योगदान- महिलाएं आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठा रही हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरणा लेकर वे तकनीकी, इंजीनियरिंग, और विज्ञान के क्षेत्र में नई क्रांतियाँ ला रही हैं। इन्हें पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम माना जा सकता है, जो समाज में नए दृष्टिकोण और समाधान प्रस्तुत करता है।

2.स्थिरता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी- भारत में सदियों से पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता रही है। महिलाएं पर्यावरणीय सशक्तिकरण, जल संरक्षण, और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप्स चला रही हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ तालमेल बैठाते हैं। उद्यमियों के रूप में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति के कारण देश में महत्वपूर्ण व्यवसाय और आर्थिक विकास हुआ है। देश में रोजगार के अवसर पैदा करके, जनसांख्यिकीय परिवर्तन लाकर और महिला संस्थापकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करके महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसाय उद्यम समाज में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। आज के इस गतिशील और बदलते हुए समाज में महिला उद्यमिता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महिलाओं द्वारा स्थापित और संचालित उद्यम न केवल आर्थिक दृष्टि से समाज में योगदान कर रहे हैं। बल्कि ये नवाचार और सतत विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहे हैं। महिला उद्यमिता का विकास न केवल समाज की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि यह महिलाओं को सशक्त भी करता है। महिलाएं अब पारंपरिक भूमिकाओं से बाहर निकलकर व्यापार, सेवा क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से न केवल महिला सशक्तिकरण को बल मिल रहा है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहा है। महिला उद्यमियों के लिए कई प्रकार की बाधाएं हैं, जैसे कि वित्तीय संसाधनों की कमी, पारिवारिक जिम्मेदारियां, समाज की धारा और कई अन्य सामाजिक अवरोध। लेकिन महिला उद्यमियों ने इन चुनौतियों का सामना करते हुए नवाचार और अनूठी सोच के साथ व्यापार जगत में अपनी पहचान बनाई है।

नवाचार (Innovation) और महिला उद्यमिता- नवाचार का तात्पर्य किसी नए विचार, उत्पाद, प्रक्रिया, या सेवा से है, जो न केवल व्यापारिक सफलता प्राप्त कराता है बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी हो। महिला उद्यमिता में नवाचार का प्रभाव खासकर उन क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जहां महिलाएं पारंपरिक रूप से कम सक्रिय रही हैं। उदाहरण के तौर पर, कृषि, टेक्नोल,जी, स्वास्थ्य देखभाल, फैशन और पर्यावरणीय प्रबंधन में महिलाओं ने नए मॉडल अपनाए हैं जो न केवल बाजार में सफल हैं बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी साबित हो रहे हैं।

सतत विकास (Sustainable Development) और महिला उद्यमिता- सतत विकास का मतलब है, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करना। महिला उद्यमिता इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि महिलाओं का झुकाव पारिस्थितिकी और सामाजिक मुद्दों के प्रति अधिक होता है। वे पर्यावरणीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, और सामाजिक समानता जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। कई महिला उद्यमियों ने पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद और सेवाएं विकसित की हैं, जो न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी हैं, बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए भी सहायक हैं। उदाहरण- भारत में कुछ प्रमुख महिला उद्यमियों ने नवाचार और सतत विकास के क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की है। जैसे कि नीलम गुप्ता, जिन्होंने अपनी कंपनी के माध्यम से बायोडिग्रेडेबल पैकिंग मटेरियल का निर्माण किया। इसी तरह रानी राधा ने टिकाऊ कृषि उत्पादों का विकास किया, जो न केवल कृषि क्षेत्र को प्रौद्योगिकी की मदद से सुधारने का काम कर रहे हैं, बल्कि पर्यावरण के संरक्षण में भी सहायक साबित हो रहे हैं। महिला उद्यमिता नवाचार और सतत विकास के साथ जुड़ी हुई है। महिलाओं का उद्यमिता के क्षेत्र में कदम रखना न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रगति को बढ़ावा देता है, बल्कि यह समाज के हर पहलू में सुधार लाने का काम करता है। इसके साथ ही, यह आर्थिक विकास और सामाजिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित हो रहा है। अत: महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना और उनके नवाचारों को मान्यता देना हमारे समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

कौशल विकास और महिला उद्यमिता- कौशल विकास से तात्पर्य किसी व्यक्ति को विशिष्ट कार्यों को करने के लिए आवश्यक ज्ञान, प्रशिक्षण और अभ्यास प्रदान करना है। यह किसी भी देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाता है, बल्कि लोगों की जीवन गुणवत्ता में भी सुधार करता है। खासकर महिलाओं के संदर्भ में, कौशल विकास उन्हें अपनी आय के स्रोत उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है और आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम है। कौशल विकास और महिला उद्यमिता दोनों ही समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जहां एक ओर कौशल विकास लोगों को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में सक्षम बनाता है, वहीं महिला उद्यमिता महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ समाज में समानता और समान अवसरों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि महिलाओं को सही कौशल दिया जाए, तो वे न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती हैं, बल्कि समाज में बदलाव भी ला सकती हैं। कौशल विकास से महिलाओं में

आत्मविश्वास बढ़ता है, वे समाज में अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने के लिए सशक्त होती हैं और अपने परिवार की स्थिति में भी सुधार लाती हैं। जब महिलाएं किसी विशेष क्षेत्र में दक्ष होती हैं, तो वे न केवल व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करती हैं, बल्कि इससे पूरे समाज को फायदा होता है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने में कौशल विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब महिलाओं को व्यवसाय संचालित करने के लिए आवश्यक कौशल मिलते हैं, तो वे अपने उद्यमों को प्रभावी रूप से चला सकती हैं। इनमें व्यावसायिक प्रबंधन, विपणन, वित्तीय प्रबंधन, नेतृत्व कौशल, और तकनीकी दक्षता जैसे महत्वपूर्ण कौशल शामिल हैं। कौशल विकास महिलाओं को न केवल उद्यम स्थापित करने में मदद करता है, बल्कि उन्हें अपने उद्यम को बढ़ाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए तैयार करता है। उदाहरण स्वरूप, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता कर सकती हैं, जैसे कि कृषि, बुटीक संचालन, फूड प्रोसेसिंग, डिजिटल मार्केटिंग और टेक्नोल,जी में स्टार्टअप्स। जब महिलाएं इन क्षेत्रों में अपने कौशल का उपयोग करती हैं, तो वे न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, बल्कि वे समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी लाती हैं।

महिला उद्यमिता के उदाहरण- भारत में कई महिला उद्यमियों ने कौशल विकास के माध्यम से अपने व्यवसायों को सफलतापूर्वक चलाया है। उदाहरण के तौर पर, सुश्री मधु वर्मा, जिन्होंने सिलाई और कढ़ाई कौशल सीखकर छोटे पैमाने पर एक बुटीक खोला और बाद में उसे एक सफल उद्यम में बदल दिया। प्रिया शर्मा ने कृषि क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रमों का हिस्सा बनकर अपनी कृषि भूमि पर नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया और बेहतर फसल उत्पादन किया।

कौशल विकास के लिए सरकारी और निजी प्रयास- भारत सरकार और कई निजी संगठन महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चला रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी योजनाएं महिलाओं को विभिन्न कौशल सीखने और अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इसके अलावा, नारी शक्ति पुरस्कार, स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना जैसी पहलों के माध्यम से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता और अन्य संसाधन प्रदान किए जाते हैं। कौशल विकास और महिला उद्यमिता का आपस में गहरा संबंध है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास की दिशा में और अधिक प्रयास किए जाने चाहिए ताकि महिलाएं अपनी पहचान बना सकें और समाज में समानता एवं समृद्धि की ओर बढ़ सकें।

भारत में महिला उद्यमिता परिदृश्य- भारत में महिला उद्यमिता एक महत्वपूर्ण और तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। पिछले कुछ दशकों में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है और देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दिया है।

हालांकि पारंपरिक दृष्टिकोण से महिलाएं अक्सर घर की जिम्मेदारियों और पारिवारिक जीवन में बंधी रही हैं, लेकिन अब समय बदल चुका है। महिलाओं ने व्यापार, उद्योग, सेवाएं, और तकनीकी क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। महिला उद्यमिता का यह परिदृश्य अब पहले से कहीं अधिक जीवंत और प्रभावशाली है, और यह भारतीय समाज में एक नई ऊर्जा और बदलाव लेकर आया है।

भारत में महिला उद्यमिता का विकास- भारत में महिला उद्यमिता की शुरुआत पारंपरिक छोटे व्यवसायों से हुई थी, जैसे कि हस्तशिल्प, कढ़ाई, बुटीक, और भोजन निर्माण। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में महिला उद्यमियों ने इन पारंपरिक व्यवसायों को छोड़कर नए क्षेत्रों में कदम रखा है, जैसे कि तकनीकी स्टार्टअप्स, डिजिटल मार्केटिंग, फिनटेक, और इको-फ्रेंडली उत्पादों का निर्माण। महिला उद्यमियों की यह यात्रा अब केवल पारिवारिक आय बढ़ाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अपने उद्यमों को स्थापित करने की दिशा में बढ़ रही है।

महिला उद्यमिता की चुनौतियाँ- भारत में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ मौजूद हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं-

1.संसाधनों की कमी- महिला उद्यमियों को अक्सर वित्तीय संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। बैंक और वित्तीय संस्थान महिलाओं को व्यवसाय के लिए ऋण देने में हिचकिचाते हैं।

2.सामाजिक बाधाएं- पारंपरिक समाज में महिलाएं घर की जिम्मेदारियों से जुड़ी रहती हैं और उनके व्यवसायों के प्रति समर्थन और स्वीकृति की कमी होती है। कई बार महिलाओं को उनके उद्यमों के लिए परिवार और समाज से सहारा नहीं मिलता।

3.शिक्षा और कौशल विकास- महिलाओं को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है, ताकि वे अपने व्यवसायों को सशक्त बना सकें। हालांकि, आजकल कई सरकारी योजनाओं और निजी संस्थाओं द्वारा कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, फिर भी महिलाओं तक इन संसाधनों का समान रूप से पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

4.नेटवर्किंग और मेंटरशिप की कमी- महिलाएं अक्सर व्यावसायिक नेटवर्किंग के अवसरों से दूर रहती हैं, क्योंकि उन्हें पुरुषों की तुलना में कम अवसर मिलते हैं। इसके कारण उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और सहयोग नहीं मिल पाता।

5.आर्थिक बाधाएँ- महिलाओं के लिए पूंजी जुटाना एक महत्वपूर्ण चुनौती बन सकती है। बैंक और वित्तीय संस्थान अक्सर महिलाओं को ऋण देने में हिचकिचाते हैं, खासकर जब उनके पास पर्याप्त संपत्ति या क्रेडिट इतिहास न हो। इसके कारण उन्हें अपने व्यवसाय की शुरुआत में वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है।

6.लिंग आधारित भेदभाव- महिलाओं को अक्सर व्यवसायों में अपनी पहचान और स्थान स्थापित करने में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वे पुरुषों के मुकाबले कम सम्मानित महसूस करती हैं और उनके विचारों को गंभीरता से नहीं लिया जाता।

समाधान-

1.प्रेरणा और शिक्षा- महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में सफलता के उदाहरणों से प्रेरित किया जा सकता है। उन्हें व्यापार प्रबंधन, मार्केटिंग, और वित्तीय शिक्षा के लिए ट्रेनिंग और कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

2.वित्तीय सहायता- महिलाओं के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए ऋण योजनाओं और अनुदान कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। सरकार

और विभिन्न वित्तीय संस्थानों को महिलाओं के लिए आसान ऋण और समर्थन की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए।

3.समाज में बदलाव- समाज को महिलाओं के व्यवसायों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। परिवार और समाज को महिलाओं को उनके उद्यमिता प्रयासों में समर्थन देना चाहिए और पारिवारिक जिम्मेदारियों को साझा करने की संस्कृति विकसित करनी चाहिए।

4.नेटवर्किंग प्लेटफ़,र्म- महिला उद्यमियों के लिए विशेष नेटवर्किंग कार्यक्रम और प्लेटफ़,र्म तैयार किए जा सकते हैं, जहां वे एक-दूसरे से विचार-विमर्श कर सकती हैं और एक-दूसरे की मदद कर सकती हैं। ये नेटवर्क उन्हें नए अवसर और संसाधन प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।

5.कानूनी समर्थन और नीतियाँ- सरकार को महिला उद्यमियों के लिए विशेष नीतियां और समर्थन योजनाएँ विकसित करनी चाहिए, ताकि वे भेदभाव से मुक्त होकर अपने व्यवसायों को बढ़ा सकें। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कानूनी और संस्थागत समर्थन की आवश्यकता है।

महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने वाली सरकारी योजनाएं- भारत सरकार ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इनमें प्रमुख हैं-

1. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना-** इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को छोटे व्यवसायों के लिए सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं।
2. **स्टार्टअप इंडिया योजना-** इस योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों को उनके स्टार्टअप्स को स्थापित करने और बढ़ाने के लिए विशेष लाभ दिए जाते हैं।
3. **नारी शक्ति पुरस्कार-** यह पुरस्कार महिलाओं द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है और यह महिला उद्यमिता के क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करता है।
4. **उद्यमी महिला कार्यक्रम-** यह कार्यक्रम महिला उद्यमियों को वित्तीय और प्रबंधकीय सहायता प्रदान करता है, ताकि वे अपने व्यवसाय को स्थिर और लाभकारी बना सकें।

महिला उद्यमिता के प्रेरक उदाहरण- भारत में कई ऐसी महिला उद्यमी हैं जिन्होंने अपने सामर्थ्य और संघर्ष से यह सिद्ध कर दिया है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण हैं-

किरण मजूमदार- बायोकॉन लिमिटेड की संस्थापक और सीईओ, किरन ने बायोटेक उद्योग में महिलाओं के लिए एक नया मानक स्थापित किया है। उन्होंने अपने व्यवसाय को न केवल भारत में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सफल बनाया।

वणीता ठाकुर- एक नई टेक्नोलॉजी कंपनी की संस्थापक, जो ऊर्जा, पर्यावरण और शिक्षा क्षेत्रों में काम करती हैं। वणीता ने व्यवसाय और सामाजिक योगदान का सही संतुलन स्थापित किया है।

नीलम गुप्ता- टिकाऊ पैकिंग मटेरियल बनाने वाली उद्यमिता में उन्होंने न केवल पारंपरिक व्यापार से बाहर कदम रखा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इस तरह हम कह सकते हैं की भारत में महिला उद्यमिता का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। महिलाएं अब केवल पारंपरिक क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, वित्त, और अन्य उच्च तकनीकी क्षेत्रों में भी सफलता की नई ऊंचाइयां छू रही हैं। हालांकि, महिला उद्यमिता के सामने कुछ चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन सही दिशा में किए गए प्रयासों से इन्हें पार किया जा सकता है। सरकारी योजनाओं, निजी संस्थाओं, और सामाजिक समर्थन के माध्यम से महिला उद्यमिता को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर काम किया जा रहा है। यदि महिला उद्यमियों को पर्याप्त संसाधन, मार्गदर्शन, और समर्थन मिलता है, तो वे भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में सक्षम होंगी। भारत में महिला उद्यमिता का क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, और इसके बारे में कुछ प्रमुख आंकड़े इस क्षेत्र के विकास को दर्शाते हैं। यहां कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और तथ्य दिए गए हैं, जो भारत में महिला उद्यमिता की स्थिति को उजागर करते हैं–

महिला उद्यमियों की संख्या- एनएसएसओ (National Sample Survey Office) के अनुसार भारत में लगभग 14 प्रतिशत महिला उद्यमी हैं, जो छोटे और बड़े व्यवसायों में सक्रिय हैं।

सभी उद्यमियों में महिला उद्यमियों का प्रतिशत- हुमन रिसोर्स डेवलपमेंट (HRD) मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सभी उद्यमियों में महिला उद्यमियों का प्रतिशत लगभग 13 प्रतिशत है। यह संख्या पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है, लेकिन महिला उद्यमिता के लिए और अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

महिला स्व-निर्मित व्यवसाय- भारत में 31 प्रतिशत महिलाएं खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित होती हैं, जो मुख्य रूप से आर्थिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास की दिशा में अग्रसर होती हैं।

World Bank की रिपोर्ट के अनुसार, महिला उद्यमी मध्यम और छोटे व्यवसायों में अधिक सक्रिय हैं, और भारत में ये महिलाएं अपनी पारंपरिक और सांस्कृतिक क्षमताओं के साथ नई तकनीकों को भी अपना रही हैं।

महिला उद्यमियों के लिए रोजगार सृजन- महिला उद्यमिता, भारत के रोजगार बाजार में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। महिलाओं द्वारा स्थापित किए गए व्यवसाय करीब 40 प्रतिशत से अधिक रोजगार प्रदान करते हैं, खासकर ग्रामीण और छोटे व्यवसायों में।

प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप्स में महिला उद्यमिता- Tech in Asia की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 30 प्रतिशत महिला उद्यमी प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में सक्रिय हैं। यह संख्या दिन–ब–दिन बढ़ रही है, और महिला उद्यमी इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, और इंटरनेट व्यवसायों में बढ़ते जा रहे हैं।

सामाजिक उद्यमिता में महिला नेतृत्व

- भारत वर्तमान में विश्व के उन 15 देशों में से एक है जहां महिला राष्ट्राध्यक्ष हैं।

- विश्व स्तर पर, भारत में स्थानीय सरकारों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है।
- भारत में वैश्विक औसत की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक महिला पायलट हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय महिला एयरलाइन पायलट सोसायटी के अनुसार, विश्व स्तर पर लगभग 5 प्रतिशत पायलट महिलाएँ हैं। भारत में, महिला पायलटों की हिस्सेदारी काफी ज्यादा 15 प्रतिशत से अधिक है।
- प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) लगभग लड़कों के बराबर है।
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में लड़कियों/महिलाओं की उपस्थिति 43 प्रतिशत है, जो विश्व में सबसे अधिक में से एक है।

समाज में स्वस्थ जेंडर संतुलन को मापने के प्रमुख संकेतकों में से एक जन्म के समय जेंडर अनुपात (एसआरबी) है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) की नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि एसआरबी में सुधार के रुझान दिख रहे हैं और 2014-15 से 2022-23 (अनंतिम) के दौरान 15 अंकों के शुद्ध परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय स्तर पर 918 से बढ़कर 933 हो गया है। सरकार द्वारा की गई कई पहलों ने लड़कियों के प्रति पितृसत्तात्मक मानसिकता वाले सामाजिक दृष्टिकोण, जिसमें लड़कियों को बोझ माना जाता है, में परिवार और समाज के मूल्यवान सदस्य के रूप में बदलाव के लिए केंद्रित दृष्टिकोण सहित जेंडर अनुपात में सुधार में योगदान दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम ने इस सोच को बदलने में अहम भूमिका निभाई है। घर के प्रमुख निर्णयों में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (एनएफएचएस 5) में कहा गया है कि आज 88.7 प्रतिशत महिलाएं प्रमुख घरेलू निर्णयों में भाग लेती हैं, जबकि पांच साल पहले यह 84 प्रतिशत थी। भारत सरकार ने विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाबद्ध और सांवधिक कदम उठाए हैं तथा सक्षम प्रावधान बनाए हैं। कौशल भारत मिशन के तहत महिला श्रमिकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। महिला सशक्तिकरण और देश के सर्वोच्च राजनीतिक कार्यालयों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए सरकार द्वारा उठाया गया सबसे बड़ा कदम लोक सभा (लोकसभा) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा सहित राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए 28 सितंबर, 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (संविधान एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 की अधिसूचना है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई पहल की गई हैं। विज्ञान ज्योति को 9वीं से 12वीं कक्षा तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न धाराओं में लड़कियों के निम्न प्रतिनिधित्व को

संतुलित करने के लिए 2020 में लॉन्च किया गया था। 2017–18 में शुरू हुई ओवरसीज फेलोशिप योजना भारतीय महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को एसटीईएम में अंतरराष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करती है। कई महिला वैज्ञानिकों ने भारत के पहले मार्स ऑर्बिटर मिशन (एमओएम) या मंगलयान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण और परीक्षण भी शामिल है। महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, हाल ही में अधिनियमित श्रम संहिताओं में कई सक्षम प्रावधान जैसे कि महिला श्रमिकों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के लिए वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी स्थिति संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 शामिल किए गए हैं। सरकार कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए कामकाजी महिला छात्रावास की योजना भी लागू करती है। राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई–नाम कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, योजना किसान कॉल सेंटर किसानों के प्रश्नों का उनकी अपनी बोली में टेलीफोन कॉल पर उत्तर देती है। किसान सुविधा, कृषि बाजार, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल, उमंग (न्यू एज़ गवर्नेंस के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन) जैसे मोबाइल एप्लिकेशन डिजिटल नवोन्मेषण महिलाओं को बाजारों की सुविधा प्राप्त होने में आने वाली बाधाओं को दूर करने या क्षतिपूर्ति करने में मदद कर रहे हैं। भारत सरकार मिशन शक्ति कार्यान्वित करती है जिसके दो घटक हैं, संबल और सामर्थ्य। संबल के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्प लाइन और नारी अदालत जैसे घटक प्रचालनगत हैं। उप–योजना सामर्थ्य के घटक हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, शक्ति सदन, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र, सखी निवास यानी कामकाजी महिला छात्रावास, पालना, आंगनवाड़ी सह क्रेच। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इत्यादि जैसी किसान कल्याण योजनाएं महिला किसानों के लिए एक सक्षमकारी वातावरण का पोषण कर रही हैं। इन पहलों के माध्यम से सरकार कृषि विस्तार सेवाओं सहित उत्पादक संसाधनों तक कृषक महिलाओं की पहुंच में सुधार कर रही है, जिससे ग्रामीण महिलाओं के जीवन में समग्र सुधार आ रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम महिला सहकारी समितियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएँ खाद्यान्न प्रसंस्करण, वृक्षारोपण फसलों, तिलहन प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, डेयरी और पशुधन, कताई मिलों, हथकरघा और पावरलूम बुनाई, एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएँ आदि से संबंधित कार्यकलापों से निपटने वाली सहकारी समितियों के साथ जुड़ी हुई हैं।

सरकार की प्रमुख योजना दीन दयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) के तहत, लगभग 10 करोड़ महिला सदस्यों वाले लगभग 90 लाख महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के संबंध में ग्रामीण परिदृश्य को रूपांतरित कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत लगभग 4 करोड़ घरों में से अधिकांश महिलाओं के नाम पर हैं। इन सबसे वित्तीय निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। वोकल फॉर लोकल का महिला सशक्तिकरण से बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि ज्यादातर स्थानीय उत्पादों की शक्ति महिलाओं के हाथ में है।

सरकार ने सशस्त्र बलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सक्षम प्रावधान किए हैं, जैसे फाइटर पायलटों जैसी लड़ाकू भूमिकाओं सहित महिलाओं को स्थायी कमीशन देना, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देना, सैनिक स्कूलों में लड़कियों को प्रवेश देना आदि। भारतीय वायु सेना (आईएएफ) में महिला अधिकारियों को सभी शाखाओं और क्षेणियों में शामिल किया जाता है। आईएएफ ने पहली बार अग्निपथ योजना के तहत महिलाओं को अग्निवीरवायु के रूप में अन्य रैंकों में शामिल किया है। वर्तमान में 154 महिला अभ्यर्थी प्रशिक्षण ले रही हैं। सरकार ने विभिन्न महिला केंद्रित पहल भी की हैं जो सरकारी सेवा में अधिक महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकती हैं। इनमें, अन्य बातों के अलावा, बाल देखभाल अवकाश (सीसीएल) का लाभ उठाना, मुख्यालय छोड़ना और सीसीएल के दौरान विदेश यात्रा पर जाना, दिव्यांग महिला कर्मचारियों को बच्चे की देखभाल के लिए 3000 रु प्रति माह विशेष भत्ता उत्तर पूर्व कैडर की अखिल भारतीय सेवा की महिला अधिकारियों के लिए विशेष छूट, कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की शिकार महिला सरकारी कर्मचारियों को 90 दिनों तक की छुट्टी, महिलाओं को प्रतियोगी परीक्षा से शुल्क में छूट, एक ही स्थान पर पति और पत्नी की पोस्टिंग आदि शामिल है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को महिला बस ड्राइवरों, कंडक्टरों और पर्यटक गाइडों की संख्या बढ़ाने की भी सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस कर्मियों की कुल संख्या में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्शो जारी की है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने भारत की सभी अनुसूचित एयरलाइनों और प्रमुख हवाईअड्डा संचालकों को 2025 तक इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) 25 में भाग लेने के लिए परामर्शो जारी किया है। यह पहल एक उद्योग–व्यापी विविधता और समावेशन परियोजना है जिसका उद्देश्य 2025 तक वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की संख्या वर्तमान में रिपोर्ट किए गए मेट्रिक्स के मुकाबले 25 प्रतिशत या न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रतिनिधित्व तक वृद्धि करना है। भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एएआई) ने हवाई यातायात नियंत्रण, अग्निशमन सेवा, हवाईअड्डा प्रचालनों जैसे संगठन के कामकाज के लिए आधारभूत संवेदनशील क्षेत्रों में महिला भागीदारी को सक्षम बनाया है। एएआई द्वारा आयोजित सीधी भर्तो प्रक्रिया में महिला उम्मीदवारों को शुल्क में और छूट प्रदान की गई है।

सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी है। आजादी के बाद देश में पहली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 81 महिलाएं लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गईं। पंचायती राज संस्थाओं में 1.45 मिलियन या 46 प्रतिशत से अधिक महिला निर्वाचित प्रतिनिधि हैं (33 प्रतिशत के अनिवार्य प्रतिनिधित्व के मुकाबले)। भारत के संविधान में 73वें और 74वें संशोधन (1992) ने महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर

पालिकाओं में 1/3 सीटों का आरक्षण किया था।

देश में संतुलित विकास के लिए महिला उद्यमियों के सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, स्टार्टअप इंडिया पहलों, योजनाओं, सक्षम नेटवर्क और समुदायों के निर्माण और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में विविध हितधारकों के बीच भागीदारी को सक्रिय करने के माध्यम से भारत में महिला उद्यमिता को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2016 में अपनी शुरुआत के बाद से, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा संचालित स्टार्टअप इंडिया पहल भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक गेम-चेंजर रही है। 31 अक्टूबर, 2024 तक, स्टार्टअप इंडिया के तहत कम से कम एक महिला निदेशक वाली कुल 73,151 स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। यह सरकार द्वारा समर्थित 1,52,139 स्टार्टअप में से लगभग आधे का प्रतिनिधित्व करता है, जो नवाचार और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

वित्तीय सहायता और समावेशन- सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख योजनाएं लागू की हैं जैसे-

1. चयनित एआईएफ द्वारा निवेश की राशि- वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के माध्यम से 149 महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप में 3,107.11 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

2. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस)- अप्रैल 2021 में अपनी स्थापना के बाद से, इस योजना ने 1,278 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए 227.12 करोड़ रुपये के वित्तपोषण को मंजूरी दी है।

3. स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस)- अप्रैल 2023 से चालू, सीजीएसएस ने महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए 24.6 करोड़ रुपये के ऋण की गारंटी दी है।

नवाचार आधारित स्टार्टअप्स महिला उद्यमिता के क्षेत्र में अपार संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं। महिलाएं अपनी अनूठी सोच, रचनात्मकता और समाजिक दृष्टिकोण के साथ स्टार्टअप्स के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर सकती हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और सामाजिक समर्थन की आवश्यकता होती है। यदि इन चुनौतियों का समाधान किया जाए, तो महिला उद्यमिता का क्षेत्र और भी मजबूत और प्रभावी बन सकता है, जिससे न केवल महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण मिलेगा, बल्कि समाज में भी बड़े बदलाव आएंगे। समाज को यह समझाने की आवश्यकता है कि महिला उद्यमिता विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पुरुषों की। इसके लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को जागरूकता अभियान चलाने चाहिए और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए समाज में सकारात्मक माहौल बनाना चाहिए।

निष्कर्ष- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में महिला उद्यमिता एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल महिलाओं को सशक्त बनाता है, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी अहम योगदान देता है। महिलाओं को इन क्षेत्रों में समान अवसर और

समर्थन मिलना चाहिए, ताकि वे अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकें और इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है, और इसके लिए हमें सभी स्तरों पर प्रयास करने होंगे। यदि यह किया जाता है, तो महिला उद्यमिता इन क्षेत्रों में नवाचार, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकती है।

संदर्भ सूची-

- गोयल, आर. (2019), भारत में महिला उद्यमिता का विकास और चुनौतियाँ, नई दिल्ली, प्रभात प्रकाशन
- मिश्रा, एस. (2020), महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता: भारतीय परिप्रेक्ष्य, वाराणसी, भारतीय साहित्य सदन
- शर्मा, अ. (2018), "भारतीय ज्ञान परंपरा और सामाजिक विकास में महिलाओं की भूमिका" भारतीय समाजशास्त्र समीक्षा, 45(2), 112-125
- गुप्ता, (2021), "नवाचार और सतत विकास में महिला उद्यमिता का योगदान" अर्थशास्त्र और प्रबंधन पत्रिका, 12(3), 65-78।
- सिंह, के. डी. (2017), भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक व्यवसाय, ज्ञानदीप पब्लिकेशन, भोपाल
- चतुर्वेदी, (2022), "महिला उद्यमिता और कौशल विकास" विकास अध्ययन शोध पत्रिका, 9(1), 54-66।
- भारत सरकार (2015), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दिशानिर्देश, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली,
- कुमार, पी. (2016), "भारतीय परंपरा, योग और उद्यमिता में मानसिक संतुलन." भारतीय संस्कृति एवं दर्शन, 33(4), 201-215।
- Saxena, R. (2020), Women Entrepreneurship in India: Challenges and Opportunities. New Delhi: Sage Publications.
- World Bank. (2019), Women Entrepreneurs in South Asia: Barriers and Breakthroughs. Washington D.C.: World Bank Report.

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 6.375, ISSN 0975-4083
Vol.- 29, Hindi Edition, Year-15, April- September 2025

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे: विजन 2047
विकसित भारत में आधुनिक परिवहन का उभरता स्वरूप

• निशी मिश्रा

सारांश- ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एक प्रकार का एक्सप्रेसवे है जो पूरी तरह से नए इलाके में जहां पहले कोई सड़क नहीं थी का निर्माण किया जाता है। इसे ''ग्रीन कॉरिडोर'' भी कहा जाता है, क्योंकि यह हरे खेतों या खुली भूमि के बीच से गुजरता है। इस तरह के एक्सप्रेसवे का निर्माण करते समय भूमि अधिग्रहण अपेक्षाकृत आसान होता है और आमतौर पर आसपास की भीड़-भाड़ कम होती है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एक पूरी तरह से नई हाई-स्पीड सड़क है। इसका निर्माण ग्रीनफील्ड पर किया जाता है, जो अविकसित भूमि है। ये एक्सप्रेसवे बिल्कुल नए सिरे से बनाए जाते हैं, और ये मौजूदा राजमार्ग मार्गों का अनुसरण या विस्तार नहीं करते हैं। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 12 लेन वाले एक्सप्रेसवे हैं। शुरुआत में, केवल आठ लेन का निर्माण किया गया था, और भविष्य के विस्तार के लिए एक्सप्रेसवे के केंद्र में चार लेन के लिए भूमि आरक्षित की गई थी। भारत में इन एक्सप्रेसवे को आधुनिक परिवहन आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये आमतौर पर 120 किमी/घंटा की न्यूनतम गति के साथ बनाए जाते हैं।

मुख्य शब्द- ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे परियोजना, आधुनिक परिवहन, भूमि अधिग्रहण, औद्योगिक कॉरिडोर, राजमार्ग, पर्यावरणीय विकास

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भारतीय सड़क परिवहन में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे नए मार्गों का निर्माण करते हैं जिससे यात्रा की गति और सुरक्षा में सुधार होता है। अहमदाबाद से धोलेरा तक यात्रा करने का समय इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से 2 घंटे से घटकर 40–45 मिनट हो जाता है जो यात्रा की सुविधा को दर्शाता है इन परियोजनाओं का उद्देश्य भारतीय सड़क परिवहन के स्वरूप को बदलना है और यह भारतमाला योजना का एक हिस्सा हैं, जिसमें कई प्रमुख मार्गों को जोड़ा जा रहा है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की औसत गति लगभग 100 किमी प्रति घंटे रहने की उम्मीद है, जिससे यात्रा समय में और भी कमी आएगी इस तरह के एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 3000 किलोमीटर से अधिक नेटवर्क बनाने की योजना है, जो आर्थिक विकास और परिवहन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।

• असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजाजीपुरम, (लखनऊ)

भारत में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे- भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहरों के बीच यात्रा के समय को महत्वपूर्ण रूप से कम करके ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे यातायात को कम करने में व्यापक रूप से मदद करता है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आधुनिक भारत की मांग वाली परिवहन आवश्यकताओं के लिए एक गेम-चेंजिंग समाधान है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एक पूरी तरह से नई हाई-स्पीड सड़क है। इसका निर्माण ग्रीनफील्ड पर किया जाता है, जो अविकसित भूमि है। ये एक्सप्रेसवे बिल्कुल नए सिरे से बनाए जाते हैं, और ये मौजूदा राजमार्ग मार्गों का अनुसरण या विस्तार नहीं करते हैं। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 12 लेन वाले एक्सप्रेसवे हैं। शुरुआत में, केवल आठ लेन का निर्माण किया गया था, और भविष्य के विस्तार के लिए एक्सप्रेसवे के केंद्र में चार लेन के लिए भूमि आरक्षित की गई थी। इन एक्सप्रेसवे की अधिकतम गति सीमा 120 किमी / घंटा है। पारंपरिक राजमार्गों के विपरीत, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आपको एक शहर या राज्य से दूसरे शहर में यात्रा करते समय शहर के ट्रैफ़िक से बचने की अनुमति देते हैं।

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण का उद्देश्य- ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ऐसे मार्ग हैं जो बिल्कुल नए रूट पर बनाए जाते हैं, यानी ये पहले से मौजूद सड़कों को चौड़ा करने की बजाय नई जमीन पर बनाए जाते हैं, जिससे शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों, बंदरगाहों, और लॉजिस्टिक हब्स को सीधे जोड़ने में मदद मिलती है।ये एक्सप्रेसवे मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों (जैसे NH-44, NH-48) पर ट्रैफिक का दबाव कम करते हैं। इससे न सिर्फ यात्रा समय घटता है, बल्कि दुर्घटनाओं और प्रदूषण में भी कमी आती है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आमतौर पर सीधे और हाई-स्पीड रूट होते हैं। इससे वाहन चालकों का समय और ईंधन दोनों बचता है।

उदाहरण- दिल्ली से मुंबई की दूरी अब सिर्फ 12-13 घंटे में पूरी की जा सकती है, जो पहले 24 घंटे से ज्यादा लगती थी। एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर, टाउनशिप, लॉजिस्टिक पार्क आदि विकसित किए जाते हैं।

इससे रोजगार के अवसर और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में ईको-फ्रेंडली तकनीकों, ईवी चार्जिंग स्टेशन, सोलर लाइटिंग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आदि जैसी सुविधाओं को शामिल किया जाता है। इन एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल आपातकालीन सेवाओं, सेना और राहत कार्यों के लिए भी आसानी से किया जा सकता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा में भी सहूलियत मिलती है।

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की प्रमुख चुनौतियाँ-

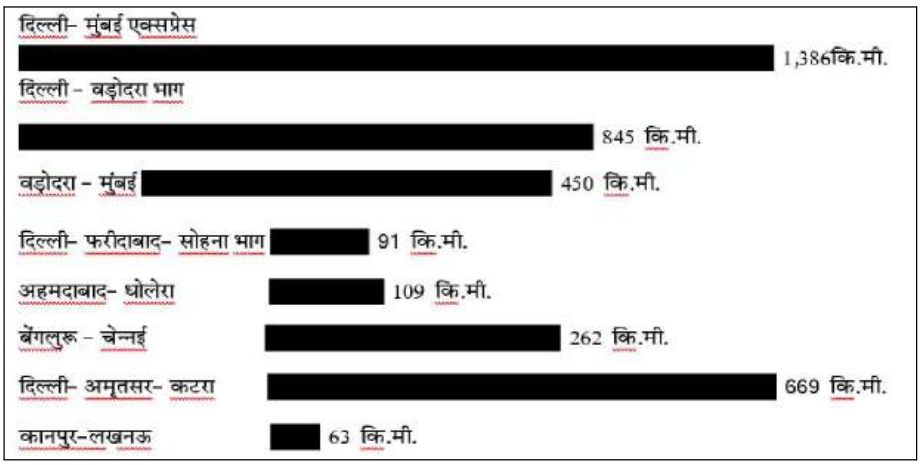
भूमि अधिग्रहण- यह सबसे बड़ी चुनौती होती है। किसानों और ज़मीन मालिकों से ज़मीन लेना विवादास्पद हो सकता है। मुआवज़ा, पुनर्वास और न्यायिक मामले समय को लंबा कर देते हैं।

पर्यावरणीय प्रभाव- जंगल, कृषि, भूमि, जलस्रोत आदि पर असर पड़ता है। वन्य जीवों के रहवास में बाधा उत्पन्न होती है। पर्यावरण मंजूरी में लंबा समय लग सकता है।

उच्च लागत और फंडिंग की समस्या- प्रोजेक्ट की लागत हज़ारों करोड़ में होती है। सरकार को मॉडल या बाहरी निवेश पर निर्भर रहना पड़ता है।

तकनीकी और निर्माण संबंधी बाधाएँ- कई इलाकों में कठिन भूगोल (जैसे पहाड़ी क्षेत्र, नदियाँ, दलदली ज़मीन) मानसून या अन्य प्राकृतिक कारणों से निर्माण में देरी।
स्थानीय विरोध और सामाजिक समस्याएँ- प्रभावित गांवों या समुदायों का विरोध। सामाजिक असंतुलन, संस्कृति / परंपरा पर असर।
प्रबंधन और निगरानी की कमी- समय पर काम पूरा करने की निगरानी में ढील। भ्रष्टाचार या गुणवत्ता में समझौता।
कनेक्टिविटी गैप और उपयोगिता- एक्सप्रेसवे से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों को फायदा तभी होगा जब फीडर रोड्स भी विकसित हों। वरना कुछ इलाकों के लिए यह मात्र बन जाते हैं।
भारत में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे- वर्तमान में देश में 27 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की योजना बनाई गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इन एक्सप्रेसवे और राजमार्गों को उनकी प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर लगातार विकसित कर रहा है।

क्र. सं.	ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का नाम	लंबाई (कि. मी. में)	राज्य
1	दिल्ली- मुंबई एक्सप्रेस	1,386	दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात दादरा और नगर हवेली, महाराष्ट्र
1. ए	दिल्ली - वड़ोदरा एक्सप्रेस	845	हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात
1. बी	वड़ोदरा- मुंबई एक्सप्रेस	450	गुजरात, दादरा और नगर हवेली, महाराष्ट्र
1. सी	दिल्ली- फरीदाबाद- सोहना एक्सप्रेस	91	दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश
2	अहमदाबाद- धोलेरा एक्सप्रेस	109	गुजरात
3	बेंगलुरू - चेन्नई एक्सप्रेस	262	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु
4	दिल्ली- अमृतसर- कटरा एक्सप्रेस	669	हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर
5	कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस	63	उत्तर प्रदेश।
	कुल	2,489	



दिल्ली- मुंबई एक्सप्रेस- वर्तमान में नियोजित सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली–वड़ोदरा–मुंबई एक्सप्रेसवे है, जो 1,386 किलोमीटर से अधिक लंबा है। यह आठ लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे है, जिसे भविष्य में बारह लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इस सड़क का 756 किलोमीटर हिस्सा पहले से ही चालू है, और शेष सड़क निर्माणाधीन है। यह एक्सप्रेसवे देश की राजधानी नई दिल्ली को उसकी वित्तीय राजधानी मुंबई से जोड़ता है।



8 मार्च 2019 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन भी किया। शुरुआत में इसे मार्च 2024 में पूरा करने की योजना थी। हालांकि, निर्माण अक्टूबर 2025 तक टाल दिया गया। नवीनतम प्रगति के अनुसार, इस एक्सप्रेसवे के 2027 में पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे का अनुमानित बजट 1,00,000 करोड़ रुपये है। इस बजट को निर्माण के लिए छोटे–छोटे अनुबंधों में विभाजित किया गया था। पहले गुड़गांव और वडोदरा के बीच सड़क यात्रा का समय 20 से 22 घंटे था। हालांकि, इस एक्सप्रेसवे से यह समय घटकर 12 घंटे रह जाएगा। यह दिल्ली (12 किमी), हरियाणा (129 किमी), राजस्थान (373 किमी), मध्य प्रदेश (244 किमी), गुजरात (426 किमी) और महाराष्ट्र (171 किमी) से होकर गुजरता है।

अहमदाबाद- धोलेरा एक्सप्रेसवे-

अहमदाबाद–धोलेरा एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में एक और सड़क है। 109 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे चार लेन चौड़ा है, जिसे आठ लेन तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में अहमदाबाद से धोलेरा तक यात्रा करने में दो घंटे लगते हैं, जो इस एक्सप्रेसवे का उपयोग करके 40 से 45 मिनट तक कम हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे अहमदाबाद में सरखेज के पास सरदार पटेल रिंग रोड को धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट



रीजन (DSIR) के माध्यम से भावनगर जिले के अधेलाई गांव से जोड़ेगा। NHAI ने इस परियोजना के निर्माण को चार सिविल पैकेज में विभाजित किया है, और इसका कुल बजट 4,373 करोड़ रुपये है। हालाँकि, इस बजट में भूमि की लागत शामिल नहीं है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 2021 में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू किया था। 18 मार्च, 2025 को राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने बताया कि अहमदाबाद–धोलेरा एक्सप्रेसवे का 91% काम पूरा हो चुका है और मई 2025 में इसके चालू होने की उम्मीद है।

बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे-

नेशनल एक्सप्रेसवे 7 या बेंगलुरु–चेन्नई एक्सप्रेसवे, अगला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। यह भी चार लेन चौड़ा, एक्सेस–कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसे आठ लेन तक बढ़ाया जा सकता है। यह भारत के दो प्रमुख मेट्रो शहरों– बेंगलुरु और चेन्नई को जोड़ता है। यह एक्सप्रेसवे बैंगलोर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के होसकोटे से शुरू होकर चेन्नई



महानगर क्षेत्र के श्रीपेरंबदूर तक जाता है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 17,930 करोड़ रुपये आंकी गई है। साथ ही, इसे 1 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के रूप में नामित किया गया था। मई 2022 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क की आधारशिला रखी, जिससे इसके निर्माण की शुरुआत हुई। प्रारंभ में एक्सप्रेसवे को 2023 में पूरी तरह से चालू होना था। हालांकि, समय सीमा जनवरी 2024 मार्च 2024, 2024 के अंत और फिर अगस्त 2025 तक बढ़ गई। हालांकि, यह अभी भी निर्माणाधीन है और जून 2026 में पूरी तरह से पूरा होने की उम्मीद है। वर्तमान में, इस सड़क का कर्नाटक खंड अनौपचारिक रूप से चालू है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि हर दिन 1,600 से 2,000 वाहन इस एक्सप्रेसवे का उपयोग करते हैं। अनुमान है कि 2037 तक इसे छह लेन और 2041 तक आठ लेन तक विस्तारित किया जाएगा।

दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे- दिल्ली –अमृतसर–कटरा एक्सप्रेसवे चार लेन चौड़ा नियंत्रित–पहुंच एक्सप्रेसवे है। यह दिल्ली के पास बहादुरगढ़ सीमा से शुरू होता है और हरियाणा और पंजाब से होते हुए जम्मू और कश्मीर में कटरा से जुड़ता है। इस



सड़क का स्पर सेक्शन नकोदर को राजा सांसी, अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ेगा।इस एक्सप्रेसवे में दो भाग शामिल हैं– दिल्ली–कटरा खंड, जिसे राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 5 के रूप में नामित किया गया है, और नकोदर–अमृतसर स्पर, जिसे राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 5। के रूप में नामित किया गया है। वर्तमान में, सड़क मार्ग से दिल्ली और कटरा के बीच की दूरी 727 किलोमीटर है। हालाँकि, यह एक्सप्रेसवे इसे घटाकर 588 किलोमीटर कर देगा। यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर 6 घंटे रह जाएगा। इससे दिल्ली और अमृतसर के बीच का समय 8 घंटे से घटकर 4 घंटे रह जाएगा। इस परियोजना के निर्माण कार्य को 12 पैकेजों में विभाजित किया गया है। शुरुआत में इसके अक्टूबर 2023 में पूरा होने की उम्मीद थी। हालाँकि, नवीनतम प्रगति रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली–लुधियाना–कटरा खंड 31 दिसंबर 2025 तक और लुधियाना–अमृतसर खंड अप्रैल 2026 तक चालू हो जाएगा।

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे- अवध एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाने वाला कानपुर–लखनऊ एक्सप्रेसवे भारत के प्रमुख ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में से एक है। यह छह लेन (आठ लेन तक विस्तार योग्य) चौड़ी सड़क लखनऊ और कानपुर को जोड़ती



है। भारत सरकार ने दिसंबर 2020 में इसे राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 6 का दर्जा दिया है। यह दक्षिण लखनऊ में शहीद पथ के पास एनएच–27 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होता है और उद्योग पथ, कानपुर से जुड़ते हुए आजाद मार्ग, कानपुर के पास एनएच–27 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होता है। इस सड़क का निर्माण जनवरी 2022 में शुरू हुआ था और इसका कुल बजट 4,700 करोड़ रुपये है। यह एक्सप्रेसवे लगभग बनकर तैयार हो चुका है और दिसंबर 2025 में चालू हो जाएगा। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय 90 मिनट से घटकर 35 से 45 मिनट रह जाएगा। एक्सप्रेसवे पर कानपुर और उन्नाव के बीच एक ट्राइजंक्शन होगा। साथ ही, इसमें तीन बड़े और 28 छोटे पुल होंगे। एक्सप्रेसवे में छह फ्लाईओवर और 38 अंडरपास शामिल होंगे।

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को ग्रीनफील्ड हाईवे से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। दोनों अलग–अलग प्रकार की सड़कें हैं। हालाँकि, ये हाईवे और एक्सप्रेसवे एक ही परियोजना का हिस्सा हैं– ग्रीनफील्ड परियोजना।

निष्कर्ष- भारत का सड़क नेटवर्क इसकी महत्वपूर्ण संपत्तियों में से एक है जो देश के समग्र विकास में योगदान देता है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना इस सड़क नेटवर्क

में एक मूल्यवान वृद्धि है। इन एक्सप्रेसवे का उद्देश्य भारतीय सड़क परिवहन के परिदृश्य को बदलना है। हालाँकि सभी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अभी भी निर्माणाधीन हैं, लेकिन उनके पूरा होने की तारीख नजदीक है और इनमें से कुछ हिस्से पहले से ही चालू हैं। इसके अलावा, राजस्थान जैसे राज्यों में कई अन्य ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रस्तावित हैं। एक्सप्रेसवे उन्हीं देशों से आयात किया हुआ एक कांसेप्ट हैं जहां से मोटरवाहन उद्योग पूरी दुनिया में फैला। यूरोप अमेरिका में एक्सप्रेसवे ऐसी सड़क को कहते हैं जिस पर प्रवेश और निकास नियंत्रित रहता है। इन सड़कों के आसपास कोई बाजार या बसावट नहीं होती। तेज गति वाहनों के लिए ऐसे एक्सप्रेसवे सुरक्षित रहते हैं जिस पर 100 या 120 की गति से गाड़ियां फर्राटा भर सकती हैं। भारत में इस तरह का पहला एक्सेस कन्ट्रोल्ड एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण (एनएचएआई) ने प्रयागराज के पास बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जब नेशनल हाइवे नंबर–2 का चौड़ीकरण का काम शुरु हुआ तो तत्कालीन इलाहाबाद बाइपास के रूप में 100 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया गया था। यह पूरी तरह से एक्सेस कन्ट्रोल्ड हाइवे था जिसे पहली बार आधिकारिक रूप से एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया गया। हालांकि इसके पूर्व मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का निर्माण महाराष्ट्र के तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी ने करवाया था लेकिन वह राष्ट्रीय स्तर पर एक्सप्रेसवे इसलिए नहीं माना गया, क्योंकि उस पर प्रवेश और निकास पूरी तरह से नियंत्रित नहीं था। वह एक फोर लेन हाइवे था। Also Read "लाठी लेकर दौड़ाया–आग लगाई, मुझे मौत के मुंह से निकालो", नेपाल में भारतीय पर्यटक इस लड़की ने लगाई मदद की गुहार" इलाहाबाद एक्स्प्रेसवे के बाद वड़ोदरा अमदाबाद एक्सप्रेसवे बना। इसके बाद नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, हैदराबाद रिंगरोड एक्सप्रेसवे बनाये गये और संचालित हैं। इन सभी सड़कों को यूरोपीय मानक के मुताबिक बनाया गया है जिस पर गाड़िया बेरोक टोक 100 से 120 की गति से फर्राटा भर सकती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में एक्सप्रेसवे का वैसा जुनून दिखाई नहीं देता।

इस समय केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी द्वारा जरूर दो महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर कार्य करवाया जा रहा है। इसमें से एक है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और दूसरा है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। दोनों ही परियोजनाओं पर बहुत तीव्र गति से कार्य भी चल रहा है। Powered By महाराष्ट्र में औद्योगिक गतिविधियों को देखते हुए कहा भी जा सकता है कि ये महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के विकास में महत्वपूर्ण मील पत्थर साबित होंगे। आज भारत में सर्वाधिक 1396 किलोमीटर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में ही संचालित है। इसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, मेरठ एक्सप्रेसवे, बुन्देलखंड एक्सप्रेसवे, प्रयागराज बाइपास एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार गंगा एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर तो एनएचएआई बनारस कोलकाता एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद दिल्ली एक्सप्रेसवे, गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर काम कर रही है। ये सभी परियोजनाएं

पूरी होने पर यूपी में 3 हजार किलोमीटर से अधिक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नेटवर्क हो जाएगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे केवल सड़क नहीं है– ये भारत के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास का आधार हैं।

संदर्भ सूची-

1. https://hindi.oneindia.com/opinion/expressways-in-up-how-practical-is-the-expansion-of-greenfield-expressway-in-up-843289.html
2. https://www-magicbricks-com.translate.goog/blog/_greenfield-xpressways-in ndia/139681.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=tc
3. https://www.magicbricks.com/blog/hi/greenfield-expressways-in-india/139681.html
4. https://www.jagran.com/haryana/faridabad-ncr-greenfield-expressway-faster-construction-to-connect-noida-airport-23922211.html dated 20 April 2025
5. https://zeenews.india.com/hindi/india/up-uttarakhand/lucknow/photo-gallery-new-greenfield-expresswayto-built-cost-of-rs-45000-crore-you-will-reach-noida-to-lucknow-in-3-hours/2866832 dated 4 aug 2025
6. https://upeida.up.gov.in/ganga-expressway/DPR-Pkg-X-021220.pdf
7. https://morth.nic.in/sites/default/files/circulars_document/SoP%20and%20checklist%20for%20the%20alignemnt%20approval%20proposal.pdf
8. https://forestsclearance.nic.in/writereaddata/Addinfo/0_0_101117123612181 Justification.pdf
9. https://infra.tractorjunction.com/hi/news/noida-lucknow-greenfield-expressway dated 20 Aug 2025
10. https://www.thinkwithniche.in/blogs/details/10-greenfield-expressways-which-will-shape-the-future-of-uttar-pradesh#google_vignette dated 4 Aug 2025

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 6.375, ISSN 0975-4083
Vol.- 29, Hindi Edition, Year-15, April- September 2025

कृषि क्षेत्रों में कृषकों की कृषि विपणन व्यवस्था का अध्ययन

• देवेन्द्र मुझाल्दा

सारांश- कृषि विपणन उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक कृषि उपज पहुँचाने की समग्र प्रक्रिया है, जिसमें किसान, व्यापारी, बिचौलिये और सरकार सभी की भूमिका होती है। एक प्रभावी कृषि विपणन प्रणाली किसानों को उचित मूल्य और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराती है। ऐतिहासिक रूप से असंगठित रही प्रणाली में किसानों का शोषण होता रहा, लेकिन सरकार और संगठनों ने मंडी समितियों व ई-नाम जैसे सुधार किए। शोधकर्ताओं ने इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार, उपज वितरण और किसानों के जीवनस्तर सुधार से जोड़ा है। भारत में कृषि विपणन संरचना बहुस्तरीय है, जिसमें एपीएमसी अधिनियम, एमएसपी और एफसीआई जैसी व्यवस्थाएँ प्रमुख हैं। मध्यप्रदेश ने मंडी बोर्ड, नियमन अधिनियम और डिजिटल सुधारों के माध्यम से कृषि विपणन को सुदृढ़ बनाया है। हाल के वर्षों में ई-नाम, भंडारण, शीतगृह और निजी भागीदारी जैसे उपायों से किसानों को बेहतर मूल्य और अवसर मिले हैं। भविष्य में डिजिटल विपणन, बुनियादी ढाँचे का विकास और पारदर्शी प्रणाली किसानों को सशक्त बनाकर राज्य को कृषि विपणन में अग्रणी बना सकते हैं।

मुख्य शब्द- कृषि विपणन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मंडी प्रणाली, डिजिटल विपणन (ई-नाम), कृषि मंडी बोर्ड

प्रस्तावना- कृषि विपणन की अवधारणा कृषि विपणन एक व्यापक अवधारणा है, जो कृषि उत्पादों के उत्पादन से लेकर उनके उपभोक्ताओं तक पहुँचने की समस्त प्रक्रियाओं को समाहित करती है। यह प्रक्रिया किसानों द्वारा उत्पादित कृषि उपज के उचित मूल्य प्राप्त करने, उनके विपणन, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और उपभोक्ताओं तक वितरण से संबंधित होती है। कृषि विपणन में उत्पादक, बिचौलिये, व्यापारी, उपभोक्ता, सरकारी और गैर-सरकारी संगठन तथा सहकारी संस्थाएँ शामिल होती हैं। एक प्रभावी कृषि विपणन प्रणाली से किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त होता है और उपभोक्ताओं को उचित दरों पर गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पाद उपलब्ध कराए जा सकते हैं। कृषि विपणन को आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, क्योंकि यह न केवल कृषि क्षेत्र के विकास में सहायक होता है बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है।

• आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, माधव विश्वविद्यालय, पिण्डवाड़ा, सिरोही (राजस्थान)

परंपरागत रूप से, कृषि विपणन प्रणाली असंगठित और अनियंत्रित रही है, जिससे किसानों को अपनी फसलों के उचित मूल्य प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ऐतिहासिक रूप से, किसान अपने उत्पादों को स्थानीय बाजारों में बेचते थे, जहां बिचौलियों का वर्चस्व रहता था और किसान शोषण का शिकार होते थे। किंतु वर्तमान में सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा कृषि विपणन प्रणाली में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। कृषि विपणन समितियाँ, मंडी समितियाँ, सहकारी विपणन समितियाँ और इलेक्ट्रानिक विपणन प्लेटफार्म जैसी संरचनाएँ इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

विषय से संबंधित ग्रंथों का अवलोकन- थामस (1951) ने अपने शोध-पत्र में स्पष्ट किया है कि कृषि विपणन में वे सभी कार्य तथा उनको सम्पन्न करने वाले अभिकरण आते हैं, जिनके द्वारा उनका संचालन होता है। इसके अतिरिक्त किसानों, बिचोलियों एवं मध्यस्थों तथा उपभोक्ताओं पर इन क्रियाओं के प्रभाव भी विपणन क्रियाओं के अन्तर्गत ही आते हैं। खेतों से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक उत्पादित वस्तु के पहुँचने की क्रिया विपणन कही जाती है। इस प्रकार लेखक ने विभिन्न प्रक्रियाओं के सम्पादन को विपणन के अन्तर्गत रखा है।

मिश्रा (1989) ने अपने अध्ययन में कृषि एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्रामीन रोजगार और बेरोजगार की समस्या, खेतिहर मजदूर और ग्रामीण शिल्पकारों की समस्याएँ, भारत सिंचाई, ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है। साथ ही ग्रामीण विकास के संबंध में भी अपने विचार प्रकट किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सहायता उद्योग धंधे, पंचायतीराज की भूमिका, सरकारी विभागों की भूमिका को भी स्पष्ट किया है। इस प्रकार लेखक ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कई बिन्दुओं पर प्रकाश डाला है।

दूबे (2005) के अध्ययन के अनुसार बैगा जनजाति मुख्यतः धान, गेहूँ, कुटकी, कोदो, मक्का, चना, ज्वार, मडिया (लाल अनाज) दाल, तिल आदि का उत्पादन करती है। इन फसलों का उपयोग बैगा अधिकतर स्वयं ही करते हैं या कुछ आवश्यक वस्तु खरीदने के लिऐ ये पैसों के बदले अनाज दे देते हैं। कभी-कभी नजदीक के नगरों या शहरों में जाकर मक्का, ज्वार, तिल का विक्रय भी करते हैं। यह इन फसलों की उपज पर निर्भर करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बैगा जनजाति विभिन्न प्रकार की उपज का उत्पादन करते हैं।

रेड्डी (2006) ने अपने शोध-पत्र में उल्लेख किया है कि कृषि विपणन व्यवस्था कृषि के विकास के साथ ही कृषकों के विकास में भी महत्वपूर्ण भमिका निभाती है। भारत में कृषि विपणन व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ कमियाँ भी है। इस शोध-पत्र में उन्होंने कृषि विपणन व्यवस्था के पुर्नगठन और सामान्य व्यक्तियों को मिलने वाले लाभ के प्रभावों पर प्रकाश डाला है।

कोली (2006) अपने शोध-पत्र में स्पष्ट किया है कि कृषि विपणन में सामान्यतः कृषि उत्पाद का खेत से अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचने की प्रक्रिया है। प्रावैगिक एवं विकास करती कृषि अर्थव्यवस्था में इसका और महत्व बढ़ गया है। आज सही फर्म से सही उत्पाद, सही स्थान पर और सही समय पर पहुँचने की व्यवस्था में बाजार

भी शामिल हो गया है। यह तभी संभव हो सका जब कृषकों के संघ या बड़े कृषकों द्वारा व्यावसायिक फसलों को बढ़ावा दिया गया है।

भारत एवं मध्यप्रदेश में कृषि विपणन की संरचना- भारत में कृषि विपणन की संरचना जटिल और बहुस्तरीय है, जिसमें कई हितधारक जैसे किसान, व्यापारी, मध्यस्थ, सरकार और उपभोक्ता शामिल हैं। यह प्रक्रिया पारंपरिक रूप से असंगठित और खंडित रही है, जहां खेत से उपभोक्ता तक उत्पादों के पहुंचने के कई चरण शामिल होते हैं। अधिकांश भारतीय किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास सीमित संसाधन और बाजार तक पहुंच होती है, जिसके कारण वे अपनी उपज को स्थानीय मंडियों या मध्यस्थों के माध्यम से बेचते हैं। भारत में कृषि विपणन का आधार कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम है, जिसके तहत मंडियां स्थापित की गई हैं। इन मंडियों में किसान अपनी उपज को लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को बेचते हैं, और ये राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित होती हैं। इनका उद्देश्य पारदर्शी मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करना और किसानों के शोषण को रोकना है। हालांकि, मध्यस्थों जैसे आढ़ती, दलाल या थोक व्यापारी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन कई बार वे किसानों को कम कीमत देकर अधिक मुनाफा कमाते हैं। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से किसानों को उनकी उपज के लिए एक निश्चित मूल्य की गारंटी देती है, और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) जैसे संगठन अनाज की खरीद और भंडारण करते हैं। हाल के वर्षों में, निजी कंपनियों और ई-कामर्स प्लेटफार्म जैसे ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) ने भी कृषि विपणन में अपनी भागीदारी बढ़ाई है, जो किसानों को देशभर के खरीदारों से जोड़ता है और डिजिटल माध्यम से व्यापार को आसान बनाता है। फिर भी, मंडी प्रणाली में मध्यस्थों का वर्चस्व, बुनियादी ढांचे की कमी, और छोटे किसानों में जागरूकता का अभाव इस संरचना की प्रमुख चुनौतियां हैं।

मध्यप्रदेश कृषि विपणन मंडल (मंडी बोर्ड)- मध्यप्रदेश का कृषि विपणन ढांचा अपने आप में एक अनूठी और विशिष्ट व्यवस्था प्रस्तुत करता है, जो राज्य की भौगोलिक स्थिति, कृषि उत्पादकता और नीतिगत प्रयासों का परिणाम है। इस ढांचे की खासियत यह है कि राज्य ने कृषि विपणन के विकास के लिए दोहरे दृष्टिकोण को अपनाया है। एक ओर जहाँ प्राथमिक बाजारों का विकास और उनका नियमन किया गया है, जिसे नियंत्रित या विनियमित बाजार के रूप में जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर कानूनी उपकरणों और संस्थागत संरचनाओं के माध्यम से बाजारों को व्यवस्थित और मजबूत करने का प्रयास किया गया है। इन दोनों रास्तों के संयोजन ने मध्यप्रदेश में कृषि विपणन को एक ठोस आधार प्रदान किया है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिली है और बाजार प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है। यह लेख मध्यप्रदेश की कृषि विपणन संरचना के विभिन्न पहलुओं, इसके ऐतिहासिक विकास, मंडी बोर्ड की भूमिका और इसकी विशेषताओं पर विस्तृत चर्चा प्रस्तुत करता है, ताकि इस प्रणाली की कार्यप्रणाली और प्रभाव को गहराई से समझा जा सके। मध्यप्रदेश, जो भारत के मध्य में स्थित है और अपनी विशाल कृषि भूमि के लिए जाना जाता है, ने इस संरचना के माध्यम से न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, बल्कि देश के

अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल प्रस्तुत किया है। मध्यप्रदेश में कृषि विपणन का इतिहास स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों से शुरू होता है, जब राज्य में संगठित बाजार प्रणाली की कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं थी। उस समय तक, अधिकांश किसान अपनी उपज को स्थानीय व्यापारियों या बिचौलियों के हाथों बेचने के लिए मजबूर थे, जिसके कारण उन्हें उनकी मेहनत का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता था। इस स्थिति को बदलने के लिए पहला महत्वपूर्ण कदम 1952 में उठाया गया, जब मध्य भारत सरकार ने मध्य भारत कृषि उत्पादन बाजार अधिनियम, 1952 को लागू किया। इस अधिनियम का उद्देश्य कृषि विपणन को एक नियमन का आधार प्रदान करना था, ताकि व्यापार में अनियमितता और शोषण को रोका जा सके। हालाँकि, 1956 में मध्यप्रदेश के पुनर्गठन के बाद, जिसमें कई क्षेत्रों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया गया, इस अधिनियम को और व्यापक बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके परिणामस्वरूप, 1960 में मध्यप्रदेश कृषि बाजार अधिनियम लागू किया गया, जो 15 अक्टूबर 1960 से प्रभावी हुआ। इस नए कानून ने कृषि उत्पादों के व्यापार को व्यवस्थित करने और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान किया। यह अधिनियम राज्य में कृषि विपणन के लिए एक नींव के रूप में कार्य करता है, जिसके तहत मंडियों की स्थापना और उनके संचालन के नियम निर्धारित किए गए। इसके बाद, राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, 1973 में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन मंडल अधिनियम अस्तित्व में आया। इस अधिनियम ने मंडी बोर्ड की स्थापना को औपचारिक रूप दिया और इसके तीन स्तरों के माध्यम से कृषि विपणन को और सुदृढ़ करने का मार्ग प्रशस्त किया। इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश ने समय के साथ अपनी विपणन प्रणाली को विकसित और परिष्कृत किया है, ताकि यह राज्य के किसानों की बदलती जरूरतों और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप हो सके।

नवीनतम विकास और चुनौतियाँ- मध्यप्रदेश का कृषि विपणन ढांचा पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय रूप से विकसित हुआ है, और यह राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। हाल के वर्षों में, इस संरचना में कई नवीनतम विकास देखने को मिले हैं, जो इसे और अधिक प्रभावी और किसान-केंद्रित बनाने की दिशा में कदम उठाते हैं। इसके साथ ही, कुछ चुनौतियाँ भी सामने आई हैं, जो इस प्रणाली की प्रगति में बाधा उत्पन्न करती हैं। इन नवीनतम विकासों और चुनौतियों का विश्लेषण यह समझने में मदद करता है कि मध्यप्रदेश का कृषि विपणन ढांचा किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसे और बेहतर बनाने के लिए किन क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में मध्यप्रदेश सरकार ने कृषि विपणन को डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) प्लेटफार्म का कार्यान्वयन। ई-नाम एक ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है, जो किसानों को उनकी उपज को देशभर के खरीदारों तक पहुँचाने का अवसर प्रदान करता है। मध्यप्रदेश ने इस पहल को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है, और राज्य की कई मंडियों को इस डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ा गया है। इससे किसानों को अपनी उपज की नीलामी

आनलाइन करने और बेहतर मूल्य प्राप्त करने की सुविधा मिली है। यह तकनीकी नवाचार न केवल पारदर्शिता को बढ़ाता है, बल्कि बिचौलियों की भूमिका को भी कम करता है, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिल सके। इसके अलावा, मध्यप्रदेश सरकार ने मंडियों में भौतिक बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए भी प्रयास किए हैं। राज्य में गोदामों और शीत भंडारण इकाइयों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया है, ताकि उपज की बर्बादी को रोका जा सके। यह विशेष रूप से उन फसलों के लिए महत्वपूर्ण है, जो जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे फल और सब्जियाँ। इन सुधारों के परिणामस्वरूप, किसानों को अपनी उपज को लंबे समय तक संरक्षित करने और बाजार में सही समय पर बेचने का अवसर मिला है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है। एक अन्य महत्वपूर्ण विकास है निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना।

भविष्य की दिशा- मध्यप्रदेश में कृषि विपणन की संरचना ने पिछले कुछ दशकों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन इसे और अधिक सशक्त, सुदृढ़ और भविष्य के लिए तैयार बनाने के लिए कई सुधारों की आवश्यकता है। राज्य की विशाल कृषि क्षमता और यहाँ के किसानों की मेहनत को देखते हुए, यह जरूरी है कि विपणन प्रणाली को आधुनिक तकनीकों, बेहतर बुनियादी ढांचे और नीतिगत नवाचारों के साथ जोड़ा जाए। भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए, मध्यप्रदेश के कृषि विपणन ढांचे को न केवल किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, बल्कि इसे अधिक पारदर्शी, समावेशी और टिकाऊ बनाने की भी जरूरत है। इस संदर्भ में डिजिटल विपणन, बुनियादी ढांचे का विकास, सरकारी-निजी साझेदारी और संस्थागत सुधार जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा। ये प्रयास न केवल राज्य के किसानों को सशक्त करेंगे, बल्कि मध्यप्रदेश को देश के कृषि विपणन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित कर सकते हैं। मध्यप्रदेश के कृषि विपणन के भविष्य में डिजिटल विपणन और ऑनलाइन प्लेटफार्म का विकास सबसे महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। वर्तमान में ई-नाम जैसे प्लेटफार्म ने डिजिटल क्रांति की शुरुआत तो की है, लेकिन इसका दायरा अभी भी सीमित है। भविष्य में, इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफार्म को और व्यापक और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया जा सकता है, ताकि छोटे और सीमांत किसान भी इसका आसानी से उपयोग कर सकें। डिजिटल विपणन के माध्यम से किसानों को अपनी उपज को सीधे उपभोक्ताओं या बड़े खरीदारों तक पहुँचाने का अवसर मिलेगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए, एक मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए किसान अपनी फसल की जानकारी अपलोड कर सकते हैं, और खरीदार उसे देखकर सीधे खरीदारी कर सकते हैं। इससे नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और मूल्य निर्धारण में होने वाली असमानताएँ कम होंगी। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाना और किसानों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना जरूरी होगा। राज्य सरकार क्षेत्रीय कार्यालयों और मंडी बोर्ड के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकती है, जिसमें किसानों को ऑनलाइन प्लेटफार्म का उपयोग करना सिखाया जाए। साथ ही, डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देकर लेनदेन को तेज और सुरक्षित बनाया जा सकता है। यह न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि

किसानों को नकदी संकट से भी राहत देगा। डिजिटल विपणन का एक अन्य लाभ यह होगा कि यह मध्यप्रदेश की उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ेगा, जिससे राज्य के सोयाबीन, गेहूं और दालों जैसे उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल सकेगी।

समस्याएँ एवं सुझाव- इस शोध के अन्तर्गत उत्तरदाताओं की समस्याओं एवं उनके लिए सुझावों को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है-

1. घर / मकान कच्चे होने के कारण उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अत: इस हेतु सुझाव यह है कि शासन द्वारा इन आदिवासी कृषकों को रियायती दर पर पक्का घर उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि इन्हें घर संबंधी समस्या से छूटकारा मिल सके।
2. घर शौचालय नहीं होने के कारण उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अत: इस हेतु सुझाव यह है कि शासन द्वारा इन आदिवासी कृषकों के घर पर शौचालय के निर्माण करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए ताकि अनेक बीमारियों से बचा जा सके। वहीं जिन उत्तरदाताओं के द्वारा पानी की कमी के कारण शौचालयों का उपयोग नहीं किया जाता है। उनके लिए भी ग्राम पंचायत स्तर पर पानी की कमी की समस्या को दूर किया जा सकता है।
3. कृषि भूमि असिंचित है। इस कारण से वे लोग केवल खरीफ की फसल का उत्पादन कर पाते है। इस स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि इन कृषकों को शासन सिंचाई के साधनों के लिए अनुदान की राशि प्रदान करके इन्हें लाभांवित कर सकती है।
4. अभी भी कृषि क्षेत्र में परम्परागत तकनीकी का उपयोग किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वे अधिक उपज प्राप्त नहीं कर पाते है। इस हेतु सुझाव यह है कि आधुनिक कृषि तकनीकी के लाभों के बारे में इन उत्तरदाताओं को अवगत करा कर इनकी मानसिकता में परिवर्तन लाया जा सकता है।
5. व्यापारिक फसल को बेचने पर उचित मूल्य प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्तरदाताओं को अपनी उपज बेचने की धनराशि समय पर प्राप्त नहीं होती है। अत: इस हेतु सुझाव यह है कि शासन स्तर पर इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि इन कृषक उत्तरदाताओं की समस्याओं का समाधान हो सके।
6. परिवहन के साधनों के अभाव में अपनी उपज को कम मूल्य पर गाँव में ही बेच देते है। जिस कारण से उन्हें उपज की उचित कीमत प्राप्त नहीं होती है। इस कारण से उन्हें आर्थिक नुकसान होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि शासन किसी भी प्रकार से इन कृषकों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए कदम उठाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. मिश्र, जयप्रकाश (2009), कृषि अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा, पृ. 263
2. द्विवेदी, राधेश्याम (2003), म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, सुविधा लॉ हाउस, भोपाल (म.प्र.), पृ.16
3. प्रसाद, एन. (1961), भारतीय समाज में जनजातियाँ, बिहार जनजातीय शोध संस्थान, बिहार सरकार, राँची, पृ.9
4. गोविल, शशि कुमार (1977), कृषि अर्थशास्त्र, उ.प्र. ग्रंथ अकादमी, लखनऊ, पृ. 120
5. पालीवाल, चन्द्रमोहन (1989), आदिवासी-हरिजन आर्थिक-विकास (बस्तर जिले में संदर्भ में) नर्मदा बुक सेंटर, नई दिल्ली, इलाहाबाद, पृ. 22
6. कैलाश (1993), असंगठित श्रमिक एवं श्रम कानून, शिवा पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, उदयपुर, पृ.-18
7. जैन (1995), कृषि संसाधन-मण्डला जिले के आदिवासी कृषकों के संदर्भ में, बुलेटिन ऑफ द ट्राइबल रिसर्च एवं डेव्लपमेंट इंस्ट्ीट्यूट, भोपाल, वाल्यूम-23, नं. 1 पृ. 19-23

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 6.375, ISSN 0975-4083
Vol.- 29, Hindi Edition, Year-15, April- September 2025

महिला सशक्तीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास

•रजनीकान्त कुमार

सारांश- किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में वहाँ की स्वस्थ एवं कार्यकुशल मानव संसाधन का महत्वपूर्ण योगदान है। अर्थव्यवस्था के विकास रूपी धूरी में महिला एवं पुरूष दो पहियों का काम करती है। उदारीकरण और वैश्वीकरण के इस दौर में इन दोनों पहियों के कार्यकुशल योगदान के बिना अर्थव्यवस्था के विकास को गतिशील एवं सशक्त-समृद्ध बनाये रखना कठिन है। महिला सशक्तीकरण विकासशील राष्ट्र की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में एक है। यह न केवल महिलाओं को सामाजिक-सांस्कृतिक एवं आर्थिक रूप से सबल बनाने की प्रक्रिया है बल्कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की एक आवश्यक शर्त भी है। वर्षो से उपेक्षा का दंश झेल रही महिलायें आज शिक्षा तथा रोजगार का सहारा लेकर राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मैकिन्जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के आकलन के अनुसार सन् 2025 तक 68 मिलियन महिलाओं के श्रम शक्ति के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ने की संभावना है। इनमें से 21 मिलियन महिला श्रमिक शहरी क्षेत्रों से, 47 मिलीयन महिला श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से होगी। इन श्रमिकों में 31 मिलियन महिला प्राथमिक शिक्षा प्राप्त या इससे कम शिक्षा प्राप्त (7 मिलियन शहरी एवं 24 मिलियन ग्रामीण) 32 मिलियन महिला श्रमिक कक्षा 12 तक शिक्षा प्राप्त (11 मिलियन शहरी 21 मिलियन ग्रामीण) 7 मिलियन महिला श्रमिक डिग्रीधारक (5 मिलियन शहरी एवं 2 मिलियन ग्रामीण) होंगे। इस आकलन से भी यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय विकास के लिये महिला विकास योजनाओं की सफलता बेहद महत्वपूर्ण है। आज महिला सशक्तीकरण प्रक्रिया के द्वारा समाज में व्याप्त लिंग-भेद को समाप्त कर उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये उसमें शिक्षा के प्रचार प्रसार का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा वह हथियार है जो न केवल समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं पारंपरिक सामाजिक बंधन तोड़ने में सहायक है, बल्कि समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप सामाजिक अनुकूलन की योग्यता भी प्रदान करता है। वर्तमान समय में महिला शिक्षा के स्तर में सुधार के साथ ही राष्ट्र के आर्थिक विकास के लगभग सभी क्षेत्रों में इसकी सहभागिता बढ़ती जा रही है। प्रस्तुत अध्ययन के द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता और महिला सशक्तीकरण के अंत: संबंधों का विश्लेषण किया गया है।

• असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रबंधन संकाय, आम्रपाली विश्वविद्यालय, हल्द्वानी नैनीताल, उत्तराखण्ड

मुख्य शब्द- मानव संसाधन, महिला सशक्तीकरण, राष्ट्रीय विकास, शिक्षा एवं रोजगार, आर्थिक सहभागिता

प्रस्तावना- भारत एक विकासशील राष्ट्र है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की 13 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र की 26.1 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र की 59.9 प्रतिशत भागीदारी है। विगत कुछ दशकों में समाज में हुये परिवर्तन की घटनाओं ने आर्थिक विकास को महत्व प्रदान किया है। 2014 में विश्व बैंक के इंटरनेशनल कम्पेरिजन प्रोग्राम के 2011 राउंड में भारत को अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। इससे पहले यहाँ की अर्थव्यवस्था को 2005 में 10 वें तथा 2003-2004 में 12 वें स्थान पर रखा गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में औद्योगिक विकास, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, संचार क्रांति तथा महिला सशक्तीकरण आदि अनेक कारकों की भूमिका रही है। इन समस्त कारकों में महिला सशक्तीकरण का अपना विशिष्ट स्थान है। यह महिलाओं को सामाजिक-सांस्कृतिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों के साथ-साथ आर्थिक क्षेत्रों में भी सबल बनाती है। आज भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था पर महिला सशक्तीकरण के प्रभाव को समझना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी महिला सशक्तीकरण एवं अर्थव्यवस्था के समकालीन संदर्भ को जानना भी है।

महिला सशक्तीकरण- महिला सशक्तीकरण का संबंध हमारे समाज की मूल्य व्यवस्था एवं सामाजिक संरचना से संबंधित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं की परिस्थिति में बदलाव के लिए बहुत प्रयास किये गये है। सामाजिक चिंतकों द्वारा महिलाओं की वर्तमान दशा को समझने के लिये किये गये अनेक शोधों से भी यह स्पष्ट होता है कि औद्योगिकरण, नगरीकरण, संचार माध्यम एवं यातायात के साधनों के विकास ने महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाया है। महिला सशक्तीकरण के आर्थिक पहलू को जानने के लिये शिमला शहर की महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के संदर्भ डॉ. गीता रावत शाह एवं डॉ. बी. सी. शाह के द्वारा किये गये शोध कार्य से भी स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में अधिकांश शिक्षित महिलायें अपने परिवार की बजट में वैचारिक एवं आर्थिक सहयोग प्रदान करती है। इस अध्ययन से यह भी पता चलता है कि भारतीय समाज में परंपरा एवं अंधविश्वास के नाम पर आर्थिक विकास से वंचित, पीड़ित एवं शोषित महिलाओं को आज परिवार एवं राष्ट्र के विकास कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिला है। समाज में आया यह परिवर्तन महिला समाज के एक लंबे संघर्ष का परिणाम है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान के अनुच्छेद-14 के द्वारा महिलाओं और पुरूषों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार एवं अवसर प्रदान करना, अनुच्छेद-15 महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान करना, आदि राष्ट्रीय स्तर पर महिला विकास के प्रयास का ही उदाहरण है। संवैधानिक एवं वैधानिक संरक्षण एवं सामाजिक जागरूकता का ही परिणाम है कि आज देशभर की कुल पंचायतों में लगभग 1,63,000 महिलायें विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। मीडिया एवं लाइफ साइंसेज में 11 प्रतिशत तथा एफ. एम. सी. जी. में 8

प्रतिशत के साथ इन क्षेत्रों में भी उपस्थिति दर्ज करायी है। पारंपरिक रूप से पुरूषों का कार्य माने जाने वाले सेना एवं पुलिस बलों में भी इनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इनके अतिरिक्त महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये विगत कुछ दशकों में अनेक योजनाओं की शुरूआत की गयी है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या निजी संस्थाओं द्वारा महिला सशक्तीकरण हेतु जिन मुख्य योजाओं का संचालन किया गया है, उनको अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। इसका एक बड़ा कारण है लैंगिक भेदभाव एवं अशिक्षा। भारत की अधिकांश आबादी आज भी गांवों में निवास करती है जहां के शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है। शिक्षा के अभाव में वे अपने अधिकारों एवं रोजगार के इन सुनहरे अवसर से अनभिज्ञ है। महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए समाज में महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। एक शिक्षित व्यक्ति ही अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहकर अपने परिवार तथा राष्ट्र के लिए अपनी उपयोगिता साबित कर सकती है। सारणी संख्या–01 में आजादी के बाद से अब तक की दशकीय साक्षरता वृद्धि दर में महिला–पुरूष साक्षरता दर को ग्रामीण एवं नगरीय स्तर पर अलग अलग दर्शाया गया है।

सारणी संख्या–01

स्वतंत्र भारत में दशकीय साक्षरता वृद्धि दर का वर्गीकरण

क्र. सं.	वर्ष	ग्रामीण			शहरी			कुल		
		महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग	महिला	पुरुष	योग
01	1951	4.87	19.02	12.1	22.33	45.6	34.59	08.86	27.16	18.33
02	1961	10.1	34.3	22.5	40.5	66	54.4	15.35	40.40	28.30
03	1971	15.5	48.6	27.9	48.8	69.8	60.2	21.97	45.96	34.45
04	1981	21.7	49.6	36	56.3	76.7	67.2	29.76	56.38	43.57
05	1991	30.17	56.96	36	64.05	81.09	67.2	39.29	64.13	52.21
06	2001	46.7	71.4	59.4	73.2	86.7	80.3	53.67	75.26	64.83
07	2011	58.75	78.75	67.8	79.92	89.67	84.1	65.46	82.14	74.04

स्रोत–2011 की जनगणना रिर्पोट

इस वर्गीकरण से यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिला साक्षरता दर में सुधार होना शुरू हो गया था, लकिन 1981 के बाद इसमें तीव्र वृद्धि हुयी है। इसका एक बड़ा कारण वैश्विक स्तर पर 1975 से महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया का आरंभ होना भी है। महिलाओं की गिरती सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता लाने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन् 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष एवं 1975–1985 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक घोषित किया। महिलाओं के विरूद्ध बढ़ती भेदभाव की घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित करने के लिये 18 दिसम्बर 1979 को एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें 1 मार्च 1980 को विभिन्न देशों ने हस्ताक्षर किये। इस प्रस्ताव में सभी सदस्य राष्ट्रों में महिलाओं के विरूद्ध लिंगभेद पर रोक लगाने तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले संगठनों, सम्मेलनों एवं

राजनीतिक प्रतिनिधित्वों, शिक्षा, रोजगार आदि में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने पर जोड़ दिया गया है। सन् 1985 में नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम महिला विश्व समेलन आयोजित किया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तीकरण के लिये कारगर रणनीति पर विचार किया गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट 1995 में पहली बार मानव विकास सूचकांक में महिला विकास के मानक को भी शामिल किया गया।

महिला सशक्तीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था- वर्तमान समय में आर्थिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करना राष्ट्र की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में वहां की स्वस्थ एवं कार्यकुशल मानव संसाधन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कार्यकुशल मानव संसाधन का तात्पर्य महिला-पुरुष की सम्मिलित कार्य क्षमता से है। अर्थव्यवस्था के विकास रूपी धूरी में महिला एवं पुरुष दो पहियों का काम करती है। उदारीकरण और वैश्वीकरण के इस दौर में इन दोनों पहियों के कार्यकुशल योगदान के बिना अर्थव्यवस्था के विकास को गतिशील एवं सशक्त-समृद्ध बनाये रखना कठिन है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल महिला श्रम शक्ति का 25.51 प्रतिशत श्रमिक ही किसी न किसी गैर पारंपरिक आर्थिक श्रमिक के रूप में कार्यरत है, जो अमेरिका की 46.9 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है। यहाँ आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की कम भागीदारी का एक बड़ा कारण पारंपरिक एवं रूढ़िवादी विचारधारा का प्रबल होना भी है। आज एक ओर मनुष्य स्वयं को बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को एक नयी पहचान देने की कोशिश कर रहा है वहीं मानसिक तौर पर हम आज भी बहुत हद तक परंपरा की लाठी के सहारे खड़ा हैं। मनुष्य की आर्थिक कार्यक्षेत्र एवं परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ-साथ उनकी मानसिकता में परिवर्तन एक स्वस्थ एवं विकासशील समाज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जरूरतों में एक है। राष्ट्रीय स्तर पर महिला-पुरुष समानता के संदर्भ में मैक्सिको विश्व अधिवेशन 1985 में कहा है कि "महिलाओं व पुरुषों में समानता का अर्थ है दोनों के लिये समानता के लिये समान अवसर उपलब्ध कराना। इन दोनों के बीच गरिमा और योग्यता की प्राणिमात्र के रूप में उपलब्धियां और साथ ही साथ दोनों के अधिकारों के उपयोग में व जिम्मेदारियों में समानता। "सामाजिक विचारकों, संवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों तथा वैधानिक अधिकारों के द्वारा महिलाओं में जागरूकता लाने का प्रयास किया गया है। सामाजिक जागरूकता के इसी प्रयास ने महिला सशक्तीकरण एवं विकास योजनाओं की पहुँच सामान्य जनों तक सुनिश्चित कर महिलाओं को पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक आर्थिक कार्यक्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित कराया है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है और इस आधार पर देश की लगभग आधी श्रम शक्ति का प्रतिनिधित्व महिलायें करती हैं। 2014-15 के आँकड़ों के अनुसार भारत में श्रमिकों की कुल संख्या 40,22,34,724 है जो यहाँ की कुल जनसंख्या का 39.1 प्रतिशत है। इनमें पुरुषों की संख्या 27,50,14,476 (पुरुष जनसंख्या का 51.6 प्रतिशत) तथा महिलाओं की संख्या 12,72,20,248 (महिला जनसंख्या का 25.6 प्रतिशत) है। भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के संबंध में मैकिन्जी ग्लोबल

इंस्टीट्यूट के आकलन में कहा गया है कि सन 2025 तक भारत की 68 मिलियन महिलाओं के आर्थिक क्षेत्र से जुड़ने की संभावना है। इन श्रमिकों में 31 मिलियन महिला प्राथमिक शिक्षा प्राप्त या इससे कम शिक्षा प्राप्त (7 मिलियन शहरी एवं 24 मिलियन ग्रामीण) 32 मिलियन महिला श्रमिक कक्षा 12 तक शिक्षा प्राप्त (11 मिलियन शहरी 21 मिलियन ग्रामीण) 7 मिलियन महिला श्रमिक डिग्रीधारक (5 मिलियन शहरी एवं 2 मिलियन ग्रामीण) होंगे। 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रोजगार के लिए मुख्य रूप से विनिर्मान, सामुदायिक सेवाओं, शिक्षा एवं व्यापार में लगी है, जबकि ग्रामीण महिला कामगारों के लिए कृषि ही प्रमुख व्यवसाय है। कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग परंपरा से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार स्तम्भ रहा है। औद्योगीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण विगत कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की सहभागिता घटी है। 1980 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) एवं सकल मूल्य संवर्द्धन (जी.वी.ए.) में कृषि (प्राथमिक क्षेत्र) की भागीदारी 39.60 प्रतिशत थी, जो 2014-2015 में घटकर 20.04 प्रतिशत रह गयी है। इस गिरावट के बावजूद आज भी भारत की कुल महिला श्रमिकों की 75 प्रतिशत कृषि से संबंधित रोजगार पर आश्रित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 2014-2015 में द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र की सहभागिता क्रमशः 27.36 एवं 52.60 है जिनमें महिला श्रमिकों की कुल संख्या का 25 प्रतिशत ही इससे जुड़ा है। 2011-2012 के आँकड़ों के अनुसार भारत में विभिन्न आर्थिक क्षेत्र में रोजगारपरक महिलाओं की संख्या का विवरण सारणी संख्या-02 में दिया गया है।

सारणी संख्या-02

भारत में श्रमिकों का क्षेत्रवार वितरण 2011-2012 के अनुसार (प्रतिशत में)

क्र. सं.	क्षेत्रवार वितरण	महिला श्रमिक		पुरुष श्रमिक	
		ग्रामीण क्षेत्र	नगरीय क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	नगरीय क्षेत्र
01	विनिर्माण	10	29	09	23
02	सामुदायिक सेवाएं	02	17	03	09
03	शिक्षा	03	13	02	04
04	व्यापार	03	13	08	26
05	कृषि	75	11	59	06
06	स्वास्थ्य देखभाल	01	05	02	02
07	निर्माण	07	04	13	11
08	वित्त एवं स्थावर सम्पदा	00	05	01	07
09	अन्य	00	04	05	13
10	श्रम बल सहभागिता दर	35.8	20.5	81.3	76.4
11	कुल कामगारों की संख्या (मिलियन में)	94	23	217	91

स्रोत- Statistical Data Ministery of Labour & Employment, Government of india

महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया ने महिलाओं को बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर प्रदान किया है। आज शहर हो या गांव महिलायें हर जगह पुरुषों को चुनौती दे रही है। सारणी संख्या–02 से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आज भी जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास एवं सेवा क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, अधिकांश महिलायें (75 प्रतिशत) कृषि कार्य से जुड़े है। यह आँकड़े इस बात के भी संकेत देते हैं कि अधिकांश महिलायें उन आर्थिक क्षेत्रों से संबद्ध है जिनकी मासिक आमदनी अपेक्षाकृत कम एवं प्रकृति सरल है। नर्स, डॉक्टर, शिक्षक, कृषि तथा स्वरोजगार को आज भी महिलायें के लिये अनुकूल कार्य माना जाता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आकलन के लिये मुख्य रूप से चार प्रणालियाँ (सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद) प्रचलित हैं, जो एक ही वित्त वर्ष में राष्ट्र की आय को भिन्न–भिन्न तरीके से बताती है। इनमें से सकल घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है। इसमें इस देश की पूँजी से विदेशों में उत्पादित वस्तुओं को भी जोड़ा जाता है। इसमें होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही उस देश की अर्थव्यवस्था के विकास की वृद्धि दर होता है। चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.–कॉन्सटेन्ट मूल्य 2011–12 पर) 113.51 लाख करोड़ रहने का सी. एस. ओ. का अंतिम अनुमान है। इसके पहले संशोधित आकलन के अनुसार 2014–15 में यह 105.52 लाख करोड़ था। सारणी संख्या–03 में भारत के पिछले 20 वित्तीय वर्षों में रही जी.डी.पी. दर का उल्लेख किया गया है।

सारणी संख्या–03

भारतीय सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर

क्र. सं.	वर्ष	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1	1996	7.5
2	1997	4.0
3	1998	6.2
4	1999	8.8
5	2000	3.8
6	2001	4.8
7	2002	3.8
8	2003	7.9
9	2004	7.9
10	2005	9.3
11	2006	9.3
12	2007	9.8
13	2008	3.9
14	2009	8.5
15	2010	10.3
16	2011	6.6
17	2012	5.1
18	2013	6.9
19	2014	7.3
20	2015	7.2

स्रोत– केन्द्रीय सांख्यिकी विभाग की वेब साइट

भारत वैश्विक स्तर पर वित्तीय वर्ष 2013–14 में सकल घरेलू उत्पाद के मामले में 113550.73 अरब रूपये के साथ दसवें स्थान पर रहा। इनकी इस उपलब्धि में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मेकिन्जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट शंघाई द्वारा सितम्बर 2015 में जारी "दी पॉवर आफ पैरिटी हाउ एडवांसिंग वूमेन्स इक्वैलिटी कैन एड + 12 ट्रिलियन टु ग्लोबल ग्रोथ" रिपोर्ट में मुख्य रूप से कही गया है कि कामकाजी वैश्विक लिंगमूलक अंतराल को कम करना न केवल एक समतामूलक प्रयास होगा वरन इससे 2014 एवं 2025 के बीच वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं के योगदान को दोगुना किया जा सकेगा। भारत में महिला सहभागिता दर को पुरुषों के बराबर लाने से सकल घरेलु उत्पाद में सन 2025 तक 0.7 ट्रिलियन से 2.9 ट्रिलियन डॉलर तक की वृद्धि होने की संभाव्यता है। यदि वर्तमान की महिला श्रम बल सहभागिता दर को 31 से 10 प्रतिशत बढ़ा कर 2025 तक 41 प्रतिशत कर दिया जाये तो भारत के सकल घरेलु उत्पाद में औसतन 1.4 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि होगी जिससे सकल घरेलु उत्पाद में सन 2025 तक 0.7 ट्रिलियन डॉलर तक की वृद्धि हो जाएगी। साथ ही यदि हम पुरुष महिला कार्य सहभागिता दर को बराबर करने में सफल रहते हैं तो सकल घरेलु उत्पाद में 2.9 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ जाने की संभावना है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र की सकल घरेलू उत्पाद में इस प्रकार की वृद्धि की संभावना न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये शुभ संकेत है बल्कि महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया के लिये भी उत्प्रेरक एवं शक्तिबर्द्धक औषधि का काम करेगी।

निष्कर्ष- महिला सशक्तीकरण महिलाओं में रोजगार के प्रति जागरूकता लाकर उसे सामाजिक–सांस्कृतिक के साथ–साथ आर्थिक रूप से सबल बनाने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया की सफलता के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर अनेक प्रावधान किये गये है। इसके बावजूद रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अभी भी सीमित है। लैंगिक भेदभाव, पारंपरिक सामाजिक बंधन एवं आर्थिक मजबूरी के कारण आज भी कम मजदूरी वाले व्यवसाय में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत अधिक है। शिक्षा, स्वरोजगार की व्यवस्था एवं संवैधानिक तथा वैधानिक प्रावधानों के कारण समाज की विचारधारा में बदलाव आया है। सारणी संख्या–01 में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि शहरी समाज की तुलना में ग्रामीण समाज में महिला साक्षरता दर काफी निम्न है। वर्तमान समय में लैंगिक संतुलन को व्यवसाय के लिए अच्छा माना जाना समाज में आयी परिवर्तन का ही परिणाम है। अनेक अध्ययनों से यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रबन्ध तन्त्रों एवं निदेशक मंडलों में लैंगिक संतुलन वित्तीय दृष्टि से लाभकारी सिद्ध हुआ है। मेकिन्जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट एवं पारंपरिक तथा गैर–पारंपरिक रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता भी इस दिशा में सकारात्मक संदेश देती है। महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया ने महिलाओं की उपलब्धता आज उस क्षेत्र तक सुनिश्चित करा दी है जहाँ आज से कुछ वर्ष पूर्व तक केवल पुरुषों का आधिपत्य होता था। सामाजिक परंपरा का एक अदृश्य बंधन जो महिलाओं को व्यवसाय एवं प्रबंधन में शीर्ष पर पहुँचने से रोकती है, धीरे–धीरे कमजोर पड़ रही है, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी बरकरार है। महिला सशक्तीकरण समाज में व्याप्त इन लैंगिक असमानता को समाप्त कर समानता के

आधार पर विकास के अवसर उपलब्ध कराने की एक प्रक्रिया है। यह परिवार, समाज ही नहीं बल्कि राज्य और राष्ट्र के विकास में भी सहगामी है। उपभोक्तावाद और वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव ने समाज को यह एहसास कराने का कार्य किया है कि देश की आधी आबादी को नजर अंदाज कर न ही हम अपने देश की अर्थव्यवस्था के विकास को सर्वोच्च स्थान दिला पायेंगे और न ही आज के दौर में अन्य विकासशील एवं विकसित देशों की तुलना में समृद्ध हो पायेंगे।

संदर्भ सूची-

1. रमेश सिंह, भारतीय अर्थव्यवस्था, टी. एम. एच पब्लिकेशन, नई दिल्ली
2. वी. एन. सिंह एवं जनमेजय सिंह, नारीवाद, रावत पब्लिकेशन, जयपुर
3. डॉ. पूर्णिमा शर्मा, भारत में नारी सशक्तीकरण का व्यवहारिक स्वरूप, विकास प्रकाशन, कानपुर
4. डॉ. श्याम सुन्दर सिंह चौहान, व्यवसाय एवं प्रबन्धन में महिलाएँ, प्रतियोगिता दर्पण, अंक – अप्रैल 2016
5. राधा परमार, नारी शक्ति उच्च आर्थिक संवृद्धि एवं समृद्धि सम्भाव्यता की प्रतीक, प्रतियोगिता दर्पण, अंक – फरवरी 2016
6. रोहित कुमार तिवारी, महिला सशक्तीकरण एवं विकास एक अध्ययन, रिसर्च जरनल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेंट एवं सोशल साइन्सेस, गायत्री पब्लिकेशन, रीवा, मध्य प्रदेश, मार्च 2014
7. डॉ. गीता रावत शाह एवं वी. सी. शाह, महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण शिमला शहर के शिक्षित महिलाओं के संदर्भ में, राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा, समाज विज्ञान विकास संस्थान, बरेली, उत्तर प्रदेश, जुलाई–दिसम्बर 2014
8. Educational Statistics at a Glance, Government of India, MHRD, Bureau of Planning, Monitoring and Statistics, New Delhi, 2014
9. Statistical Profile on Women Labour, Labour Bureau, Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi, 2012-2013
10. www.labourbureau.nic.in
11. www.cso.nic.in
12. Cencess 2011

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 6.375, ISSN 0975-4083
Vol.- 29, Hindi Edition, Year-15, April- September 2025

ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका: रीवा जिले के संदर्भ में एक अध्ययन

• रेखा पाण्डेय
•• अखिलेश शुक्ल

सारांश- स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरे हैं। ये समूह महिलाओं को वित्तीय संसाधन, स्वरोजगार के अवसर, प्रशिक्षण एवं सामाजिक भागीदारी के अवसर प्रदान करते हैं। वर्तमान अध्ययन में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के आय, बचत, रोजगार के अवसर और सामाजिक स्थिति में आए सकारात्मक बदलावों का विश्लेषण किया गया है। इस शोध में मध्यप्रदेश के रीवा जिले के महिला सदस्यों के आंकड़ों का उपयोग कर सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ाई है और उन्हें परिवार व समाज में निर्णय लेने वाली शक्तिशाली इकाई बनाया है। हालांकि कुछ चुनौतियाँ जैसे वित्तीय साक्षरता, प्रबंधन कौशल व बाजार तक पहुंच की समस्याएं बनी हुई हैं, परन्तु निरंतर सुधार व सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्वयं सहायता समूह का प्रभाव और अधिक सशक्त होता जा रहा है। निष्कर्षतः स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के समग्र विकास में एक क्रांतिकारी भूमिका निभा रहे हैं।

मुख्य शब्द- स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, आर्थिक विकास, स्वरोजगार, वित्तीय समावेशन, सामाजिक भागीदारी, महिला आत्मनिर्भरता, ग्रामीण विकास

प्रस्तावना- ग्रामीण भारत की आर्थिक बुनियाद सदियों से महिलाओं की श्रमशक्ति एवं सामाजिक सहभागिता पर आधारित रही है, किंतु आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में ग्रामीण महिलाएँ अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाती थीं। इसी संदर्भ में, महिला स्व सहायता समूह एक क्रांतिकारी सामाजिक–आर्थिक आंदोलन बनकर उभरे हैं, जिन्होंने गाँवों में महिलाओं के आर्थिक विकास, स्वरोजगार, वित्तीय समावेशन, और उद्यमिता के व्यापक अवसर सृजित किए हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाओं के तहत 'लखपति दीदी' जैसी सफल पहलें ग्राम स्तर पर महिलाओं की आय

• शोध छात्रा, समाजशास्त्र, अवधेशप्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, मध्यप्रदेश
•• प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश

को बढ़ाने में सहायक रही हैं। जून 2025 तक देश में 10 करोड़ महिलाएँ 91 लाख स्व सहायता समूहों से जुड़ चुकी हैं, जिनमें से अनेकों महिलाएँ 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं। यानी वार्षिक आय एक लाख या उससे अधिक प्राप्त करती हैं। समूह सदस्य महिलाओं को छोटे निवेश हेतु बैंक ऋण, क्रेडिट, व्यावसायिक मार्गदर्शन, बाजार तक पहुँच, और उत्पाद विपणन के कई स्रोत मिलते हैं। जिससे कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सेवा जैसे विविध क्षेत्रों में उनकी आर्थिक सक्रियता एवं आमदनी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इन समूहों ने न केवल महिलाएँ के लिए रोजगार, वित्तीय साक्षरता और बचत की संस्कृति विकसित की है, बल्कि उन्हें सामाजिक आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सामुदायिक पहचान, और पंचायत स्तर पर भागीदारी व नीति-निर्माण के लिए मंच भी दिया है। वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होते हुए महिलाएँ अब दहेज, घरेलू हिंसा, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जंग में भी सशक्त भूमिका निभा रही हैं।

हालाँकि, समूह की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए बैंकिंग सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उत्पाद विपणन, डिजिटल कौशल और नीति-निर्माण में निरंतर सुधार की आवश्यकता है। महिला स्व सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और सतत समुदाय प्रगति के लिए परिवर्तनकारी भूमिका निभा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम शोध एवं नीति-निर्माण के लिए प्रेरक आदर्श प्रस्तुत करते हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विस्तार- भारत में स्वयं सहायता समूह की संकल्पना 1980 के दशक में MYRADA संस्था और बाद में भारत सरकार की ग्रामीण गरीबी उन्मूलन योजनाओं से जुड़ी हुई है। 1992 में नाबार्ड के समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के साथ इस आंदोलन को नई गति मिली, जिससे ग्रामीण महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग, माइक्रोक्रेडिट एवं सशक्तिकरण के अवसर सरल हुए। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) से लेकर दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तक समूह आंदोलन निरंतर विकसित हुआ है। समूह 10-20 महिलाओं के छोटे, स्वैच्छिक, गैर-सरकारी समूह होते हैं जो आपसी विश्वास पर बचत और छोटे ऋण की व्यवस्था चलाते हैं। सदस्य नियमित रूप से बैठकों, बचत, आंतरिक ऋण, उद्यमिता, कौशल प्रशिक्षण एवं सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करती हैं। बैंक लिंकेज के माध्यम से समूह को बिना जमानत ऋण, कुरियन फंड, सरकारी सब्सिडी उपलब्ध होती है, जिससे महिलाएँ लघु व्यापार, कृषि, पशुपालन, सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प जैसी विविध आजीविका गतिविधियों में आर्थिक रूप से सक्रिय होती हैं। "लखपति दीदी" DAY-NRLM के तहत संचालित एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें समूह से जुड़कर महिला वार्षिक रू 1 लाख या उससे अधिक आय अर्जित करती है। जून 2025 तक देश में 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बनी हैं, जिससे ग्रामीण समाज में महिला आर्थिक नेतृत्व के नए आदर्श स्थापित हो रहे हैं।

वित्तीय, सामाजिक व सामुदायिक सशक्तिकरण- समूह की सफलता इसी से मापी जा सकती है कि 2023-24 में अप्रैल-फरवरी तक 1.7 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरित हो चुके हैं और ऋण वसूली दर 96 प्रतिशत से अधिक है, जो महिला समूहों की

विश्वसनीयता और वित्तीय अनुशासन दर्शाता है। समूह ने महिलाओं में वित्तीय आत्मनिर्भरता के साथ ही सामाजिक कुरीतियों (दहेज, घरेलू हिंसा, बाल विवाह) के विरुद्ध संघर्ष, ग्राम पंचायतों में भागीदारी, और सामूहिक नेतृत्व को भी मजबूती दी है।

विश्लेषण- मध्य प्रदेश के रीवा जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिला स्वयं सहायता समूहों की 150 महिला सदस्यों से लिए गए साक्षात्कारों एवं सर्वेक्षण प्रश्नावली के आधार पर तैयार किए गए हैं। सर्वेक्षण में महिलाओं की आय, बचत, बैंकिंग पहुँच, ऋण प्राप्ति और घरेलू निर्णयों में भागीदारी जैसे पाँच प्रमुख आर्थिक संकेतकों पर समूह से पहले और बाद की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया। सांख्यिकीय औसत एवं प्रतिशत विधि का उपयोग करके इन आंकड़ों को सारणीबद्ध किया गया है।

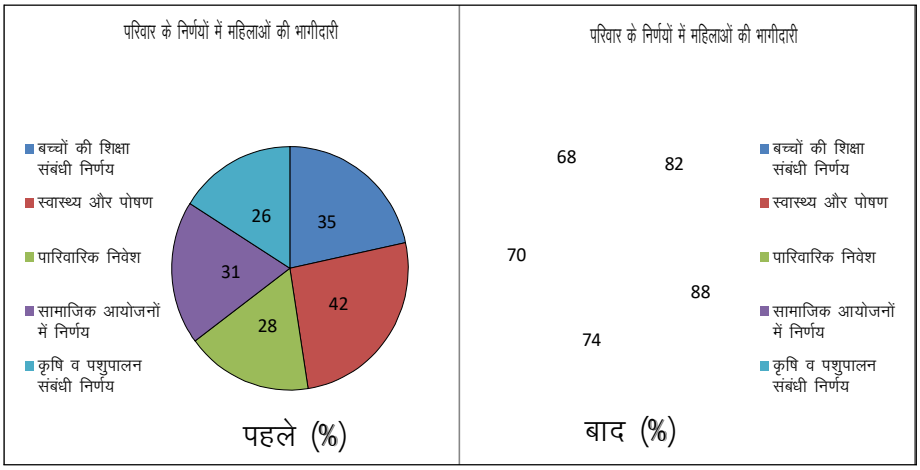
तालिका 1
स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के बाद
महिलाओं की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन

परिवर्तन का क्षेत्र	समूह से पहले (प्रतिशत)	समूह से बाद (प्रतिशत)	प्रमुख सुधार के संकेतक
नियमित आय स्रोत वाली महिलाएँ	22	68	कृषि, हस्तशिल्प, सेवा कार्यों में स्वरोजगार
व्यक्तिगत बचत रखने वाली महिलाएँ	18	74	समूह बचत और बैंक खाता संचालन
बैंकिंग सुविधा तक पहुँच	25	82	समूह–बैंक लिंकेज और डिजिटल भुगतान
लघु ऋण प्राप्त करने वाली महिलाएँ	10	65	बिना जमानत ऋण सुविधा, सूक्ष्म वित्त सहयोग
घरेलू आय में महिला योगदान	30	72	परिवार के खर्च और निवेश निर्णयों में भागीदारी

तालिका 1 से स्पष्ट है कि स्वयं सहायता समूहों में सदस्यता प्राप्त करने के बाद महिलाओं की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। समूह से पहले जहाँ केवल 22 प्रतिशत महिलाएँ नियमित आय स्रोत से जुड़ी थीं, वहीं समूह से जुड़ने के बाद यह अनुपात 68 प्रतिशत तक पहुँच गया। यह परिवर्तन दर्शाता है कि समूहों ने महिलाओं को कृषि, हस्तशिल्प और सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। इसी प्रकार, व्यक्तिगत बचत रखने वाली महिलाओं का प्रतिशत 18 प्रतिशत से बढ़कर 74 प्रतिशत हुआ, जो बैंकिंग संस्कृति और वित्तीय अनुशासन के प्रसार को इंगित करता है। बैंकिंग सुविधा तक पहुँच में भी बड़ा सुधार हुआ है। 25 प्रतिशत से बढ़कर 82 प्रतिशत । जो समूह-बैंक लिंकेज और डिजिटल भुगतान प्रणाली के सफल क्रियान्वयन का परिणाम है। इसके अलावा, लघु ऋण प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या 10 प्रतिशत से बढ़कर 65 प्रतिशत हुई है, जिससे यह सिद्ध होता है कि बिना जमानत वाले माइक्रोफाइनेंस ऋणों ने महिलाओं की आर्थिक सक्रियता को नया आयाम दिया है। अंततः, घरेलू आय में महिला योगदान 30 प्रतिशत से 72 प्रतिशत तक पहुँच गया, जो यह दर्शाता है कि महिलाएँ अब परिवार के वित्तीय निर्णयों में समान भागीदार बन रही हैं।

तालिका 2
परिवार के निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी

निर्णय क्षेत्र	पहले (%)	बाद में (%)	परिवर्तन (%)
बच्चों की शिक्षा संबंधी निर्णय	35	82	+47
स्वास्थ्य और पोषण	42	88	+46
पारिवारिक निवेश	28	74	+46
सामाजिक आयोजनों में निर्णय	31	70	+39
कृषि व पशुपालन संबंधी निर्णय	26	68	+42



तालिका 2 से यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं की घरेलू निर्णय क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बच्चों की शिक्षा संबंधी निर्णयों में भागीदारी 35 प्रतिशत से बढ़कर 82 प्रतिशत हो गई है, जो यह दर्शाता है कि महिलाएँ अब शिक्षा के प्रति अधिक सजग और निर्णायक भूमिका में हैं। स्वास्थ्य और पोषण संबंधी निर्णयों में 42 प्रतिशत से 88 प्रतिशत तक की वृद्धि यह संकेत करती है कि समूहों के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता और परिवार कल्याण की समझ बढ़ी है। पारिवारिक निवेश और सामाजिक आयोजनों में महिलाओं की भागीदारी क्रमशः 28 प्रतिशत से 74 प्रतिशत और 31 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक बढ़ी, जो घरेलू आर्थिक योजना में उनके बढ़ते आत्मविश्वास को दिखाती है। इसी प्रकार, कृषि एवं पशुपालन संबंधी निर्णयों में भागीदारी 26 प्रतिशत से बढ़कर 68 प्रतिशत हुई है, जिससे यह सिद्ध होता है कि महिलाएँ अब न केवल उपभोक्ता बल्कि उत्पादक एवं निर्णयकर्ता की भूमिका में हैं। यह परिवर्तन सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे महिला की भूमिका "घरेलू सहयोगी" से "निर्णय निर्माता" तक विकसित हुई है। समूहों की यह उपलब्धि ग्रामीण समाज में लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

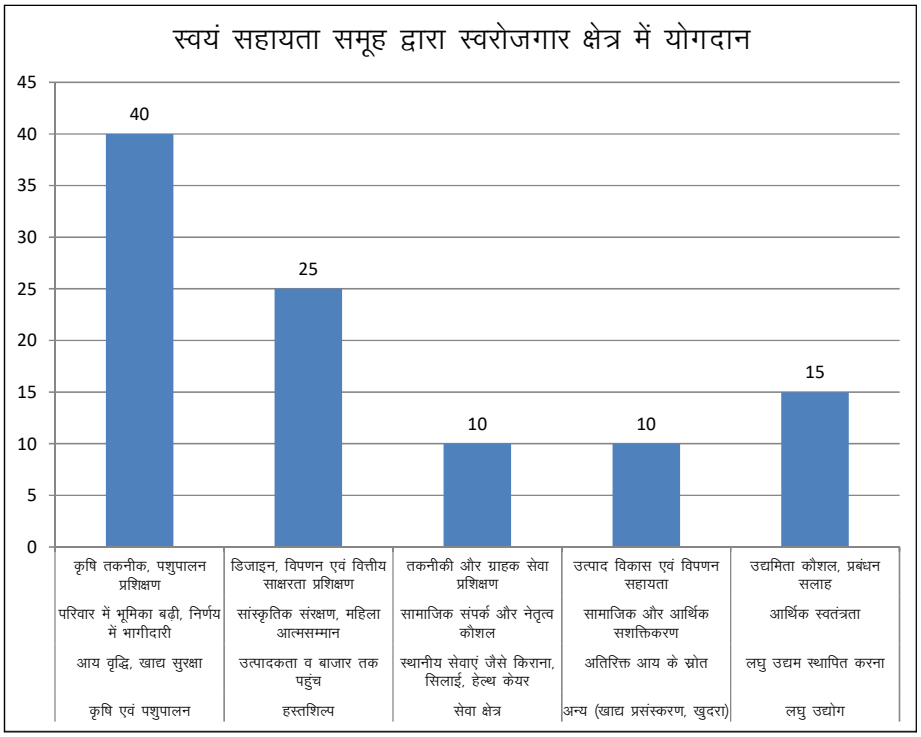
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM, 2024–25), मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की वार्षिक रिपोर्टों और नाबार्ड माइक्रोफाइनेंस स्टेट ऑफ सेक्टर रिपोर्ट (2024) के द्वितीयक आँकड़ों के साथ–साथ क्षेत्रीय स्तर पर किए गए 50 समूहों के साक्षात्कारों से प्राप्त प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। आंकड़ों को पाँच प्रमुख स्वरोजगार क्षेत्रों– कृषि, हस्तशिल्प, लघु उद्योग, सेवा क्षेत्र और खाद्य प्रसंस्करण में वर्गीकृत किया गया। प्रत्येक क्षेत्र में समूहों के योगदान, सामाजिक प्रभाव और प्रशिक्षण–सहायता की उपलब्धता का तुलनात्मक मूल्यांकन किया गया।

तालिका 3

स्वयं सहायता समूह द्वारा स्वरोजगार क्षेत्र में योगदान

स्वरोजगार क्षेत्र	प्रतिशत (%)	योगदान का प्रकार	सामाजिक प्रभाव	प्रशिक्षण / सहायता उपलब्धता
कृषि एवं पशुपालन	40	आय वृद्धि, खाद्य सुरक्षा	परिवार में भूमिका बढ़ी, निर्णय में भागीदारी	कृषि तकनीक, पशुपालन प्रशिक्षण
हस्तशिल्प	25	उत्पादकता व बाजार तक पहुंच	सांस्कृतिक संरक्षण, महिला आत्मसम्मान	डिजाइन, विपणन एवं वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण
लघु उद्योग	15	लघु उद्यम स्थापित करना	आर्थिक स्वतंत्रता	उद्यमिता कौशल, प्रबंधन सलाह
सेवा क्षेत्र	10	स्थानीय सेवाएं जैसे किराना, सिलाई, हेल्थ केयर	सामाजिक संपर्क और नेतृत्व कौशल	तकनीकी और ग्राहक सेवा प्रशिक्षण
अन्य (खाद्य प्रसंस्करण, खुदरा)	10	अतिरिक्त आय के स्रोत	सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण	उत्पाद विकास एवं विपणन सहायता

तालिका 3 के अनुसार, स्वयं सहायता समूहों का सर्वाधिक योगदान कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र (40 प्रतिशत) में देखा गया, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आय, खाद्य सुरक्षा और परिवारिक भूमिका में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में तकनीकी प्रशिक्षण और पशुपालन मार्गदर्शन ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। हस्तशिल्प क्षेत्र (25 प्रतिशत) में समूहों ने न केवल उत्पादकता बढ़ाई है बल्कि सांस्कृतिक संरक्षण और स्थानीय परंपराओं के पुनर्जीवन में भी अहम भूमिका निभाई है। लघु उद्योग (15 प्रतिशत) के अंतर्गत महिलाएँ अब छोटे उद्यमों की स्थापना कर रही हैं, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता और स्थानीय रोजगार सृजन में योगदान बढ़ा है। सेवा क्षेत्र (10 प्रतिशत) जैसे सिलाई, किराना, स्वास्थ्य सेवा में महिलाओं ने सामाजिक संपर्क और नेतृत्व कौशल विकसित किए हैं। खाद्य प्रसंस्करण और खुदरा व्यापार (10 प्रतिशत) ने अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान किए, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण और गहरा हुआ। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूह न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ा रहे हैं, बल्कि वित्तीय साक्षरता, उद्यमिता प्रशिक्षण और विपणन कौशल के माध्यम से उन्हें सतत आर्थिक विकास की दिशा में अग्रसर कर रहे हैं।



ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के उदाहरण और प्रभाव- स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि समूह की सदस्य महिलाएँ आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों में सहभागी बनकर अपनी बचत, रोजगार के दिन, और परिवार में निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि कर रही हैं। महिलाओं का पारिवारिक और सामाजिक स्वरूप भी इनके सक्रिय समूह सदस्य बनने से बदल रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से सम्मानित हो रही हैं। देश भर में समूह की अनेक सफलताएं जैसे केरल का 'कुटुंबश्री मिशन', महाराष्ट्र का 'महिला आर्थिक विकास महामंडल' और लद्दाख की 'लूम्स' महिला सशक्तिकरण के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। समूह सदस्य महिलाएँ बैंक ऋण, कौशल विकास, बाजार तक पहुँच और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं।

समूह ने महिलाओं को सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा और बाल विवाह के विरुद्ध जागरूक कर, उनके सामाजिक सम्मान और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा दिया है। न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि सामाजिक बदलाव में भी ये समूह महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उन्हें पंचायत स्तर तक नेतृत्व कौशल प्रदान करते हैं। सरकारी योजनाओं के सहयोग से, समूह सदस्यों की वित्तीय समावेशन दर बढ़ी है, बैंकिंग और बाजार तक महिला पहुँच में सुधार हुआ है, जिससे उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। यह आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव लाता है।

सामाजिक तथा राजनीतिक सशक्तिकरण- स्थानीय शासन में महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी और नेतृत्व: महिला स्वयं सहायता समूह अब केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता का माध्यम मात्र नहीं रह गए हैं, बल्कि वे ग्रामीण शासन व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन के सशक्त औजार के रूप में उभर रहे हैं। इन समूहों की सदस्य महिलाएँ आज पंचायतों और स्थानीय निकायों में सक्रिय नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं। आर्थिक रूप से सशक्त होने के साथ-साथ वे नीतिगत निर्णयों, सामाजिक अभियानों और विकास योजनाओं के संचालन में भी भागीदारी कर रही हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलाओं ने अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता प्राप्त की है और वे सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव और शिक्षा में असमानता के विरुद्ध मुखर आवाज बन रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के मंच ने उन्हें सामूहिक निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास प्रदान किया है, जिसके परिणामस्वरूप वे स्थानीय शासन में प्रभावशाली भूमिका निभाने लगी हैं। वर्तमान में देश के 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस आरक्षण नीति ने महिला राजनीतिक भागीदारी में ऐतिहासिक वृद्धि की है। अनेक महिला सरपंच, पंचायत सदस्य और वार्ड प्रतिनिधि स्वयं सहायता समूहों से ही उभरकर सामने आई हैं, जिन्होंने स्थानीय विकास योजनाओं में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनसहभागिता को सुदृढ़ किया है। इस प्रकार, स्वयं सहायता समूह न केवल महिलाओं के आर्थिक उत्थान का माध्यम बने हैं, बल्कि वे सामाजिक नेतृत्व, लोकतांत्रिक सशक्तिकरण और नीति-निर्माण में सहभागिता के प्रेरक स्रोत भी बन चुके हैं। ये समूह अब ग्रामीण भारत में सामाजिक परिवर्तन के ऐसे केंद्र बन चुके हैं, जो आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ सामाजिक समानता और लैंगिक न्याय की दिशा में ठोस योगदान दे रहे हैं।

चुनौतियाँ- स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय अवसर प्रदान किए हैं, किंतु इनकी सफलता की राह पूरी तरह सरल नहीं है। व्यवहारिक स्तर पर कई संरचनात्मक, सामाजिक और नीतिगत चुनौतियाँ इनके प्रभावी संचालन में बाधक बनती हैं। आर्थिक सुदृढ़ता, प्रबंधन कुशलता, बाजार तक पहुँच, सामाजिक स्वीकार्यता और तकनीकी दक्षता जैसे अनेक पहलुओं में सीमाएँ अभी भी बनी हुई हैं। इन चुनौतियों को समझना आवश्यक है ताकि भविष्य की नीतियों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों की कार्यक्षमता और स्थायित्व को सुदृढ़ बनाया जा सके।

प्रमुख चुनौतियाँ

वित्तीय बाधाएँ- कई समूह को बैंक ऋण व सुविधाजनक वित्तीय सेवाएँ प्राप्त करने में दिक्कत आती है। सब्सिडी पर अत्यधिक निर्भरता, अनियमित बचत एवं ऋण चूक (डिफॉल्ट) आम समस्याएँ हैं।

प्रबंधकीय कमी- दक्ष प्रबंधन, लेखा-रखाव, प्रशिक्षण व नेतृत्व की कमी के कारण कई समूहों की कार्यक्षमता सीमित रहती है।

बाजार तक पहुंच- उत्पादों की मार्केटिंग, ब्रांडिंग और उचित मूल्य निर्धारण की चुनौतियों के चलते आय में इजाफा सीमित रहता है।

सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ- लैंगिक असमानता, रूढ़िवादी सोच, जातिवाद, व समुदाय में कम मान्यता के चलते कई स्थानों पर सक्रिय महिला भागीदारी में कमी है।

नीतिगत व तकनीकी चुनौती- फाइलिंग, रिकॉर्डिंग, नीति का क्रियान्वयन, सरकारी सहायता की पहुंच, नौकरशाही बाधाएँ और डिजिटल तकनीक की अनभिज्ञता भी बाधक हैं।

समाधान व सुधारात्मक सुझाव- महिला स्वयं सहायता समूहों की स्थायी सफलता के लिए केवल समस्याओं की पहचान पर्याप्त नहीं, बल्कि उनके समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाना आवश्यक है। वित्तीय, सामाजिक और तकनीकी स्तर पर लक्षित सुधारात्मक उपाय इन समूहों की कार्यकुशलता और आत्मनिर्भरता को सशक्त बना सकते हैं। प्रशिक्षण, नेटवर्किंग, डिजिटल सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से इनकी क्षमता को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। कुछ व्यवहारिक समाधान एवं सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत हैं –

- वित्तीय साक्षरता, फॉलोअप ट्रेनिंग और ई–मार्केटिंग की सुविधा
- समूह–बैंक लिंकेज को सरल बनाना व जमानत–मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान करना
- महिला नेटवर्किंग, फेडरेशन, और सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति का विस्तार
- डिजिटल प्रशिक्षण, कौशल विकास व उत्पादों की विविधता लाना
- समाज में महिला श्रम और नेतृत्व के प्रति जागरूकता व संवेदनशीलता बढ़ाना

निष्कर्ष- स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। यह समूह महिलाओं को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराते हैं, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और सामाजिक स्तर पर उनकी भूमिका को मजबूती देते हैं। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है, वे आत्मनिर्भर बनी हैं, और परिवार तथा समाज में उनकी भागीदारी बढ़ी है।

सरकारी योजनाओं और बैंकिंग नेटवर्क के सहयोग से स्व सहायता समूह - महिलाओं को बैंक ऋण, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुँच प्रदान कर आर्थिक असमानता को कम करने में योगदान दे रहे हैं। सामाजिक जागरूकता के स्तर में सुधार के कारण महिलाएँ घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के विरुद्ध भी संगठित हो रही हैं। स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएँ न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी नेतृत्वकर्ता बनने की दिशा में बढ़ रही हैं।

हालांकि चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं, जैसे वित्तीय साक्षरता, तकनीकी प्रशिक्षण, बाजार तक पहुँच और सामाजिक बाधाएँ, परन्तु सतत प्रयासों से इनका समाधान संभव है। नीति–निर्माता, समाजसेवी और सरकारी विभाग मिलकर स्व सहायता समूहों के विकास और उनके सदस्यों के लिए बेहतर अवसर सुनिश्चित करें तो ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण और अधिक प्रभावशाली हो सकता है। अत: स्व सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के समग्र विकास के लिए एक प्रभावी साधन हैं, जो न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक न्याय, समानता एवं महिला सशक्तिकरण के लिए आधारशिला साबित हो रहे हैं।

संदर्भ सूची-

1. राधाकृष्णन, अ (2024), ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के साधन के रूप में स्वयं सहायता समूहों पर एक अध्ययन जैन विश्वविद्यालय
2. दीक्षित, अनुपमा (2023), महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूह, सोशल रिसर्च फाउंडेशन
3. श्रीवास्तव, पी (2008), स्वयं सहायता समूह और महिला सशक्तिकरण
4. पाण्डेय, शशि (2016), स्वयं सहायता समूह, लघु ऋण एवं महिला सशक्तिकरण – एक अध्ययन. International Journal of Advances in Social Sciences, 4(2), 64-68
5. शर्मा, राजेश (2024), भारतीय ग्रामीण विकास में स्व-सहायता समूह का योगदान. समाजशास्त्र जर्नल
6. विकल्प, शांति (2023), ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक स्तर पर स्व-सहायता समूह का प्रभाव. All Research Journal, 10(3), 50-60.
7. निरंतर. (2021). स्वयं सहायता समूहों की पड़ताल और महिला सशक्तिकरण.
8. पटेल, प्रेमलता एवं सिंह, आर. एन. (2023). ग्रामीण महिलाओं के विकास में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका. शोधनालय.
9. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना. (2025). स्वयं सहायता समूह स्वरोजगार समृद्धि योजना। भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय.
10. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन. (2025). महिला स्व सहायता समूह सशक्तिकरण दस्तावेज।ीजचे:ध्ध्दतसउ.हवअ.पदध
11. केरल सरकार. (2024). कुडुंबश्री मिशन: ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में योगदान. केरल सामाजिक न्याय विभाग
12. महाराष्ट्र महिला आर्थिक विकास महामंडल. (2023). महिला स्वरोजगार एवं वित्तीय सशक्तिकरण रिपोर्ट.
13. यादव, डॉ. शिवराज. (2025). मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना दस्तावेज. मध्य प्रदेश सरकार.
14. भारतीय रिजर्व बैंक. (2024). सूक्ष्म वित्त एवं महिला सशक्तिकरण। वित्तीय समावेशन रिपोर्ट।
15. विश्व बैंक. (2023). महिला सशक्तिकरण व आर्थिक विकास पर वैश्विक अध्ययन। विश्व बैंक प्रकाशन।

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 6.375, ISSN 0975-4083
Vol.- 29, Hindi Edition, Year-15, April- September 2025

जबलपुर-कटनी जिले में साक्षरता का सामाजिक प्रतिरूप

•शिव कुमार दुबे
•• नमिता गुप्ता

सारांश- किसी भी समाज में शिक्षा के प्रसार के अपने योगदान है। शिक्षा को सामाजिक विकास और जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाने का का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से शिक्षा की गई भूमिकाएँ है। शिक्षा समाजीकरण एक साधन है शिक्षा न केवल जीवन में सास्कृतिक चेतना उत्पन्न करती है बल्कि समाज को दिशा-निर्देश चेतना उत्पन्न करती है बल्कि समाज को दिशा-निर्देश देती है जिसके फलस्वरूप आर्थिक वृद्धि तीव्र गति से होती है। समाज के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा प्रथम आवश्यकता है। शिक्षा का स्तर ही सामाजिक व सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक है। ऐतिहासिक रूप से प्राचीनकाल से वर्तमान समय तक शिक्षा ने समस्त मानव समाज का पथ इस प्रकार प्रशस्त किया है कि उसकी अमिट छाप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार शिक्षा की प्रक्रिया आदिकाल से मानव सभ्यता के साथ जुड़ी हुई है तथा मानव जीवन की सहायक रही है। जैसे - जैसे समाज में शिक्षा की आवश्यकता में वृद्धि होती गई वैसे-वैसे शिक्षा का औपचारिक स्वरूप विद्यालयों के रूप में समाज में स्थापित होता गया।

मुख्य शब्द-समाज, शिक्षा, विकास, समाजीकरण

प्रस्तावना- तीसरी दुनिया के देशों में स्वाधीनता के बाद विशेष रूप से भारत में यह सोच प्रभवी रही है कि वंचित लीगों को शिक्षा के ऐस अवसर मिल सके। अच्छी शिक्षा अच्छे समाज में ही उत्पन्न होती है और बच्चों पर शिक्षा का प्रभाव विस्तृत राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। स्वतंत्रता से पहले व स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन आया है। मध्यप्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है यहां भी शिक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है। राज्य में स्वतंत्रता से पहले शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी विशेष तौर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग में। केवल स्वयं सेवी संस्थाओ और मिशनरियों द्वारा ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति की शिक्षा के लिए प्रयास किये गये थे। स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा के तीव्र विकास हेतु योजनाओं को निर्माण किया गया तथा शिक्षा के महत्व को समझा गया एवं विद्यालय स्तर पर शिक्षा के लिए समय-समय पर प्रयास किये गये।

• प्राध्यापक भूगोल, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय (स्वशासी) रीवा म.प्र.
•• शोधार्थी, भूगोल विभाग, पण्डित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल (म.प्र.)

अत: मध्यप्रदेश में स्वतंत्रता के पश्चात् अनुसूचित जाति एवं जनजाति की शैक्षणिक स्थिति में सुधार हुआ है जिसके फलस्वरूप साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। परन्तु मध्यप्रदेश के जबलपुर–कटनी जिले में पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की साक्षरता दर प्रारम्भ से ही बहुत कम रही है। जबलपुर–कटनी जिले के विभिन्न विकासखण्डों में से केवल कटनी विकासखण्ड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का साक्षरता का प्रतिशत 35 से अधिक है। इस प्रकार देखा जाये तो जबलपुर–कटनी जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की साक्षरता की स्थिति पूर्णरूप से संतोषजनक नहीं है जिनका प्रभाव शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विशेषतया प्राथमिक शिक्षा पर पड़ा है।

शिक्षा मानव चेतना के लिये न केवल स्वयं में एक प्रकाश है बल्कि यह प्रकृति की अन्य वस्तुओं को देखने और उन्हें सही दिशा में व्यवस्थित करने के लिये उपयुक्त मानवीय साधन भी है अर्थात् शिक्षा मानव विकास एवं सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारक है। जब समाज की प्राचीन सामाजिक व्यवस्था, जैसे कि पारिवारिक एवं आपसी सम्बन्ध, धर्म, जाति, कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा, आदि में परिवर्तन दृष्टिगोचर हो तो वह सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। भौगोलिक, जैविक, राजनैतिक विज्ञान एवं टेक्नोलोजी, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास आदि कारण सामाजिक परिवर्तन के लिये जिम्मेदार है। लेकिन उपर्युक्त कारक शिक्षा के अभाव में अधूरे से प्रतीत होते है, क्योंकि शिक्षा का अभाव व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी लाता है तथा आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में तीव्र गति से परिवर्तन वाले इस युग में उसका सामन्तीकरण कर देता है।

आधुनिक युग में यह स्वीकार किया जाने लगा है कि शिक्षा राष्ट्रीय विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। राष्ट्रीय विकास के लिए ही सन् 1960 से 1970 के बीच इंग्लैण्ड और फ्रांस ने उच्च शिक्षा के प्रचार व प्रसार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था। इन राष्ट्रों ने शिक्षा के माध्यम से आर्थिक विकास के क्षेत्र में आश्चर्यजनक वृद्धि की। राष्ट्रीय विकास के क्षेत्र में आज सभी शिक्षा के महत्व तथा योगदान को स्वीकार करते है। शिक्षा के द्वारा न केवल राष्ट्रीय विकास ही नहीं किया जाता, अपितु शिक्षा व्यक्ति एवं समाज के विकास के सर्वोत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ साधन है। व्यक्ति एवं समाज के विकास का प्रभाव अन्ततोगत्वा सम्पूर्ण राष्ट्रीय विकास पर पड़ता है। अत: राष्ट्रीय विकास के लिए हर स्तर पर शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार अनिवार्य है।

शिक्षा राष्ट्रीय विकास का सर्वश्रेष्ठ साधन है, इस कथन की पुष्टि में हम निम्नांकित तर्क दे सकते है : पहला, शिक्षा, सामाजिक, परिवर्तन लाने का सर्वोत्तम साधन है, और सामाजिक परिवर्तन समाज को उत्थान के पथ पर अग्रसर करता है तथा सामाजिक उत्थान को जन्म देता है। दूसरा शिक्षा द्वारा तकनीकी क्षेत्र में क्रान्ति लाई जाती है और तकनीकी क्रांति का प्रमुख प्रभाव देश की उत्पादन क्षमता पर पड़ता है। तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान से सकल राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ता है। तीसरा शिक्षा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए–नए मार्ग सुलभ होते है। ग्रामीण कृषि ज्ञान का उपयोग कर अपने उत्पादन को बढ़ाते है। चौथा, शिक्षा द्वारा नियोजित एवं उद्देश्यनिष्ठ विकास संभव है। पांचवा, शिक्षा श्रमिकों की कार्य–कुशलता में वृद्धि कर मानवीय साधनों को बढ़ाती है। छठा, शिक्षा

प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग कर आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। सातवां, शिक्षा व्यक्ति में सोचने-समझने तथा तर्क देने, तुलना तथा विभेद करने एवं विश्लेषण करने की क्षमता का विकास करती है और इन सब क्षमताओं का प्रभाव व्यक्ति के रहन-सहन, कार्य करने के ढंग तथा उत्पादन क्षमता पर पड़ता है। आठवां, शिक्षा के द्वारा राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था के दोषों को दूर कर उसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। नौंवा, शिक्षा हमारे दृष्टिकोण और चिन्तन को नई दिशा प्रदान करती है। इससे पूंजी निर्माण के सम्बन्ध में हमारी धारणाएँ बदलती है।

शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में स्ट्रूमिलिन (Strumilin) तथा फेब्रीकैन्ट (Fabricant) के अध्ययन काफी महत्वपूर्ण है। स्ट्रूमिलिन का अध्ययन बताता है कि श्रमिकों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने से उनकी उत्पादकता में चवालीस प्रतिशत की वृद्धि होती है और फेब्रीकैन्ट का अध्ययन बताता है कि देश की आर्थिक समृद्धि का तेईस प्रतिशत भाग श्रमिकों की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। अतः शिक्षा के द्वारा केवल आर्थिक विकास ही संभव नहीं है, बल्कि राष्ट्र का नैतिक चारित्रिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक की धार्मिक विकास भी संभव है। किसी उद्योग में मशीन, शक्ति-साधन आदि रूपों में पूंजी विनियोजत की जाती है। इसी प्रकार शिक्षा में विद्यालय भवन, शिक्षण-उपकरण, वेतन, फर्नीचर तथा साज-सज्जा के रूप में पूंजी विनियोजित की जाती है। शिक्षा में इस प्रकार के विनियोगों की सहायता से सभी श्रमिक प्रशिक्षित होते हैं, प्रशासक तैयार होते है तथा नये-नये अनुसंधान तथा कार्य विधियां जन्म लेती है जो उत्पादन तथा लाभांश में वृद्धि करती है। शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय आय (National Income) में वृद्धि होने के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) में वृद्धि होती है। शिक्षा द्वारा निम्न प्रभावों के कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है।

1. शिक्षा अनुसंधान तथा शोध कार्यों द्वारा उत्पादन के सरल तथा सुगम उपायों का विकास करती है, इससे प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होती है।
2. शिक्षा मनुष्य में न केवल उत्पादन कार्य के प्रति दृष्टिकोण तथा धारणा को बदलती है बल्कि वह उपभोग (Consumption) के क्षेत्र में भी मानव की धारणाएँ बदलती है। शिक्षित व्यक्ति सम-सीमांत उपयोगिता नियम का अनुसरण कर उपलब्ध उपभोग इकाई से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने की चेष्टा करता है।
3. शिक्षा मानव को उत्पादन कौशल प्रदान करती है। कुशलता के विकास के कारण श्रमिक अच्छा, अधिक तथा सुगम उत्पादन कर अपनी तथा सम्पूर्ण समाज व राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में वृद्धि करता है।
4. भौतिक तथा औद्योगिक युग में नित्य नये-नये उद्योग स्थापित होते है। इनके लिए नए-नए प्रकार के कौशलों (Skills) की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा श्रमिकों को इन नए-नए कौशलों में प्रशिक्षण प्रदान कर नवीन उद्योगों की श्रम आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।
5. शिक्षा श्रमिक के कार्य तथा उत्पादन करने के प्रति एक नवीन विकसित तथा व्यापक दृष्टिकोण का निर्माण करती है। शिक्षा के कारण व्यक्ति में नये-नये

विचार आते है। नई-नई निपुणताएं विकसित होती है तथा वह उत्पादन के नए-नए क्षेत्र खोजने लगता है। इससे नए-नए क्षेत्रों में उत्पादन होने लगता है।

6. उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि वर्तमान काल में शिक्षा केवल शिक्षा तथा ज्ञान के लिए ही नहीं रही है, वरन् यह जीवन से सम्बन्धित कर दी गई है। इसको पूरी तरह व्यावहारिक तथा भौतिकवादी बना दिया गया है और इसे शुद्ध रूप से ऐसी विनियोजित पूंजी माना जाने लगा है जो दीर्घकाल में ऊँचा लाभांश देगी।

आज प्रत्येक राष्ट्र शिक्षा व्यय को एक विनियोग मानता है। यद्यपि अन्य उद्योग-धन्धों में किए गए विनियोग तथा शिक्षा में विनियोग, दोनों ही सकल उत्पादन (Gross Products) में वृद्धि करते है। किन्तु फिर भी दोनों में अंतर है। किसी उद्योग में विनियोजित पूंजी दो-चार वर्ष के उपरान्त ही लाभांश देने लगती है किन्तु मानव में विनियोग (शिक्षा) अपेक्षाकृत लम्बे समय के बाद अपने प्रतिफल (Return) देते है।

वर्तमान समय में सभी अर्थशास्त्री तथा शिक्षाशास्त्री इस बात को एकमत से स्वीकार करते है कि शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने तथा चरित्र निर्माण के लिए ही नहीं है, वरन् इसका सीधा सम्बन्ध व्यक्ति की उत्पादकता से है। शिक्षा व्यक्ति की उत्पादकता में वृद्धि करती है। शिक्षा पूर्व तथा शिक्षा पश्चात् उसकी उत्पादन क्षमता में जो अंतर आता है, वह शिक्षा का परिणाम होगा। शिक्षा मानव की उत्पादन करने वाली योग्यता को प्रभावित करती है। शिक्षा श्रमिक को कुशलता सिखाती है। साथ ही साथ उत्पादन के सम्बन्ध में शिक्षा नवीन धारणा का विकास करती है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनांकिकीय विशेषताएँ- अध्ययन क्षेत्र में देश एवं प्रदेश की भांति अनुसूचित वर्गों में जनांकिकी विशेषताएं पाई जाती है। दोनों वर्ग अति पिछड़ी अवस्था में जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अत: इनमें जनसंख्या संबंधी विशेषताएं अन्य वर्गों से भिन्न दिखाई देती है। जबलपुर-कटनी जिले अ.जा. एवं अ.ज.जा. बाहुल्य क्षेत्र है। यही कारण है कि जनांकिकी विशेषताओं का प्रभाव इस क्षेत्र की संस्कृति एवं सामाजिक व्यवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अध्ययन क्षेत्र के दोनों जिलों के सभी विकासखण्डों में अनुसूचिज जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के वितरण में स्पष्ट रूप से भिन्नता देखने को मिलती है। अध्ययन क्षेत्र इन दोनों ही क्रियाशील वर्गों मे स्त्री-पुरूष अनुपात अर्थात् लिंगानुपात एवं अधिक दर्ज किया जाता है जबकि साक्षरता, आय की दर न्यूनतम है। यह दोनों ही वर्ग अधिकांशत: ग्रामीण अंचलों में निवास करते हैं, यह बात अलग है कि अनुसूचित जातियां सामान्य निवासता के मध्य तथा जनजातियां वन आच्छादित व असमतल प्राकृतिक संसाधन संपन्न बस्तियों से दूर निवासरत है।[1]

अनुसूचित जाति- अनुसूचित जाति पैतृक व्यसाय के साथ प्राथमिक कार्यों जैसे कृषि, मजदूरी, लकड़ी काटना, मिट्टी के बर्तन, बांस की टोकरिया, कपड़े बुनना, मोची कार्य, साफ-सफाई, कपड़े धुलने, पशुपालन, मुर्गीपालन आदि परम्परागत कार्यों में संलग्न है। किन्तु अध्ययन से स्पष्ट है कि पिछले कुछ समय से ये जातियां अपने पैतृक व्यवसाय को छोड़कर अन्य कार्यों की ओर आकर्षित हो रही हैं अत: पैतृक व्वयसायों में संलग्न जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है।[2]

अनुसूचित जनजाति- अनुसूचित जनजाति प्राथमिक उत्पादन जैसे कृषि कार्य,

आखेट, वनोपज संग्रहण, लकड़ी काटना, पशुपालन तथा स्थानीय कार्यों आदि में संलग्न हैं उल्लेखनीय है कि जनजातियों द्वारा वन संग्रहण दो उद्देश्यों के लिए किया जाता है। 1. जीवन यापन, 2. व्यवसायिक संग्रहण।[3]

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में कुछ जनांकिकी विशेषताएं समान रूप से अध्ययन क्षेत्र में पायी गयी हैं। जैसे- उच्च वृद्धि दर, विवाह की सार्वभौमिकता, विधवा विवाह, सामान्य जनसंख्या की तुलना में औसत रूप से कम आयु में विवाह की प्रथा प्रचलित है। दोनों ही वर्ग में विवाह की प्रथा प्रचलित है। दोनों ही वर्ग में सामाजिक मान्यताएं भिन्न हैं किन्तु जनजातियों में धार्मिक अंधविश्वास तुलनात्मक रूप से कुछ अधिक देखने को मिलता है। अशिक्षा, अंधविश्वास, अज्ञानता आदि कारणों से सामाजिक विकास की गति मंद है अत: आर्थिक विकास काफी कम हुआ है। दोनों ही वर्गों में उच्च वृध्दि दर को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं परन्तु शिक्षा स्तर भिन्न होने से इन योजनाओं का त्वरित प्रभाव दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्थान हेतु संचालित विकास कार्यक्रमों का लाभ दोनों ही वर्गों को कम हुआ है।[4]

अनुसूचित जाति में सामाजिक संपर्क के कारण शिक्षा की प्रगति तीव्र पाई गई है। अत: जनजातियों की तुलना में विकास कार्यक्रमों का प्रभाव व लाभ अधिक प्राप्त हुआ है। दोनों ही वर्गों में उच्च जन्मदर के चलते परिवार का आकार बड़ा है। अत: इनमें जनसंख्यात्मक विषमता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।[5]

जबलपुर-कटनी जिले मूलत: जनजातीय प्रधान क्षेत्र है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से मध्यप्रदेश संपूर्ण देश का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। भारत की कुल जनंसख्या में मध्यप्रदेश में 8.1 प्रतिशत जनसंख्या जनजातियों की है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 12233474 (20.3 प्रतिशत) जनंसख्या जनजातियों की है। जबलपुर-कटनी जिले में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 39.07 प्रतिशत जनजाति की जनसंख्या रही है तथा संभाग में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय जनसंख्या 2463289 व्यक्ति 14.13 प्रतिशत जिसमें अनुसूचित जाति 15.23 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति 13.57 प्रतिशत रही है। जनंसख्या वृद्धि दर (2011) में जबलपुर-कटनी जिले सबसे अधिक अनुसूचित जाति पाटन 16.21 प्रतिशत एवं सबसे कम कुण्डम 8.16 प्रतिशत, इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक कुण्डम 70.6 प्रतिशत एवं सबसे कम जबलपुर 7.69 प्रतिशत रहा।[6] (साख्यिकीय पुस्तिका, 2011)

जबलपुर-कटनी जिले में कई प्रकार की जनजाति निवास कर रही है, इनमें क्रमश: गोड, बैगा, पनिका, माझी, उइके, धुर्वे, अगरिया, खैरवार, कँवर, भूमिया, भरावी, वेरिया रेगटे, जोगी आदि प्रमुख है, जिसमें जबलपुर-कटनी जिले में सर्वाधिक जनसंख्या गोड़ जनजाति की रही है। ये जनजातियाँ प्रमुख रूप से ग्रामीण, पहाड़ियों, पठारी क्षेत्रों एवं सुदूर क्षेत्रो विशेषकर वन्य प्रान्तरों में निवास करती है। इस क्षेत्र की जनजातियाँ रूढ़िवादी एवं अन्धविश्वासी मौलिकता परंपरा को संजोये हुए है।[7] अशिक्षा, निरक्षता के कारण ये लोग सरकारी कार्यक्रम एवं योजनाओं से अवगत नहीं हो पाते। आज भी इनका

सामाजिक एवं आर्थिक स्तर निम्न पाया गया है। इन्हें विकास की मुख्य धारा मे लाने के तमाम शासकीय प्रयासों के बावजूद उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति में संतोषजनक बदलाव नहीं आया है।[8] (जिला गजेटियर, 1984)

जनजातीय जनसंख्या का सामान्य केन्द्रीकरण मूलतः सुदूर वन क्षेत्रों, बीहड़ों, दुर्गम पहाड़ियों, पठारों, नदी घाटियों के सहारे हुआ है। जबलपुर-कटनी वर्ष-2000 से पूर्व जिले के रूप में था। जिले के विस्तृत भू-संरचना और वन प्रान्त को देखते हुए जिले को दो जिलों में विभाजित किया गया। विभाजन से आस्तित्व में आए नवीन जिलों में क्रमशः जलबपुर एवं कटनी जिले बने।[9] वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जबलपुर जिले में 43.90 प्रतिशत एवं कटनी जिले 48.72 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या रही है। वर्ष 2011 जबलपुर-कटनी की कुल जनसंख्या 2463289 रही है, जिसमें कुल जनसंख्या की 47.90 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति तथा 8.16 प्रतिशत अनुसूचित जाति संवर्ग की जनसंख्या निवासरत है।[10] (जिला सांख्यिकीय पुस्तक, 2011)

जबलपुर-कटनी जिला के रूप में मध्य प्रदेश के मानचित्र में अंकित है, वनांचली क्षेत्र होने के कारण जिले का राजस्व क्षेत्र वैविध्य पूर्ण रहा है। जिले में विभिन्न प्रकार के जल स्रोत और वनस्पतियाँ रही है, सघन क्षेत्र के लोग एकांतवास करने के लिए इस परिक्षेत्र में आते रहे हैं। पारिवारिक असंतोष, राजकीय आक्रमण तथा साधना क्षेत्र के रूप में भी जबलपुर-कटनी जिले की वनसंपदा प्रभावी रहा करती थी।[11] वनांचली क्षेत्र होने के कारण यहाँ रहने वाले मूल निवासी बाद में जनजातीय के रूप में चिन्हित हुए। समय के साथ आने वाले उतार चढ़ाव और बदलावों ने जबलपुर-कटनी जिले को शेष समाज से जोड़ने का मार्ग प्रसस्थ किया।[12] इस तरह क्षेत्र में विकासखण्डों का चिन्हन किया गया और उन्हीं के माध्यम से विकास की योजनाएं वनांचली क्षेत्र में पहुँची।

अनुसूचित जनजातियों की जनांकिकीय विशेषताएं जानने के पहले जनजातियों के संबंध में विभिन्न विद्वानों की दी गई जानकारी को जानना आवश्यक है। भारत की आदिम जनजातियों को विद्वानों ने अलग-अलग नामों से पुकारा है। प्रसिद्ध नृतात्विशास्त्री एच.एच. रिजले, लेके, ग्रिगसन, सोलर्ट, टेलट्रस, सेनविक, मार्टिन तथा भारतीय समाज सुधारक ठक्कर ने इन्हें आदिवासी शब्द से संबोधित किया है। हट्टन ने इन्हें प्राचीन जनजाति कहा है। एल्विन ने बैगा जनजाति को आदिस्वामी कहा है। बेन्स ने इन्हें वन्य जाति कहा है।

1921 से लेकर विभिन्न जनगणनाओं में भिन्नता है। क्रोवर के अनुसार आदि जातियाँ ऐसे लोगों का एक समूह है जिनकी अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री घुरये ने इन्हें तथाकथित आदिवासी अथवा पिछड़े हिन्दू कहा। इसके लिए प्रस्तावित किया कि इन्हें अनुसूचित जनजाति के नाम से संबोधित किया जाए।

रिवर्स के अनुसार जनजाति एक अत्यंत साधारण कोटि का सामाजिक समूह होता है जिसके सदस्य समान भाषा का प्रयोग करते हैं, उनकी एक शासन व्यवस्था होती है तथा सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति तथा युद्ध इत्यादि की स्थिति में एकता का प्रदर्शन करते हैं। गिलिन तथा गिलिन के अनुसार स्थानीय जनजातीय

समूहों का ऐसा सुदाय जनजाति कहा जाता है, जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता है तथा जिसकी एक सामान्य संस्कृति है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किसी भी देश के मूल निवासियों को आदिवासी शब्द से संबोधित किया है। इम्पीरियल गजेटियर में जनजाति की परिभाषा जनजाति परिवारों के एक ऐसे समूह का नाम है, जिसकी एक नाम तथा एक बोली हो तथा एक ही भू-भाग में रहते हैं या उस भाग को अपना मानते हों तथा अपनी जनजाति के भीतर ही विवाह इत्यादि करते हों। भारत के संविधान के अनुच्छेद उपखण्ड एक में इस प्रकार स्वीकार किया गया है। राष्ट्रपति सार्वजनिक सूचना द्वारा जनजातियो, जनजाति समुदायों या जनजातियों के भीतर समूह परिगणित किए जाएंगे, वे सब अनुसूचित जनजाति कहलायेगे। इस प्रकार जनजाति के संबंध में विद्वानों में परस्पर सहमति नहीं है तथा उन्होंने अपने-अपने विचार प्रगट किए हैं।

भारत के संविधान में 16वें भाग में जनसंख्या के कुछ विशेष वर्गो का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद की धारा 330 में अतिविशेष वर्गो को नामांकित किया गया है। जनके संबंध में इस अनुच्छेद में कुछ विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इन विशेष वर्गो को (अ) अनुसूचित जातियाँ तथा (ब) अनुसूचित आदिम जातियाँ कहा गया है। इसी अनुच्छेद की उपरोक्त धारा के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि समय-समय पर आदिम जातियों अथवा आदिम समुदायों अथवा इनके कुछ वर्गो अथवा समूहों को अनुसूचित घोषित करे तथा संविधान के उद्देश्यों के लिए इसी घोषणा के आधार पर उन्हें अनुसूचित आदिम जातियाँ कहा जाएगा।

स्थानीय पूर्व शिक्षित समूहों के किसी भी समुदाय को जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता है, एक सामान्य भाषा बोलता है और सामान्य संस्कृति को प्रयोग में लाता है, एक जनजाति कहते हैं। साधारणतया लोग जनजाति अथवा आदिवासी शब्द का तात्पर्य पिछड़े हुए और असभ्य मानव समूह से समझते हैं। ऐसा माना जाता है कि जनजातियों के लोग देश की जनसंख्या के प्राचीनतम मानव समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार जनजाति के पारस्परिक व्यवहार के नियम और निषेध होते है। जनजाति की अपनी सामान्य संस्कृति होती है। जनजाति समूह का अपना सामान्य नाम होता है।

किसी परिक्षेत्र पर चर्चा करें तो स्पष्ट होता है कि भौगोलिक परिक्षेत्र लगभग दो वर्गीय इकाईयों में बाटा होता है जिसे क्रमशः ग्रामीण एवं नगरीय परिक्षेत्र कहा जाता है। ग्रामीण परिक्षेत्र में संसाधनों का आभाव रहता है और स्वाभाविक प्राकृतिक जीवनशैली होती है। जबकि नगरीय परिक्षेत्रों में भौतिक संसाधनों की प्रचुरता और विभन्न प्रकार के रोजगार मूलक कार्यो की उपलब्धता रहती है। स्वाभाविक हैं शांति और सुखमय जीवन जीने के लिए लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्र में पलायन करते हैं। लिहाजा हर वर्ग समुदाय के लोगों की संख्या नगरीय क्षेत्र में चिन्हित होती है। अध्ययन क्षेत्र जबलपुर-कटनी जिले में देखे तो वन-प्रान्तीय क्षेत्र और ग्रामों की बहुलता होने के कारण जनजातीय जनसंख्या का बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में तो रहता है पर अब उनकी जीवनशैली में परिवर्तन होने लगा है और वे नागर संस्कृतिक से प्रभावित होकर अपने अधिवास और रोजगार मूलक कार्यो की खोज नगरीय क्षेत्र में करने लगें हैं जिस कारण

संभाग परिक्षेत्र के चिन्हित विभिन्न नगरीय निकायों में जनजातीय समुदाय की आदिवासी संरचना मिलती है।

अनुसूचित जाति एवं जनजातीय जनसंख्या की जनांकिकी विशेषताएँ- अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की लगभग 80 फीसदी जनसंख्या कृषि कार्यों एवं प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न हैं। इसके अंतर्गत मुख्यत: कृषि कार्य, पशुपालन, वनोपज संग्रहण, लकड़ी काटाना, मुर्गी पालन, आखेट तथा परम्परागत व्यवसाय सम्मिलित हैं। इनकी कृषि प्रणाली परम्परा मूलक है। आदिवासी कृषकों में प्रति हेक्टेयर फसल उत्पादन की दर निम्न देखने को मिलती है। चूंकि यह वर्ग कृषि की वर्तमान वैज्ञानिक पध्दति से अभी भी दूर हैं।

अध्ययनरत् क्षेत्र जबलपुर-कटनी जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनांकिकीय भिन्नता एवं विषेषताओं से अछूता नहीं है। देश एवं प्रदेश के अन्य सम्भागों एवं जिलों की भांति जबलपुर-कटनी जिले के 13 विकासखण्डों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रधान जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्यात्मक भिन्नता अधिक तीव्र पायी गई है। इस क्षेत्र की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में महिला पुरूष अनुपात अधिक (लिंगानुपात),साक्षरता की न्यून दर, न्यूनतम आय तथा क्रियाषील जनसंख्या का प्रतिषत काफी पाया जाता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की ग्रामीण अंचलों, सुदूर एवं पहाड़ी क्षेत्रों, पठारी एवं जंगली भागों में निवास करने की संख्या अधिक पायी गई है।

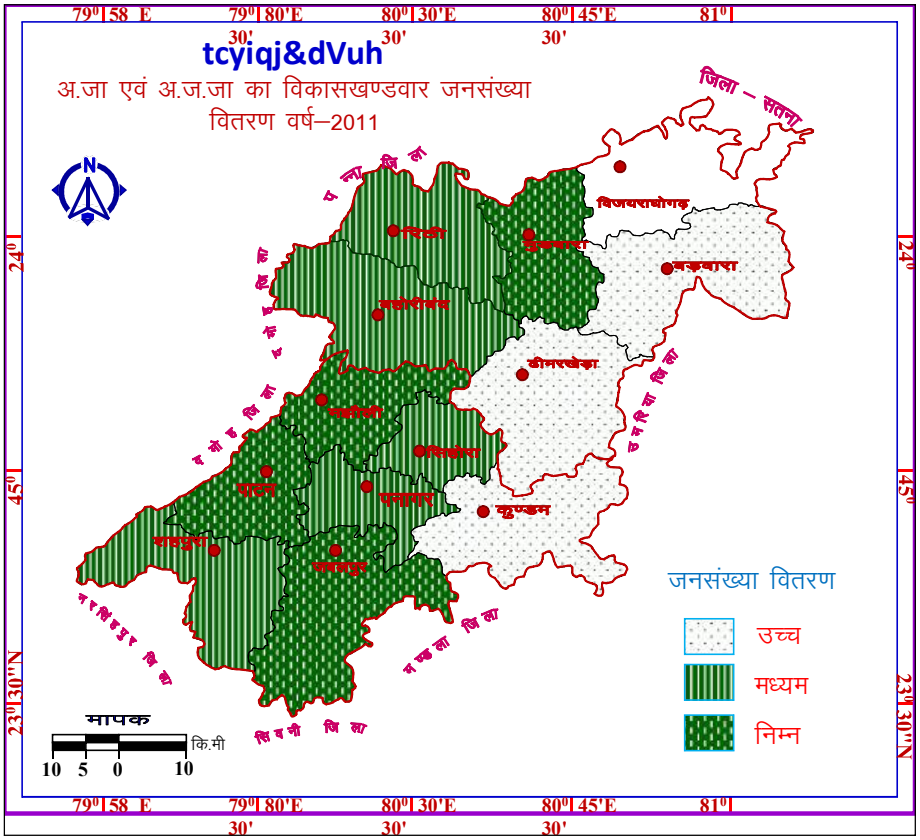
कृषि कार्य, आखेट, वनोपज का संग्रहण जैसे प्राथमिक उत्पादन करना इनका प्रमुख व्यवसाय है। प्रजनन दर की बारम्बारता तीव्र होने से जनसंख्यात्मक भिन्नता अधिक है। साथ ही जनसंख्या वृद्धि दर अधिक पायी गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय में विवाह सार्वभौमिक है, विधवा विवाह एवं पुनर्विवाह प्रतिबंधत नहीं है तथा कम आयु में लड़का एवं लड़कियों के विवाह की प्रथा प्रचलित है। सामाजिक मान्यताऐं, धार्मिक अन्धविष्वास के चलते विवाह की पद्धति अत्यंत दोषपूर्ण है तथा अषिक्षा, अज्ञानता एवं अन्ध विष्वास के चलते सामाजिक-आर्थिक विकास अवरूद्ध है। जनसंख्या नियंत्रण हेतु सरकारी कार्यक्रम नीतियों एवं योजनाओं का त्वरित लाभ लेने के लिए तत्पर नहीं है। अत: आदिवासी विकास कार्यक्रमों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम दृष्टिगोचर हुआ है जिसके चलते इनमें जनसंख्यात्मक विषमता एवं परिवार का बड़ा होना स्वाभाविक है। इस प्रकार जनांकिकीय विषेषताओं की स्थिति को बिन्दुवार निम्नानुसार स्पष्ट किया जा रहा है। जनसंख्या की विशेषताएँ के अंतर्गत जनसंख्या साक्षरता एवं कार्यरत एवं अकार्यरत जनसंख्या को सम्मिलित किया गया है।

ये विकासखण्ड अभी भी अपने पूर्व भौगोलिक राजस्वी क्षेत्र के रूप में हैं जिनका विवरण निम्न सारणी में दिया गया है-

सारणी क्र. 1
जबलपुर-कटनी : अनुसूचित जनजाति एंव अनुसूचित जनजाति विकासखण्डवार जनसंख्या का वितरण (वर्ष-2011)

क्र.	विकासखण्ड	कुल जनसंख्या	कुल अ.जा	कुल अ.ज.जा	अ.जा. का प्रतिशत	अ.ज.जा का प्रतिशत	कुल अ.जा एवं अ.ज.जा का प्रतिशत	रैक
1	सिहोरा	179647	25359	33159	14.12	18.46	32.58	9
2	मझौली	169298	26019	34272	15.37	20.24	35.61	7
3	पाटन	163738	26534	22228	16.21	13.58	29.79	11
4	शहपुरा	191710	27575	46696	14.38	24.36	38.74	5
5	जबलपुर(बरगी)	1370673	192968	105352	14.08	7.69	21.77	13
6	पनागर	264780	39507	46372	14.92	17.51	32.43	10
7	कुण्डम	123443	10067	87152	8.16	70.6	78.76	1
8	रीठी	127211	18007	32599	14.16	25.63	39.79	4
9	कटनी(मुडवारा)	369519	47975	55846	12.98	15.11	28.09	12
10	बड़वारा	104196	11077	36755	10.63	35.27	45.9	2
11	विजयराघोगढ़	210861	23588	54521	11.19	25.86	37.05	6
12	बहोरीबंद	198914	25981	44056	13.06	22.15	35.21	8
13	ढीमरखेड़ा	177829	18992	60413	10.68	33.97	44.65	3
जबलपुर–कटनी योग		**3651819**	**493649**	**659421**	**13.52**	**18.06**	**31.58**	

Source : Census of India, 2011, District Census Hand Book, Distirict Jabalpur, Katni, 2011



सारणी क्रमांक 1 से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र जबलपुर–कटनी जिले में जनजातीय समुदाय के लोगों की अधिक जनसंख्या हैं, जनगणना वर्ष 2011 से प्राप्त ऑकड़े बताते हैं कि जबलपुर–कटनी की कुल जनसंख्या 3651819 रही जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अलावा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अधिक है। जबलपुर जिले की अनुसूचित जाति जनसंख्या 348029 एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 375231 है। इसी प्रकार कटनी जिले की अनुसूचित जाति जनसंख्या 155717 एवं अनुसूचित जनजाति संख्या 317699 है जो की दोनों जिलों में अलग–अलग है। गौर करें तो जबलपुर जिलें में जनजातीय जनसंख्या अन्य जिलों से अधिक है। जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय जनसंख्या औसत संख्यात्मक विवेचन से स्पष्ट होता है कि जबलपुर जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कटनी जिले से अधिक है। (मानचित्र क्र 1)

क्षेत्रीय वैविध्य का परिवर्तन- इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वर्ष 2011 के आंकड़े के अनुसार विकासखण्डवार कुल जनसंख्या से जातियों की जनसंख्या के दर को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है (मानचित्र क्रमांक 1)–

- उच्च अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या वाले क्षेत्र
- मध्यम अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या वाले क्षेत्र
- निम्न अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या वाले क्षेत्र

1.उच्च अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या वाले क्षेत्र- अध्ययन क्षेत्र में विकासखण्डवार जनजातीय जनसंख्या का क्षेत्रीय वितरण के आधार पर सबसे उच्च दर विकासखण्ड कुण्डम 78.76 प्रतिशत, बड़वारा 45.9 प्रतिशत, ढीमरखेड़ा 44.65 प्रतिशत उच्च पाया गया है, जबकि जबलपुर–कटनी जिले में 31.58 प्रतिशत है। प्रदेश में मात्र 29.14 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात जनसंख्या निवासरत है। संपूर्ण क्षेत्र एवं प्रदेश की तुलना में उच्च दर पाये जाने का कारण यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियाँ उत्तदायी परिलक्षित होती हैं।

2.मध्यम अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या वाले क्षेत्र- अध्ययन क्षेत्र में मध्यम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के क्षेत्र जहाँ पर विकासखण्ड रीठी 39.79 प्रतिशत, शहपुरा 38.74 प्रतिशत, विजयराघोगढ़ 37.05 प्रतिशत, बहोरीबंद 35.21 प्रतिशत, सिहोरा 32.58 प्रतिशत एवं पनागर 32.43 प्रतिशत कुल जनसंख्या अनूसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की पाई गई है। क्षेत्र की जनसंख्या वितरण के अंतराल पाये जाने के लिये भौतिक दशाएँ एवं मानवीय दशाएँ उत्तरदायी है देश एवं प्रदेश की तुलना में यह प्रतिशत अधिक है।

3.निम्न अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या वाले क्षेत्र - निम्न अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत संभाग के ऐसे विकासखण्ड जहाँ कम आबादी अनूसूचित जनजातियों की पाई गई है। इसमें मुख्यत: विकासखण्ड कटनी (मुडवारा) 28.09 प्रतिशत पाटन 29.79 प्रतिशत एवं जबलपुर 21.77 प्रतिशत शामिल किये गये हैं। इस संवर्ग की जनसंख्या के लिये भौतिक परिस्थितियॉ जैसे–धरातलीय बनावट, मृदा की उर्वरा शक्ति, वनों का वितरण, जल संसाधन की उपलब्धता तथा सामाजिक एवं

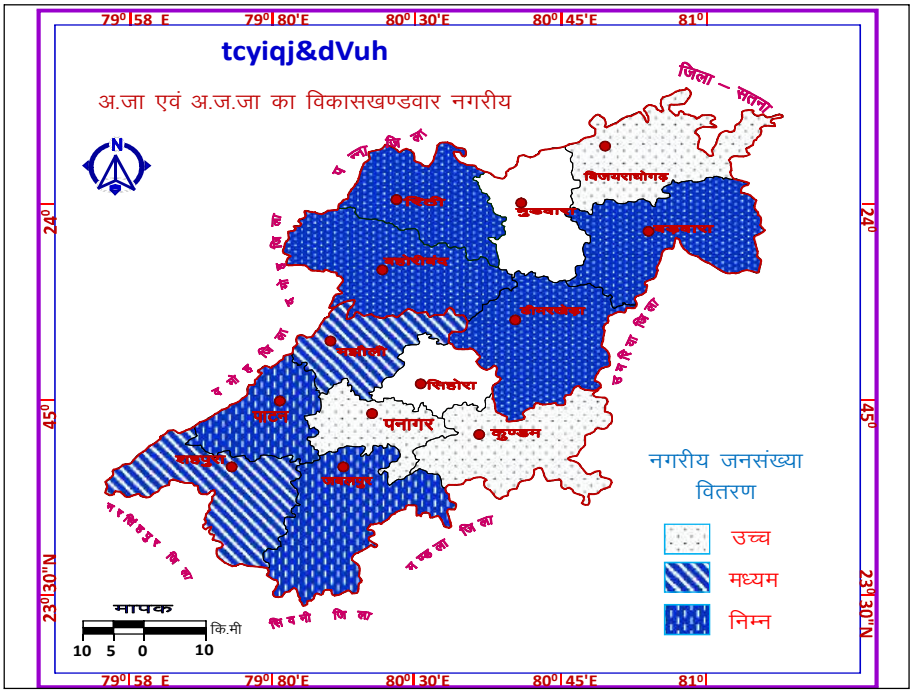
सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रभाव उत्तरदायी है। देश एवं प्रदेश की तुलना में काफी अंतराल एवं क्षेत्रीय विविधताऐं पायी गई है।

सारणी क्र. 2

जबलपुर-कटनी : अनुसूचित जनजाति एंव अनुसूचित जनजाति विकासखण्डवार नगरीय जनसंख्या का वितरण (वर्ष-2011)

क्र.	विकासखण्ड	कुल जनसंख्या	कुल अ.जा	कुल अ. ज.जा	अ.जा. का प्रतिशत	अ.ज.जा का प्रतिशत	कुल अ.जा एवं अ.ज.जा का प्रतिशत	रैक
1	सिहोरा	44048	5503	5709	12.49	12.96	25.45	4
2	मझौली	13210	2072	762	15.69	5.77	21.45	6
3	पाटन	33664	4405	2067	13.09	6.14	19.23	8
4	शहपुरा	13601	2093	1184	15.39	8.71	24.09	5
5	जबलपुर(बरगी)	1207151	174130	54342	14.42	4.50	18.93	9
6	पनागर	123504	20025	15792	16.21	12.79	29.00	2
7	कुण्डम	4856	923	588	19.01	12.11	31.12	1
8	रीठी	0	0	0	0.00	0.00	0.00	10
9	कटनी(मुडवारा)	221883	28903	15781	13.03	7.11	20.14	7
10	बड़वारा	0	0	0	0.00	0.00	0.00	11
11	विजयराघोगढ़	27714	3266	4206	11.78	15.18	26.96	3
12	बहोरीबंद	0	0	0	0.00	0.00	0.00	12
13	ढीमरखेड़ा	0	0	0	0.00	0.00	0.00	13
जबलपुर–कटनी योग		**1689631**	**241320**	**100431**	**14.28**	**5.94**	**20.23**	

Source: Census of India, 2011, District Census Hand Book, Distirict Jabalpur, Katni, 2011



क्षेत्रीय वैविध्य का परिवर्तन- जबलपुर-कटनी में विकासखण्डवार अनुसूचित जनजाति एंव अनुसूचित जनजाति नगरीय जनसंख्या को सारणी क्रमांक 2 के आधार पर निम्नलिखित तीन संवर्ग में विभक्त किया गया है (मानचित्र क्रमांक 2)-

1. उच्च अनुसूचित जनजाति एंव अनुसूचित जनजाति नगरीय जनसंख्या नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र- क्षेत्र के विभिन्न विकासखण्डों एवं विभिन्न दशकों के आंकड़े के अनुसार अनुसूचित जनजाति एंव अनुसूचित जनजाति नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर में क्षेत्रीय वैविध्यता पाई गई है। उच्च वृद्धि दर अन्तर्गत उन विकासखण्डों को सम्मलित किया गया हैं जिनकी जनसंख्या अधिक है। उच्च वृद्धि दर पाई जाने का प्रमुख कारण, नगरीय, जनसंख्या में वृद्धि, नगरीयकरण, रोजगार के अवसरों में वृद्धि आदि प्रमुख कारण है। यहाँ पर कुण्डम 31.12 प्रतिशत, विजयराघोगढ़ 26.96 प्रतिशत, सिहोरा 25.45 प्रतिशत पनागर 29.00 प्रतिशत विकासखण्डों में इस सवर्ग में सम्मलित है।(मानचित्र क्रमांक 2)
2. मध्यम अनुसूचित जनजाति एंव अनुसूचित जनजाति नगरीय जनसंख्या नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्रः- जबलपुर-कटनी जिले में अनुसूचित जनजाति एंव अनुसूचित जनजाति नगरीय जनसंख्या में मध्यम दर के विकास खण्ड इसे मध्यम वृद्धि दर के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस संवर्ग में विकासखण्ड शहपुरा 24.09 प्रतिशत, मझौली 21.45 प्रतिशत प्रमुख है। यहां पर वृद्धि दर को प्रभावित करने में प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों दशायें परिलक्षित होती है।
3. निम्न अनुसूचित जनजाति एंव अनुसूचित जनजाति नगरीय जनसंख्या नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्रः- निम्न वृद्धि दर के लिये प्राकृतिक कारण एवं मानव जनित कारक उक्त दोनों उत्तरदायी हो सकते है। निम्न वृद्धि दर के अंतर्गत आने वाले विकासखण्ड को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत विकासखण्ड कटनी (मुडवारा) 20.14 प्रतिशत, पाटन 19.23 प्रतिशत, जबलपुर (बरगी) 18.93 प्रतिशत विकासखण्ड सम्मलित है। यहां निम्न वृद्धि दर का कारण भौगोलिक दशायें एवं मानवीय क्रियाकलाप आदि उत्तरदायी परिलक्षित होते है। देश एवं प्रदेश की तुलना में नगरीय जनसंख्या में काफी अंतर पाया गया है।

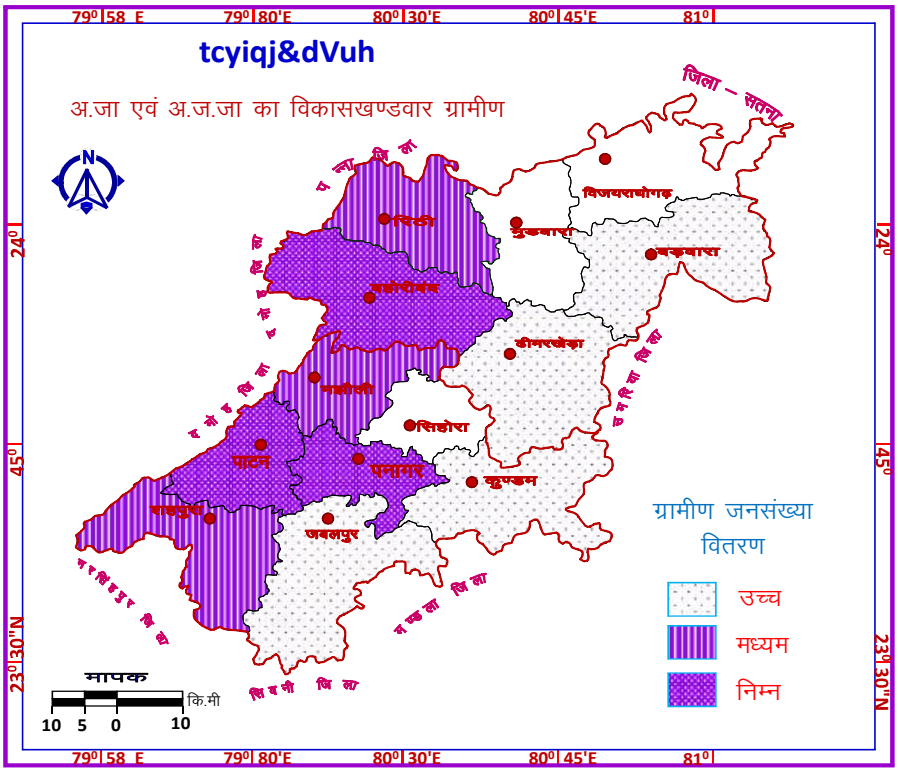
सारणी क्र. 3

जबलपुर-कटनी : अनुसूचित जनजाति एंव अनुसूचित जनजाति विकासखण्डवार ग्रामीण जनसंख्या का वितरण (वर्ष-2011)

क्र.	विकासखण्ड	कुल जनसंख्या	कुल अ.जा	कुल अ. ज.जा	अ.जा. का प्रतिशत	अ.ज.जा का प्रतिशत	कुल अ.जा एवं अ.ज.जा का प्रतिशत	रैक
1	सिहोरा	135599	19856	27450	14.64	20.24	34.89	12
2	मझौली	156088	23947	33510	15.34	21.47	36.81	9
3	पाटन	130074	22129	20161	17.01	15.50	32.51	13
4	शहपुरा	178109	25482	45512	14.31	25.55	39.86	6
5	जबलपुर(बरगी)	163522	18838	51010	11.52	31.19	42.71	4
6	पनागर	141276	19482	30580	13.79	21.65	35.44	10
7	कुण्डम	118587	9144	86564	7.71	73.00	80.71	1
8	रीठी	127211	18007	32599	14.16	25.63	39.78	7
9	कटनी(मुडवारा)	147636	19072	40065	12.92	27.14	40.06	5
10	बड़वारा	104196	11077	36755	10.63	35.27	45.91	2
11	विजयराघोगढ़	183147	20322	50315	11.10	27.47	38.57	8
12	बहोरीबंद	198914	25981	44056	13.06	22.15	35.21	11
13	ढीमरखेड़ा	177829	18992	60413	10.68	33.97	44.65	3
जबलपुर–कटनी योग		**1962188**	**252329**	**558990**	**12.86**	**28.49**	**41.35**	

Source : Census of India, 2011, District Census Hand Book, Distirict Jabalpur, Katni, 2011

क्षेत्रीय वैविध्य का परिवर्तन– जबलपुर–कटनी में विकासखण्डवार अनुसूचित जनजाति एंव अनुसूचित जनजाति नगरीय जनसंख्या को सारणी क्रमांक 3 के आधार पर निम्नलिखित तीन संवर्ग में विभक्त किया गया है (मानचित्र क्रमांक 3)–



1.उच्च अनुसूचित जनजाति एंव अनुसूचित जनजाति नगरीय जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या वाले क्षेत्र- क्षेत्र के विभिन्न विकासखण्डों एवं विभिन्न दशकों के आंकड़े के अनुसार अनुसूचित जनजाति एंव अनुसूचित जनजाति ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर में क्षेत्रीय वैविध्यता पाई गई है। उच्च वृद्धि दर अन्तर्गत उन विकासखण्डों को सम्मलित किया गया हैं जिनकी जनसंख्या अधिक है। उच्च वृद्धि दर पाई जाने का प्रमुख कारण, ग्रामीण, जनसंख्या में वृद्धि, नगरीयकरण, रोजगार के अवसरों में वृद्धि आदि प्रमुख कारण है। यहाँ पर कुण्डम 80.71 प्रतिशत, ढीमरखेड़ा 44.65, बड़वारा 45.91 प्रतिशत, जबलपुर (बरगी) 42.71 प्रतिशत कटनी (मुडवारा) 40.06 प्रतिशत विकासखण्डों में इस सवर्ग में सम्मलित है।(मानचित्र क्रमांक 3)

2.मध्यम अनुसूचित जनजाति एंव अनुसूचित जनजाति ग्रामीण जनसंख्या नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र- जबलपुर–कटनी जिले में अनुसूचित जनजाति एंव अनुसूचित जनजाति नगरीय जनसंख्या में मध्यम दर के विकासखण्ड इसे मध्यम वृद्धि दर के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस संवर्ग में विकासखण्ड रीठी 39.78 प्रतिशत शहपुरा 39.86 प्रतिशत, विजयराघोगढ़ 38.57 मझौली 36.81 प्रतिशत प्रमुख है। यहां पर

वृद्धि दर को प्रभावित करने में प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों दशायें परिलक्षित होती है।

3.निम्न अनुसूचित जनजाति एंव अनुसूचित जनजाति ग्रामीण जनसंख्या नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र- निम्न वृद्धि दर के लिये प्राकृतिक कारण एवं मानव जनित कारक उक्त दोनों उत्तरदायी हो सकते है। निम्न वृद्धि दर के अंतर्गत आने वाले विकासखण्ड को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत विकासखण्ड सिहोरा 34.89 प्रतिशत, पाटन 32.51 प्रतिशत, बहोरीबंद 35.21 प्रतिशत पनागर 35.44 प्रतिशत विकासखण्ड सम्मलित है। यहां निम्न वृद्धि दर का कारण भौगोलिक दशायें एवं मानवीय क्रियाकलाप आदि उत्तरदायी परिलक्षित होते है। देश एवं प्रदेश की तुलना में नगरीय जनसंख्या में काफी अंतर पाया गया है।

निष्कर्ष- शैक्षणिक पिछड़ेपन/नामांकन के कम होने एवं विद्यार्थियों की परित्याग दर विशेष रूप से छात्राओं की परित्याग दर अधिक होने का प्रमुख कारण अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सामाजिक-आर्थिक गरीबी हैं इस वर्ग की स्थिति इतनी खराब है कि वे अपने बच्चों को उच्च स्तर पर प्रवेश देने में असमर्थ है। इसलिए राज्य एवं केन्द्र सरकार को इस समरू को गम्भीरता से समझना चाहिए। अनुसूचित जाति की छात्राओं की विद्यालय परित्याग दर ज्यादा है इस सन्दर्भ में यह सिफारिश की जाती है कि विद्यालय छोड़कर जाने वाली छात्राओं को पुनः लोने के लिए शिक्षकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं वैकल्पिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। स्वैच्छिक संगठनों, राजनैतिक नेतृत्व और जागरूकता जनता को अनुसूचित जाति एवं जनजाति के माता-पिता के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करने चाहिए ताकि वे अपनी बालिकाओं को विद्यालयों में भेजन का प्रतिरोध न करें। राज्य सरकार को विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, आवास, अनुदान, होस्टल सुविधएँ कितों की मुफ्त, सप्लाई दोपहर का खाना आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची-

1. श्रीवास्तव, रजनीश (1985), शहडोल जिले के आदिवासियों का आर्थिक अध्ययन, अप्रकाशित लघु शोध प्रबंध, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, पृ.सं. 267
2. उपाध्याय, विजय शंकर एवं शर्मा विजय (1989), भारत जनजातीय संस्कृति मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, पृ.सं. 104
3. जियालाल राठौर, (2022) : शहडोल संभाग में साक्षरता एवं शिक्षा के आयाम : एक भौगोलिक विश्लेषण, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.), अप्रकाशित पी. एच.डी, रीवा (म.प्र.), पृ. 156-159
4. डॉ. विद्यार्थी ललित प्रसाद (1975), भारतीय आदिवासी इनकी संस्कति, सामाजिक पृष्ठभूमि, पृ. 93-95
5. तिवारी, शिवकुमार, मध्यप्रदेश के आदिवासी, पृ. सं. 1-19
6. डॉ. विद्यार्थी ललित प्रसाद (1975), भारतीय आदिवासी इनकी संस्कति, सामाजिक पृष्ठभूमि, पृ.सं 94-96
7. जियालाल राठौर, (2022) : शहडोल संभाग में साक्षरता एवं शिक्षा के आयाम : एक भौगोलिक विश्लेषण, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.), अप्रकाशित पी. एच.डी, रीवा (म.प्र.), पृ. 156-159

8. ट्रिवार्था जी. टी. (1953) विश्व के पहले जनसंख्या भूगोल वेत्ता एवं जनसंख्या भूगोल के पितामह कहे जाते है इन्होनें जनसंख्या के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अन्वेषण कार्य किए, पृ सं. 13
9. ज्ञानचंद (1956) में भारत की जनसंख्या की समस्या के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया, पृ.सं. 45
10. गोसल गुरूदेव, सिंह (1964) भारत के पहले जनसंख्या भूगोल वेत्ता हुए उन्होंने स्त्री-पुरूष, ग्रामीण-नगरीय अन्तर का विश्लेषण किया, पृ. सं. 177
11. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, 2011, जबलपुर, कटनी
12. वही, पृ.सं. 198
13. साख्यिकीय पुस्तिका, 2011
14. क्लार्क (1965) ने जनसंख्या की विशेषताएं तथा वृद्धि, संघटन, लिंगानुपात आदि का संकल्पना का विश्लेषण किया, पृ सं. 289
15. Dube, R.S. & Mishra (1981): "Level of Educational: A Varsatile Indicator of Regional Developement" Geographical Review of India, vol 43, pp. 278-285.
16. Krishnan, G.& shyam, M. (1977); " Literacy in India" Geographical Review of India, vol. 39, No. 1, pp. 117-125.
17. Naik, J.P. (1966) : Elementary Educational in India, Asia Publishing House, New Delhi.
18. Sharma, S. (1999); "Delerminants of Literacy in Meghalaya: A Correlation Analysis", Hill Geographer, The Geographical Society Shillong (India); vol. XY, pp. 69-75.

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 6.375, ISSN 0975-4083
Vol.- 29, Hindi Edition, Year-15, April- September 2025

मलिन बस्तियों के पारिवारिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा स्तर का सामाजिक-आर्थिक जीवन पर प्रभाव

• विपाषा चौधरी
••चांदनी मरकाम

सारांश- वर्तमान शोध का उद्देश्य मलिन बस्तियों में निवास करने वाले परिवारों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा स्तर का उनके सामाजिक-आर्थिक जीवन पर प्रभाव का अध्ययन करना है। शहरीकरण की प्रक्रिया के साथ-साथ महानगरों एवं नगरों में तेजी से फैलती मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवार इनके सामाजिक-आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करते है। अस्वच्छ पर्यावरण, अपर्याप्त पोषण, सीमित चिकित्सा सुविधाएँ तथा शिक्षा के अवसरों की कमी उनके जीवन स्तर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। इस अध्ययन में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि पारिवारिक स्वास्थ्य की स्थिति और शिक्षा का स्तर किस प्रकार परिवार की आय, रोजगार के अवसर, सामाजिक सहभागिता तथा जीवन शैली को प्रभावित करता है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ जैसे कुपोषण, संक्रमणजन्य रोग, तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वृद्धि आर्थिक संसाधनों को सीमित करती है। वही शिक्षा के निम्न स्तर के कारण रोजगार के अवसर सीमित रहते है, जिससे परिवार गरीबी और सामाजिक बहिस्करण की स्थिति में बने रहते है। अतः इस शोध के अनुसार यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यदि मलिन बस्तियों में परिवारों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएँ, स्वच्छ पर्यावरण और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए तो उनके सामाजिक-आर्थिक जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार संभव है।

मुख्य शब्द- मलिन बस्तियाँ, शिक्षा स्तर, जीवन स्तर, पारिवारिक स्वास्थ्य, सामाजिक-आर्थिक जीवन, गरीबी, सामाजिक सहभागिता।

प्रस्तावना- भारत जैसे विकासशील देश में शहरीकरण की तीव्रगति ने बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार की तलाश में शहरों की ओर आकर्षित किया है। किन्तु सीमित संसाधनों एवं आर्थिक असमानताओं के कारण इन प्रवासियों का एक बड़ा हिस्सा मलिन बस्तियों में निवास करने को विवश है। मलिन बस्तियाँ प्रायः अशिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण, अस्वच्छ पर्यावरण और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव की जटिल समस्याओं से घिरी

• शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, शासकीय वी. वाई. टी. स्वायत्त महाविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़
•• शोध-निर्देशिका, समाजशास्त्र विभाग, शासकीय इंदिरा गांधी महाविद्यालय, वैशालीनगर, भिलाई छत्तीसगढ़

रहती है। परिवार किसी भी समाज की मूल इकाई होता है। परिवार का स्वास्थ्य स्तर और शिक्षा का स्तर उसके सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यदि परिवार के सदस्य स्वस्थ्य है तो वे श्रम करने, आय अर्जित करने और जीवन स्तर सुधारने में सक्षम होते हैं, वहीं शिक्षा परिवार को जागरूकता, बेहतर रोजगार अवसर, सामाजिक भागीदारी और प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रदान करती है। इससे विपरीत स्वास्थ्य की कमजोरी और शिक्षा का निम्न स्तर परिवार को गरीबी, असुरक्षा और सामाजिक बहि'करण की ओर धकेल देता है।

मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवार इन दोनों ही पहलूओं स्वास्थ्य और शिक्षा के अभाव से गहराई से प्रभावित होते है खराब स्वास्थ्स सुविधाएँ पोषण की कमी, अस्वच्छ वातावरण साथ ही विद्यालयी शिक्षा में रूकावटें जैसे आर्थिक तंगी, श्रम में बच्चों की भागीदारी, स्कूल छोड़ना वहाँ के परिवारों के सामाजिक–आर्थिक जीवन को बाधित करती है। परिणामस्वरूप ये परिवार गरीबी असमानता और हाशियाकरण के चक्र में फॅसे रहते है।

अत: यह विषय समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ''मलिन बस्तियों के पारिवारिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा स्तर का सामाजिक–आर्थिक जीवन पर प्रभाव'' का अध्ययन करने से न केवल वहां के परिवारों की वास्तविक स्थिति का आंकलन किया जा सकेगा, बल्कि समाज और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की प्रभाव''ीलता का भी मूल्यांकन संभव होगा। साथ ही, यह शोध समाज में, समानता, न्याय और विकास की दिशा में नए सुझाव एवं समाधान प्रस्तुत करने में सहायक होगा।

उद्देश्य-

1. मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों के स्वास्थ्य की स्थिति और उससे संबंधित सामाजिक–आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना।
2. मलिन बस्तियों के परिवारों में शिक्षा स्तर और रोजगार/आय के अवसरों के बीच संबंध को स्पष्ट करना।
3. पारिवारिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा स्तर के संयुक्त प्रभाव का सामाजिक–आर्थिक जीवन–स्तर पर विश्लेषण करना।

उपकल्पनाएँ-

1. मलिन बस्तियों में निवास करने वाले परिवारों का कमजोर स्वास्थ्य उनकी आर्थिक स्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
2. निम्न शिक्षा स्तर वाले परिवारों के रोजगार के अवसर सीमित होते है और वे गरीबी चक्र में फँसे रहते हैं।
3. जिन परिवारों का स्वास्थ्य एवं शिक्षा स्तर बेहतर है, उनका समाजिक–आर्थिक जीवन–स्तर अन्य परिवारों की तुलना में उच्च होता है।

अध्ययन क्षेत्र एवं उत्तरदाताओं का चयन- प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई नगर क्षेत्र को लिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भिलाई नगर की कुल जनसंख्या 1,064,222 थी, जिसमें 545,916 पुरूष और 518,306

महिलाएँ थी। भिलाई की औसत साक्षरता दर 86.63 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष साक्षरता 92.22 प्रतिशत और महिला साक्षरता 80.71 प्रतिशत हैं। भिलाई में कुल 43 मलिन बस्तियाँ है जिसमें से जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनसंख्या वाली 2 और सबसे छोटी जनसंख्या वाली 2 मलिन बस्तियों का चयन गैर अनुपातिक यादृच्छिक न्यादर्श विधि द्वारा किया गया है जो निम्न प्रकार है।

सर्वाधिक जनसंख्या वाली दो मलिन बस्तियाँ

- शारदा पारा – कुल जनसंख्या 10,861,40 परिवार
- घासीदास नगर– कुल जनसंख्या 9,301,40 परिवार

न्यूनतम जनसंख्या वाली दो मलिन बस्तियाँ

- रविदास नगर– कुल जनसंख्या 327,35 परिवार
- कर्मकार कॉलोनी – कुल जनसंख्या 239,35 परिवार

इस प्रकार कुल 150 परिवारों का चयन प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन मुख्य रूप से साक्षात्कार अनुसूची और अवलोकन के माध्यम से प्राथमिक तथ्य संग्रह पर आधारित है। एकत्रित तथ्यों को कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम (SPSS) द्वारा वर्गीकरण एवं सारणीयन किया गया है।

तथ्यों का विश्लेषण- चयनित उत्तरदाताओं से उद्देश्यों के आधार पर प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण निम्नलिखित तालिकाओं में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका क्रमांक 1

परिवारों की स्वास्थ्य स्थिति

क्रमांक	स्वास्थ्य स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	दीर्घकालिक बीमारी (मधुमेह, उच्च रक्त चाप, दमा, गठिया)	40	26.7
2	बार–बार संक्रमण (दस्त, डायरिया, सांस की बीमारी, त्वचा संक्रमण)	55	36.7
3	अल्पपोषण	30	20.0
4	कोई समस्या नहीं	25	16.6
	योग	150	100

तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 36.7 प्रतिशत परिवार बार–बार संक्रमण से जूझ रहे हैं 26.7 प्रतिशत दीर्घकालिन बीमारियों से ग्रसित है 20 प्रतिशत परिवारों को अल्पपोषण अर्थात पोष्टिक भोजन प्राप्त नहीं होता तथा केवल 16.6 परिवार ही इन मलिन बस्तियों में ऐसे है जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं है।

तालिका क्रमांक - 2

स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग

क्रमांक	सेवा का प्रकार	आवृत्ति	प्रतिशत
1	सरकारी अस्पताल	80	53.3
2	निजी क्लिनिक	40	20.7
3	पारंपरिक उपचार	30	20.0
	योग	150	100

उपर्युक्त तालिका के विशलेषण से ज्ञात होता है कि अधिकांश परिवार सरकारी सेवाओं पर निर्भर है लगभग हर चौथा परिवार निजी क्लिनिक में उपचार करवाता है मात्र

20 प्रतिशत ही ऐसे परिवार है जो आज भी पारंपरिक उपचार का सहारा लेते है बीमारियों के ईलाज के लिए। अर्थात् स्पष्ट है कि मलिन बस्तियों के लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक तो है परंतु महंगे ईलाज और दवाइयों के चलते वे सरकारी अस्पताल में ईलाज करवाते है, किंतु पाँच में से एक परिवार आज भी पारंपरिक ईलाज का सहारा ले रहे है इसका कारण शिक्षा की कमी या अंधविश्वास हो सकता है।

तालिका क्रमांक - 3

पारिवारिक स्वास्थ्य पर चिकित्सा व्यय का प्रभाव

क्रमांक	स्वास्थ्य पर व्यय	आवृत्ति	प्रतिशत
1	0-500 (न्यूनतम)	20	13.3
2	501-1000 (कम)	35	23.4
3	1001-2000 (मध्यम)	45	30.0
4	2001-3000 (अधिक)	30	20.0
5	3000 से अधिक (बहुत अधिक)	20	13.3
	योग	150	100

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मलिन बस्तियों के परिवारों पर स्वास्थ्य व्यय का सीधा प्रभाव उनके सामाजिक आर्थिक जीवन पर पड़ता है। लगभग 13.3 प्रतिशत परिवार ऐसे है जिनका स्वास्थ्य खर्च 500 रूपये या उससे कम है इसलिए इनके घरेलू जीवन पर कोई विशेष आर्थिक दबाव नहीं दिखता। वही 23.4 प्रतिशत परिवार 500-1000 रूपये मासिक खर्च करते है जिन्हे कभी-कभी बजट में हल्की तंगी का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी श्रेणी 30 प्रतिशत 1001-2000 रूपये खर्च करने वाले परिवारों की है, जिनके लिए स्वास्थ्य व्यय बच्चों की पढ़ाई और पोषण के बीच चुनाव करने की स्थिति पैदा कर देता है, जिससे दीर्घकालीक रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनो पर नकारात्मक असर पड़ता है। 20 प्रतिशत परिवार ऐसे पाए गये है जो 2001-3000 रूप ये तक स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे है और उनकी स्थिति कर्ज लेने और बचत समाप्त होने की ओर बढ़ती जा रही है। सबसे गंभीर स्थिति 13.3 प्रतिशत परिवारों की है जिनका मासिक स्वास्थ्य व्यय 3000 रूपये से अधिक हैं, इन परिवारों का पूरा आर्थिक ढांचा असंतुलित हो चुका है जिसके कारण शिक्षा, पोषण, मकान किराया और अन्य बुनियादी आवश्यकताएँ बुरी तरह प्रभावित होती हैं। समग्र रूप से देखा जाए तो स्वास्थ्य व्यय की बढ़ती हुई मात्रा परिवारों को गरीबी और आर्थिक संकट के चक्र में धकेल रही है, जहां न्यूनतम व्यय परिवार तो अपेक्षकृत सुरक्षित है किंतु मध्यम और उच्च व्यय वाले परिवारों की आर्थिक सामाजिक स्थिति अस्थिर और असुरक्षित हो गई है।

तालिका क्रमांक - 4

परिवार के मुखिया का शिक्षा स्तर

क्रमांक	स्वास्थ्य पर व्यय	आवृत्ति	प्रतिशत
1	निरक्षर	45	30.0
2	प्राथमिक	52	34.7
3	माध्यमिक	28	18.7
4	उच्च माध्यमिक	15	10.0
5	स्नातक/उच्च शिक्षा	10	6.6
	योग	150	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि मलिन बस्तियों के परिवार का शिक्षा स्तर सीधे

उनके सामाजिक–आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है लगभग 65 प्रतिशत परिवार या तो निरक्षर है या सिफ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए हुए है, जिसके कारण वे मुख्य रूप से दिहाड़ी मजदूरी और असंगठित कार्यो पर निर्भर रहते है तथा सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते। वही माध्यमिक शिक्षा प्राप्त परिवार 18.7 प्रतिशत अपेक्षाकृत संतुलित जीवन जीते है और बच्चो की पढ़ाई को आगे बढ़ाने में रूचि रखते है उच्च माध्यमिक 10 प्रतिशत और स्नातक व उससे ऊपर 6.6 प्रतिशत शिक्षित परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत पाई गई जो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनो में अधिक निवेश कर पाते हैं। यह तथ्य सिध्द करता है कि शिक्षा का स्तर जितना ऊँचा होता है, परिवार का सामाजिक आर्थिक जीवन उतना ही सुदृढ़ और स्थिर होता है।

तालिका क्रमांक - 5
बच्चों की शिक्षा की स्थिति

क्रमांक	बच्चों की शिक्षा की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	विद्यालय में नियमित नामांकन	90	60.0
2	नमांकित परंतु अनियमित उपस्थिति वाले	30	20.0
3	पढ़ाई छोड़ चुके (ड्रापआउट)	20	13.3
4	कभी विद्यालय में नामांकित नहीं हुए।	10	6.7
	योग	150	100

उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मलिन बस्तियों के बच्चों में शिक्षा की स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण है। लगभग 60.0 प्रतिशत परिवारों के बच्चे नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे है जिससे यह संकेत मिलता है कि शिक्षा तक पहुँच कुछ हद तक सुधरी है। किन्तु 20 प्रतिशत परिवार ऐसे है जिनके बच्चे विद्यालय में नामांकित तो है लेकिन उपस्थिति अनियमित रहती है जिसका प्रमुख कारण घरेलू कार्यो में बच्चों की भागीदारी, स्वास्थ्य संबधी समस्याएँ और आर्थिक दबाव हैं। इसके अतिरिक्त 13.3 प्रतिशत परिवारों के बच्चे पढाई छोड़ चुके है, जो यह दर्शाता है कि गरीबी और सामाजिक आर्थिक अस्थिरता बच्चों को शिक्षा से दूर घकेल रही है। सबसे चिंताजनक स्थिति उन 6.7 प्रतिशत परिवारों के बच्चो की है जो कभी विद्यालय में नामांकित ही नहीं हुए, जिनसे शिक्षा का अवसर पूरी तरह से छिन गया। यह स्थिति बताती है कि शिक्षा की पहुँच और नियमितता दोनो पर विशेष ध्यान दने की आवश्यकता है, अन्यथा अशिक्षा और गरीबी का दुष्चक्र बना रहेगा।

तालिका क्रमांक - 6
विद्यालय न जाने के प्रमुख कारण

क्रमांक	प्रमुख कारण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	आर्थिक तंगी	40	26.7
2	घरेलू कार्य	35	23.3
3	माता–पिता की शिक्षा के प्रति उदासीनता	30	20.0
4	स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ	25	16.7
5	विद्यालय की दूरी	20	13.3
		150	100

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मलिन बस्तियों के बच्चों के विद्यालय न जाने के पीछे सबसे प्रमुख कारण आर्थिक तंगी 26.7 प्रतिशत है, क्योंकि

परिवार किताबों, फीस और यूनिफॉर्म का खर्च नहीं उठा पाते। इसके अलावा 23.3 प्रतिशत बच्चों को घरेलू कार्य और भाई बहनों की देखभाल में लगाया जाता है, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित होती है। लगभग 20 प्रतिशत मामलों में माता–पिता की शिक्षा के प्रति उदासीनता भी बड़ी बाधा है। स्वास्थ्य समस्याएँ 16.7 प्रतिशत और विद्यालय की दूरी या परिवहन सुविधा का अभाव 13.3 प्रतिशत भी बच्चों के विद्यालय न जाने के महत्वपूर्ण कारण पाए गए। समग्र रूप से यह स्थिति दर्शाती है कि गरीबी पारिवारिक जिम्मेदारियों और अभिभावक की सोच बच्चों की शिक्षा में सबसे बड़ी रूकावट है।

तालिका क्रमांक - 7
परिवारों की मासिक आय

क्रमांक	मासिक आय	आवृत्ति	प्रतिशत
1	5000 से कम	40	26.7
2	5001–10000	55	36.6
3	10001–15000	30	20.0
4	15001–20000	15	10.0
5	20000 से अधिक	10	6.7

उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मलिन बस्तियों में अधिकांश परिवारों की मासिक आय कम है। लगभग 63.3 प्रतिशत की आय 10000 रूपये से कम है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर और अस्थिर बनी रहती है। केवल 16.7 प्रतिशत परिवार ही 15000 रूपये से अधिक कमा पाते है, जो अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। यह स्थिति दर्शाती है कि कम आय के कारण इन परिवारों को शिक्षा स्वास्थ्य और जीवन स्तर बनाए रखने में लगातार कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

तालिका क्रमांक - 8
सरकारी योजनाओं तक पहुँच

क्रमांक	सरकारी योजना तक पहुँच	आवृत्ति	प्रतिशत
1	नियमित रूप से लाभान्वित	50	33.3
2	कभी–कभी लाभ मिलता है	60	40.0
3	लाभ से वंचित	40	26.7
	योग	150	100

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि केवल एक तिहाई परिवार 33.3 प्रतिशत ही सरकारी योजनाओं से नियमित रूप से लाभान्वित हो रहें है। सबसे बड़ी श्रेणी 40 प्रतिशत उन परिवारों की है जिन्हें योजनाओं का लाभ कभी–कभी ही मिल पाता है जबकि 26.7 प्रतिशत परिवार पूरी तरह से वंचित है। जो यह दर्शाता है कि योजनाओं तक पहुँच में जागरूकता की कमी, दस्तावेजी बाधाएं और कार्यान्वयन की कमजोरी बड़ी चुनौतियाँ हैं।

तालिका क्रमांक - 9
परिवारों का मासिक व्यय विवरण

क्रमांक	व्यय मद	आवृत्ति	प्रतिशत
1	भोजन एवं मूलभूत आवश्यकता	60	40.0
2	स्वास्थ्य	35	23.3
3	शिक्षा	30	20.0
4	आवास किराया	15	10.0
5	अन्य	10	6.7
	योग	150	100

तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों का सबसे अधिक व्यय 40.0 प्रतिशत भोजन एवं मूलभूत आवश्यकताओं पर होता है जिससे अन्य क्षेत्रों में व्यय सीमित रह जाता है। स्वास्थ्य 23.3 प्रतिशत और शिक्षा 20 प्रतिशत पर भी परिवारों का बड़ा हिस्सा खर्च होता है, जो सीधे उनके सामाजिक–आर्थिक जीवन को प्रभावितकरता है। जब आय का बड़ा भाग बीमारी पर खर्च हो जाता है तो शिक्षा की उपेक्षा होती है, और शिक्षा पर खर्च कम होने से बच्चों का भविष्य और परिवार का सामाजिक उत्थान बाधित होता है। इस प्रकार स्वास्थ्य और शिक्षा व्यय का संतुलन न बना पाने के कारण गरीबी का चक्र बना रहता है।

तालिका क्रमांक - 10
सामाजिक आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा/स्वास्थ्य स्थिति का संबंध

क्रमांक	मासिक आय वर्ग	बच्चों की औसत शिक्षा स्तर	परिवारों की स्वास्थ्य स्थिति (अच्छी, सामान्य,खराब)
1	5000 रू से कम (40 परिवार)	प्राथमिक स्तर तक सीमित	10 प्रतिशत अच्छी, 50 प्रतिशत सामान्य, 40 प्रतिशत खराब
2	5001–10000 (55 परिवार)	प्राथमिक से माध्यमिक	20 प्रतिशत अच्छी, 55 प्रतिशत सामान्य, 25 प्रतिशत खराब
3	10001–15000 (30 परिवार)	माध्यमिक से उच्चतर	35 प्रतिशत अच्छी, 50 प्रतिशत सामान्य, 15 प्रतिशत खराब
4	15001–20000 (15 परिवार)	उच्चतर माध्यमिक से स्नातक	50 प्रतिशत अच्छी, 40 प्रतिशत सामान्य, 10 प्रतिशत खराब
5	20000 से अधिक (10 परिवार)	स्नातक या अधिक	70 प्रतिशत अच्छी, 25 प्रतिशत सामान्य, 5 प्रतिशत खराब

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जिन परिवारों के बच्चो का शिक्षा स्तर केवल प्राथमिक या माध्यमिक तक सीमित है और जिनकी स्वास्थ्य स्थिति खराब या सामान्य है उनका सामाजिक–आर्थिक जीवन कमजोर है। ऐसे परिवार कम आय वर्ग में पाए जाते है जहाँ रोजगार अस्थिर, आय कम और जीवन स्तर निम्न है। दूसरी ओर जिन परिवारों में शिक्षा का स्तर उच्च है और स्वास्थ्य की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है वे अधिक स्थिर आय प्राप्त कर रहे है और उनका सामाजिक आर्थिक जीवन भी बेहतर है। इसका अर्थ है कि शिक्षा और स्वास्थ्य का निम्न स्तर सीधे तौर पर परिवार की आय, रोजगार के अवसर और समग्र जीवन स्तर को प्रभावित करता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत विकास ही नहीं बल्कि सामाजिक–आर्थिक उन्नति की आधारशिला भी है।

उपकल्पना का परीक्षण :-

उपकल्पना (H1)- मलिन बस्तियों में निवास करने वाले परिवारों का कमजोर स्वास्थ्य उनकी आर्थिक स्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

परिणाम- इस उपकल्पना का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट हुआ कि मलिन बस्तियों में रहने वाले अधिकांश परिवारों को नियमित स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है। अस्वच्छता, पौष्टिक भोजन की कमी और अस्वास्थ्यकर वातावरण के कारण परिवार के सदस्य अक्सर बीमार रहते है। इन परिस्थितियों में परिवार की आय का बड़ा हिस्सा दवाइयों और ईलाज पर खर्च हो जाता है, जिससे उनकी बचत नगण्य रह जाती है। साथ ही बीमार सदस्य के कारण परिवार का श्रमबल घट जाता है और आय अर्जन क्षमता भी प्रभावित होती है। इस प्रकार कमजोर स्वास्थ्य सीधे उनकी आर्थिक स्थिति को और अधिक अस्थिर बना देता है। अत: उपकल्पना सिद्ध हुई।

उपकल्पना (H2)- निम्न शिक्षा स्तर वाले परिवारों के रोजगार के अवसर सीमित होते है और वे गरीबी के चक्र में फँसे रहते है।

परिणाम- उपकल्पना का परीक्षण यह दर्शाता है कि जिन परिवारों का शिक्षा स्तर प्राथमिक या माध्यमिक तक ही सीमित था वे अधिकतर असंगठित क्षेत्र (मजदूरी, रिक्शा चलाना, घरेलू काम, ठेला लगाना आदि) पर निर्भर थे। उच्च शिक्षा और तकनीकी कौशल की कमी के कारण उन्हें बेहतर वेतन और स्थायी रोजगार के अवसर नहीं मिल पाए। परिणामस्वरूप, उनकी आय सीमित रही और जीवन स्तर निम्न बना रहा। यह स्थिति बच्चों को भी प्रभावित करती है, क्योंकि आर्थिक दबाव के चलते वे शिक्षा अधूरी छोड़ देते है और पुन: मजदूरी मे लग जाते है इस प्रकार, कम शिक्षा वाले परिवार लगातार गरीबी के चक्र में फँसे रहते है। अत: उपकल्पना सिद्ध हुई।

उपकल्पना (H3)- जिन परिवारओं का स्वास्थ्य एवं शिक्षा स्तर बेहतर है, उनका सामाजिक-आर्थिक जीवन-स्तर अन्य परिवारों की तुलना में उच्च होता है।

परिणाम- उपकल्पना के परीक्षण के प्राप्त निष्कर्ष से स्पष्ट होता है कि जिन परिवारो के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और जिनकी स्वास्थ्य स्थिति संतोषजनक थी, वे परिवार अपेक्षाकृत स्थिर और अच्छी आय अर्जित कर रहे थे। उच्च शिक्षा प्राप्त सदस्य संगठित क्षेत्र (जैसे कारखाने, निजी कंपनियाँ, सेवा क्षेत्र) मे कार्यरत् पाए गए, जिससे उनकी आय स्थिर रही। इसी तरह जिन परिवारों का स्वास्थ्य स्तर अच्छा था उनके सदस्य नियमित रूप से काम करने में सक्षम रहे और उना उपचार पर कम खर्चा हुआ ऐसे परिवारों का आवास, सामाजिक प्रति'ठा और जीवन स्तर अन्य परिवारों से बेहतर पाया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षा और स्वास्थ्य के उच्च स्तर से परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होता है।

अत: उपरोक्त उपकल्पनाएँ सही सिद्ध होती है।।

सुझाव-

- मलिन बस्तियों में बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए नि:शुल्क और गुणवत्तापूर्ण विद्यालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- परिवारों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ ताकि वे

ईलाज पर अत्यधिक खर्च से बच सकें।

- लोगों को सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी और लाभ तक आसान पहुँच दिलाई जाए।
- युवाओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं।
- स्थानीय समाज, संस्थाओं और सरकार के संयुक्त प्रयास से ही इन परिवारों के सामाजिक–आर्थिक जीवन में सुधार संभव है।

संदर्भ सूची-

1. Asha India (n.d). Education Asha India Retrived sptember 6, 2025, from https://asha-india.org/how-we-help/education.
2. Balarajan, Y., Seharaj, S., & Subramanian, S. V. (2013). Non-communicable diseases and household poverty: A Study from urban poor in Banglore BMC Health services Research, 13 (306), 1-9. https://bmchealthservice.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-13-306
3. Government of India. (2014). Living Standared and health problem of lesser fortunate slum dwellwes. Science publishing Group. https://sciencepublidhinggroup.com/article/10.11648/6004508
4. Sharma, R. (2023). Education, poverty and schooling: A study of Delhi slum dwellers [Doctoral dissertation, Univercity of Sussex]. Figshare https://sussex.figshare.com/articles/thesis/education - poverty - and – schooling – a – study – of – delhi – slum – dwellers/23407775.
5. Times of India. (2025, march 1). Study reveals economic toll of non-communicable diseases on households of Punjab. The times of india https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/studuy-reveals-economic-tall-of-no-communicable-diseases-on-households-of-punjab/articleshow/121398674.cms
6. Time of India (2025, April 15). Education not assrsts drives progess, find caste surver, the times of India. https://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/education-not-assets-drives-progress-finds-caste-survey/articleshow/122889542.cms
7. https://en.wikipedia.org

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 6.375, ISSN 0975-4083
Vol.- 29, Hindi Edition, Year-15, April- September 2025

बिहार में महिला सशक्तिकरण: अवसर और संभावनाएँ

• पुष्पा

सारांश- बिहार में महिला सशक्तिकरण की यात्रा पर एक समेकित दृष्टि प्रस्तुत करते हुए यह लेख शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम-भागीदारी, स्व-सहायता समूह और सरकारी नीतियों के परिप्रेक्ष्य में उपलब्धियों और चुनौतियों का तार्किक विवेचन करता है। जीविका, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना तथा कन्या उत्थान जैसी पहलों को विश्लेषणात्मक रूप से समझाते हुए लेख यह दर्शाता है कि अवसर बढ़ रहे हैं परन्तु संरचनात्मक बाधाएँ अभी भी मौजूद हैं। लेख में नीतिगत सुझाव और आगे के अनुसंधान के दिशानिर्देश भी दिए गए हैं।

मुख्य शब्द- महिला सशक्तिकरण, बिहार, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम भागीदारी, स्व-सहायता समूह, उद्यमिता

प्रस्तावना- महिला सशक्तिकरण केवल एक विकासात्मक लक्ष्य नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त सूचक है। यह उस प्रक्रिया का प्रतीक है जिसके माध्यम से समाज की आधी आबादी को अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुँचने और राष्ट्र निर्माण में समान भागीदारी का अवसर प्राप्त होता है। सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र में निर्णय लेने, अपनी बात रखने और अपने अधिकारों की रक्षा करने की स्वतंत्रता देना। यह केवल आर्थिक या राजनीतिक भागीदारी तक सीमित नहीं, बल्कि एक समग्र सामाजिक आंदोलन है जो मानसिकता, परंपरा और व्यवहार- तीनों स्तरों पर परिवर्तन की माँग करता है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य- भारत में महिला सशक्तिकरण की अवधारणा कोई नवीन नहीं है। प्राचीन वैदिक युग में महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं ने अपने ज्ञान, तर्क और विवेक से दर्शाया कि स्त्री केवल गृहस्थी की धुरी नहीं, बल्कि विचार और दर्शन की वाहक भी है। वे शिक्षा, धर्म और सामाजिक व्यवस्था में समान भागीदार थीं। परंतु मध्यकाल में समाज की संरचना में आए बदलावों और पितृसत्तात्मक विचारधारा के प्रभाव से महिलाओं की स्थिति कमजोर होती चली गई। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, अशिक्षा और संपत्ति से वंचितता जैसी कुरीतियों ने उन्हें सीमित और निर्भर बना दिया।

आधुनिक काल में जब भारत स्वतंत्रता संग्राम की ओर अग्रसर हुआ, तब महिला सशक्तिकरण को नई चेतना मिली। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा

• अतिथि विद्वान, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, विश्वविद्यालय मधेपुरा

गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, उषा मेहता जैसी महिलाओं ने न केवल विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया, बल्कि समाज में स्त्री की गरिमा और समानता का भी स्वर बुलंद किया। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत के संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार प्रदान कर इस आंदोलन को वैधानिक स्वरूप दिया। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा, अनुच्छेद 16 में समान अवसर तथा अनुच्छेद 39 में समान वेतन और रोजगार की गारंटी महिला सशक्तिकरण की संवैधानिक नींव हैं।

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा- महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य केवल महिलाओं को अधिकार प्रदान करने से नहीं, बल्कि उनके अंदर आत्मबल और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना है, ताकि वे अपने जीवन से संबंधित निर्णय स्वयं ले सकें। सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ है– सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य यह नहीं कि महिलाएँ पुरुषों से प्रतिस्पर्धा करें, बल्कि यह है कि वे अपने भीतर निहित क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हुए समाज में समान अवसर प्राप्त करें।

महिला सशक्तिकरण के प्रमुख आयाम

1. शैक्षिक सशक्तिकरण- शिक्षा सशक्तिकरण की सबसे पहली सीढ़ी है। एक शिक्षित महिला न केवल अपने जीवन की दिशा तय कर सकती है, बल्कि वह अपने परिवार और समाज को भी शिक्षित और जागरूक बना सकती है। शिक्षा महिलाओं को अपने अधिकारों, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग बनाती है। आज सरकार द्वारा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना', 'कन्या सुमंगला योजना' जैसी अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा और सम्मान को बढ़ावा देना है।

2. आर्थिक सशक्तिकरण- जब महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है, तब उसका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं को निर्भरता की स्थिति से बाहर लाता है। भारत में स्वयं सहायता समूह इस दिशा में क्रांतिकारी भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और जीविका (बिहार) जैसे कार्यक्रमों ने ग्रामीण महिलाओं को लघु उद्योग, हस्तशिल्प, पशुपालन, बुनाई, खेती और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर दिया है। इससे न केवल महिलाओं की आय बढ़ी है, बल्कि उनके सामाजिक दर्जे में भी सुधार हुआ है।

3. राजनीतिक सशक्तिकरण- महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लोकतंत्र की सच्ची पहचान है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इस पहल ने लाखों महिलाओं को नेतृत्व के मंच पर पहुँचाया। आज अनेक ग्राम पंचायतों, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं में महिलाएँ सरपंच, अध्यक्ष और पार्षद के रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। हाल ही में पारित महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023) इस दिशा में ऐतिहासिक कदम है, जो संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगा।

4. सामाजिक सशक्तिकरण- महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण तभी संभव है जब समाज में व्याप्त भेदभाव, हिंसा और असमानता समाप्त हो। बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा जैसी कुप्रथाएँ महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी बाधाएँ हैं। इनसे मुक्ति के लिए कानूनों के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता आवश्यक है। 'घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005', 'बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006' और 'दहेज निषेध अधिनियम, 1961' जैसे कानून महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में प्रभावी प्रयास हैं।

5. कानूनी और प्रशासनिक सशक्तिकरण- महिलाओं को न्याय प्राप्त करने और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों की जानकारी आवश्यक है। सरकार ने महिला हेल्पलाइन (181), वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस थाना, नारी निकेतन जैसी संस्थाएँ स्थापित की हैं, ताकि पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा और सहायता मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार हर संस्था में 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन भी किया गया है, जिससे कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान हो सके।

6. तकनीकी और डिजिटल सशक्तिकरण- डिजिटल युग में महिला सशक्तिकरण का नया आयाम तकनीकी साक्षरता है। आज डिजिटल इंडिया मिशन के तहत महिलाएँ ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग, ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिभा और व्यवसाय को नई पहचान दे रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सखी, ई-शक्ति, उमंग और CSC केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त किया जा रहा है।

महिला सशक्तिकरण के प्रभाव- महिला सशक्तिकरण का प्रभाव केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह परिवार, समाज और राष्ट्र के समग्र विकास में योगदान देता है। एक शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देती है, परिवार के स्वास्थ्य और आर्थिक निर्णयों में संतुलन लाती है, और समाज में सकारात्मक परिवर्तन की प्रेरणा बनती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, जब महिलाओं को समान अवसर मिलते हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ती है। विश्व बैंक के अनुसार, भारत में महिलाओं की श्रम-शक्ति भागीदारी में मात्र 10 प्रतिशत वृद्धि से सकल घरेलू उत्पाद में 1.5 प्रतिशत तक वृद्धि संभव है।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो सशक्तिकरण केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना के पुनर्गठन की प्रक्रिया है। जब महिलाएँ शिक्षा और रोजगार के माध्यम से समाज की मुख्यधारा में आती हैं, तो पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं में परिवर्तन होता है। इससे सामाजिक संतुलन और समानता स्थापित होती है। आधुनिकता और औद्योगिकीकरण के साथ पारिवारिक ढाँचे में भी बदलाव आया है, अब निर्णयों में महिला की भागीदारी बढ़ी है, विवाह की आयु बढ़ी है और परिवार में समानता की भावना विकसित हुई है।

ग्रामीण भारत में सशक्तिकरण की मिसालें- ग्रामीण भारत में स्वयं सहायता समूहों और एनआरएलएम जैसी योजनाओं ने परिवर्तन की मिसाल कायम की है। बिहार की "जीविका" परियोजना ने लाखों महिलाओं को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद की है।

महिला समूहों ने सिलाई, डेयरी, मसाला निर्माण और जैविक खेती जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इन महिलाओं ने यह सिद्ध किया है कि अवसर मिलने पर ग्रामीण महिलाएँ भी आत्मनिर्भर और नेतृत्वकारी बन सकती हैं।

सांस्कृतिक और नैतिक पक्ष- भारतीय संस्कृति में नारी को 'शक्ति', 'सरस्वती' और 'लक्ष्मी' के रूप में पूजनीय माना गया है। परंतु यह पूजन तभी सार्थक है जब वास्तविक जीवन में भी स्त्री को सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर मिलें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, "जब तक समाज की आधी आबादी अर्थात् महिलाएँ शिक्षित और स्वतंत्र नहीं होंगी, तब तक समाज का उत्थान असंभव है।" इस दृष्टि से महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक आवश्यकता भी है।

महिला सशक्तिकरण किसी एक वर्ग की समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। जब महिलाएँ शिक्षित, स्वस्थ, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होती हैं, तो पूरा समाज सशक्त होता है। यह प्रक्रिया केवल सरकार या नीतियों के भरोसे पूरी नहीं की जा सकती; इसके लिए समाज के हर व्यक्ति को लैंगिक समानता, सम्मान और सहयोग की भावना अपनानी होगी। सशक्त महिला वह है जो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो, अपने कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी हो और समाज में न्यायपूर्ण परिवर्तन की वाहक बने। आज की महिला पारंपरिक सीमाओं को तोड़कर विज्ञान, राजनीति, साहित्य, शिक्षा, व्यवसाय, खेल और रक्षा, हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। वास्तविक सशक्तिकरण तभी संभव है जब हर बालिका को शिक्षा का अवसर मिले, हर महिला को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता हो, और हर समाज यह स्वीकार करे कि महिला केवल परिवार की आधारशिला नहीं, बल्कि राष्ट्र की प्रगति की दिशा-सूचक शक्ति है। महिला सशक्तिकरण के प्रमुख आयामों में शामिल हैं—

- शैक्षिक सशक्तिकरण- महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना।
- आर्थिक सशक्तिकरण- स्वावलंबन के लिए रोजगार, उद्यमिता और वित्तीय संसाधनों तक पहुँच।
- राजनीतिक सशक्तिकरण- निर्णय प्रक्रिया और शासन में समान भागीदारी।
- सामाजिक सशक्तिकरण- सामाजिक रूढ़ियों, हिंसा और भेदभाव से मुक्ति।
- कानूनी सशक्तिकरण- समान अधिकार और न्याय की गारंटी देने वाले संवैधानिक प्रावधान।

संक्षेप में कहा जाए तो महिला सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से महिलाएँ समाज में "निर्भरता की स्थिति" से "निर्णयकर्ता की स्थिति" तक पहुँचती हैं। यही किसी राष्ट्र के समग्र विकास और समानता का आधार है। बिहार, अपनी गहन सांस्कृतिक-सामाजिक परतों और विकासगत विषमताओं के साथ, उस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाता है जिनकी समझ और धीमी परन्तु ठोस रूप से आवश्यकता है। इतिहास ने यहाँ महिलाओं की सार्वजनिक और निजी भूमिकाएँ सीमित कर दी थीं, परन्तु शिक्षण संस्थाओं के प्रसार, सामाजिक जागरूकता और केंद्र-राज्य स्तर पर लागू पहलों ने हाल के दशकों में उनकी स्थिति बदलने की नींव रख दी है। इस लेख का उद्देश्य उन

संकेतकों और नीतियों का समन्वित मूल्यांकन देना है जिनके माध्यम से बिहार की महिलाएँ अब सशक्त बनने के मार्ग पर अग्रसर हो रही हैं।

शिक्षा एवं साक्षरता- शिक्षा वह प्राथमिक माध्यम है जिसने बालिकाओं और महिलाओं के सोचने, निर्णय लेने और सामूहिक रूप से स्वयं के हितों के लिए आवाज उठाने की क्षमता को बढ़ाया है। ग्रामीण-शहरी दोनों क्षेत्रों में स्कूल नामांकन और साक्षरता दरों में सुधार के साथ-साथ लड़कियों की उच्चतर शिक्षा की भागीदारी में भी सकारात्मक रुझान देखा जा रहा है। परन्तु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्कूल से कॉलेज तक के संक्रमण और यौन-प्रेरित हिंसा तथा सामाजिक बंधनों से सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने की आवश्यकता अभी बनी हुई है। शिक्षा मात्र अंक-प्राप्ति का माध्यम नहीं रहकर जीवन कौशल, डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता के बीज बोने का जरिया बननी चाहिए।

स्वास्थ्य: मातृत्व से जुड़े संकेतक और पोषण- स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बिहार ने धीरे-धीरे उन्नति की है, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और मातृत्व संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन ने मातृ और शिशु मृत्यु दर में सुधार की दिशा रेखांकित की है। तथापि, ग्रामीण पोषण, प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर देखभाल, और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच में असमानताएँ बनी हुई हैं। महिलाओं के संपूर्ण स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए पोषण संवर्धन, नियमित स्वास्थ्य-शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्षमता वृद्धि जरूरी है।

श्रम-बल भागीदारी- महिला श्रम-भागीदारी में उभरती प्रवृत्तियाँ दिखती हैं, कृषि, लघु उद्योग, घरेलू-आधारित उद्यम और सेवाक्षेत्र में महिलाएँ सक्रिय हो रही हैं। किन्तु औपचारिक क्षेत्र में उनकी उपस्थिति सीमित है और वेतन, सामाजिक सुरक्षा तथा कार्यस्थल से जुड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने में व्यापक चुनौतियाँ हैं। पारंपरिक घरेलू कामों का दृश्य अर्थव्यवस्था में योगदान अक्सर अछूता रह जाता है; इसलिए नीतियों को यह मान्यता देनी चाहिए कि घरेलू श्रम और परवाह का काम भी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना आवश्यक है।

स्व-सहायता समूह- जीविका (BRLPS) के तहत संगठित SHG मॉडल ने ग्रामीण महिलाओं को ऋण, बचत और प्रशिक्षण के माध्यम से आर्थिक सक्रियता के लिए एक मंच दिया है। सामूहिकता ने निवेश जोखिम घटाने, बाजार तक पहुँच और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद की है। दौड़ में सफलता पाने वाली महिलाओं के अनुभव दर्शाते हैं कि प्रशिक्षण, बाज़ार-संवर्धन और निरंतर तकनीकी मार्गदर्शन से छोटे उद्यम दीर्घावलंबी हो सकते हैं। परन्तु SHG के सदस्यों को ई-कॉमर्स, क्लस्टर मार्केटिंग और ब्रांडिंग जैसे आधुनिक बाज़ार-उपायों से जोड़ने की जरूरत है।

नीतियाँ और कार्यक्रम- राज्य और केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाएँ जैसे जीविका, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और कन्या उत्थान, महिला सशक्तिकरण के इकोसिस्टम को सुदृढ़ करती हैं। इन योजनाओं ने वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और संस्थागत नेटवर्क उपलब्ध कराकर महिलाओं के सामने नए मार्ग खोले हैं। तथापि, योजनाओं के अंतिम लाभार्थियों तक पहुँचने में प्रशासनिक जटिलताएँ, जागरूकता की कमी और सामाजिक बाधाएँ अवरोध पैदा करती हैं। इसलिए नीति निर्माण में स्थानीय संदर्भ, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और निगरानी-प्रणाली पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

कई ग्रामीण महिलाएँ, जिन्होंने SHG से प्राप्त क्रेडिट और प्रशिक्षण का सही उपयोग किया, आज डेयरी, कृषि-प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, और खाद्य-उद्योगों में सफल उद्यम चला रही हैं। कुछ ने डिजिटल माध्यमों के जरिए उत्पादों को अ, नलाइन बाज़ारों से जोड़ा और ब्रांडिंग के माध्यम से राजस्व बढ़ाया। ये व्यक्तिगत सफलताएँ सामूहिक प्रेरणा का स्रोत बनी हैं और स्थानीय आर्थिक चक्र को जीवंत कर रही हैं।

मुख्य चुनौतियाँ- हालांकि प्रगति हुई है, फिर भी चुनौतियाँ गहरी और बहुआयामी हैं, शिक्षा की गुणवत्ता, व्यावसायिक कौशल की कमी, सीमित वित्तीय विकल्प, बाज़ार तक असमान पहुँच, पारिवारिक तथा सामाजिक प्रतिबंध और कामकाजी माहौल में लैंगिक पूर्वाग्रह प्रमुख बाधाएँ हैं। इसके अतिरिक्त, हेल्थकेयर और बाल-देखभाल जैसी सेवाओं की कमी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का एक बड़ा रोड़ा है।

सुझाव-

- डिजिटल और तकनीकी प्रशिक्षण का व्यापक विस्तार- महिलाओं को ई-क, मर्स, डिजिटल विपणन और आधारभूत तकनीकी कौशल दें।
- महिला-अनुकूल सामाजिक सुरक्षा- मातृत्व लाभ, पेंशन और बीमा समेत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार।
- SHG को बाज़ार-लिंक और क्लस्टर मॉडल से जोड़ना- समूहों को समेकित ब्रांडिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और सामूहिक बिक्री नेटवर्क से जोड़ें।
- साधारण ऋण और गारंटी तंत्र- छोटे व्यवसायों के लिए सरल, शीघ्र ऋण और क्रेडिट गारंटी सुविधा।
- स्थानीय-संवेदनशील नीति निर्माण तथा निगरानीरू नीतियों के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर की भागीदारी और नियमित प्रभाव-विश्लेषण।

निष्कर्ष- बिहार में महिला सशक्तिकरण का मार्ग निरंतर गतिशील है शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन और उद्यमिता के क्षेत्र में प्राप्तियाँ स्पष्ट हैं, परन्तु परिवर्तन की गति और गहराई बढ़ाने के लिए संरचनात्मक सुधार, नीति-संवेदनशीलता और बाजार-संयोजन अनिवार्य हैं। यदि राज्य और समाज मिलकर महिलाओं के लिए समावेशी वातावरण निर्मित करें, तो बिहार न केवल क्षेत्रीय विकास में बल्कि राष्ट्रीय विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

संदर्भ सूची-

- Bihar Rural Livelihood Promotion Society (JEEVIKA). (2024). *JEEVIKA — Annual Report FY 2023–24*. Bihar Rural Livelihood Promotion Society (BRLPS).
- वित्त विभाग, बिहार राज्य सरकार. (2025). Bihar Economic Survey 2024–25. पटना वित्त विभाग, बिहार। (अर्थव्यवस्था व श्रम अध्याय में महिला श्रम-बल भागीदारी से सम्बन्धित आँकड़े)। state.bihar.gov.in
- International Institute for Population Sciences (IIPS) और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे टीम. (2021). National Family Health Survey (NFHS-5), Bihar: Final Report (2019–21). IIPS @ Ministry of Health and Family Welfare- DHS Program

- बिहार सरकार, उद्यमी पोर्टल. (2024–2025). मुख्यमंत्री उद्यमी योजना — प्रशासनिक/परियोजना दस्तावेज व परिपत्र (Udyami Portal: project notices and beneficiary lists). पटनारू उद्योग/उद्यमी विभाग, बिहार। udyami-bihar-gov-in
- महिला एवं बाल विकास निगम / WCDC, बिहार. (2020). मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, योजना विवरण तथा दिशानिर्देश (PDF). महिला एवं बाल विकास, बिहार। wcdc-bihar-gov-in
- बिहार राज्य श्रम्म्टप्ज्ञ। (BRLPS), ऐनुअल रिपोर्ट संग्रह. (विभिन्न वर्ष). JEEVIKA ।ददनंस त्मचवतजे (selected years). BRLPS वेबसाइट पर प्रकाशित वार्षिक/ऑडिट रिपोर्टें।
- (अनुसन्धान पत्र) Singh] A, & Kumar R- (2024), Empowering rural women through livelihood initiatives: A study in Bihar- International Journal of Innovative Research & Management Foundation
- (नीति-विश्लेषण / कामकाजी पेपर), ResearchGate समुदाय. (2025). Female Workforce Participation in Bihar: Looking at Recent Data (कामकाजी पेपर/विश्लेषण)। (श्रम-बल भागीदारी पर ताज़ा आंकड़ों और प्रवृत्तियों का विश्लेषण)। ResearchGate
- समेकित लेख/जर्नल, All Finance Journal (2024). Gender Equality and Economic Inclusion: The Role of SHGs in Bihar- (SHG के प्रभाव एवं वित्तीय साक्षरता पर विश्लेषण)। allfinance journal-com
- (समाचार/सरकारी घोषणाएँ), Times of India, Navbharat Times (2025, October). बिहाररू मुख्यमंत्री महिला रोजगार/रोज़गार योजनाओं से संबंधित नवीन वित्तीय हस्तांतरण एवं किस्त-समाचार (सरकारी घोषणाओं/वित्तीय हस्तांतरण पर समाचार रिपोर्टें)।

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 6.375, ISSN 0975-4083
Vol.- 29, Hindi Edition, Year-15, April- September 2025

जनजातीय समाज में महिलाओं की समस्याएं एवं निराकरण

•गंगा देवी बैरागी

सारांश- जनजतीय समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में जब हम चर्चा करते है तो हमारे समक्ष सीधी-सादी आदिम समाज की कठोर श्रमसाध्या महिला का चेहरा सामने आ जाता है। जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति एक जटिल विषय है, जो समाज से अलग हो सकता है। कुछ जनजातियों में महिलाओं को पारम्परिक रूप से कम अधिकर दिये जाते है, जबकि कुछ में अधिक सशक्त और स्वतंत्र होती है। महिलाओं की समाज में स्थिति को उनकी शिक्षा, आर्थिक स्थिति और सामाजिक एवं राजनैतिक अधिकारों से आंका जाता है, चाहे वो सभ्य समाज की महिलाएं हो या जनजातीय समाज की। उनके स्थिति का आंकलन हम उनके सर्वांगीण विकास से करते है। जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति समाज और जनजाति के अनुसार भिन्न होती है। कुछ जनजातीयों में महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जबकि कुछ में उनकी स्थिति अपेक्षाकृत कम होती है। भारत देश में आदिवासी समाज की महिलाओं की स्थिति आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भी आज वर्तमान समय में काफी दयनीय है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का इनके जीवन पर प्रभाव भी पड़ रहा है, परन्तु बहुत ही आंशिक तौर पर सामाजिक स्थिति परिवर्तित हो रही है, पर उसके आंकड़े अत्यन्त कम है। अभी भी बहुतायत आदिवासी बाहुल्य इलाकों में आदिवासी महिलाएं रोजी, रोटी के लिए अथक परिश्रम कर, अपने परिवार को पालने में व्यस्त है एवं शिक्षा, स्वास्थ्य और उन्नति की चीजे उनके लिए दिव्यस्वप्न सी है। स्वतंत्रता के बाद देश के अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई कदम उठाये गये है और विभिन्न अवधियों के दौरान आदिवासी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे कुछ आंशिक परिवर्तन उनके जीवन में आये है।

मुख्य शब्द- आदिवासी, समाज, जनजाति आदि।

भारत में जनजातीय महिलाओं की स्थिति- आदिवासी महिला, अपने समाज की सामाजिक आर्थिक संरचना में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आदिवासी महिलाओं की शैक्षिक, स्वास्थ्य और विकासात्मक स्थिति आज भी दयनीय अवस्था में है और

• सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मझौली जिला-सीधी (म.प्र.)

आदिवासी महिलाओं को अज्ञानता, बीमार, स्वास्थ्य, कुपोषण, बेरोजगारी और विकास की अन्य जटिलताओं के लिए जाना जाता है। सामाजिक स्तरीकरण ने भी आदिवासी समाज को प्रभावित किया है, क्योंकि देश भर में संरचनात्मक और सामाजिक परिवर्तन के कारण आदिवासी लोगों को तेजी से परिवर्तन की दिशा में जोड़कर समायोजन के अधीन किया गया है। आदिवासी समाज की कुछ महिलाएं आज की वर्तमान स्थिति में पढ़ लिख गयी है और सरकार के प्रयास के फलस्वरूप ये ज्यादातर छोटे-मोटे पदों जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम. आदि पर कार्यरत है, परन्तु इनकी संख्या नगण्य है। अधिकांश आज भी प्रकृति पर निर्भर है, उन्हे पेट भर खाना भी मयस्र नही है। पहाड़ी आदिवासी महिलाओं का जीवन तो अत्यन्त दुर्गम हो गया है, ये जंगल में महुआ बीनकर, लकड़ी बीनकर इनको बेचती है और अपनी रोजी-रोटी चलाती है। फिर भी समाज के परिवर्तन के कारण इनके रहन-सहन के स्तर पर थोड़ा बहुत बदलाव हो रहा है। पति के नशे की प्रवृत्ति और परिवार की आर्थिक तंगी का असर इनके जीवन शैली में परिलक्षित होता रहता है। हमारी सरकारों के प्रयासों के फलस्वरूप धीरे-धीरे आदिवासी समाज अपने आप को परिवर्तित कर रहा है। आदिवासी कन्याएं हास्टल में रहकर पढ़ने लगी है, पर कुछ लोग ही ऐसी स्थिति में होते है, जो अपनी बेटियों को आगे पढ़ाने में सक्षम हो पाते है, जो आदिवासी महिलाएं पढ़ लिख गयी है, उनकी स्थिति समाज में उच्च मानी जाती है, परन्तु इनका प्रतिशत आदिवासी महिलाओं के दस प्रतिशत के बराबर है।

आदिवासी महिलाओं की समस्याएं-

1. निर्धनता का होना- आदिवासी समाज में महिलाओं एवं पूरे आदिवासी समाज की उन्नति में बाधक तत्व है इनकी निर्धनता। अधिकतर आदिवासी परिवारों के पास उनकी अपनी भूमि नही होती है, जिससे वह अपनी आजीविका का साधन उठा पाने में असमर्थ होते है। उनके पास मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान की कमी होती है। इस स्थिति में वे गरीबी की चपेट में आ जाते है और पर्याप्त संसाधनों एवं शिक्षा की कमी की वजह से उनकी जनसंख्या भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाती है और वे दूसरों के खेतों पर मजदूरी करने के लिए बाध्य होते है, जहां इनका शोषण किया जाता है और इन्हे पूर्ण पारिश्रमिक भी नही मिलता, जिससे इनकी स्थिति बद से बद्तर होती जाती है।

2. विस्थापन की समस्या- देश की बढ़ती हुयी जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाय तो देश में विकास की योजनाओं को लागू करने से विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है। विस्थापन तब लागू होता है जब किसी स्थान को लक्षित करके वहां योजनाएं संचालित की जाती है जैसे खनन कार्य, बांध निर्माण, रोड निर्माण, रेलवे लाईन निर्माण उद्योगों की स्थापना करने, नहर बनाने से इत्यादि। पेशा अधिनियम के तहत 1996 में आयोजित एक कानून है जो अनुसूचित जनजातियों 224 खण्ड (।) में वर्णित है। वर्तमान में यह पेशा एक्ट 10 राज्यों में फैला हुआ है। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना, हिमांचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, ओड़िसा और राजस्थान।

पेशा एक्ट के लक्ष्य-

- जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना।
- पारम्परिक परिपाटियों से सुसंगतता रखते हुए उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना।
- जनजातीय समुदायों की परम्पराओं और रिवाजों का संग्रहण और सुरक्षा।
- जनजातीय लोगों की जरूरत के मुताबिक पंचायतों को विशिष्ट शक्तियां प्रदान करना।
- खनिज पट्टा आदि लेने के लिए गांव के सभी लोगों का निर्णय लिया जाना।
- उच्च स्तर की पंचायतों को निचले स्तर की ग्राम सभा की शक्तियों को छीनने से रोकना।
- अनुसूचित क्षेत्रों के विकास कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण और इनसे प्रभावित व्यक्तियों के पुर्नवास के लिए ग्राम सभा तथा उपयुक्त स्तर की पंचायत से सलाह मशवरा करना।
- भूमि का हस्तानान्तरण रोकने, अवैध रूप से अलग की गयी भूमि को बहाल करने, लघुवनोपज का स्वामित्व एवं नशीले पदार्थो को रोकने का अधिकार ग्राम सभा को प्राप्त होता है।

बंधुआ मजदूरी की समस्या- आदिवासी समाज की महिलाएं अपनी अशिक्षा और गरीबी की वजह से बंधुआ मजदूर बन जाती है। और यह इनकी स्थिति को बद से बद्तर बना देता है। यह प्रक्रिया साहूकार और गरीब आदिवासी महिलाओं के बीच एक प्रकार का समझौता है। आदिवासी समाज दिखावे और परम्परागत शादी-ब्याह की रस्मों के लिए साहूकार से ऋण लेते है। इस प्रक्रिया में पहले साहूकार ऋण देता है और बाद में उसे गुलाम बनाकर स्वेच्छा से अपने कार्य करवाता रहता है। यह बंधुआ मजदूरी पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती ही रहती है। वे साहूकार इनको मनमाना मजदूरी देते है, जिससे ये अपना केवल जीवन जी सकें। आर्थिक विकास तो दिवास्वप्न ही है। इस स्थिति में आदिवासी महिलाएं साहूकारों द्वारा पीढ़ी-दर-पीढ़ी शोषित होती रहती हैं और दुख भरा जीवन व्यतीत करती रहती हैं।

ऋण ग्रस्तता- ग्रामीण भारत में निर्धन आदिवासी किसानों एवं मजदूरों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के कारण लिया कर्ज जब बढ़ जाता है। तब वे अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते है, इससे पुरूषों के साथ-साथ आदिवासी महिलाएं भी साहूकारों के शोषण का हर प्रकार से शिकार होती रहती है।

जनजातीय जनसंख्या में निर्धनता की स्थिति (ग्रामीण एवं नगरीय)

राज्य	ग्रामीण		नगरीय	
	2009-10	2011-12	2009-10	2011-12
आंध्रप्रदेश		24.1	21.2	12.1
असम	32.0	33.4	29.2	15.6
बिहार	64.4	59.3	16.5	10.3
छत्तीसगढ़	66.8	52.6	28.6	35.2
गुजरात	48.6	36.5	32.2	30.1
हिमांचल प्रदेश	22.0	9.5	19.6	4.0
जम्मू एवं कश्मीर	3.1	16.3	15.0	3.0
झारखंड	51.5	51.6	49.5	28.7
कर्नाटक	21.3	30.8	35.6	33.7
केरल	24.4	41.0	5.0	13.6
मध्यप्रदेश	61.9	55.3	41.6	32.3
महाराष्ट्र	51.7	61.6	32.4	23.3
ओड़िसा	66.0	63.5	34.1	39.7
राजस्थान	35.9	41.4	28.9	21.7
तमिलनाडु	11.5	36.8	17.6	2.8
उत्तर प्रदेश	49.8	27.0	20.2	16.3
उत्तराखंड	20.0	11.9	0	25.7
पं. बंगाल	32.9	50.1	20.6	44.5
भारत	47.4	45.3	30.4	24.1

स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं- ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों के दुर्गम क्षेत्रों में आदिवासी महिलाओं का जीवन कष्टमय होता है। ये अशिक्षा से व जादू-टोने के चक्कर में बीमार पड़ने पर झाड़-फूंक करवाते रहते है, जिससे इनकी बीमारी और बढ़ती जाती है। और ये अंतत: काल-कवलित हो जाते है। पहाड़ी और दुर्गम जंगलों में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव होता है, जिनसे इन्हे समय पर इलाज नही मिल पाता है। आदिवासी महिलाएं ज्यादा बच्चों को जन्म देने के कारण भी बीमारी और अस्वस्थता का शिकार होती रहती है और कमजोर होती रहती है।

बाल-विवाह की समस्या- भारत के आदिवासी समाज में बाल-विवाह की समस्या बहुतायत में पायी जाती है। वह जनजातीय समाज दूसरों लोगों से अपनी बच्ची को बुरी नजर से बचाने के लिए बाल-विवाह को सरल उपाय समझते है। आदिवासी समाज में बाल-विवाह होने के कई कारण है, लड़की की शादी को माता-पिता द्वारा अपने ऊपर एक बोझ समझना, शिक्षा का अभाव, रूढ़िवादिता का होना, अंधविश्वास, निम्न आर्थिक स्थिति आदि। बाल-विवाह का दुष्परिणाम यह होता है कि कम उम्र में मां बनने से लड़कियॉ और उनके गर्भस्थ शिशु का जीवन खतरे में आ जाता है और नवविवाहिता प्रसूता मृत्यु दर बढ़ जाती है। पर इसे ये अशिक्षा के कारण ईश्वरीय मर्जी कहकर स्वीकार कर लेते है, इससे शारीरिक और मानसिक विकास नही हो पाता है। बच्चे भी कुपोषित पैदा होते है। हालांकि इनमें एक यह बात अच्छी देखी जाती है कि ये महिलाएं पुरूषों के समान पुर्नविवाह करने को स्वतंत्र होती है।

अशिक्षा की समस्या- आज के आधुनिक युग में भी भारतीय जनजातीय समाज में अशिक्षा की समस्या खासकर महिलाओं में सर्वाधिक है। आज भी ये महिलाएं अपनी

लचर आर्थिक स्थिति के कारण अपने बच्चे-बच्चियों को शिक्षित कर पाने में असमर्थ है। कुछ का तो कहना है कि क्या करेंगी पढ़-लिखकर। इनमें से कुछ जनजातियां आजकल गावों में स्कूली शिक्षा तो ग्रहण कर लेती है, पर उच्च शिक्षितों की संख्या नगण्य है या 1 प्रतिशत है, वो भी जो बच्चे हास्टल आदि में रहते है या तेन्दू पत्ता तोड़कर या महुआ बीनकर अपनी फीस स्वयं वहन कर पाने में समर्थ होते है, वही शिक्षित हो पाते है। फिर भी आजकल कुछ जनजातिय महिलाएं शिक्षिका या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर है, पर उनकी संख्या न्यूनतम है। इस प्रकार इनके विकास में सबसे बड़ा रोड़ा इनकी निम्न स्तरीय शैक्षिक व्यवस्था है। सन् 2001 में जनजातियों में साक्षरता दर 47.1% थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की साक्षरता दर पूरे भारत में 59% है अर्थात् 41% लोग अभी भी निरक्षर है। जनजातीय समाज में महिला साक्षरता की स्थिति तुलनात्मक रूप से कमजोर है। सन् 2001 में महिला साक्षरता 34.76% थी जो 2011 में 49.4% हो गयी। अत: स्पष्ट होता है कि महिला साक्षरता में क्रमश: वृद्धि दर्ज होने के बाद भी आधी आबादी अभी भी निरक्षर है।

जनजाति समाज में बेरोजगारी- बेरोजगारी तो आज के सभ्य समाज की भी एक प्रमुख समस्याओं में से एक है, तो हमारा भारतीय जनजातीय समाज और उस पर भी जनजातीय महिलाएं इस भीषण समस्या से ग्रसित न हो, यह तो संभव ही नही है। जनजातीय समाज में शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी बेरोजगारी का मुख्य कारण है। जनजातीय युवा जो कुछ संख्या में उच्च शिक्षा में प्रवेश लेते भी है, उनके अध्ययन में तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने का अनुपात तुलनात्मक रूप से कम है। अर्थात् जो पाठ्यक्रम रोजगार परक शिक्षा से जुड़े है, उनमें नामांकन का प्रतिशत नगण्य है।

Educational Level – Graduate & Above for Scheduled Tribes Age 15 And Above

	Percentage of Total Graduate and Above (Col. 3)								
India / State	Total Graduate and Above	Graduate Degree other than technical degree	P.G. degree other than technical degree	Technical degree or diploma equal to degree or post graduate degree					
				Enginearing and technology	Medicine	Agriculture and dairying	Veterinary related course	Teaching	Others
India	1763879	64.08	18.28	5.92	1.94	0.36	0.11	9.27	0.04
M.P.	121374	59.30	32.64	4.72	1.41	0.37	0.05	1.51	0.00

भूमि पृथक्करण- ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत में जनजातियां जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता के साथ अपना जीवन प्राकृतिक अधिकारों के साथ जीवन यापन किया करती थी। लेकिन औपनिवेशक शासन के संचालन में भारत की भौगोलिक सीमा में, जनजातीय क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया के दौरान खनिजों की खोज में जनजातीय क्षेत्रों से वाह्य सम्पर्क बढ़ा और प्रकृति पर जनजातीय नियंत्रण का स्थान राजकीय नियंत्रण ने ग्रहण कर लिया। स्वतंत्रता के पश्चात विकास प्रक्रिया के साधन के रूप में वनों और भूमि पर दबाव बढ़ा। इसका परिणाम जनजातीयों के जमीनों और जंगल पर उनके स्वामित्व के समाप्ति के रूप में सामने आयी। यही कारण है कि आजीविका का स्त्रोत अर्थात् जंगल पर

स्वामित्व खत्म होने से उनमें ऋणग्रस्तता की समस्या में वृद्धि हुयी। इससे इनमें बेगारी आयी और दूसरों के यहां मजदूरी करने का बाध्य हुये।

जनसंख्या वृद्धि की समस्या और कृषि योग्य भूमि की कमी- जनजातीय समाज में भूमि का सरकार द्वारा अधिग्रहण होने से और उनकी जनसंख्या ज्यादा होने से कृषि योग्य भूमि बहुत कम या न के बराबर रह गयी है। जनसंख्या के ऊपर ये कोई प्रतिबंध नही लगाते है और पारिवारिक बंटवारे के बाद कृषि योग्य भूमि सीमित होकर केवल आवासीय अर्थात् घर बनाने या रहने लायक ही बचती है। जिनके पास थोड़ी बहुत एक एकड़ या दो एकड़ भूमि बची भी है तो वो पुरातन कृषि पद्धति और खाद, बीज की असुविधा एवं समुचित सिंचाई न होने केवल प्रकृति पर निर्भर रहने के कारण केवल अपना पेट पालने तक ही अनाज उत्पादित कर पाते है। अत: आकस्मिक कार्यो व बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्हे साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है। जनसंख्या पर नियंत्रण न होने से वे ज्यादा बच्चों के भरण-पोषण एवं शादी-ब्याह के कर्जे में इतना डूब जाते है कि स्वयं को शिक्षित या बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाना उनका दिवास्वपन ही रह जाता है। कृषि उपज व वनोपज का कम मूल्य प्राप्त होना भी इसके लिए जिम्मेदार है। अशिक्षा और बेरोजगारी भी इनके जीवन की समुचित उन्नति में बाधक बनते है।

जनजातीय समाज की समस्याओं के निराकरण के उपाय- हमारे भारत में जनजातीयों की समस्याओं को देखते हुए शासन द्वारा उन्हे समाज की मूल गति में जोड़ने और उनकी आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक उन्नति हेतु समय-समय पर विभिन्न प्रयास किये गये। जनजातियों को विशिष्ट समुदाय के सदस्य के नाते कुछ अधिकार भी प्रदान किये गये जो भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं उनकी उन्नति के लिए विविध कानूनी संरक्षण दिये गये है, जो इस प्रकार है-

शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण-

- अनुच्छेद 15 (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो के विकास के लिए विशेष प्रावधान।
- अनुच्छेद (29) भारत के किसी भी भाग के निवासी को अपनी विशेष संस्कृति के संरक्षण का अधिकार।
- अनुच्छेद (46) राज्य, जनता के दुर्बल वर्गो के विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।
- अनुच्छेद 350 पृथक भाषा, लिपि या संस्कृति की संरक्षा का अधिकार।
- अनुच्छेद 350 - मातृभाषा में शिक्षण।
- समाजिक संरक्षण- अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यहार और भिक्षा एवं अन्य समान बलपूर्वक श्रम का प्रतिषेध।
- अनुच्छेद 24- बाल श्रम निबंध।
- आर्थिक संरक्षण- अनुच्छेद 244- पांचवी अनुसूची एवं छठवीं अनुसूची के संबंध में विशेष प्रावधान। इसके

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रमुख कार्य- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, यह 2004 में अस्तित्व में आया। यह अनुसूचित जनजाति के सामाजिक, आर्थिक विकास से जुड़े नियोजन की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करता है व संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के विकास का मूल्यांकन करता है। यह अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा और विकास के लिए उठाये गये कदमों की प्रगति राष्ट्रपति को सौंपना आदि। आयोग का सिविल कोर्ट संबंधी अधिकार देश के किसी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को तलब करना व उसका बयान लेना, जरूरत पड़ने पर दस्तावेज तैयार करना, हलफनामा के जरिये प्रमाण-पत्र प्राप्त करना, किसी अदालत अथवा कार्यक्रम में सार्वजनिक रिकार्ड मांगना। राष्ट्रीय जनजातीय आयोग ने नीति क्रियान्वयन के लिए दस क्षेत्रों को चिन्हित किया है, जिसमें वन अधिकार, खनन से जुड़े मुद्दे, वित्तीय मामलो और विकास योजना का कार्यान्वयत अत्याचार, शिकायत, समावेशन, स्वास्थ्य व पोषण, शिक्षा कानूनी और संवैधानिक मुद्दे एवं कल्याणकारी योजना से जुड़े पहलू शामिल है।

जनजातीय लोगों की दशा सुधारने के लिए शासन द्वारा संचालित कल्याण कार्यक्रम इस प्रकार है-

शिक्षा- शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, एकलव्य आवासीय स्कूल, कस्तूरबा गांधी विद्यालय आवासीय योजना। अनूसूचित जाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (उच्चम श्रेणी)। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुसूचित जनजाति के परीक्षार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग की व्यवस्था आदि। इसी प्रकार जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखकर कई योजनाएं लागू की गयी है- आयुष्मान भारत, आशा कार्यक्रम, ई-संजीवनी के माध्यम से टेली परामर्श सेवाएं, नि:शुल्क निदान पहल कार्यक्रम, सुरक्षित मातृत्व आश्वन, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आदि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इस प्रकार हम देखते है कि जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति दयनीय है और हमें एवं हमारी सरकार को उनकी उन्नति, शिक्षा और रोजगार के लिए सतत प्रयास करने होंगे तभी उनका सर्वांगीण विकास हो पायेगा, अन्यथा हम अपने समाज के एक अनमोल संस्कृति और प्राचीन प्राकृतिक विरासत वाली प्रजाति को खो देंगे। इस प्रकार सम्पूर्ण परिदृश्य पर अगर हम नजर डाले तो जनजातियों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए और उनकी दशा सुधारने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न स्तर पर प्रयास किये जा रहे है, परन्तु आज भी उनका पूर्ण और समुचित विकास नही हो पा रहा है। कुछ लोग जरूर इन नीतियों लाभ लेकर आगे बढ़ गये है परन्तु वे नाम मात्र ही है। इसलिए मेरा मानना है कि जब हम उनकी जंगल, जल, जमीन उन्हे लौटाएं और उनके निवास के आस-पास ही उन्हे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध कराये तब ही वे स्वच्छंदता से अपना समग्र विकास कर सकेंगे।

संदर्भ सूची-

1. Social Science General.in
2. www.socialresearchfoundation
3. Wikipedia
4. Ncert.nic.in

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 6.375, ISSN 0975-4083
Vol.- 29, Hindi Edition, Year-15, April- September 2025

महिला सशक्तिकरण की दिशा में गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय भूमिका और सामाजिक परिवर्तन

• प्रियंका गुप्ता
••अखिलेश शुक्ल

सारांश- यह शोध महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों (NGO) की भूमिका को बहुआयामी दृष्टिकोण से विश्लेषित करता है। भारत के विविध राज्यों, विशेषत: अजमेर एवं उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों के अनुभवों को आधार बनाकर, गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित कार्यक्रमों की बारीकी से समीक्षा की गई है। इन्हीं संगठनों ने महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतंत्रता, कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार, नेतृत्व विकास और कानून संबंधी जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। गैर सरकारी संगठनों ने ग्रामीण और शहरी स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिला SHG (स्वयं सहायता समूह) की स्थापना, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, स्थानीय स्तर पर नेतृत्व उन्नयन तथा बालिकाओं के स्कूल पहुंचने की संभावनाओं में वृद्धि जैसे अनेक बदलाव लाने का प्रयास किया है। इन प्रयासों से महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि, पारिवारिक व सामाजिक निर्णयों में भागीदारी तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक बंधनों की चुनौती का सामना, लैंगिक असमानता की समस्या और मौजूदा सरकारी-अप्रत्यक्ष सहायता सीमाओं को पार करते हुए, बहुत सी महिलाओं ने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया है। हालांकि वित्तीय संसाधनों, समाज में रूढ़िवादिता, प्रशासनिक सहयोग की जटिलता एवं सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच की चुनौतियाँ बनी हुई हैं। गैर सरकारी संगठनों ने महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को गति देने, सामाजिक धारणाओं को बदलने और महिलाओं के अधिकारों को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई है, जिससे सशक्त और समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सके हैं। शोध में गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण युक्त सूचनाओं का संकलन किया गया है, जिससे गैर सरकारी संगठनों की उपलब्धियों के साथ-साथ सामने आने वाली चुनौतियाँ, जैसे सामाजिक रूढ़िवादिता, प्रशासनिक बाधाएँ, संसाधनों की कमी, जागरूकता की कमी आदि को उजागर किया गया है। इसके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है कि महिला सशक्तिकरण हेतु गैर सरकारी संगठनों ने बदलाव की नई दिशा दिखाई है, जो

• शोध छात्र,अवधेशप्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, मध्यप्रदेश
•• प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश

नीति-निर्माताओं, समाजसेवियों और महिला समूहों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है।

मुख्य शब्द- महिला सशक्तिकरण, गैर सरकारी संगठन, शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन, अवसर, चुनौतियाँ, प्रभाव, नेतृत्व, जागरूकता

प्रस्तावना (Introduction)- महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में गैर सरकारी संगठनों (NGO) का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। भारत में, खासकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में, ये संगठन न केवल महिला शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं, कानूनी जागरूकता, स्वरोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, और नेतृत्व विकास के क्षेत्रों में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए गए ये प्रयास महिलाओं के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं, जिससे वे परिवार और समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। गैर सरकारी संगठन समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव, अशिक्षा, आर्थिक असमानता और सामाजिक रूढ़िवादिताओं के खिलाफ कार्य करते हुए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण कार्यशालाएं और सहायता कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वे लड़कियों की शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए स्कूली शिक्षा और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करते हैं। इसके अतिरिक्त, महिला स्वास्थ्य, सुरक्षा, जन्म नियंत्रण, हिंसा के खिलाफ कानूनी सहायता, और सामाजिक अधिकारों की जानकारी देकर महिलाओं की जीवन गुणवत्ता में सुधार करते हैं। सरकारी योजनाओं और नीतियों के साथ समन्वय करके गैर सरकारी संगठन ऐसे मंच तैयार करते हैं जहाँ महिलाएं अपनी समस्याओं को साझा कर समाधान पा सकें। वे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना कर उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत करते हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया गहराई से प्रगति करती है। इन सभी उपायों से गैर सरकारी संगठन महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर उनके समग्र विकास में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार, गैर सरकारी संगठनों का महिला सशक्तिकरण में योगदान न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक-पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर भी व्यापक प्रभाव डाल रहा है, जिससे एक समावेशी और न्यायसंगत समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इस शोध में इन पहलुओं का विश्लेषण किया गया। जिससे गैर सरकारी संगठनों की भूमिका और इससे जुड़ी चुनौतियों व संभावनाओं को समझा जा सकेगा।

शोध प्रविधि (Research Methodology)- इस शोध में मुख्य रूप से प्राथमिक एवं द्वितीयक डेटा का उपयोग किया गया है। इस शोध के लिए रीवा जिले के 45 वार्डों (शहरी और ग्रामीण) की 400 महिलाएँ चयनित की गईं। सामाजिक वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के समान अनुपात में रखे गए। आयु सीमा 18-55 वर्ष थी। डेटा संग्रह के लिए संरचित प्रश्नावली, बाइनरी विकल्प (हाँ/नहीं) और खुला-बन्द प्रश्न का प्रयोग किया गया। यह डिजाइन गैर सरकारी संगठनों

के प्रभाव, महिलाओं के अनुभव और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का प्रभावी और समग्र विश्लेषण सुनिश्चित करता है। द्वितीयक डेटा के अंतर्गत पूर्व में प्रकाशित शोधपत्र, सरकारी रिपोर्ट, गैर सरकारी संगठनों की रिपोर्ट, सांख्यिकीय आंकड़े, केस स्टडी, समीक्षा आलेख और संबंधित पुस्तकों से संकलित सामग्रियों का विश्लेषण किया गया है। इस पद्धति का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, उनके कार्यक्रमों की सफलता और चुनौतियों का विश्लेषण करना है। शोध को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सम्पन्न करने के लिए उपलब्ध साहित्य को विधिवत समीक्षा की गई और विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतंत्रता, महिलाओं की सामाजिक भूमिका और नेतृत्व विकास पर गैर सरकारी संगठनों के प्रभाव का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के डेटा और केस स्टडीज शामिल कर व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे समीकृत परिणाम निकाले गए हैं। साथ ही, सरकारी योजनाओं और गैर सरकारी संगठनों गतिविधियों के संपर्क और समन्वय के प्रभावों का भी अध्ययन द्वितीयक डेटा द्वारा किया गया है।

विश्लेषण(**Analysis**)- गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों से महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक स्थिति, आत्म-सम्मान, नेतृत्व, स्वास्थ्य सेवा एवं न्यायिक सहायता के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार आया है। शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों की पहल से महिलाओं और लड़कियों की स्कूल अध्ययन दरों में वृद्धि हुई है, जिससे उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु गैर सरकारी संगठनों ने माइक्रोफाइनेंस, स्वरोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण और स्वयं सहायता समूहों का संचालन किया है, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकी हैं।

आत्म-सम्मान और नेतृत्व विकास के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों ने जागरूकता अभियान, नेतृत्व प्रशिक्षण और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं की सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं में पॉइंट-ऑफ-केयर, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान दिया गया है जिससे महिलाएं स्वस्थ और सशक्त बनी हैं। न्यायिक सहायता के अंतर्गत घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कानूनी सहायता और सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं।

WEE (Women Economic Empowerment) सूचकांक, विभिन्न सामाजिक-सांख्यकीय सर्वेक्षणों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संकलित आंकड़ों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों ने महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। हालांकि, चुनौतियां बनी हुई हैं, परंतु लगातार प्रयासों से इन क्षेत्रों में सुधार हो रहा है। यह विश्लेषण गैर सरकारी संगठनों की प्रभावशीलता को साबित करता है और यह सुझाव देता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए गैर सरकारी संगठनों की पहल को और मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को वास्तव में समाप्त किया जा सके।

तालिका 01
महिला सशक्तिकरण और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

क्षेत्र	गैर सरकारी संगठन के प्रभाव के उदाहरण	प्रभाव का सारांश
शिक्षा	लड़कियों के लिए स्कूलों में प्रवेश बढ़ाना, छात्रवृत्ति प्रदान करना	महिलाओं की शिक्षा स्तर और अवसरों में सुधार
स्वास्थ्य	मातृ–शिशु देखभाल, पोषण अभियान, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम	मातृ एवं बाल स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार
आर्थिक सशक्तिकरण	माइक्रोफाइनेंस, स्वरोजगार प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूहों का गठन	महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि
सामाजिक जागरूकता	घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ अभियान	सामाजिक कुरीतियों में कमी एवं महिला सम्मान में वृद्धि
कानूनी सहायता	कानूनी अधिकारों और संरक्षण के लिए प्रशिक्षण एवं सहायता केंद्र	महिलाओं को न्यायिक सहायता व सुरक्षा प्राप्त हुई
नेतृत्व विकास	नेतृत्व प्रशिक्षण, राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहन	महिलाओं का सामाजिक–पारिवारिक नेतृत्व बढ़ा
नीति निर्माण	महिलाओं की भागीदारी द्वारा नीतिगत सुधार	महिला हितों के प्रति संवेदनशील नीतियों का विकास

चुनौतियाँ- महिला सशक्तिकरण और गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों के समक्ष अनेक गंभीर चुनौतियाँ मौजूद हैं जो इस दिशा में प्रगति को बाधित करती हैं।

वित्तीय संसाधनों की कमी- अधिकांश गैर सरकारी संगठनों को सतत और पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं होती, जिससे उनके कार्यों की स्थिरता और विस्तार प्रभावित होता है। परियोजनाओं के लिए धन जुटाने में कठिनाई के कारण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा, कानूनी सहायता आदि जरूरी कार्यक्रम सीमित हो जाते हैं।

सामाजिक रूढ़िवाद और सांस्कृतिक बाधाएँ- भारतीय समाज में जाति, पितृसत्ता और पारंपरिक मान्यताओं के कारण महिलाओं को स्वतंत्रता और समानता नहीं मिल पाती। घर से बाहर निकलने, शिक्षा प्राप्ति, रोजगार पाने से रोकने वाली प्रथाएँ आज भी व्यापक हैं। कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाएँ महिलाओं के विकास में सबसे बड़ी बाधा हैं। इसके अलावा, कई क्षेत्र जहां महिलाओं का सामाजिक दबाव अधिक है, वहाँ उनकी भागीदारी सीमित रहती है।

प्रशासनिक एवं सरकारी सहयोग की बाधाएँ- सरकारी योजनाओं और नीतियों का लाभ उठाने में गैर सरकारी संगठनों को नौकरशाही और संसाधनहीनता का सामना करना पड़ता है। प्रभावी सहयोग एवं पारदर्शिता की कमी कई बार प्रयासों को धीमा कर देती है और योजनाओं की पहुँच को सीमित कर देती है।

दूरस्थ क्षेत्रों में पहुँच की समस्या- पहाड़ी, आदिवासी एवं ग्रामीण इलाकों में कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ, परिवहन की कमी, सूचना का अभाव, एवं कमजोर बुनियादी ढांचा गैर सरकारी संगठनों की उपलब्ध सेवाओं को महिलाओं तक पहुँचाने में अवरोध उत्पन्न करते हैं।

लैंगिक भेदभाव और कार्यस्थल में उत्पीड़न- कामकाजी महिलाओं को समान वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल, और समान अवसर प्राप्त नहीं होते। कार्यक्षेत्र में हिंसा, उत्पीड़न और भेदभाव महिला सशक्तिकरण की राह में बड़ी बाधाएं हैं।

शिक्षा और जागरूकता की कमी- कई महिलाओं के पास शिक्षित होने का अवसर नहीं

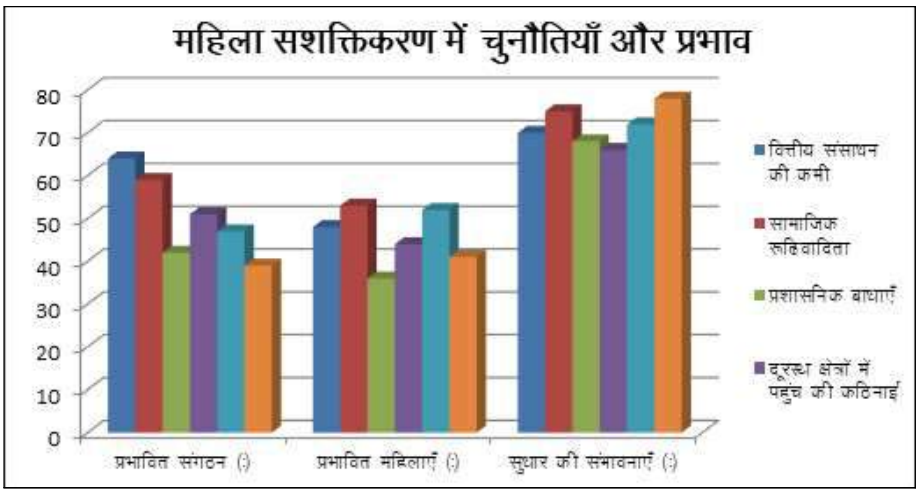
है, जिससे वे अपने अधिकारों और उपलब्ध अवसरों से अनजान रहती हैं। यह जागरूकता की कमी सामाजिक असमानताओं को और गहरा करती है।

उपरोक्त चुनौतियों के कारण, महिला सशक्तिकरण में निरंतर प्रयासों का महत्व बढ़ जाता है। गैर सरकारी संगठनों को चाहिए कि वे वित्तीय संसाधन जुटाने, सामाजिक जागरूकता फैलाने, सरकारी सहयोग को प्रभावी बनाने और दूरदराज के इलाकों तक सेवाएं पहुँचाने में और अधिक सक्रिय तथा रणनीतिक कदम उठाएँ। इसी से महिलाएं अपने जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकेंगी और समाज में समान अधिकार एवं सम्मान प्राप्त कर सकेंगी।

तालिका 02
महिला सशक्तिकरण में चुनौतियाँ और प्रभाव

चुनौती	प्रभावित संगठन (%)	प्रभावित महिलाएँ (%)	सुधार की संभावनाएँ (%)
वित्तीय संसाधन की कमी	64	48	70
सामाजिक रूढ़िवादिता	59	53	75
प्रशासनिक बाधाएँ	42	36	68
दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच की कठिनाई	51	44	66
शिक्षा व जागरूकता की कमी	47	52	72
लैंगिक भेदभाव / उत्पीड़न	39	41	78

रेखाचित्र 01
महिला सशक्तिकरण में चुनौतियाँ और प्रभाव



संभावनाएँ व अवसर- महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों से अनेक नए अवसर व संभावनाएँ उत्पन्न हुई हैं, जो महिलाओं के सामूहिक विकास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देते हैं।

नेतृत्व विकास के नए अवसर- गैर सरकारी संगठन महिलाओं के नेतृत्व कौशल को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, कार्यशालाएँ और सामुदायिक नेतृत्व

कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये पहल महिलाओं को निर्णय लेने, रणनीतिक सोच, आत्मविश्वास और संगठनात्मक क्षमता प्रदान करती हैं, जिससे वे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में प्रभावशाली भूमिका निभा सकें।

नीति निर्माण में भागीदारी- गैर सरकारी संगठनों महिलाओं को स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए सशक्त करते हैं। वे महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक जागरूकता, कानूनों के प्रति समझ और अधिकारों की रक्षा हेतु सामुदायिक मंच प्रदान करते हैं।

सरकारी व निजी संस्थाओं के सहयोग से व्यापक प्रभाव- गैर सरकारी संगठन सरकारी योजनाओं और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर महिला सशक्तिकरण अभियानों का विस्तार करते हैं। इस सहयोग से संसाधनों की उपलब्धता, प्रभावकारिता और महिलाओं तक पहुंच बेहतर होती है। उदाहरण के तौर पर, कौशल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, और आर्थिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में सरकारी योजनाएं और निजी फंडिंग महिलाओं के लिए अवसर बढ़ाती हैं।

शिक्षा और डिजिटल साक्षरता- गैर सरकारी संगठनों द्वारा महिलाओं को डिजिटल माध्यमों की जानकारी और मुफ्त शिक्षा प्रदान करने से उनकी सामाजिक और आर्थिक भागीदारी बढ़ रही है। इससे महिलाएं कामकाजी, उद्यमी और सक्रिय नागरिक बन रही हैं।

स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर- गैर सरकारी संगठन स्वरोजगार के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बनती हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाती हैं।

इस प्रकार, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास, नीति निर्माण में सक्रिय भागीदारी, सरकारी और निजी क्षेत्र के सहयोग से बड़े स्तर पर महिला सशक्तिकरण के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, जो समाज में लैंगिक समानता व समावेशित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

प्रभाव- गैर सरकारी संगठन की सक्रियता ने महिला सशक्तिकरण के विभिन्न क्षेत्रों में गहरे सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, गैर सरकारी संगठनों की पहल से असंख्य लड़कियों को स्कूलों में भर्ती कराया गया तथा शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता से जुड़ी सेवाओं की सुलभता ने महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि की है। आर्थिक रूप से, महिला स्वयं सहायता समूहों, माइक्रोफाइनेंस योजनाओं, एवं कौशल विकास कार्यक्रमों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे स्थानीय और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।

सामाजिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया, जिसने घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष को प्रोत्साहित किया है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व में भागीदारी बढ़ी है, जिससे नीति निर्माण में उनका सक्रिय योगदान सुनिश्चित हुआ है। विशेष उदाहरण के रूप में, सेवा (SEWA Self Employed Women's Association) साक्षी एनजीओ, प्रथम, गूँज जैसे

संस्थान न केवल आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण में अग्रणी रहे हैं, बल्कि उन्होंने महिलाओं के सामाजिक सम्मान और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा दिया है। इनके प्रयासों ने सामाजिक सोच और व्यवहार में बदलाव लाने में मदद की है, जो समाज में महिला सशक्तिकरण का एक अनुकरणीय और स्थायी प्रभाव है। इस प्रकार, गैर सरकारी संगठनों की महिला सशक्तिकरण में भूमिका केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में भी गहन प्रभावशाली है। इनके निरंतर काम के कारण महिलाओं का जीवन स्तर सुधर रहा है और वे सामाजिक समावेशन के मार्ग पर सशक्त कदम बढ़ा रही हैं, जो लिंग समानता और समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

तालिका 03

महिला सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठनों की प्रमुख उपलब्धियाँ

क्रम सं.	एनजीओ / संस्था	कार्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या	प्रमुख उपलब्धियाँ
1	स्माइल फाउंडेशन	शिक्षा एवं स्वास्थ्य	10.5 लाख	"मिशन एजुकेशन" के माध्यम से 5 लाख बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की गई।
2	स्वयं नियोजित महिला संघ	आर्थिक सशक्तिकरण	7.2 लाख	60,000 महिलाएँ सूक्ष्म उद्यमी बनीं, जिससे पारिवारिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
3	केयर इंडिया	स्वास्थ्य एवं पोषण	5.8 लाख	मातृ मृत्यु दर में लगभग 22% की कमी दर्ज की गई।
4	प्रयास	प्राथमिक शिक्षा	8.1 लाख	ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में 30% सुधार हुआ।
5	गूंज	सामाजिक जागरूकता एवं स्वच्छता	3.6 लाख	"Not Just a Piece of Cloth" अभियान से महिला स्वच्छता पर जागरूकता फैलाई गई।
6	साक्षी संस्था	कानूनी सहायता	2.9 लाख	घरेलू हिंसा मामलों में 65: समाधान दर प्राप्त की गई।
7	टाटा ट्रस्ट्स – महिला सशक्तिकरण पहल	डिजिटल साक्षरता	2.1 लाख	800 डिजिटल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन किया गया, जिससे ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल कौशल प्राप्त हुआ।

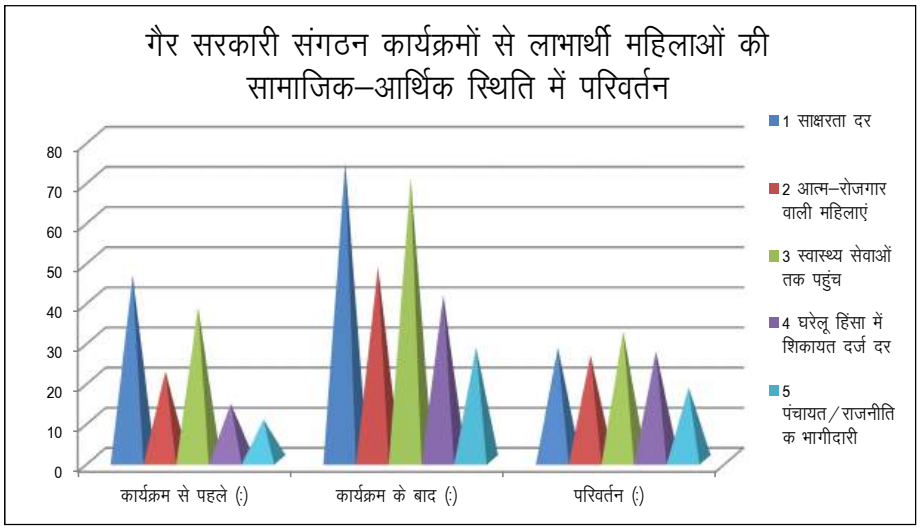
सर्वेक्षण और आंकड़ों के अनुसार, गैर सरकारी संगठनों ने महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता और डिजिटल साक्षरता के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिक्षा में, सुधार किया गया, जिससे लड़कियों की पढ़ाई और स्कूली भागीदारी बढ़ी। आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में लगभग 60,000 महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार से मातृ मृत्यु दर में 22 प्रतिशत की कमी आई। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में 30 प्रतिशत सुधार हुआ। सामाजिक जागरूकता अभियानों, जैसे "Not Just a Piece of Cloth," ने महिलाओं में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई। कानूनी सहायता केंद्रों के माध्यम से घरेलू हिंसा के मामलों में 65 प्रतिशत समाधान दर हासिल हुई। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों के अंतर्गत 800 प्रशिक्षण केंद्रों से ग्रामीण महिलाओं को आधुनिक कौशल प्रदान किया गया।

तालिका 04
गैर सरकारी संगठन कार्यक्रमों से
लाभार्थी महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में परिवर्तन

क्र.सं.	संकेतक	कार्यक्रम से पहले (%)	कार्यक्रम के बाद (%)	परिवर्तन (%)
1	साक्षरता दर	46	74	+28
2	आत्म–रोजगार वाली महिलाएं	22	48	+26
3	स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच	38	70	+32
4	घरेलू हिंसा में शिकायत दर्ज दर	14	41	+27
5	पंचायत/राजनीतिक भागीदारी	10	28	+18

गैर सरकारी संगठनों के कार्यक्रमों ने महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाया है। शिक्षा में साक्षरता 46: से 74 प्रतिशत तक बढ़ी (28), आत्म–रोजगार 22 प्रतिशत से 48 प्रतिशत तक (26), स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच 38 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक (32) और घरेलू हिंसा में शिकायत दर्ज 14 प्रतिशत से 41 प्रतिशत तक बढ़ी (27)। नेतृत्व और राजनीतिक भागीदारी 10 प्रतिशत से 28 प्रतिशत तक बढ़ी (18)। ये आंकड़े गैर सरकारी संगठनों की पहलों की प्रभावशीलता और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

रेखाचित्र 02
गैर सरकारी संगठन कार्यक्रमों
से लाभार्थी महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में परिवर्तन



निष्कर्ष- गैर सरकारी संगठनों ने महिला सशक्तिकरण के विविध क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक भूमिका निभाई है। उनकी परियोजनाओं और पहलों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक जागरूकता और नेतृत्व विकास के क्षेत्रों में महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। गैर सरकारी संगठनों ने

महिलाओं को न केवल शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान किए, बल्कि उन्हें कानूनी सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं और आत्म-सम्मान जैसे जरूरी संसाधन भी मुहैया कराए हैं, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और आत्मनिर्भर बन सकी हैं। चुनौतियों के बावजूद, गैर सरकारी संगठनों की निरंतर पहल से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो समाज में लैंगिक समानता और समावेशी विकास की दिशा में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। भविष्य में गैर सरकारी संगठनों की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए नीति-निर्माण, वित्तीय सहयोग और सामाजिक सहकारिता को और अधिक सु-ढ़ करना आवश्यक है। इसके साथ ही, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देते हुए उनकी नेतृत्व क्षमता का विकास करना भी अनिवार्य होगा ताकि वे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभा सकें। इस प्रकार, गैर सरकारी संगठनों महिला सशक्तिकरण के मार्ग में मार्गदर्शक और प्रेरक शक्ति के रूप में कार्यरत हैं, जिनका समर्थन और विस्तार समाज के समान और न्यायपूर्ण विकास हेतु आवश्यक है।

संदर्भ सूची-

1. खुराना, डी. पी. (2024). भारत में महिला सशक्तिकरण: एक आलोचनात्मक विश्लेषण.
2. स्माइल फाउंडेशन इंडिया. (2025). महिला सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका.
3. गांधी, एम. के. (1999). महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय. प्रकाशित ग्रन्थ.
4. मानवाधिकार आयोग. (2023). महिला सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका. सार्वजनिक दस्तावेज.
5. र,य, एस. (2024). भारत में महिला सशक्तिकरण और सरकारी नीतियाँ. सामाजशास्त्रीय अध्ययन, 22(4), 45-60.
6. नेहरू, ज. (2022). महिला शिक्षा और सशक्तिकरण का सामाजिक प्रभाव. शैक्षणिक शोध.
7. कुमारी, प्र. (2021). ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वरोजगार. आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन पत्रिका.
8. शर्मा, अ. (2020). महिला नेतृत्व विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों की भूमिका. सामाजिक विकास जर्नल, 18(3), 88-102.
9. पटेल, वी. (2022). महिला स्वास्थ्य एवं पोषण: गैर सरकारी संगठनों का योगदान. सार्वजनिक स्वास्थ्य पत्रिका.
10. वर्मा, र. (2023). महिला सशक्तिकरण में सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों का समन्वय. नीति और प्रशासन, 15(2), 34-46.
11. मिश्रा, इ. (2024). महिला सशक्तिकरण में लैंगिक समानता की चुनौतियाँ. सामाजिक मुद्दे, 12(1), 77-89.
12. सिंह, डी. (2021). महिलाओं के लिए कानूनी सहायता और जागरूकता. विधिक अध्ययन पत्रिका.
13. जोशी, आर. (2024). महिला सशक्तिकरण में सामुदायिक सहभागिता. सामाजिक न्याय

जर्नल, 20(4), 101-115.

14. पटेल, ए. (2023). महिला सशक्तिकरण की रणनीतियाँ और प्रभाव. विकास एवं परिवर्तन, 25(6), 55-70.
15. सरकार, पी. (2025). महिला सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सहयोग के उपाय. आर्थिक नीति समीक्षा.

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 6.375, ISSN 0975-4083
Vol.- 29, Hindi Edition, Year-15, April- September 2025

कार्यस्थल में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका

• विनेता

सारांश- आज के प्रतिस्पर्धी और गतिशील कार्य वातावरण में, केवल तकनीकी कौशल और विशेषज्ञता ही सफलता की गारंटी नहीं है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, प्रबंधित करने और उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता, कार्यस्थल में एक निर्णायक कारक बन गई है। यह कर्मचारियों के व्यक्तिगत विकास, टीम के प्रदर्शन और समग्र संगठनात्मक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता केवल एक नरम कौशल नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है जो कार्यस्थल की संस्कृति को बदल सकता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के चार मुख्य घटक हैं। आत्म-जागरूकता, आत्म-नियमन, सामाजिक जागरूकता और संबंध प्रबंधन। आत्म-जागरूकता हमें अपनी भावनाओं, ताकत और कमजोरियों को पहचानने में मदद करती है। यह हमें यह समझने की अनुमति देती है कि हमारी भावनाएँ हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। जब एक कर्मचारी अपने तनाव के स्तर को पहचानता है, तो वह इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए कदम उठा सकता है, जिससे टकराव कम होता है। आत्म-नियमन भावनाओं को नियंत्रित करने और नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से बचने की क्षमता है। एक नेता जो आलोचना को शांत और रचनात्मक तरीके से स्वीकार कर सकता है, वह टीम के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करता है।

मुख्य शब्द- कार्यस्थल, भावनात्मक, बुद्धिमत्ता

भूमिका- आज के गतिशील और प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल में, सफल नेतृत्व के लिए केवल तकनीकी कौशल या रणनीतिक दूरदर्शिता से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। एक प्रभावी नेता बनने के लिए, किसी व्यक्ति को अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, प्रबंधित करने और उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। यह क्षमता, जिसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता के रूप में जाना जाता है, एक आधुनिक कार्यस्थल में बेहतर नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन गई है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में आत्म-जागरूकता, आत्म-नियमन, सामाजिक जागरूकता और संबंध प्रबंधन जैसे कई प्रमुख घटक शामिल हैं। एक उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला नेता अपनी भावनाओं को पहचानता है और समझता है,

• असिस्टेंट प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग, इस्माईल नेशनल महिला पी.जी. कॉलेज, (मेरठ)

यह जानता है कि वे उसके निर्णयों और व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। यह आत्म–जागरूकता उन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में शांत और संतुलित रहने में मदद करती है, जिससे वे तर्कसंगत और सूचित निर्णय ले पाते हैं। वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बच सकते हैं, जो अक्सर तनावपूर्ण माहौल में टीम के मनोबल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता नेतृत्व के एक और महत्वपूर्ण पहलू, यानी सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ाती है। एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नेता अपनी टीम के सदस्यों की भावनाओं, जरूरतों और दृष्टिकोण को समझता है। वे सहानुभूति रखते हैं और अपने कर्मचारियों की चिंताओं को समझते हैं, जिससे एक सकारात्मक और सहायक कार्य संस्कृति का निर्माण होता है। जब कर्मचारी महसूस करते हैं कि उनके नेता उन्हें समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो वे अधिक प्रेरित, प्रतिबद्ध और वफादार होते हैं। यह सामाजिक जागरूकता नेताओं को संघर्षों को प्रभावी ढंग से हल करने, मतभेदों को प्रबंधित करने और टीम के भीतर सहयोग को बढ़ावा देने में भी मदद करती है। कार्यस्थल में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कई लाभ हैं। सबसे पहले, यह बेहतर नेतृत्व को बढ़ावा देता है। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नेता अपनी टीमों को प्रेरित और सशक्त बना सकते हैं, जिससे उत्पादकता और नवाचार में वृद्धि होती है। वे कठिन परिस्थितियों में भी शांत और केंद्रित रहते हैं, जिससे टीम का विश्वास बढ़ता है। दूसरा, यह टीम वर्क और सहयोग को मजबूत करता है। जब टीम के सदस्य एक–दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और सम्मान करते हैं, तो वे अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं। सामाजिक जागरूकता दूसरों की भावनाओं, जरूरतों और दृष्टिकोण को समझने की क्षमता है। यह सहानुभूति का आधार है। एक प्रबंधक जो अपनी टीम के सदस्यों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होता है, वह उनकी प्रेरणा और जुड़ाव को बेहतर ढंग से बढ़ा सकता है। यह न केवल टीम के मनोबल को बढ़ाता है, बल्कि समस्याओं को भी अधिक प्रभावी ढंग से हल करने में मदद करता है। संबंध प्रबंधन इन सभी कौशलों का उपयोग करके दूसरों के साथ प्रभावी संबंध बनाने और बनाए रखने की क्षमता है। इसमें संघर्ष का समाधान करना, सहयोग को बढ़ावा देना और प्रभावी संचार करना शामिल है। एक उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति कार्यस्थल में अधिक सकारात्मक और सहयोगी माहौल बनाने में योगदान देता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता संबंध प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। एक नेता जो भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होता है, वह अपनी टीम के सदस्यों के साथ मजबूत और भरोसेमंद रिश्ते बनाता है। वे खुले संचार को प्रोत्साहित करते हैं, प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं और टीम के सदस्यों के विकास में निवेश करते हैं। इस तरह के रिश्ते विश्वास, सम्मान और पारस्परिक समझ पर आधारित होते हैं, जो टीम के प्रदर्शन और उत्पादकता को बढ़ाते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता नेताओं को न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, बल्कि एक ऐसा वातावरण भी बनाती है जहाँ कर्मचारी फलते–फूलते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और उसका जीवन विभिन्न प्रकार के संबंधों से बुना हुआ है। ये संबंध चाहे व्यक्तिगत हों या पेशेवर,

उनकी सफलता काफी हद तक हमारे व्यवहार और भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता पर निर्भर करती है। इसी संदर्भ में, भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो न केवल आत्म-जागरूकता बढ़ाती है बल्कि प्रभावी संबंध प्रबंधन के लिए भी आवश्यक है।

साहित्य की समीक्षा- भावनात्मक बुद्धिमत्ता का तात्पर्य अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, उनका मूल्यांकन करने और उन्हें सही ढंग से नियंत्रित करने की क्षमता से है। यह सिर्फ भावनाओं को महसूस करने से कहीं अधिक है; इसमें सहानुभूति, आत्म-नियमन, सामाजिक कौशल और प्रेरणा जैसे महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं। जब हम इन कौशलों का उपयोग करते हैं, तो हम दूसरों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं, उनके दृष्टिकोण को समझ पाते हैं और संघर्षों को अधिक कुशलता से हल कर पाते हैं।

संबंध प्रबंधन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पहला कदम आत्म-जागरूकता है। जब हम अपनी खुद की भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों को समझते हैं, तो हम अपनी प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें पता है कि तनावपूर्ण स्थितियों में हम जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो हम उस भावना को नियंत्रित करने के लिए सचेत प्रयास कर सकते हैं, बजाय इसके कि वह हमारे संबंधों को नुकसान पहुँचाए।

सहानुभूति भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह हमें दूसरों के जूते में कदम रखने और उनकी भावनाओं को महसूस करने की अनुमति देता है। जब हम किसी मित्र या सहकर्मी के संघर्ष को समझते हैं, तो हम उन्हें समर्थन और प्रोत्साहन दे सकते हैं, जिससे विश्वास और सम्मान का गहरा बंधन बनता है।

प्रभावी संबंध प्रबंधन के लिए सामाजिक कौशल अनिवार्य हैं, जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक हिस्सा हैं। इसमें स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से संवाद करना, संघर्षों का समाधान करना और दूसरों के साथ सहयोग करना शामिल है।

कार्यस्थल में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका- एक उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति अक्सर एक अच्छा श्रोता होता है, जो दूसरों को सुने बिना उन्हें अपनी बात रखने का अवसर देता है। वे बहस से बचते हैं और आम सहमति बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे टीम वर्क और सामंजस्य बढ़ता है। वे दूसरों की उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं, जिससे एक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता केवल एक नरम कौशल नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में, विशेष रूप से संबंधों को बनाए रखने और उन्हें मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण योग्यता है। यह हमें अपने और दूसरों के भावनाओं को समझने की शक्ति देता है, जिससे हम अधिक संवेदनशील, प्रभावी और सफल सामाजिक प्राणी बन पाते हैं। मजबूत और स्वस्थ संबंधों की नींव केवल साझा हितों पर नहीं, बल्कि भावनाओं के गहरे और आपसी सम्मान पर टिकी होती है, और भावनात्मक बुद्धिमत्ता ही इस नींव को बनाने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है।

आत्म-जागरूकता भावनात्मक बुद्धिमत्ता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। यह अपनी भावनाओं, विचारों, ताकत और कमजोरियों को गहराई से समझने

की क्षमता है। जब हम आत्म-जागरूक होते हैं, तो हम यह जान पाते हैं कि हमारी भावनाएँ हमारे व्यवहार और दूसरों के साथ हमारे संबंधों को कैसे प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, एक आत्म-जागरूक व्यक्ति यह पहचान सकता है कि तनाव के कारण वह चिड़चिड़ा हो रहा है, और इस समझ से वह उस तनाव को कम करने के लिए कदम उठा सकता है। आत्म-जागरूकता के बिना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अन्य घटक प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकते। इसीलिए, आत्म-जागरूकता को व्यक्तिगत विकास की कुंजी माना जाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आत्म-जागरूकता दोनों ही हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो हम बेहतर और स्वस्थ रिश्ते बना पाते हैं। यह हमें संघर्षों को सुलझाने और एक-दूसरे को समझने में मदद करता है।

भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नेता अपनी टीम को प्रेरित और प्रबंधित कर सकते हैं। वे अपनी टीम के सदस्यों की भावनाओं को समझते हैं और सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया देते हैं। आत्म-जागरूकता हमें तनाव के स्रोतों को पहचानने में मदद करती है, जिससे हम उनसे निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ विकसित कर सकते हैं। जब हम भावनाओं से अभिभूत नहीं होते, तो हम अधिक तर्कसंगत और सूचित निर्णय ले सकते हैं।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आत्म-जागरूकता केवल ष्अच्छी भावनाष्रखने के बारे में नहीं हैं, बल्कि यह एक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है। यह हमें एक अधिक परिपूर्ण, संतुलित और सफल जीवन जीने में मदद करता है। इन गुणों का विकास करके, हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आत्म-नियमन दो परस्पर संबंधित अवधारणाएं हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन की सफलता और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें अपने व्यवहार, सोच और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करने वाली भावनाओं को पहचानने और नियंत्रित करने में मदद करती है। आत्म-नियमन, दूसरी ओर, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो हमें अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करता है।

आत्म-नियमन हमें अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है। यह हमें तनाव, क्रोध, निराशा और चिंता जैसी नकारात्मक भावनाओं को शांत करने की अनुमति देता है। जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचते हैं, जो अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है, तो आत्म-नियमन उसे तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय, शांत होने और स्थिति का विश्लेषण करने का समय देता है।

आत्म-नियमन सिर्फ भावनाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यवहार और विचारों को भी नियंत्रित करता है। यह हमें ध्यान केंद्रित करने, लक्ष्यों को प्राप्त करने और प्रलोभनों का विरोध करने में मदद करता है। जो छात्र

आत्म-नियमन में अच्छे होते हैं, वे अधिक समय तक पढ़ाई कर सकते हैं और विचलित होने से बच सकते हैं। इसी तरह, कार्यस्थल में, आत्म-नियमन रखने वाले कर्मचारी दबाव में भी शांत रहते हैं और प्रभावी ढंग से काम करते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक व्यापक क्षमता है जिसमें आत्म-नियमन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आत्म-नियमन के बिना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता अधूरी है। यह हमें अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने का उपकरण प्रदान करता है, जिससे हम अधिक संतुलित, विचारशील और सफल जीवन जी सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आत्म-नियमन का विकास हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से सशक्त बनाता है, बल्कि हमारे संबंधों और सामाजिक जीवन में भी सुधार करता है। ये कौशल हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और एक स्वस्थ, पूर्ण जीवन जीने में मदद करते हैं।

निष्कर्ष- भावनात्मक बुद्धिमत्ता तनाव प्रबंधन और लचीलेपन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज के तेज-तर्रार कार्य वातावरण में तनाव एक आम बात है। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान कर्मचारी तनाव के संकेतों को बेहतर ढंग से पहचान सकते हैं और उसे कम करने के लिए स्वस्थ तंत्र विकसित कर सकते हैं। यह उन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने और बर्नआउट से बचने में मदद करता है। इस प्रकार, भावनात्मक बुद्धिमत्ता न केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए बल्कि एक स्वस्थ और उत्पादक कार्यस्थल के लिए भी अनिवार्य है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है और जिसे संगठनों को अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास में प्राथमिकता देनी चाहिए।

संदर्भ सूची-

1. नियोंग एससी, ईसा ज़ेडएम, मनाफ एमआरबीएचए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और संगठनात्मक सस्कृति एक व्यवस्थित साहित्य समीक्षा। जे फार्माक नेगेटिव रिजल्ट्स। 2022;13(5)1582-1592
2. नॉर्थहाउस पीजी। नेतृत्वरू सिद्धांत और व्यवहार (8वां संस्करण)। सेज। 2019
3. सैलोवी पी, मेयर जेडी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता। कल्पना, अनुभूति और व्यक्तित्व। 2020;9(3)185-211
4. रविचंद्रन के, अरासु आर, अरुण कुमार एस। कर्मचारी कार्य संलग्नता व्यवहार पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रभाव एक अनुभवजन्य अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय जे बिजनेस मैनेजमेंट। 2021;6(11)157-170
5. लुब्बादेह टी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नेतृत्व-अंधकारमय और उज्ज्वल पक्ष। मॉड मैनेजमेंट रेव. 2020;25(27)39-50
6. शक बी, हर्ड एएम. कर्मचारी जुड़ाव और नेतृत्व-मानव संसाधन विकास में नेतृत्व विकास के लिए दो ढाँचों और निहितार्थी के अभिसरण की खोज। ह्यूमन रिसर्च डेवलप रेव. 2022;11(2)156-181
7. गोलेमैन डी, बोयाट्ज़िस आर, मैकाकी ए. प्राइमल लीडरशिप भावनात्मक बुद्धिमत्ता की शक्ति का एहसास। हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल प्रेस. 2020
8. गोलेमैन डी. प्रदर्शन का एक ईआई-आधारित सिद्धांत। डी. गोलेमैन और सी. चेर्निस (सं.)

में। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान कार्यस्थल। जॉन विले एंड संस, 2021

9. कौर एन, हिरदयराज एम. संगठनात्मक सीखने में नेता की भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिकारू 4 ढाँचे का उपयोग करते हुए एक साहित्य समीक्षा। न्यू होराइज़ एडल्ट एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलप. 2021;33(1)51-68
10. राठौर डी, चड्ढा एनके, राणा एस. कार्यस्थल में भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इंड जे पॉस साइक। 2020;8(2)162-165

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 6.375, ISSN 0975-4083
Vol.- 29, Hindi Edition, Year-15, April- September 2025

भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: विश्लेषण और मूल्यांकन

•अंजली पण्डया

सारांश- भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ 'वसुधैव कुटुंबकम' के सिद्धांत पर आधारित हैं, जो सभी प्राणियों की परस्पर निर्भरता और पर्यावरण संरक्षण पर बल देती हैं। वेदांत जैसी दार्शनिक परंपराएँ आध्यात्मिक विकास और चेतना की प्रकृति को स्पष्ट करती हैं। गणित, खगोल विज्ञान और धातु विज्ञान जैसे क्षेत्रों में भारतीय ज्ञान ने ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। शून्य, दशमलव प्रणाली और त्रिकोणमिति जैसे आविष्कार आज भी आधुनिक विज्ञान और तकनीक में प्रासंगिक हैं, जो भारतीय ज्ञान प्रणालियों की वैश्विक महत्वत्ता को दर्शाते हैं।

मुख्य शब्द- वसुधैव कुटुंबकम, पर्यावरण संरक्षण, वेदांत, गणित एवं खगोल विज्ञान, शून्य और दशमलव प्रणाली

प्रस्तावना- भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ही भारतीय समाज और संस्कृति के महत्वपूर्ण पहलुओं को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह विषय भारतीय समाज के साथ ही उसकी विरासत के एक महत्वपूर्ण हिस्से को भी साझा करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा विविधता और धार्मिकता के संयोजन का परिणाम है, जिसमें वेद, उपनिषद, पुराण, ग्रंथ, और ग्रंथाओं का विशाल भंडार है। इस परंपरा ने भारतीय समाज को आध्यात्मिकता, नैतिकता, और वैज्ञानिक ज्ञान की शिक्षा प्रदान की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य भारतीय समाज को आधुनिक और वैज्ञानिक ज्ञान के साथ-साथ उसकी विरासत को भी समेटना है। यह नीति शिक्षा के क्षेत्र में इस समय की आवश्यकताओं और अनुभवों के आधार पर बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है उत्कृष्टता, अध्ययन, और अनुसंधान में समर्थ नागरिकों का निर्माण करना। भारतीय ज्ञान परंपरा अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है जिसमें ज्ञान और विज्ञान, लौकिक और पारलौकिक, कर्म और धर्म तथा भोग और त्याग का अद्‌भुत समन्वय है। ऋग्वेद के समय से ही शिक्षा प्रणाली जीवन के नैतिक, भौतिक, अध्यात्मिक और बौद्धिक मूल्यों पर केंद्रित होकर विनम्रता, सत्यता, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सभी के लिए सम्मान जैसे मूल्यों पर जोर देती थी। वेदों में विद्या को मनुष्यता की श्रेष्ठता का आधार स्वीकार

• सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय जगन्नाथ मुन्नालाल चौधरी महिला महाविद्यालय
•• मंडला (मध्यप्रदेश)

किया गया था । छात्रों को मानव प्राणियों एवं प्रकृति के मध्य संतुलन को बनाए रखना सिखाया जाता था। शिक्षण और सीखने के लिए वेद और उपनिषद के सिद्धांतों का अनुपालन जिसमें व्यक्ति स्वयं, परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों को पूरा कर सके, इस प्रकार जीवन के सभी पक्ष इस प्रणाली में सम्मिलित थे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 भारत के सनातन ज्ञान एवं विचारों के समृद्ध आलोक में निर्मित की गयी है। इसके आधार स्तंभों में भारतीय ज्ञान परम्परा को भी केंद्रीय स्तम्भ माना गया है। भारत, संस्कृति और संस्कृत, ये तीनों शब्द मात्र शब्द नहीं, अपितु प्रत्येक भारतीय के भाव हैं। भारतीय संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान परम आवश्यक है। अतएव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 में भी बहुभाषावाद को प्रासंगिक बताते हुए शिक्षा क्षेत्र के सभी स्तरों पर संस्कृत को जीवन जीने की मुख्यधारा में शामिल कर अपनाने पर बल दिया गया है। अत: संस्कृत का अध्ययन कर छात्र-छात्राएं न केवल अपने-अपने अतीत से गौरवान्वित होकर वर्तमान में संतुलित व्यवहार की ओर अग्रसर होंगे, अपितु भविष्य के प्रति भी उल्लासित होंगे।

शिक्षा प्रणाली में भारतीय ज्ञान परंपरा की अनिवार्यता- विद्यालयी पाठयक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान अपरिहार्य है। संस्कृत से ही संस्कारवान समाज का निर्माण होता है। इसका महत्व समझते हुए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है भारत, संस्कृति और संस्कृत, ये तीनों शब्द मात्र शब्द नहीं, अपितु प्रत्येक भारतीय के भाव हैं। हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली ने व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया तथा विनम्रता, सच्चाई, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सम्मान जैसे मूल्यों पर बल दिया। भारत में शिक्षा का स्वरूप व्यावहारिकता को प्राप्त करने योग्य और जीवन में सहायक है। इस प्रकार, यह ध्यातव्य है कि एनईपी 2020 ने न केवल प्राचीन भारत के गौरवशाली अतीत को मान्यता दी है, बल्कि प्राचीन भारत के विद्वानों जैसे-चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, मैत्रेयी, गार्गी आदि के विचारों एवं कार्यों को वर्तमान पाठचक्रम में प्री-स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शामिल करने की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। संपूर्ण वैदिक-वांगमय, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतिग्रंथ, दर्शन, धर्मग्रंथ, काव्य, नाटक, व्याकरण तथा ज्योतिष शास्त्र संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध होकर इनकी महिमा को बढ़ाते हैं, जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति की रक्षा करने में पूर्णत: सहायक सिद्ध होते हैं। संस्कृत से ही संस्कारवान समाज का निर्माण होता है। संस्कारों से कायिक, वाचिक, मानसिक पवित्रता के साथ-साथ पर्यावरण भी स्वच्छ होता है। संस्कारों का वैज्ञानिक महत्व भी है। इसकी वैज्ञानिकता को नासा ने 1987 में ही संस्कृत को कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की, जिसका कारण संस्कृत भाषा को अंतरिक्ष में संदेश प्रेषण के लिए सबसे उत्कृष्ट माना है। आज भी अमेरिका, जर्मनी आदि अनेक देश संस्कृत के क्षेत्र में नित-नवीन अनुसंधान कार्य करके इसकी यशोवृद्धि में प्रयत्नशील हैं।बदलते सामाजिक परिवेश और भारतीय मूल्यों के बीच हमारी शिक्षा व्यवस्था आवश्यक है। यह समावेशी व्यवस्था

भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा को लिए बिना नहीं चल सकती है, क्योंकि एक तरफ तो हम आधुनिकता के दौर में सरपट भागे जा रहे हैं, वहीं हमारी संस्कृति में निहित ज्ञान विज्ञान परंपरा को भूलते जा रहे हैं। इस अंधानुकरण में हमारी वही स्थिति हो चुकी है जैसाकि उपनिषदों में कहा गया है कि समावेशी बनाना अत्या यदि दृष्टिहीन को रास्ता दिखाने वाला भी दृष्टिहीन हो तो लक्ष्य कैसे प्राप्त हो सकेगा।

क्या हमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है- एक विचार यह है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली, आखिरकार, काफी उचित है और हमें इसे थोड़ा और अधिक परिष्कृत, अधिक पॉलिश करने की आवश्यकता है, जिसमें व्यावसायिकता और नौकरी–उन्मुखीकरण जैसे कुछ संशोधन शामिल हैं, और हमें शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है। वर्तमान प्रणाली के बचाव में यह भी प्रमुखता से पूछा गया है कि क्या हम स्वयं उस प्रणाली के उत्पाद नहीं हैं और क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से निपटने के लिए कमोबेश पूरी तरह से सुसज्जित नहीं हैं। दूसरी ओर, एक अधिक प्रगतिशील दृष्टिकोण है, जो यह स्वीकार नहीं करता कि हम, शिक्षा प्रणाली के उत्पाद, वह हैं जो हमें होना चाहिए, कि एक बेहतर प्रणाली हमें व्यक्तित्व और कौशल दोनों के संदर्भ में बेहतर ढंग से सुसज्जित कर सकती थी और सक्षम बना सकती थी। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का समग्र विकास होना चाहिए और हमें संपूर्ण मानव के लिए पूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है। व्यक्तित्व के समग्र विकास की अवधारणा का विश्लेषण करते हुए, यह शारीरिक, प्राणिक और मानसिक व्यक्तित्व के सामंजस्य की वकालत करता है। यह भी मानता है कि मानसिक व्यक्तित्व के लिए तर्कसंगत, नैतिक और सौंदर्य के सामंजस्य की आवश्यकता होती है। दो और प्रस्ताव भी जोड़े गए हैं: पहला, व्यक्तित्व का सबसे अच्छा विकास तब होता है जब शैक्षिक वातावरण प्रत्येक छात्र को काफी स्वतंत्रता प्रदान करता है;– आंतरिक झुकावों को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता, प्रगति की गति को विनियमित करने की स्वतंत्रता, और शिक्षा की दिशा निर्धारित करने की स्वतंत्रता; और दूसरा, शिक्षा इतनी बाल–केंद्रित होनी चाहिए कि यह न केवल बच्चे को कक्षा के केंद्र में रखे बल्कि समाज के केंद्र में भी रखे।

शिक्षा के नवाचार और सुधार- इन विवादों के निहितार्थ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए शिक्षकों, अभिभावकों और शैक्षणिक प्रशासकों, यहाँ तक कि स्वयं छात्रों के दृष्टिकोण में भी बड़े बदलाव की आवश्यकता है। वे शिक्षा की नई पद्धतियों के अनुप्रयोग और कक्षा की स्थिति, शिक्षण–अधिगम सामग्री और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापित दिनचर्या में परिवर्तन की मांग करते हैं; वे पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम और वर्तमान परीक्षा प्रणाली की भी मौलिक समीक्षा की मांग करते हैं। इन मांगों के साथ ही आजीवन शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है।अनौपचारिक शिक्षा के व्यापक विस्तार और शिक्षा की खुली प्रणाली की भी वकालत की जा रही है। अंत में, शिक्षा के सभी नवाचारों और सुधारों के लिए सही सेटिंग के रूप में सीखने वाले समाज की अवधारणा को तेजी से प्रस्तावित किया जा रहा है। नई नीतियों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को क्रियान्वित करने में मुख्य कठिनाई तीन प्रकार की है–

- जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इन सुधारों के लिए शिक्षा के सभी भागीदारों के बीच दृष्टिकोण में बड़े बदलाव की आवश्यकता है और ये बदलाव बिल्कुल भी आसान या सरल नहीं हैं;
- वे संरचनात्मक परिवर्तनों में भी कठिनाई का संकेत देते हैं, जिन्हें स्थायी आधार पर संकल्पित, डिजाइन और कार्यान्वित करने की आवश्यकता होती है और ऐसी कोई एजेंसियां नहीं हैं जो इन कार्यों को पूरा कर सकें; तथा
- इसके लिए न केवल बड़े पैमाने पर वित्तपोषण की आवश्यकता होती है, बल्कि विवेकपूर्ण योजना, प्राथमिकता निर्धारण और पुराने को संशोधित या नष्ट करने तथा नए के निर्माण के बीच नाजुक संतुलन की भी आवश्यकता होती है।

साहसिक सुधारों की आवश्यकता- इस स्थिति के संदर्भ में, गंभीर और ईमानदार शिक्षाविद् कुछ और साहसिक प्रस्ताव रखने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, विशेष रूप से भारतीय शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में, वे प्रस्ताव जो अपरिहार्य हैं और जिन्हें केवल सांस्कृतिक पहचान के नुकसान और यहां तक कि भारत की आत्मा को अपंग करने के जोखिम पर ही स्थगित किया जा सकता है।हम सभी जानते हैं कि वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए तैयार की गई थी। भारत के बारे में पश्चिमी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए संकीर्ण उद्देश्यों के लिए और हमारे देश में भारत के अतीत और उसके पतन या पिछड़ेपन के दौर और उस इलाज को बढ़ावा देने के लिए जिसके द्वारा उन्होंने सोचा कि भारत उन देशों में कुछ स्थान प्राप्त कर सकता है, जिन्हें सभ्य कहा जा सकता है। दुर्भाग्य से, अंग्रेजों ने जो कुछ भी बनाया था, उसे हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी शायद ही बदला गया है, और जो भी परिवर्तन हुए हैं, उन्हें केवल दिखावटी ही माना जा सकता है। सबसे बुरी बात यह है कि जो संस्थान राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रभाव में आए थे, वे बंद हो गए या उन्हें अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई शिक्षा की सामान्य प्रणाली के अनुरूप होना पड़ा। और शिक्षा विभागों को किए गए वित्तीय आवंटन सामान्य पैटर्न से संबंधित बढ़ती हुई संख्या में संस्थानों में वितरित किए गए। इस प्रकार स्वतंत्र भारत का पैसा भारत में उसी प्रणाली को व्यापक पैमाने पर फैलाने के लिए अधिक से अधिक जोर-शोर से लगाया गया, जिसे राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद नष्ट करने का सपना देखा था। यह स्थिति बढ़ती हुई तीव्रता के साथ जारी है, और जब तक हम नए सिरे से सोचने और नए सिरे से योजना बनाने के लिए स्वयं को सक्रिय नहीं करते, तब तक यह नहीं दिखता कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी तथा भारतीय पुनर्जागरण के उद्देश्य को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे।

स्वतंत्र भारत की विफलता- यह उल्लेखनीय है कि महर्षि दयानंद सरस्वती से लेकर श्री अरविंद तक भारतीय पुनर्जागरण के महानतम प्रतिनिधियों ने प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में ऐसा उत्थानकारी और प्रेरणादायक म,डल देखा था कि उन सभी ने स्वतंत्र भारत के लिए शिक्षा की प्राचीन भारतीय अवधारणा पर आधारित एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की वकालत की थी, जो कि,शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली साथ ही, अंतर्राष्ट्रीयता और सार्वभौमिकता के आदर्शों को पूरा करना। उन सभी ने स्वतंत्र भारत का सपना देखा

था जहाँ छात्र बुद्धिमान और सौम्य और साहसी ऋषियों की उपस्थिति और मार्गदर्शन को फिर से जीएँगे जिन्होंने भारत की धरती पर चिरस्थायी प्रेरणा के बीज बोए थे। वे जीवित आत्माओं के अभयारण्यों को फिर से बनाना चाहते थे, जिन्हें शिक्षकों द्वारा पोषित किया जा सके, जो वशिष्ठ और विश्वामित्र, वामदेव और भारद्वाज की तरह, हठधर्मिता या सीमाओं या रूढ़िवाद की किसी भी निरोधक शक्ति से अप्रभावित रहेंगे। वे मानव और प्राकृतिक के बीच, व्यक्ति और सार्वभौमिक के बीच, सांसारिक और अलौकिक के बीच पूर्ण सामंजस्य चाहते थे। उनका संदेश स्पष्ट था कि शिक्षा की प्राचीन भारतीय अवधारणा को न केवल स्वतंत्र भारत द्वारा फिर से देखा जाना चाहिए, बल्कि आधुनिक और उपयोगी, भारतीय और सार्वभौमिक की सहायता से इसे पुनर्जीवित, पुनर्निर्मित और परिपूर्ण भी किया जाना चाहिए।स्वतंत्र भारत इन महान अग्रदूतों के सपनों और आकांक्षाओं को आकार देने में अब तक विफल रहा है। लेकिन क्या यह समय नहीं है कि हम उन्हें समझने की कोशिश करें, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के मर्म को समझें, आज और कल की जरूरतों के मद्देनजर उसका मूल्यांकन करें और अपने बच्चों के लिए कुछ नया डिजाइन करें जो उन्हें उनकी विरासत के साथ-साथ आधुनिक प्रगति के सर्वोत्तम फल भी दे सके?

निष्कर्ष- भारतीय ज्ञान प्रणालियों ने "वसुधैव कुटुंबकम" (दुनिया एक परिवार है) के विचार से सभी प्राणियों की परस्पर निर्भरता पर जोर दिया। पर्यावरणीय विषय और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण और संरक्षण की मांग को ध्यान में रखते हुए, ये सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।वास्तविकता की प्रकृति में आध्यात्मिक विकास एवं चौतन्यता वेदांत जैसी भारतीय ज्ञान प्रणालियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो वेदों के नाम से जानी जाने वाली प्राचीन पुस्तकों पर आधारित एक दार्शनिक स्वरूप है। विज्ञान ऐतिहासिक रूप से भारतीय ज्ञान प्रणालियों द्वारा गणित, खगोल विज्ञान और धातु विज्ञान जैसे विषयों में उन्नत हुआ है। शून्य, दशमलव प्रणाली और त्रिकोणमिति जैसी प्राचीन भारतीय सामान्यताओं का उपयोग अभी भी वर्तमान ज्ञान और प्रौद्योगिकी में बड़े पैमाने पर किया जाता है, जो आविष्कार और उन्नति को बढ़ावा देने में भारतीय ज्ञान प्रणालियों के महत्व को प्रदर्शित करती है।

संदर्भ सूची-

1. भारतीय ज्ञान परंपरा:एक अध्ययन, लेखक, केवला चौधरी
2. भारतीय शिक्षा की स्थापना और विकास, लेखक डॉ. जे.सी.आर.लायंस
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: एक विश्लेषण-लेखक डॉ. आर.के.मिश्रा
4. भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा, डॉ. विनोद कुमार शर्मा
5. भारतीय संस्कृति और शिक्षा: एक समीक्षा-लेखक डॉ. अजय दुबे
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: भारतीय समाज और संस्कृति के साथ आधुनिक शिक्षा की दिशा, लेखक डॉ. संजय शर्मा
7. भारतीय शिक्षा प्रणाली का इतिहास-लेखक डॉ. एस.एन. मुकर्जी
8. भारतीय शिक्षा: विज्ञान और संदेश-आर.एस.शर्मा
9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: विश्लेषण और मूल्यांकन, डॉ. आर.आर.परिजातन

10. भारतीय शिक्षा की यात्रा–जे.एन.श्रीनिवासान
11. शिक्षा में भारतीयता: चुनौतियाँ और समाधान–अनुराधा मुखर्जी
12. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में परिवर्तन–एस.वी.निगम
13. भारतीय शिक्षा के प्रश्न– जे.एन.श्रीनिवासान
14. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: दर्शन और कार्य–सुनील मैथुर

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 6.375, ISSN 0975-4083
Vol.- 29, Hindi Edition, Year-15, April- September 2025

भारतीय ज्ञान परम्परा में राजनीतिक दर्शन एवं उसकी वर्तमान प्रासंगिकता

• मुक्ता दुबे

सारांश- भारतीय ज्ञान परंपरा अत्यंत व्यापक है जिसमें दर्शन, शिक्षा, कला, विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, योग, ध्यान और सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों का अद्वितीय समन्वय है। वैदिक साहित्य इसका प्रमुख आधार है जिसने दर्शन, आध्यात्मिकता, संगीत, चिकित्सा, पर्यावरण, शासन और नैतिक सिद्धांतों को गहराई से प्रभावित किया। षड्दर्शन और प्राचीन विश्वविद्यालय इस परंपरा की दार्शनिक एवं शैक्षिक संपन्नता को प्रमाणित करते हैं। यद्यपि बाह्य आक्रमणों और उपनिवेशवादी शासन ने इस धरोहर को कमजोर किया, फिर भी वर्तमान शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा की पुनर्खोज का प्रयास कर रही है। इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है राजदर्शन, जो शासन-प्रशासन और प्रजा-कल्याण से जुड़ा है। राजधर्म के अंतर्गत राजा के कर्तव्य, दण्डनीति और प्रशासनिक व्यवस्थाएँ निर्धारित थीं। कौटिल्य, मनु, महाभारत और अर्थशास्त्र सभी इस बात पर बल देते हैं कि राज्य का सार प्रजा-हित और लोकमंगल है। भारत का राजा निरंकुश न होकर सदैव प्रजापालक और धर्मपरायण माना गया। प्राचीन राजधर्म आधुनिक संविधान की भांति राज्य और प्रजा दोनों को दिशा देता था, किंतु अधिक मानवीय और संतुलित रूप में। भारतीय राजदर्शन आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक चिंतन से भिन्न है, जहाँ राज्य और प्रजा के बीच संघर्ष की धारणाएँ प्रमुख हैं। भारतीय दृष्टि में राज्य और प्रजा का संबंध अन्योन्याश्रित एवं सहयोगात्मक है। यहाँ राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता-संचालन न होकर लोकमंगल और धर्म-स्थापना रहा। वर्तमान समय में जब लोकतंत्र, वैश्वीकरण और पश्चिमी राजदर्शन की सीमाएँ स्पष्ट हो रही हैं, भारतीय राजदर्शन नई आशा प्रस्तुत करता है। वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना, शासक और शासित के बीच दूरी का अभाव, कर्तव्य और उत्तरदायित्व पर बल तथा अद्वैत की भावना, ये सभी तत्व आज की राजनीतिक चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः भारतीय राजदर्शन की पुनर्परिभाषा और व्यवहार में उतारना आज की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द- भारतीय ज्ञान परंपरा, वैदिक साहित्य, षड्दर्शन, राजदर्शन, राजधर्म, लोकमंगल

• अतिथि विद्वान (राजनीति विज्ञान), शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुरा, नीमच मध्य प्रदेश

भारत की समृद्ध ज्ञान संपदा में दर्शन, व्यावहारिक शिक्षा, कला, कौशल, शिल्प कौशल, कृषि, स्वास्थ्य और विज्ञान के साथ- साथ पारंपरिक चिकित्सा, ज्योतिष, योग, ध्यान सहित पीढ़ियों से चली आ रही प्राचीन ज्ञान-विज्ञान की एक विस्तृत श्रृखला शामिल है। भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान और विज्ञान, लौकिक और पारलौकिक, धर्म और कर्म, तथा भोग और त्याग का अद्भुद समन्वय है। जहां एक तरफ़ बाल्यकाल से युवा अवस्था तक ज्ञान सृजन की व्यवस्था है; युवावस्था में प्राप्त ज्ञान से भोग और विलासिता को प्राप्त करने का निर्देशन है, वहीं दूसरी ओर वानप्रस्थ और संन्यास के लिए उचित दिशा- निर्देश भी है। भारत की ज्ञान परंपरा मनुष्य जीवन के लौकिक और पारलौकिक उत्थान दोनों का मार्ग प्रशस्त करती है। भारत की संस्कृति तथा गौरवशाली इतिहास निर्माण में इसी ज्ञान- विज्ञान परंपरा के सातत्य का महत्त्वपूर्ण योगदान है। भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख स्तंभों में वैदिक साहित्य है, जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रमुख आधार है। वैदिक साहित्य दार्शनिक शिक्षा, आध्यात्मिक उन्नति, संगीत शास्त्र, चिकित्सा- विज्ञान, पर्यावरणीय संतुलन, नैतिक सिद्धांत और व्यावहारिक ज्ञान के साथ-साथ साहित्य, कला, संगीत, वास्तुकला और शासन सहित विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता रहा है। 'भारतीय षड्दर्शन आत्मचिंतन का अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। न्यायदर्शन तर्क और ज्ञानमीमांसा पर केंद्रित है, जबकि वैशेषिक दर्शन परमाणुओं और उनके संयोजनों के विश्लेषण के माध्यम से प्रकृति की वास्तविकता का पता लगाता है। सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन ने गहरी दार्शनिकता की नींव रखी (मिश्र, 2024) भारतीय ज्ञान परंपरा जिसका मानक उदय वैदिक एवं उपनिषद काल से माना जाता है, का सातत्य बौद्ध और जैन काल में भी रहा। प्राचीन भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना और शिक्षा व्यवस्था से यह स्पष्ट परिलक्षित भी होता है। लेकिन इसका लोप विगत 200 से 300 वर्षों में वाह्य आक्रमणों और उनके आततायी शासन के कारण हुआ है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा के सातत्य की पुनर्खोज का प्रयास युक्तियुक्त है।

भारत की ज्ञान परंपरा के अनेक स्तंभों में राजदर्शन प्रमुख है। प्रस्तुत अध्याय में प्राचीन भारतीय राजदर्शन के विभिन्न आयामों पर चर्चा की जाएगी। भारत की प्राचीन राज्यव्यवस्था वस्तुतः राजतन्त्रात्मक थी; लेकिन उसका सार लोक-कल्याणकारी प्रजातंत्र के मूल्यों में निहित था। अपनी पुस्तक 'भारत का राजा' के पुरोवाक में संजीव कुमार शर्मा ने प्राचीन भारतीय राज्यव्यवस्था के सैद्धांतीकरण के प्रति पूर्वाग्रह रखने पर चिंता व्यक्त करते हुए विस्तृत टिप्पणी करते हैं। वे लिखते हैं कि 'भारतीय राजनीति के अध्येताओं ने गत अनेक वर्षों में समसामयिक प्रश्नों की विवेचना के क्रम में पारंपरिक भारतीय राजत्व के विभिन्न आयामों की प्रायशः उपेक्षा ही की है। यह उपेक्षा कई बार 'अतीत-स्मृति-भ्रंश' का परिणाम है और कई बार 'सायास-अर्जित-अज्ञान' के कारण है' (शर्मा, 2021)। यह कटु सत्य है कि उत्तर-औपनिवेशिक भारत में शासन-प्रशासन की दिशा तय करने में प्राचीन भारत के राजत्व की अनदेखी की गई है। जिस कारण 'भारत में आधुनिकता के अति आग्रहों, राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक प्रतिफलों, वैचारिक प्रतिष्ठानों के पूर्वाग्रहों, अकादमिक समुदाय के विचार-ग्रंथियों, अभिजन-आधृत सैद्धांतिकी की

अंतर्निहित दुर्बलताओं तथा पश्चिम-केंद्रित आकर्षणों के परिणाम स्वरूप अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित लोकतंत्र के समकालीन संस्करण 'संसदीय लोकतंत्र' की संवैधानिकता ने भी भारतीयता की अभिव्याप्ति की आशंका से भयक्रांत होकर उसे अनायास ही त्याज्य और निष्प्रयोज्य मान लिया' (शर्मा, 2021)। अतः, उपरोक्त पृष्ठिभूमि में भारतीय राजत्व के मूल्यों पर विमर्श अत्यंत प्रासंगिक है; यह न सिर्फ़ हमें अपनी पुरानी जड़ों की ओर लौटने के लिए प्रेरित करेगा, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा की स्रोतस्विनी के प्रवाह- सातत्य का मार्ग भी खोज सकेगा।

भारतीय ज्ञान परंपरा में राजदर्शन- राजदर्शन का संबंध मुख्यत: राजनीतिक सिद्धांतों से है जिनसे शासन- प्रशासन का नित्यप्रति कार्य-निष्पादन होता है। राजदर्शन राजा, प्रशस्ता और संस्थानों यथा अमात्य-परिषद, दंड-पालक, सैन्य-व्यवस्था, कराधान इत्यादि के कर्तव्य, प्रकृति, परिधि और वैधता के प्रश्नों को संबोधित करता है। प्राचीन भारत में राजाओं के लिए नियम-कानून और कर्तव्य होते थे, इन्हें ही राजधर्म कहा जाता था। प्राचीन भारत में एक और शब्द 'दण्डनीति' आता है। इसका सम्बन्ध भी शासन के कार्यों अथवा शासन तन्त्र से है। इसे 'प्रशासन का शास्त्र' भी कहा गया। कौटिल्य का मानना है कि मनु, वृहस्पति और शुक्राचार्य द्वारा वर्णित चार विद्याओं में से दण्डनीति एक है (गैरोला, 2021)। प्राचीन भारतीय विचारकों का मानना था कि प्रभुसत्ता ही राज्य का आधार है। इसलिए भारतीय विचारक दंडनीति को महत्वपूर्ण मानते थे। बिना दण्ड के किसी प्रकार के राज्य का अस्तित्व सम्भव नहीं है। दण्डनीति का समर्थक मनु कहते हैं कि श्जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो दण्ड उनकी रक्षा करता है। उसी के भय से लोग न्याय का मार्ग अपनाते हैं' (मनु, 2020)। काशीप्रसाद जायसवाल इस दण्ड नीति को 'सरकार के सिद्धान्त' नाम देते हैं (जायसवाल, 2016)।

भारत की ज्ञान परंपरा का 'राजदर्शन प्रजा-हितैषी, शासन की सुरक्षा, उन्नति, सुस्थिरता एवं प्रजा-आकांक्षाओं के अनुरूप नीति-निर्माण, नियोजन एवं कार्यान्वयन में जिन पद्धतिओं का अनुसरण करता है, उसी को 'राजधर्म' कहा गया है' (शर्मा, चंचल, नैन, 2023)। भारतीय परंपरा का राजधर्म वास्तव में राजा और उसके मंत्रिपरिषद के लिए उच्च आदर्श स्थापित करता है, यही कारण है कि भारत का राजा निरंकुश नहीं हो सका। राजधर्म के वैशिष्ठ्य से अनुप्राणित भारत का राजा अपने राजकीय कर्म में प्रजा-कल्याण को सदैव प्रथम स्थान पर रखा। भारत का राजधर्म राजा के लिए उसकी प्रजा को पुत्र समान स्थापित करता है। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में राजधर्म से संबंधित नीतिवचन लिखा गया है, 'प्रजासुखे सुखम् राज्ञा:' (गैरोला, 2021)। महाभारत में राजधर्म का उद्घोष करते हुए भीष्म कहते हैं कि 'राष्ट्र का सर्वप्रथम कर्तव्य राजा का विधिवत् राज्याभिषेक करना है। राजा रहित राज्य दुर्बल रहता है। ऐसे राज्य में दस्यु आक्रमण करते हैं- राष्ट्रस्यैत कृत्यम राज्ञ एवाभिषेचनम। अनिन्द्रबलम राष्ट्रम् दस्यवौभिवन्त्युत।। (शर्मा, चंचल, - नैन, 2023) (शांतिपर्व,)67/3। भारत का राजधर्म राजा को शीर्ष पर रखते हुए उसके लिये कर्तव्यों की एक विस्तृत श्रृंखला उस पर आरोपित करता है। 'राजा राष्ट्र की उन्नति के लिए आरंभिक आवश्यकता है' (शर्मा, चंचल, - नैन, 2023), न की आवश्यक बुराई, जैसा की पश्चिमी ज्ञान-मीमांसा में उद्घाटित है। इस प्रकार राज्य की

सुव्यवस्था, उन्नति, सुरक्षा और शांति के लिए राजधर्म महत्वपूर्ण है।

भारतीय ज्ञान में राजधर्म पर विस्तृत चिंतन मिलता है। यह मनुस्मृति, याज्ञवल्क, वृहस्पति, महाभारत से लेकर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित है। सभी का सार यह स्थापित करता है कि 'राजा समस्त प्रजा की सवायव प्रस्तुति है। वह प्रजा का प्रथम अथवा प्रधान शरीर है। प्रजा भी राजा के अनुपम एवं अप्रतिम शारीरिक स्वरूप है (शर्मा, 2023)। प्राचीन भारत में राजधर्म वर्तमान के लिखित संविधान की तरह ही हैं, लेकिन राजधर्म का वैशिष्टय ज्यादा है। चूँकि राजधर्म राज्य (राजा एवं प्रजा) दोनों के लिए दिशा- निर्देश को व्यवस्थित करता है, जबकि आधुनिक संविधान राज्य की शक्ति को नियंत्रित कर जनता को राज्य के विरुद्ध शक्ति प्रदान करता है। यही कारण है कि आधुनिक राष्ट्र-राज्यों में संविधान की व्यवस्था होने के बावजूद भी सामाजिक असंतोष बने रहते हैं और राज्य-व्यवस्था अस्थिर रहती है। प्राचीन भारत में 'राजधर्म के आधार पर, राजा, राजा के अधिकार एवं कर्तव्य, प्रशासनिक, न्यायिक, विधायी एवं युद्धनीति संबंधी विचारों का विस्तृत वर्णन मिलता है। राजधर्मधारण राजा के द्वारा ही प्रजा धर्माचरण एवं कर्तव्य पालन की ओर उन्मुख होती है (शर्मा, 2023)। 'राजधर्म ही राजा को कर्तव्यपरायण और प्रजा को नियमबद्ध, कर्तव्यबद्ध एवं धर्मबद्ध करता है। भीष्म कहते हैं कि राजधर्म में समस्त त्यागों का दर्शन समाहित है। राजधर्म में सारी दीक्षाओं का प्रतिपादन हो जाता हाई। संपूर्ण विद्याओं का सुयोग राजधर्म में सुलभ है। समस्त लोक राजधर्म में प्रविष्ट है' (शर्मा, 2023) (शांतिपर्व, 63/29)।

राज्य-व्यवस्था के प्रबंधन के लिए राजधर्म का महत्व भारत के लगभग सभी दर्शनों और मतों में प्रतिपादित है। यह राजा और उसके आनुषंगिक संस्थाओं के साथ-साथ प्रजा के कर्तव्यों को नियमित करता है। यही कारण है प्राचीन भारत में राजा-प्रजा का अन्योन्याश्रित संबंध था। दोनों एक दूसरे को प्रतिपूरित करते थे। उनके बीच विपरीत संबंध नहीं था। इसके ठीक विपरीत आधुनिक राष्ट्र-राज्य की अवधारणा में राज्य की असीमित शक्ति नागरिकों के विरुद्ध है और पश्चिम के ज्ञान-मीमांसा में यह राज्य-प्रजा के बीच संघर्ष का स्पष्ट उद्घाटन होता है। संपूर्ण मध्ययुगीन पश्चिमी राजनीतिक चिंतन राजा, चर्च और प्रजा के बीच संघर्ष स्पष्ट उल्लेख करते हैं। आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक चिंतकों ने राज्य के असीमित शक्तिशाली होने की चिंताओं पर लेखन किया है। कभी राज्य 'आवश्यक बुराई बन जाता है', तो कभी राज्य 'अनावश्यक बुराई' समझा जाता है। कभी राज्य 'धरती पर ईश्वर का अवतरण' बताया गया तो कभी वही राज्य 'शोषण का यंत्र' सिद्ध हो जाता है। यही कारण है कि पश्चिमी ज्ञान-मीमांसा में राज्य और प्रजा के बीच संतुलन के लिए एक तीसरी संस्था, 'नागरिक समाज', पर बहुत ज़ोर दिया गया है। जबकि भारतीय ज्ञान-मीमांसा राज्य-प्रजा के बीच राजधर्म के माध्यम से ऐसा अनुपम गठबंधन तैयार करती है कि किसी तीसरी संस्था के लिए कोई स्पेस नहीं रहता। इसका मुख्य कारण भारतीय राजदर्शन की इस मान्यता में निहित है कि 'राजनीति का उद्भव जिसे पहले दण्डनीति भी कहा जाता रहा है,

लोकमंगल और सर्वजन हिताय के लिये हुआ था। राजनीति की उत्पत्ति का प्रमुख हेतु संपूर्ण जगत् की रक्षा और धर्म, अर्थ तथा काम की स्थापना है (त्रिपाठी, 2023)।

भारत का राजधर्म राजाओं के लिये विशिष्ट गुणों का वर्णन करता है। महाभारत का कथन करता है कि धर्म का अनुसरण करने वाले, सत्य, दान और टैप में संलग्न रहने वाले, दया आदि गुणों से युक्त, काम-क्रोध आदि दोषों से रहित, प्रजापालनपरायण, उत्तम धर्मसेवी तथा गौओं और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध करने वाले राजाओं ने परम उत्तम गति प्राप्त की है (शर्मा, 2021)।

भारतीय राजदर्शन की वर्तमान प्रासंगिकता- आधुनिकता की एकल तार्किकता ने यह सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया था कि लोकतंत्र समस्त दुनियावी/लौकिक समस्याओं से मुक्ति की राह प्रशस्त करेगा। आधुनिक प्रचार माध्यमों और पश्चिमी शिक्षा पद्धति की प्रधानता ने 19 वीं सदी के उत्तरार्द्ध और 20 वीं सदी के पूर्वार्द्ध में यह बात ज़ोरदार ढंग से स्थापित किया और लोकतंत्र को मानवता के सुंदर भविष्य का एकमात्र साधन बताया। इस एकायमी तर्क की पहली कसौटी फ़्रांस की क्रांति से निकले नारे 'स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व' में दिखी। थोड़े ही समय में इस नारे का खोखलापन समूचे यूरोप ने महसूस किया। लेकिन तबतक पश्चिमी प्रचार माध्यम और आर्थिक शक्तियाँ नये ठिकाने ढूँढ चुकी थी। यूरोप से निकलकर लोकतंत्र का यह स्वप्न एशियाई समाजों के आँखों में पालने लगा। मध्य-पूर्व एशिया में बाहरी शक्ति का प्रयोग कर करवाई गई 'रंग-क्रांतियों' से समूचे राजनीतिक-व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया गया। सेना और घुसपैठ के दम पर लोकतंत्र लाने का दु:ख-स्वप्न अब सामूहिक दु:ख-स्वप्न बन चुका है। इसके ठीक पीछे चीनी प्रकार की जनतांत्रिक साम्यवादी व्यवस्था इस दु:ख-स्वप्न से निकलकर एक नये प्रकार के दोज़ख़ का द्वार खोलने को आतुर है। नाउम्मीदी और निराशा के इस कठिन समय में भारतीय राजदर्शन पुन: आशा की मशाल लिए खड़ी है- वसुधैव कुटुम्बकम। राजनीतिक जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और समानता की स्थापना तभी हो सकेगी जब शासक और शासित के बीच दूरी न हो। शासक अपने राजनीतिक दायित्वों को समझे और शासित अपने कर्तव्यबोध से युक्त हों। शासित स्वयं को शासन का भाग समझे और शासक उन्हें इस बात का बोध कराए की उनके बिना राज्य और प्रशासन का कोई मूल्य नहीं है।

यह सब प्राचीन भारतीय राजधर्म के मूल्यों को नये समय के साथ युक्तियुक्त ढंग से परिभाषित करने से संभव हो सकेगा। यह उचित अवसर है जबकि राजनीतिक अस्थिरता, अराजकतावाद, नस्लीय भेदभाव, आतंकवाद, शरणार्थी समस्याओं, भूख और बेगारी की चुनौतियों से जूझ रही मानवता के लिए नए सिद्धांत गढ़े जायें। तथाकथित पश्चिमी राजदर्शन की सीमाएँ अब स्पष्ट हो चली हैं। उदारवादी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ समृद्धशाली राष्ट्र-राज्यों की चाकरी में लगी है। कोरोना जैसी महामारी से घिरा विश्व को जब कोई राह नहीं सूझ रहा था तब भारत की प्राचीन अवधारणा ने राह दिखा। इसलिए, आवश्यकता है ऐसे नए सिद्धांतों और राजदर्शन को व्यवहारित करने की जिसमें द्वैत के बजाय अद्वैत का भाव हो। और अद्वैत भारतीय ज्ञान परंपरा का प्राण है।

संदर्भ सूची-

- मिश्र, स. क. (2024 अप्रैल 14). प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा समाज के लिए प्रेरणादायी. https://www.jansatta.com/national/ancient-indian-knowledge-tradition-is-inspiring-for-society/3307938/
- शर्मा, स. क. (2021). भारत का राजारू महाभारत में राजत्व का परिप्रेक्ष्य, अमदावाद: भारतीय विचार मंच, भारत शोध संस्थान
- जायसवाल, क. (2016). हिंदू राज्य-तंत्र. वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन.
- गैरोला, व. (2021). कौटिलीय-अर्थशास्त्रम. वाराणसी, चौखंबा विद्याभवन
- मनु. (2020). मनुस्मृति . नई दिल्ली, प्रभात प्रकाशन
- शर्मा, स. क., चंचल, - नैन, अ. (2023). प्राचीन भारतीय राजनीति. मेरठरू राहुल पब्लिशिंग हाउस.
- शांतिपर्व. (67/3). महाभारत
- शर्मा, स. क. (2023). प्राचीन भारत में राजधर्म की अवधारणा. प्द स. क. शर्मा, राजनीतिक चिंतन की भारतीय दृष्टि. नई दिल्लीरू प्रभात प्रकाशन.
- शांतिपर्व. (63/29). महाभारत.
- त्रिपाठी, श. म. (2023). राजनीतिक चिंतन का पुनर्भ्रमण: पौर्वात्य एवं पाश्चात्य. प्द स. क. शर्मा, राजनीतिक चिंतन की भारतीय दृष्टि. नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन .

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 6.375, ISSN 0975-4083
Vol.- 29, Hindi Edition, Year-15, April- September 2025

महाभारत एवं गांधी संग्राम

•भारती शर्मा

सारांश- औपनिवेशिक काल में छपी कई कविताओं में उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन का सजीव व सटीक चित्रण किया गया है। प्रस्तुत आलेख में 'गांधी संग्राम' द्वितीय भाग के नाम से छपी पुस्तिका में प्रकाशित कविता, भारतीय जन आंदोलन एवं ब्रिटिश सरकार के क्रूर अत्याचारों की गाथा प्रस्तुत करती है। इस कविता में महाभारत के नायकों एवं खलनायकों की तुलना गांधी के आंदोलन के नायकों एवं खलनायकों से की गई है। जिसे पढ़कर भारतीय जनमानस में जागरुकता आई एवं घबराकर ब्रिटिश सरकार ने इस पुस्तिका को प्रतिबंधित कर दिया।

मुख्य शब्द- महाभारत, आंदोलन, गांधी, संग्राम, स्वतंत्रता।

स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारतीय साहित्यकारों एवं कवियों के द्वारा कई रचनाएं लिखी एवं प्रकाशित की गई जिसमें ब्रिटिश शासन की खुलकर आलोचना की गई तथा अंग्रेजों की शोधपूर्ण नीतियों से भारतवासियों को परिचित करवाने का प्रयास किया गया। इन कविताओं एवं लेखों के माध्यम से देशवासियों में देशभक्ति की भावना बलवती हुई, साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ चलाये जा रहे आंदोलन को बल मिला। इसके प्रतिक्रियास्वरूप इन साहित्यिक रचनाओं को ब्रिटिश सरकार द्वारा राजद्रोहात्मक मानते हुये प्रतिबंधित कर दिया गया। बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना में संरक्षित संचिकाओं को पढ़ने के क्रम में मुझे कई ऐसी संचिकाएं मिली जो ब्रिटिश भारत में प्रतिबंधित की गई थी। ऐसी ही एक संचिका 'गांधी संग्राम' द्वितीय भाग नामक पुस्तिका को प्रतिबंधित करने से संबंधित है। द्वितीय भाग होने से यह तो पता चलता है कि इसका प्रथम भाग भी अवश्य रहा होगा। पर गांधी संग्राम पहला भाग से संबंधित संचिका बिहार राज्य अभिलेखागार में मुझे अभी तक नहीं मिली है। शायद उस पुस्तिका में वैसी बात नहीं होगी जिसके कारण उसे प्रतिबंधित किया जा सके। पर उसके प्रथम भाग को खोजना एवं उसके बारे में जानना खोज एवं शोध का विषय है। इस कविता में भी इस बात की चर्चा है, जो इस प्रकार है–

महावीर का सुमरन करके, गुरु अपने को शीश नवाय।
गांधी जी की आल्हा का, दूजा हिस्सा लिखूं बनाय।।[1]

गांधी संग्राम, द्वितीय भाग हिन्दी में प्रकाशित एक पुस्तिका हैं, जो स्वामी

• आर्किविस्ट, बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना

स्वरूपानंद संन्यासी द्वारा लिखित और द्वादश श्रेणी प्रेस, दिल्ली से 1931 में प्रकाशित हुई थी, जिसका मूल्य एक आना था।[2] यह पुस्तिका सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय प्रकाशित हुई थी। उस समय के ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र और राजनीतिक षड्यंत्रों की इसमे विस्तार से चर्चा की गई है। कविता की शुरुआत ईश्वर और भारतमाता को प्रणाम करते हुये की गई–कविता के बोल हैं–[3]

पहिले सुमरु ईश्वर को दूजे भारत को सिर नाय।
देवी सुमरु बँगाले की जो असने में करे सहाय।।1

कविता में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय जनता की गिरफ्तारी, संपत्ति की कुर्की जब्ती एवं निहत्थे लोगों को लाठी से पीटने का वर्णन किया गया है। कविता में लिखा है कि भारतीय गांधी जी के बताएं मार्ग का अनुसरण करते हुये शांतिपूर्ण ढ़ग से आंदोलन करते पर पुलिस निहत्थे लोगो पर लाठियां चलाकर देश में शांति बिगाड़ने का काम करती है जिससे मामला और बिगड़ता है। यह सत्य ही था सरकार की दमनात्मक नीति के विरोध में अधिक से अधिक लोग आंदोलन में शमिल हुए थे। महिलाएं भी अधिक संख्या में आंदोलन में भाग लेकर ब्रिटिश शासन की जड़ो को हिलाने में अहम् भूमिका निभा रही थी। कविता की पंक्तियां हैं–[4]

गिरफ्तारी जोरों से हो रही, सौ दौ सौ की गिनती नाय।
कानूनो को ठुकरा करके, कुर्की जब्ती रहे कराय।।[4]
जगह जगह निहत्थों के ऊपर, लाठी गोली दई चलाय।
ऐसा जुल्म किया भारत में इनको जेबा देता नाय।।[5]

महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर बल दिया था। उनका मानना था कि इससे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा एवं भारत में आर्थिक रुप से ब्रिटिश हस्तक्षेप भी कम होगा। उनका यह भी मानना था कि ब्रिटिश भारत पर इसीलिए शासन कर पा रहे हैं क्योकि भारतीय उनका सहयोग कर रहे हैं। 'गांधी संग्राम' कविता में भी यह कहा गया है कि जिस दिन भारतीय अपनी सेवाएं अंग्रेजी सरकार को देना बंद कर देंगे उसी दिन उन्हें स्वराज्य मिल जायेगा।

जिस रोज काम छोड़ दे सारे, स्वराज इन्हें जभी मिल जाय।
टट्टू से रह जाय पकड़ते, नहीं हमारी पार बसाय।।[5]

कांग्रेस वर्किंग कमिटि से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरु करने की इजाजत के बाद गांधी ने अपने 78 साथियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की। उस समय जवाहर लाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे उन्होंने आंदोलन की गति को तीव्र करते हुये लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजूट किया जिससे घबराकर ब्रिटिश सरकार ने 14 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार करके नमक कानून का उल्लंघन करने के आरोप में छह महीने की सजा दी । नेहरु गांधी को अपनी अनुपस्थिति में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, पर उनके इन्कार करने पर मोतीलाल नेहरू को कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया।[6]

गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन तीव्र होता जा रहा था। 1 मई 1930 तक भारत सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार करने का निर्णय ले लिया एवं उनकी गिरफ्तारी के लिये

4 मई का दिन निश्चित किया गया। गांधी की गिरफ्तारी से उग्र प्रदर्शन एवं हड़ताल होने की संभावना थी। अत: इस खबर को गुप्त रखा गया एवं पूरे देश में पुलिस को तैनात कर दिया गया। एवं इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि बकरीद के कारण इतनी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। सरकार की पूर्व योजना के अनुसार 4 मई 1930 को रात के पौने एक बजें गांधी को दांडी से तीन मील दूर करादी शिविर में गिरफ्तार किया गया एवं यरवदा के केन्द्रीय कारा में रखा गया।[7] गांधी की गिरफ्तारी के बारे में मीरा बहन ने लिखा 'आधी रात' में वे चोरों की तरह आए, उन्हें चुरा ले जाने के लिए क्योंकि उन्होंने उन पर हाथ लगाना चाहा तो वे जनता से डर रहे थे। क्योंकि जनता उन्हें पैगम्बर मानती थी।[8]

30 जून 1930 को कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रभारी अध्यक्ष एवं सचिव मोतीलाल नेहरू एवं डॉ. सैयद महमूद भी गिरफ्तार कर लिये गये एवं कांग्रेस कार्यकारिणी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इन गिरफ्तारियों के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे। जब भारतीयों पर नियंत्रण रखना सरकार के लिये मुश्किल हो गया तो सरकार ने डॉ मुकुंद राव जयकर और तेजबहादूर सप्रू को जेल में गांधी, मोतीलाल नेहरू एवं जवाहर लाल नेहरू से मिलकर समझौता कराने के लिए भेजा।[9] दोनों ने 23-24 जुलाई को गांधी से यरवदा जेल में एवं 27 जुलाई को मोतीलाल नेहरू एवं जवाहर लाल नेहरू से नैनी जेल में मुलाकात की एवं समझौता हेतु प्रयास किया पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इस बारे में कविता की पंक्तियां है-[10]

जैकर और सप्रु बुलवा कर, सारी बात कही सुनाय।
अपनी तरफ से सुलह करादो, नहीं बात हमारी कानों जाय।।

समझौते के लिये जवाहर लाल नेहरू एवं मोतीलाल नेहरू को एक विशेष रेलगाड़ी से नैनी जेल से यरवदा जेल ले जाया गया था। जहां गांधी एवं कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ 13 से 15 अगस्त तक बातचीत हुई।[11] पर इसका कोई परिणाम नहीं निकला क्योंकि सरकार एक ओर समझौते के लिये बातचीत कर रही थी तो दूसरी ओर उसकी पुलिस का दमनचक्र जेल के बाहर चल रहा था।

इस कविता में स्वामी स्वरूपानंद ने लार्ड इरविन की तुलना शकुनी से करते हुए लिखा कि इरविन शकुनी की तरह पासा फेंकता है एवं गांधी को फंसाने के लिये तरह-तरह के जाल बिछाता है। जिस तरह द्वापर युग में अत्याचारी दुर्योधन पांडवों को एक गांव भी देना नहीं चाहता था जिसके कारण महाभारत जैसा भयंकर युद्ध हुआ, उसी तरह ब्रिटिश सरकार भी भारतीयों को किसी भी तरह का अधिकार देना नहीं चाहती है, जिसके कारण स्वतंत्रता संग्राम ने भीषण रूप धारण कर लिया है जिसका परिणाम ब्रिटिश शासन का अंत होगा।[12]

दुर्योधन था जालिम द्वापर, एक गांव तक दिया नाय।
आखिर कृष्ण ने कर महाभारत, उसका दिया नाम मिटाये।।

गांधी संग्राम में द्वापर युग के महाभारत एवं कलियुग के महाभारत के बीच तुलना करते हुए उसकी विस्तृत व्याख्या की गई है एवं उस समय के नायकों की तुलना गांधीयुगीन नायकों से की है जो काफी रोचक है। इस कविता में गांधी की तुलना कृष्ण से एवं सरदार पटेल की तुलना सत्य के अवतार युधिष्ठिर से की गई है। सरदार पटेल को

युधिष्ठिर के साथ-साथ भीमदेव के जैसा भी माना गया है। जिन्होने बंबई, गुजरात एवं मद्रास में जागृति लाने काम किया है। पंडित जवाहर लाल नेहरु की तुलना अर्जुन से की गई है जो अपने दुश्मनों पर बड़ी निड़रता से हमला करते हैं एवं उनके सहायक के रुप में कृष्णस्वरुप गांधी है जो बिना शस्त्र उठाये अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिये तत्पर हैं।[13] कविता के बोल है-[14]

अब कलयुग में गांधी जी ने, लिया कृष्ण औतार।
करी लड़ाई असहयोग की, नही कर में पकड़े हथियार।।
पटेल विजय है धर्म युधिष्ठिर, सच्चाई के जौ औतार।
कभी झूठ वो नहीं बोले, चाहे बाजी जावे हार।।
अर्जुन औतार वीर जवाहर, दुश्मन पर चढ़ जाय किलकार।।

नेकी राम[15] को सहदेव के समान एवं शंकर लाल की तुलना नकुल से की गई है जो किसी भी प्रकार के दमन से भयभीत नहीं होते। नेकी राम हरियाणा के भिवानी जिले के कलिंगा गांव के थे जिन्होने 1907 ई. से ही स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। उनके पुत्र की शादी के समय और पुत्री के निधन के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल से नही छोड़ा था। भारत की आजादी के बाद उन्होने स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन यह कहते हुये अस्वीकार कर दी थी कि वह उनका देश धर्म था।

महाभारतकालीन स्त्रियों के किरदारों से तुलना करते हुए गांधी संग्राम कविता में कहा गया है कि द्वापर काल में तो केवल एक ही द्रौपदी थी पर गांधी युग में कई द्रौपदियां हैं- कमला नेहरु, सत्यवती, पार्वती, उर्मिला एवं और भी कई की चर्चा इस कविता में की गई है।

द्वापर में थी द्रौपदी, अब घर-घर में है औतार।
कमला नेहरु सत्यवतीजी, पार्वती उर्मिला राजकुमार।।[16]

दिल्ली की राष्ट्रवादी स्त्रियों में सत्यवतीजी ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। यह स्वामी श्रद्धानंद जी की पौत्री थी एवं भारत की 'जॉन ऑफ आर्क' के नाम से विख्यात थी। इनका जन्म 26 जनवरी 1906 में पंजाब के जालंधर में हुआ था। उनकी मां महात्मा गांधी की अनुयायी थी। सत्यवतीजी का विवाह दिल्ली के कपड़ा मिल अधिकारी वीरभद्र से 1922 में हुआ था। गांधी जी उन्हें प्यार से 'तूफानी बहन' कहते थे। अरुणा आसफ अली के अनुसार वह सत्यवती की प्रेरणा से ही राष्ट्रीय आंदोलन में उतरी थी। सत्यवती जी ने दिल्ली के कपड़ा मिलों के श्रमिकों के उत्थान के लिये कार्य किया था तथा कांग्रेस महिला समाज एवं कांग्रेस देशसेविका दल की स्थापना की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय स्वयंसेवको के साथ नमक बनाकर बांटा था। जिसके कारण उनको 11 महीने के बेटे के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया एवं दो वर्ष की सजा हुई। जेल में ही उन्हें फुफ्फुसावरण शोध एवं क्षय रोग हो गया। जेल में उनके अच्छे व्यवहार के कारण ब्रिटिश सरकार उन्हें छोड़ने के लिये तैयार थी पर इसके लिये उन्हें राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं लेने की शर्त्त माननी थी। जो कि उनको मंजूर नहीं था। इन्हें अपने स्वास्थ्य से ज्यादा चिंता अपने देश की स्वतंत्रता एवं स्वाभिमान की थी। बीमारी के कारण जेल में दिनोंदिन उनकी स्थिति बिगड़ती गई एवं 21 अक्टूबर 1945 में जेल में ही उनका देहांत हो

गया।[17] जेल में उनके द्वारा लिखी कविता 'बहिन सत्यवती का जेल संदेश' काफी लोकप्रिय हुई थी। दिल्ली में स्थित सत्यवती कॉलेज आज भी इनके बलिदान की याद दिलाता है।[18] मेरठ की उर्मिला देवी जिन्हें विवाह के मात्र दस महीने बाद ही छ महीने की सजा सुनाई गई थी। जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकान पर पिकेटिंग का कार्य किया था। 10 मई 1930 को जब वे टाउन हॉल में छात्रों की मीटिंग को संबोधित कर रहीं थी एवं शराब की दुकानों पर धरना देने एवं बंद करने की अपील कर रहीं थी तो उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर छः माह जेल की सजा दी गई। जेल में यातना के तौर पर उन्हें गंदे और बदबूदार कमरे में रखा जाता था एवं आटे में रेत मिलाकर रोटी खाने के लिये दी जाती थी जिसके कारण जेल में ही वे बीमार पड़ी एवं 1942 में उनका देहांत हो गया।[19]

कविता में कस्तुरी बाई[20] की तुलना कुन्ती से की गई है जो वृद्ध, सरल हृदय वाली एवं सबके प्रति दयालु है। कस्तुरी बाई मध्यप्रदेश की रहने वाली थी तथा स्वतंत्रता सेनानी के साथ-साथ कवयित्री भी थी। वह माखनलाल चतुर्वेदी की बहन थी तथा स्वतंत्रता संग्राम में कई बार जेल गई थी।

कुन्ती है कस्तुरी बाई, वृद्ध अवस्था सरल स्वभाव।
दया रखे सबके ऊपर, कभी नहीं लाती है ताव।

रामपाल की तुलना वीर अभिमन्यू से की गई जो दुश्मनों के उकसावे एवं बहकावे में आकर अपने प्राण गवां बैठा था। इस कविता में मदन मोहन मालवीय की तुलना भीष्म से की गई है , जो अपने वचन के पक्के, वफादार और दोनों पक्षों के हितैषी थे।

रामपाल थे वीर अभिमन्यू, जिसने दीनी जान गमाएं।
दुश्मन धोखा करके ले गये, मिलकर के दिया मरवाएं।।
भीष्म पितामह है मालवीय जी प्रतिज्ञा का रखे ख्याल।
दोनों तरफ के शुभचिंतक हैं राजभक्त और देश प्रतिपाल।।[21]

डॉ अंसारी की तुलना राजा द्रुपद से और जमना दास की तुलना राजा विराट से की गई है। डॉ अंसारी एवं किचलू ने हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये प्रयास किये।[22]

द्रुपद हैं डाक्टर अंसारी, अनी जूडी पर पहुंच आय।
जमना दास विराट राव है, हर असने के करें सहाय।
मगध देश के बूढ़े तैयब जो अर्जून से कमती नाय।
डॉ महमूद और किचलू जी जोधा एक से एक सिवाय।।

ऐनी बेसेंट की तुलना अंग्रेजों यानि कौरवों की मददगार रही गांधारी से की गई। धृतराष्ट् की तुलना राज्य सचिव से की गई जो जनता के हित के बारे में न सोचकर केवल अपने हितों के बारे में सोचता है। वायसराय की तुलना दुर्योधन से की गई जो अपने दिमाग से न सोचकर दूसरों की कही बातों में आ जाता है और उसी के अनुसार निर्णय लेता है।

गांधारी एनीबेसेंट है जो अंग्रेजों को रही समझाय।
धृतराष्ट् भारत मंत्री हैं, भला बुरा कुछ सोचे नाय।।
दुर्योधन वायसराय साहब है जोश हुकूमत रहे जो छाय।

जिस किसी ने कान भर दिये, उस पर दिनों अमल जमाय।।[23]

परिषद की तुलना दुर्योधन के सौ भाईयों से की है जो लाभ- हानि, भला-बुरा कुछ नही सोचते बल्कि दुर्योधन यानि वायसराय का आदेश मानना ही उनका काम है। मि. पाल की तुलना कर्ण से की गई जो कांग्रेस के विरोधी बन गये थे। अली भाईयों की तुलना शकुनी से की गई जो शांति स्थापित नहीं होने देना चाहते तथा लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खडा कर देंते हैं।

कौंसिल एक सौ एक भाई हैं हानि लाभ की नहीं परवाह।
हलवा भाड़े से मतलब है चाहे राज रहो या जाय।।
गंग मंत्री होम मेम्बर है होती देते सुलह मिटाय।
कर्ण औतार पॉल भाई हैं हुवे कांग्रेस के दुश्मन जाय।।
अली ब्रदर औतार शकुनी जो गांधी से चुके नाय।
सुलह नहीं ये होने देवे आपस में है लड़वाये।।[24]

बांबे वाला की तुलना दुशासन से की गई जिस तरह दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया था उसी तरह बांबेवाला ने हजारों महिलाओं को जेल में डाल दिया है। जयकर की तुलना द्रोणाचार्य से तेजबहादूर सप्रु की तुलना कृपाचार्य से और साइमन की तुलना अश्वथामा से की गई है।[25]

दुशासन है बांबे वाला जो जवानी में रहा सन्नाय।
हजारों द्रौपदी पकड़ पकड़ कर जेलखाने में दई पहुंचाय।।
द्रोणाचार्य है जैकर जी कृपाचार्य सप्रुराय।
मन तो करता कांग्रेस अंदर उनके टुकड़े जो रहे खाय।।
अश्वथामा साइमन साहिब कलंक का टीका लिया लगाय।
बुरा भला सब कहती प्रजा हाय हाय कर रहे डकराय।।

तेजबहादूर सप्रु26 (8 दिसम्बर 1875- 20 जनवरी 1949) प्रसिद्ध वकील, राजनेता एवं समाज सुधारक थे। इतिहासकारों के अनुसार तेजबहादूर सप्रु एक तरफ ब्रिटिश शासन के खिलाफ थे पर गोपालकृष्ण गोखले की तरह इनका रुख उनके खिलाफ नरम था। एम. के. भगत लिखते है कि 'सप्रु अंग्रेजो के खिलाफ लडाई की अपेक्षा बातचीत के पक्षधर थे। इन्होंने स्वशासन की मांग तो की पर भारतीय स्वतंत्रता का कभी पुरजोर समर्थन नहीं किया''। सप्रु ने गांधी इरविन समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी।

अब्दुल वाहिद की तुलना जयद्रथ से की गई है जो बच्चों, महिलाओं और निहत्थे लोगों को पिटवाता है जिसमें दया का कोई अंश नही है। पेशावर वाले की तुलना कीचक से और जीहजूरो की तुलना सुशर्मा से की गई है जो लोगों को एक दूसरे से लडवाता है और खुद अलग रहकर तमाशा देखता है। अमेरिका की तुलना बभ्रुवाहन से एवं पटियाला प्रमुख की तुलना शल्य से एवं क्रुर डायर की तुलना जरासंध से की गई है।

जयद्रथ है अब्दुल वाहिद जरा दया जिसके मन में नाय।
बच्चे औरत निहत्थें को जो चाहे जहां दे पिटवाये।।
कीचक जानो पेशावर वाला घर घर औरत दिनी मिटवाय ।

सुशर्मा है जी हजूरी लड़वा दे और लड़ते नाय।।[27]

इस कविता में आगे यह वर्णन किया गया कि अंग्रेज यहां व्यापारी बनकर व्यापार करने आये थे। व्यापार करते-करते अंग्रेजों ने यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1717 ई0 में एक शिष्टमंडल उत्तरवर्ती मुगल शासक के दरबार में पहुंचा। उस समय फर्रुखशियर एक जानलेवा रोग से पीडित था, शिष्टमंडल में हैमिल्टन नामक एक डाक्टर ने फर्रुखशियर का इलाज किया था। इससे खुश होकर फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को कहीं भी व्यापार करने की अनुमति एवं अंग्रेजों द्वारा बनाये गये सिक्कों को भारत में सभी जगह मान्यता प्रदान कर दी। फर्रुखशियर द्वारा की गई इस घो'णा को ईस्ट इंडिया का मैग्नाकार्टा कहा जाता है।[27] व्यापार करने आये अंग्रेजों ने हिन्दूओं एवं मुसलमानों में फूट पैदा की, उन्हें आपस में लडवाया। एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ खडा करके उन्हें कमजोर किया और उनके राज्य को हड़पकर अपनी ताकत बढ़ाई। उन्होंने भारतीय खजाने को लूटा और लूटकर सोना- हीरा इग्लैंड ले गये। कविता में लाल किला की लूट का वर्णन है।

यह आये थे सौदागिरी को शाह की लडकी हुई बीमार ।
करा माफ महसूल इलाज कर अपनी कंपनी दी बिठाय।।
लूटे राजे सब भारत के इंग्लैंड दिया माल पहुचांय।
याकूत हीरे सभी निकाले लाल किले में देखो जाय।।[28]

अपने कारखाने चलाने के लिये भारतीय मजदूरों को अपंग, अपाहिज बना दिया, वे मात्र कच्चा माल उपजाने वाले बनकर रह गये। अंग्रेजों ने भारतीय कुटीर उद्योगों को नष्ट कर भारतीयों पर अधिक कर लगायें।[29]

दस्तकारी सब सीखी उनसे दी औजारों में आग लगाय।
हाथ काटकर अंधा कर दिया बहुत से फांसी दिये लटकाय।।
इग्लैंड अंदर करी तरक्की यहां से दिया नाम मिटाय।
और कामें बंद कराकर कोई जरिया छोडे नाय।।
जो चीजे यहां बनती थी उन पर दिया महसूल बढ़ाय।
राजा सब बस में कर लिये ऊपर दिये ऐजेंट बैठाय।।[30]

यह कविता इस बात की भी चर्चा करती है कि अंग्रेजों ने भारतीयों की शादी अंग्रेज महिलाओं से करवाई एवं उनसे उत्पन्न संतान संपत्ति की वारिस होगी ऐसा नियम बनाया। अंग्रेजों ने सी. आई. डी. का प्रयोग हिन्दू और मुसलमानों को एक दूसरे से लड़वाने के लिये किया।[31]

बहुतसों को दे दीनी लेडी और उनपर यह अहद कराय।
जो बच्चा होवेगा इससे वो ही मालिक राज कहाय।।[32]

इस तरह स्वामी स्वरुपानंद सन्यासी ने इस कविता में गांधी के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की तुलना महाभारत के नायकों से करते हुए ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों एवं नीतियों की चर्चा की है। जिसके कारण इस पत्रिका को सरकार के द्वारा सी. पी. सी. 1898 (एक्ट ऑफ 1898) सेक्शन 99ए के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया।[33]

संदर्भ सूची-

1. संचिका 337/1931 पोलिटिक्ल स्पेशल 1931 बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना,
2. गांधी संग्राम, द्वितीय भाग (पुस्तिका), दिल्ली, 1931, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, पृ. -1, छंद-2
3. प्रोस्क्राईब्ड डोक्यूमेंट इन द बिहार स्टेट आर्काइब्स, 1913-1947 (सं.) डॉ विजय कुमार, वोल्यूम-3 बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना, 2015, पृ.1646
4. गांधी संग्राम, द्वितीय भाग, पूर्वोद्धृत, छंद-1 वही, छंद-4 एवं 5, वही, छंद-9
5. के. के. दत्त, बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास, खंड-2,
6. बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना 1974, पृ.71वही, पूर्वोद्धृत, पृ.88
7. डी.जी. तेंदुलकर, महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, वोल्यूम-3 द पब्लिकेशन डिविजन, 1951 पृ.48
8. के.के. दत्त, पूर्वोद्धृत, पृ.106
9. गांधी संग्राम, द्वितीय भाग, पूर्वोद्धृत, पृ.1,छंद-2
10. संचिका 337/1931 पोलिटिक्ल स्पेशल 1931 बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना,
11. के. के. दत्त, पूर्वोद्धृत, पृ.106
12. प्रोस्क्राईब्ड डोक्यूमेंट इन द बिहार स्टेट आर्काइब्स, पूर्वोद्धृत, पृ. 1647
13. संचिका 337/1931, पूर्वोद्धृत,
14. गांधी संग्राम, द्वितीय भाग, पूर्वोद्धृत पृ0-6, छंद-55
15. इंटरनेट https://en.wikipedia.org
16. गांधी संग्राम, द्वितीय भाग, पूर्वोद्धृत, पृ0-7, छंद-61
17. जागरण, 28 अगस्त 2021, www.jagran.in
18. इंटरनेट https://hi.m wikipedia.org
19. इंटरनेट https:// jagran.com 6 जुलाई 2021
20. इंटरनेट bharat discovery.org
21. गांधी संग्राम, द्वितीय भाग, पूर्वोद्धृत, पृ0-7, छंद-61
22. उन्नति शर्मा, द प्रिंट, अक्तूबर 2019, इंटरनेट https://theprint.in
23. गांधी संग्राम, द्वितीय भाग, पूर्वोद्धृत, पृ0-8, छंद-71-73
24. प्रोस्क्राईब्ड डोक्यूमेंट इन द बिहार स्टेट आर्काइब्स, पूर्वोद्धृत, पृ.-1648
25. इंटरनेट https://en.wikipedia.org
26. संचिका 337/1931, पूर्वोद्धृत,
27. इंटरनेट https://en.wikipedia.org
28. गांधी संग्राम, द्वितीय भाग, पूर्वोद्धृत, पृ.-9, छंद-85एवं 90
29. संचिका 337/1931, पूर्वोद्धृत,
30. गांधी संग्राम, द्वितीय भाग, पूर्वोद्धृत, पृ.-10, छंद-94-96
31. संचिका 337/1931, पूर्वोद्धृत,
32. गांधी संग्राम, द्वितीय भाग, पूर्वोद्धृत, पृ.-10, छंद-99
33. सी. आई. डी. के डी. आई. जी. का पत्र जो दिनांक 5 अगस्त 1931 को मैकडोवेल को लिखा गया था।

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 6.375, ISSN 0975-4083
Vol.- 29, Hindi Edition, Year-15, April- September 2025

राजेन्द्र प्रसाद का शिक्षा संबंधी विचार: एक अध्ययन

• जितेन्द्र कुमार
•• दीपक कुमार दिनकर

सारांश- राजेन्द्र प्रसाद शिक्षा को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं मानते थे। बल्कि उनका मनाना था कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को अपने समय और समाज के प्रति संवेदनशील बनाना और उन्हें विश्लेषणात्मक रूप से सोचने क लिए तैयार करना है। जो मातृभाषा में संभव है। राजन बाबू का मानना था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए क्योंकि इससे छात्रों को अपने परिवेश और संस्कृति से जुड़ने में मदद मिलती है और विषयों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि छात्रों को समाज के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है। राजेन्द्र बाबू शिक्षा को राष्ट्र निर्माण और विकास के लिए शिक्षा की उपलब्धता पर जोर देते थे। राजेन्द्र प्रसाद ने स्वतंत्रता संग्राम में भी शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया और कहा की शिक्षा ही है। जो हमें गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कर सकती है। राजन बाबू अपना प्रारंभिक शिक्षा गाँव के मौलवी से प्राप्त की थी। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षावीद, कानूनवीद के साथ- साथ महान राजनेता भी थे। राजेन्द्र बाबू गाँव में जाकर विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए तथा चरखा चलाने के लिए स्वयं अपने से प्रशिक्षण देते थे ताकि हमारा समाज तरक्की की ओर जा सके। इसके लिए हर हमेशा राजन बाबू अग्रसर रहते थे।

मुख्य शब्द- शिक्षा, ज्ञान, समाज, उद्देश्य, मातृभाषा, संस्कृति, कानूनविद, स्वतंत्रता

परिचय- राजेन्द्र प्रसाद ने शिक्षा को अपने राष्ट्र का धरोहर माना और इसे समूचित रूप से विकसित और प्रचलित करने पर इन्होंने जोर दिया। मातृभाषा को शिक्षा का एक माध्यम बनाने और शिक्षा को छात्रों तक पहुंचाकर सामाजिक और आर्थिक विकास से

• शोद्यार्थी, विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग, तिलकामाँझी भागलपुर, विश्वविद्यालय भागलपुर (बिहार) 812007
•• सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, सुन्दरवती महिला महाविद्यालय, भागलपुर, तिलकामाँझी भागलपुर, विश्वविद्यालय, भागलपुर

जोड़ने पर विशेष ध्यान दिये। राजन बाबू शिक्षा के क्षेत्र में जो अलख जगाये वह एक महत्वपूर्ण कार्य था। उनके शिक्षा संबंधी जो विचार है उसे कई विदोओं के माध्यम से समझाया जा सकता है।

मातृभाषा शिक्षा का स्तम्भ- राजेन्द्र प्रसाद कहते थे, कि शिक्षा का जो स्तम्भ वह हमारा मातृभाषा था। क्षेत्रीय भाषा बिल्कुल नहीं है इससे छात्राओं को सीखने और समझने में आसानी होती है। जिससे मदद मिल जाता है।

सामूहिक शिक्षा- राजन बाबू शिक्षा को सिर्फ-पुस्तक तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे, उनका सोच और उद्देश्य था कि समाज के सभी वर्गो का छात्र सामुहिक शिक्षा में सम्मिलित हो।

नैतिक और सामाजिक तथ्यों पर बल- राजेन्द्र प्रसाद शिक्षा को नैतिकता और सामाजिक तथ्यों से जोड़ने पर हमेशा ध्यान देते थे। उनका सोच और विचार था कि शिक्षा हमेशा छात्र को सही और गलत का अनुभव प्राप्त करवाता है। समाज के बीच रहकर अपना सहभागिता को सही-सही समझ पाता है।

शिक्षा राष्ट्र के विकास का यंत्र- राजेन्द्र प्रसाद हमेशा मानते थे कि तब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक हमारा राष्ट्र का विकास सही से नहीं हो सकता है। शिक्षा से ही राष्ट्र विकास की और जा सकता है।

समग्र शिक्षा अत्यंत लाभकारी- राजेन्द्र प्रसाद का मानना था कि छात्रों को सभी प्रकार का शिक्षा होना अत्यंत जरूरी है। शिक्षा के रूप में शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा को भी बढ़ाने का काम करना चाहिए।

शिक्षकों का योगदान- राजेन्द्र प्रसाद हमेशा शिक्षकों के योगदान को महत्वपूर्ण मानते थे उनका कहना और सोच यही था कि शिक्षक बच्चों के ज्ञान देने के साथ-साथ उन्हें सही रास्ता और मार्गदर्शन भी करते हैं। जिससे बच्चों में अनुशासन का महत्व समझ में आता है। इस प्रकार शिक्षकों का योगदान छात्रों के लिए प्रेरणादायी होता है। अगर भारत में देखा जाय तो भाषा जो प्रश्न है। वह बहुत ही जटिल है या कहा जाय कि जटिल बना दिया गया है। यह प्रश्न स्वतंत्र भारत के राजनेता की जिम्मेदारी में रहा नहीं होगा, अन्यथा सत्ता और सरकारों के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं होता है। जो सरकार रातों-रात आपातकाल की घोषणा कर लगा सकता है। क्या भारत के आजाद होने क बाद भी लोगों के विश्वास में होकर उनसे आपस में विचार-विमर्श करके उनमें देश के प्रति सजग करके हिन्दी को सर्वश्रेष्ठ बना कर काम नहीं कर सकते हैं। इससे दुखद बात यह है कि ऐसा करते हुए हमारे आजाद भारत के राजनेताओं ने अपने महान पुरूषों का कभी आदर्श भावों से नहीं देखें। ऐसे हमारे देश के नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी और प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद जैसे महामानव का सम्मान नहीं कर पाये। राजेन्द्र प्रसाद के भाषा संबंधी जो भी विचार थे, चाहे वह हिन्दी के विषय हो या अंग्रेजी के अन्यथा किसी भी विषयों में उनका बिल्कुल विचार तर्कसंगत था। सभी को एक समान समझते थे और मानते भी थे। अंग्रेजों की गुलामी करते हुए भी अंग्रेजी भाषा का जनता के समस्या नहीं मानते हुए भी उसे शिक्षा का माध्यम के रूप में स्वीकार किये। राजन बाबू अंग्रेजी भाषा के विरोधी नहीं थे। उनका कहना था कि विदेशी भाषा

सीखने से हमारा कोई हानी नहीं पहुँचेगा। पूरे विश्व में कोई भी देश कम से कम एक विदेशी भाषा का सीख लेना शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक माना जाता है और वास्तव में यह सही भी है। इसलिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आजाद होने के बाद इस भाषा का धीरे-धीरे शिकार होने लगा। सारे शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी बना देने से अंग्रेजी का बाध्यता होना और दूसरे हिन्दी साहित्य समेत भारतीय भाषाओं में बाधा उत्पन्न कर इसके विकास में पुर्ण रूप से बाधा डालना राजेन्द्र प्रसाद कहते थे कि इससे कई गुना आश्चर्य और दु:ख की बात यह है कि आज भी हमारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में संस्कृत और देशी भाषाओं का ज्ञान और अध्ययन अंग्रेजी माध्यम में हो रहा है। आज भी हमारे राष्ट्र में शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों का स्थान महजुद हैं। भारत जो सुविख्यात देश है बहुभाषी और बहुसंस्कृति प्रधान देश होने के कारण उसमें हिन्दी भाषा, देश की भाषा, राज्य की भाषा के रूप में सहज स्वीकार्य होना चाहती है। भाषा के इन्हीं सभी गुणों के कारण राजेन्द्र प्रसाद हमेशा चाहते रहते थे कि हर बच्चों में उसके मातृभाषा के द्वारा ही शिक्षा ही जानी चाहिए। मानव अपने जीवन में किसी भी कार्य को सार्थक अपने मातृभाषा से ही कर सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए माँ अत्यत जरूरी होती है बस उसी तरह मातृभाषा भी माँ की समान होती है। राजेन्द्र प्रसाद कहते हैं कि आज कुछ बताने और कहने की जरूरत नही है। सभी शासन, शासक, शिक्षाविद, कानूनवीद सभी को पता है कि मातृभाषा का शिक्षा जीवन में कितना अत्यंत जरूरी और लाभदायक है। शिक्षा जीवन का अमूल्य अंग है। जिसे स्वस्थ बनाये रखना हमारा कर्त्तव्य होता है कि इसे जीवंत रखें।

शिक्षा में सांस्कृतिक का समावेश- राजेन्द्र प्रसाद बोलते हैं कि माँ सरस्वती की इस सुप्रसिद्ध मंदिर में कई वर्षो से साधना और घोर तपस्या के उपरांत आज स्तानक सभी भाईयों ने वरदान जो पाया है वह आपके जीवन के लिए अमोल कचव के तरह सुरक्षा प्रदान कर रही है। शिक्षा ही आपके जीवन में नौका की पतवार की तरह काम करेगी। मैं यह भी जानता हूँ कि सभी युवक भावुक हो चुके हैं और उत्साहित भी है। परंतु आपके जीवन में कितना सुनहरा अवसर मिला हो, सुखद की कल्पना हो रही है। वह आपके जीवन की समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए संपूर्ण मानव जीवन में शिक्षा पाना अमोध कचव के समान है। भाषण में राजेन्द्र प्रसाद बोले थे।

शिक्षा और वर्तमान की समस्या- राजेन्द्र प्रसाद बोलते हैं आज पूरी काशी सूनी पड़ी है। बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय बिल्कुल सूना है। वर्तमान में हम सब लाखों के जनसंख्या में महजूद है, तो भी यह सभा सूना-सूना लग रहा है। हमें मार्गदर्शन करने वाले पथ दिखाने वाले इस हिन्दु विश्वविद्यालय को जन्म देने वाले अपने मृत शरीर के साथ नहीं है परंतु उनका कृति अमर है। यश अमर है। उनका यश हमेशा शिक्षा की रोशनी के तरफ ले जायेगा। नमन है पूज्य मालवीय महोदय का जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को देकर पुरूषार्थ और तपस्या का परिचय दिये। राजेन्द्र प्रसाद कहते हैं कि काशी की पवित्र धरती पर हिन्दु विश्वविद्यालय हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा का मुकुट पहनाकर पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय महोदय का नाम मस्तिष्क ऊँचा करते रहते है।

राष्ट्र का शिक्षा पद्धति- राजेन्द्र प्रसाद बोलते हैं जब मैं राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के साथ गुरूकुल में समावर्तन के सभा में शिरकत हुए थे। उस समय देश के सभी नागरिक स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे थे। अंग्रेजों के साथ संग्राम जोर-सोर से चल रहा था फिर भी हमारे देश में शिक्षा पाने के लिए लोगों में उत्साह था। लेकिन अभी अंग्रेज देश छोड़कर भाग गये हमें अपना भाग्य खुद बनाना है। बिगड़ना है। फिर क्यों नहीं शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। आखिर इस शिक्षा मे क्या कमियाँ है? कमी के कारण शिक्षा से बंचित रह जाते हैं। देश में नया संबिधान बनाया गया। नये-नये प्रतिनिधि चुनाव जीतकर आ रहे हैं। फिर भी ये दुर्दशा है शिक्षा का। विद्या प्रचार के लिए सभी ग्रामीणों के पाठशालाओं से लेकर ऊँचा से ऊँचा शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों और ऐसे विद्वानों की जरूरत है। जो इस क्षेत्र में विद्या ज्ञान संबंधी खोज और शोध करके नये विचारों का प्रचार-प्रसार कर सके। कुछ नये बीमारी और अस्वस्थता के दूर करने और अच्छे विषयों के विद्वानों की जरूरत है। जो एक अच्छे आयुर्वेद बनकर सच्चे रूप से देश की सेवा कर सके। तो इसे राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की जरूरी है। इस प्रकार राष्ट्र शिक्षा का राजेन्द्र प्रसाद अलख जगायें।

उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए राजेन्द्र प्रसाद का कलकत्ता में आगमन- राजेन्द्र प्रसाद उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कलकत्ता के प्रेसीडेंसी महाविद्यालय में नामांकन लिया उनका मेहनत और लगन जारी रहा। फलस्वरूप एम. ए. और बी. ए. (स्नातक) दोनों की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाने के उपरांत राजेन्द्र प्रसाद को छात्रवृति के साथ-साथ पदक पुरस्कार दिया गया था। राजन बाबू को शुरू से पढ़ने में मन लगाते तथा शिक्षा पाने के लिए लालाहित रहते। राजेन्द्र प्रसाद को शुरू से सार्वजनिक कार्यो में लगाव ज्यादा रहता था। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय भी राजेन्द्र प्रसाद शिक्षा पाने के लिए घोर तपस्या और तप किये।

कानून की पढ़ाई में सक्रिय- राजेन्द्र प्रसाद स्नातक पास करने के बाद शिक्षा के महत्व को पूरी तरह समझ और देख चुके थे। बी. ए. पास करने के बाद एम. ए. (स्नातकोत्तर) और बी. एल. में नामांकन करा लिये। पढ़ाई बड़े लगन और उम्मीद से करने लगे तथा साथ ही साथ अपने जीवन के बारे में सोचने लगे कि अपने परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल भी रखा जाय क्योंकि राजेन्द्र प्रसाद पहले सोच लिये थे कि हमें सरकारी नौकरी नहीं करनी है। इसी बीच उनके पिता महादेव सहाय का देहांत मार्च 1907 ई. को हो गया जिस कारण से राजन बाबू संकट के घड़ी में फस गये। फलतः एम. ए. की परीक्षा पास किये। बिहार के मुजफ्फरपुर में 1908 ई. में एक महाविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक पद पर पदस्थापित हुए लेकिन कुछ दिनों के बाद ही यह नौकरी छोड़कर पुनः कलकत्ता वापस चले गये। फिर कानून अर्थात वकालत की परीक्षा देकर पास कर गये। फिर कुछ दिनों के लिए सीटी कॉलेज कलकत्ता में प्राध्यापक पद पर सुशोभित हुए। घर पर जाकर बच्चों को पढ़ाने का काम भी किये। राजेन्द्र प्रसाद शिक्षा के प्रति हमेशा सजग और दुरुस्त रहे उन्होनें शिक्षा के बल पर ही इतने बड़े-बड़े पद पर रहकर सेवा दिये। इन्होंने शिक्षा के महत्व को भली-भांति जानते थे। राजेन्द्र प्रसाद के कुशाग्र बुद्धि, दूरदर्शी, चरित्रवान, कर्तव्यनिष्ठ एवं सदा-सादगी जीवन के बारे में गोपाल कृष्ण गोखले अच्छे तरह से जानते थे। उन्हें पता था कि बिहार के राजेन्द्र प्रसाद एक मेधावी विद्यार्थी के रूप में उभड़ा है।

राजेन्द्र प्रसाद के शिक्षा की लगन और मेहनत को देखकर गोखले मन ही मन उत्साहित रहते थे। राजेन्द्र प्रसाद को बुलाकर गोखले छात्र सम्मेलन में भाग लेन बोले क्योंकि राजेन्द्र के बारे में तथा उनके गहण शिक्षा अध्ययन से गोखले अवगत थे।

संविधान सभा के अध्यक्ष- राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष 11 दिसम्बर 1946 ई. को सभी के सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इन्हें इस पद पर रखा जाय। अगर राजेन्द्र प्रसाद शिक्षित नहीं होते तो शायद यह पद उनके नसीब में होता। इन्होंने इस पद पर 24 जनवरी 1950 तक रहकर शिक्षा के प्रति देश के कोने-कोने में समाज के सभी वर्गों के लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते रहे।

राजेन्द्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री- वर्ष 1946 में भारत की अंतरिम सरकार में इन्हें 'खाद्य और कृषि' मंत्री का दायित्व सौपा गया। मंत्री पद पर रहते हुए इन्होंने नारा दिये "अधिक अन्न उपजाओ" इस नारा से मानो की भारत के हर नागरिक में एक नया उमंग और सोच आ गया। अधिक अन्न तभी उपजा सकते हैं, जब तक आप शिक्षा ग्रहण सही से नहीं किये जो एक शिक्षित लोग ही कृषि के सभी नियम कानून को भली-भांति समझ सकते है। अर्थात शिक्षा जीवन में जरूरी है।

भारत के प्रथम राष्ट्रपति- राजेन्द्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक गणराज्य में 26 जनवरी 1950ई. को राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाले। 13 मई 1962 ई. तक राजन बाबू इस पर पर बने रहे। इतने बड़े पद पर रहते हुए इनमें कुछ भी बदलाव नहीं आया। वही शादगी, वही विनम्रता, वही कर्त्तव्यनिष्ठा इत्यादि ऐसे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद थे। शिक्षा के बल पर इन्होंने कई पदों पर रहते हुए देश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया मे अपना छाप छोड़ दिये। शिक्षा के प्रति इनका जो लगन और ललक था उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। राजेन्द्र प्रसाद ऐसे थे, युग-पुरूष।

राजेन्द्र प्रसाद भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर उपहार में भेंट किये- जब राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति पद पर थे, उसी समय उनके पोती शारदा सहाय की शादी भागलपुर जिला (बिहार) के खंजरपुर स्थायी निवासी मुत्तेश्वर प्रसाद के सुपुत्र श्याम कृष्ण सहाय के साथ शादी हिन्दु रीति-रिवाज के साथ संपन्न हुई। शादी के कुछ दिन बाद राजेन्द्र प्रसाद की पोती अपने दादा से भागलपुर में विश्वविद्यालय देने की बात कही। राजेन्द्र बाबू इस बात को मानते हुए अपने पोती को विश्वविद्यालय उपहार में भेंट कर दिये। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिह को राजेन्द्र प्रसाद दिल्ली बुलाकर विश्वविद्यालय देने की बात कही। क्योंकि श्रीकृष्ण सिंह और राजेन्द्र प्रसाद कलकत्ता में साथ ही रहकर पढ़ाई किये थे। राजेन्द्र प्रसाद 12 जुलाई 1960 ई. को भागलपुर वासियों को भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर के स्थापना कराया। विश्वविद्यालय मिलते है पूरे राज्य में खुशी का माहौल बन गया। क्योंकि शिक्षा का बहुत बड़ा संस्थान की स्थापना हुई थी। इस विश्वविद्यालय में उस समय बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा कई राज्यों के बच्चे ने शिक्षा ग्रहण कर राजेन्द्र प्रसाद के नामों का उजागर किया। वर्त्तमान समय में भी कई राज्यों के बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त कर देश, राज्य और गाँव का नाम ऊँचा कर रहा है। बाद में बिहार सरकार के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए इस विश्वविद्यालय का नाम तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर रख दिया गया। आज भी इस विश्वविद्यालय के तहत हजारों

विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन में कुशल और लाभदायक समय व्यतीत करता है। इस विश्वविद्यालय में राजेन्द्र प्रसाद के पोती शारदा सहाय भी स्नातकोत्तर की पढ़ाई राजनीति विज्ञान विषय से की थी। पारिवारिक जंदगी के उपरांत पढ़ाई पुरी नहीं कर पाई। राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी शिक्षा का इतना बड़ा संस्थान देकर हर बच्चों को शिक्षित होने के लिए प्रेरित किये थे। समाज के हर बचित वर्गो के लोगों के लिए यह विश्वविद्यालय आज भी गौरवान्वित कर रहे हैं। शिक्षा ही दुनिया का सबसे बड़ा अनमोल रत्न और धातु है। जिसे ग्रहण करने से जीवन में हमेशा सुख और शांति मिलती है। आज देश में जो भी मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, विधायक सांसद और प्रधानमंत्री बन रहे है, वह शिक्षा का ही देन है। शिक्षा को किसी वस्तु से तौला नहीं जा सकता।

शिक्षा की मजबूती में राजेन्द्र प्रसाद के विचारों का वर्तमान समय में प्रासांगिकता- अगर आज के समय में देखा जाय तो राजेन्द्र प्रसाद के द्वारा जो शिक्षा में योगदान दिया गया है, वह सुस्पष्ट नजर आ रहा है। वर्तमान समय की बात किया जाय तो उनके दिये अनुसार आज पुरे भारत में एक समान शिक्षा का फायदा ले रहा है। देश के अंदर सभी धर्मो के लोगों को एक समान शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला है। राजेन्द्र प्रसाद सरल, विवेकशील, कर्तव्यनिष्ठ के साथ-साथ एक अच्छे शिक्षाविद भी थे। जिसका प्रभाव हमारे देश के लोकतंत्र में देखने को मिल रहा है। अगर आज शिक्षा की अभाव होता तो आपस में सभी धर्मो के लोगों में ईर्ष्या की भावना होती एक दुसरे से प्रेम और स्नेह नहीं करते आपस में एक दुसरे से भेदभाव की दृष्टि में संल्प्ति रहते। लेकिन उन महान आत्मा को नमन जिन्होंने देश के प्रति शिक्षा को मजबूत बनाने में अपने जीवन का बहुमूल्य समय समर्पित कर दिये और हमेशा देश की भलाई के लिए अग्रसर रहे। अर्थात शिक्षा को मजबूत करने में देशरत्न राजेन्द्र प्रसाद का अतुलनीय योगदान रहा है।

मूल्यांकन- राजेन्द्र प्रसाद आधुनिक भारत के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वह एक सर्वश्रेष्ठ नेता होने के साथ-साथ सुयोग्य प्रशासक एवं शिक्षाविद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष रहते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई। महात्म गाँधी के संपर्क में आने के बाद राजन बाबू राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के महत्व को समझें और गाँव-गाँव जाकर अपने से बच्चों को चरखा चलाने और कुटिर उद्योग चलाने के लिए शिक्षा देना शुरू कर दिये। कृषि मंत्री रहते हुए इन्होंने किसानों के बीच रहकर किसान को हमेशा अधिक अन्न उपजाओ के नारा देते हुए देश को सुखद और खुशहाल किये थे। राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति बनने के बाद भी शिक्षा संबंधी विचारों का बखान करते रहते थे। क्योंकि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ही भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर उपहार के रूप में सप्रेम भेंट किये थे। इस विश्वविद्यालय से लाखों विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने राष्ट्र और राज्य का नाम रोशन कर रहा है। राजेन्द्र प्रसाद उच्च शिक्षा का संस्थान देकर मानों चार-चांद लगा दिये हो। जो आज पूरे राज्य में शिक्षा की रोशनी जल रही है। इसका श्रेय राजेन्द्र प्रसाद को ही जाता है।

संदर्भ सूची-

1. "आत्मकथा" डॉ राजेन्द्र प्रसाद, प्रकाशक- साहित्य प्रकाशक मंडल दिल्ली पृष्ठ 61, 62, 102, 103, 109, 110, 111, 116, 117
2. "चम्पारण में महात्मा गाँधी" राजेन्द्र प्रसाद प्रकाशन- प्रभात प्रकाशक, दिल्ली पृष्ठ 103, 104, 109, 112
3. "भारतीय शिक्षा" राजेन्द्र प्रसाद, प्रकाशन- प्रभात प्रकाशक दिल्ली पृष्ठ 33, 34, 35, 53, 54, 55, 62, 63, 65, 66, 77, 78
4. "साहित्य शिक्षा और संस्कृति" राजेन्द्र प्रसाद प्रकाशक- प्रभात प्रकाशन, दिल्ली पृष्ठ 141, 142, 143, 154, 155, 165, 166, 167, 177, 178, 179
5. "युगपुरूष राजेन्द्र प्रसाद" तारा सिन्हा, प्रकाशक- प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली पृष्ठ 10, 11, 12, 13, 14
6. "इंडिया डिवाइडेड" राजेन्द्र प्रसाद, प्रकाशक- प्रभात प्रकाशन दिल्ली पृष्ठ 19, 20, 21, 22, 23
7. "शिक्षा की संस्कृति" कलराज मिश्र, प्रकाशक- प्रभात प्रकाशन प्रा. लि. नई दिल्ली पृष्ठ 10, 12, 14
8. 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा : सिद्धांत और व्यवहार" अनिरूद्ध अग्रवाल।
9. "भारत में शिक्षा व्यवस्था" डॉ. मीना अम्बेस प्रकाशक- (Aavi Shkar Publishers Distributors Jalpur), 2019 पृष्ठ 5, 7, 8, तक।
10. "गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार" विनोदानंद झा प्रकाशन- प्रभात प्रकाशन 2018, पृष्ठ 19, 28, 35
11. डॉ. ए.पी. अवस्थी "भारतीय राज व्यवस्था" प्रकाशक-लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, (आगरा) 2000, पृष्ठ- 81, 82, 83, 84, 85, 154, 155, 156, 157
12. गाँधी जी राय "भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत प्रकाशक- भारती भवन (2009) पृष्ठ- 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
13. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर "भारत का संविधान" प्रकाशक सम्यक प्रकाशन 32/3 पश्चिमपुरी, नई दिल्ली-110063, पृष्ठ- 5, 6, 50, 51, 52, 53
14. सं. राजस्वी "मैं राजेन्द्र प्रसाद बोल रहा हूँ" प्रकाशक- प्रभात पेपरबैक्स 4/19 आसफ अली रोड, नई दिल्ली-11002 (2020) पृष्ठ- 22, 39, 53, 95, 96, 102, 117, 144, 150, 158
15. विजय तिवारी "स्वतंत्रत भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद" प्रकाशक- कविता बुक सेंटर ई-5/13, लाजपतराय चौक, कृष्णनगर, दिल्ली-110051 (2022) पृष्ठ- 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 83, 84, 85
16. तारा सिन्हा "राजेन्द्र बाबू पत्रों के आईने में "प्रकाशक- प्रभात प्रकाशन 4/19 आसफ अली रोड, नई दिल्ली-11002 (2018), पृष्ठ- 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
17. तारा सिन्हा राजेन्द्र बाबू पत्रों के आईने में- "प्रकाशक प्रभात प्रकाशन 4/19 आसफ अली रोड, नई दिल्ली-11002 (2018) पृष्ठ- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 23

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 6.375, ISSN 0975-4083
Vol.- 29, Hindi Edition, Year-15, April- September 2025

भारतीय लोकतंत्र: स्वतंत्रता से डिजिटल युग तक का एक विश्लेषण

•अनिल हनवत

सारांश- भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और विविधतापूर्ण लोकतंत्र है, जिसकी यात्रा स्वतंत्रता प्राप्ति (1947) के साथ आरंभ होती है और आज के डिजिटल युग तक पहुंचती है। यह शोध पत्र भारतीय लोकतंत्र के विकास क्रम की प्रमुख ऐतिहासिक प्रवृत्तियों, संकटों, प्रयोगों और चुनौतियों का विश्लेषण करता है। प्रारंभ में संविधान निर्माण (1947–1950) के माध्यम से एक धर्मनिरपेक्ष, संघीय और संसदीय लोकतंत्र की नींव रखी गई। 1950–60 के दशक में लोकतंत्र की संस्थागत मजबूती के प्रयास हुए, जिसे ''कांग्रेस प्रणाली'' ने स्थायित्व प्रदान किया। 1975–77 के आपातकाल ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा को गंभीर चुनौती दी, लेकिन 1977 के चुनाव परिणामों ने जनतंत्र की आत्मशक्ति को पुन: स्थापित किया। 1989 के बाद गठबंधन युग और क्षेत्रीय दलों के उदय ने सत्ता की संरचना को विकेंद्रित किया, वहीं मंडल और मंदिर आंदोलन जैसे मुद्दों ने पहचान और सामाजिक न्याय की राजनीति को नया आयाम दिया। 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण ने राज्य की भूमिका को बदला और लोकतंत्र को नए सामाजिक-आर्थिक द्वंद्वों से जोड़ा। 2000 के बाद पहचान आधारित राजनीति, सूचना अधिकार, नागरिक आंदोलनों और महिला भागीदारी ने लोकतंत्र को गहराई दी, जबकि 2014 के बाद डिजिटल तकनीकों ने राजनीतिक संवाद को तेज़, लेकिन अक्सर स्वीकृत भी किया। यह शोध लोकतंत्र की इन विविध धाराओं को समेटते हुए इसकी समकालीन प्रासंगिकता और भविष्य की दिशा पर चिंतन प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द- लोकतंत्र, कांग्रेस प्रणाली गठबंधन की राजनीति, आर्थिक उदारीकरण, पहचान की राजनीति, डिजिटल लोकतंत्र

1. भूमिका- भारत का लोकतंत्र एक अभूतपूर्व प्रयोग है, जिसमें विविधताओं से भरे समाज में समान राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। 1947 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने यह चुनौती स्वीकार की कि वह बहुभाषी, बहुधार्मिक, जातिगत विविधता वाले समाज में

• सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान जटाशंकर त्रिवेदी शा. पीजी महाविद्यालय बालाघाट (म.प्र.)

लोकतांत्रिक शासन स्थापित करेगा। विभिन्न चरणों में भारतीय लोकतंत्र ने सशक्त संस्थाओं, जीवंत नागरिक समाज, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया के माध्यम से अपनी निरंतरता को बनाए रखा है, बावजूद इसके कि उसे समय-समय पर कई प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक संकटों का सामना करना पड़ा। यह शोधपत्र इसी लोकतांत्रिक यात्रा की प्रमुख प्रवृत्तियों-संवैधानिक नींव, राजनीतिक प्रयोग, संकट, सामाजिक न्याय, पहचान की राजनीति और डिजिटल युग में लोकतंत्र की दिशा को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विश्लेषित करता है। भारत ने प्रारंभ से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार **(Universal Adult Franchise)** को अपनाया, जो विश्व के कई विकसित देशों से भी पहले की बात थी। यह निर्णय, भारत की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता और समानता के आदर्श को दर्शाता है। लोकतंत्र को केवल शासन पद्धति नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों के रूप में देखा गया जिसमें स्वतंत्रता, न्याय, समानता, और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्य निहित हैं।

2. संवैधानिक नींव (1947–1950) भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला संविधान निर्माण की प्रक्रिया में निहित है। ब्रिटिश शासन से मुक्ति के पश्चात भारत को न केवल स्वतंत्रता प्राप्त हुई, बल्कि एक नई राजनीतिक संरचना की आवश्यकता भी उत्पन्न हुई। इसके लिए 1946 में गठित संविधान सभा ने लगभग तीन वर्षों की मेहनत से 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। भारतीय संविधान ने लोकतंत्र को केवल शासन की पद्धति के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का साधन माना। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों को केंद्र में रखा गया। संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन न हो, बल्कि उसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं और वंचित समुदायों को भी समुचित प्रतिनिधित्व और अधिकार मिले। संविधान सभा की बहसों में डॉ. भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद जैसे नेताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हेतु स्पष्ट दिशा दी। संविधान का अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 19 (स्वतंत्रता), अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) आदि नागरिक अधिकारों की गारंटी देते हैं, जबकि अनुच्छेद 32 इसे लागू करने के लिए न्यायपालिका को अधिकार प्रदान करता है। संविधान ने संसदीय प्रणाली, संघीय ढांचा, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों जैसे उपकरणों के माध्यम से लोकतंत्र को कार्यशील और लचीला बनाया।

3. प्रारंभिक लोकतांत्रिक प्रयोग- (1950–1960 के दशक) 1950 में भारत के गणराज्य घोषित होने के बाद, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का पहला व्यावहारिक परीक्षण 1951–52 के आम चुनावों में हुआ। यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आयोजन था जिसमें लगभग 17 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं, ग्रामीण, दलित, आदिवासी और निरक्षर नागरिक शामिल थे। इसने भारत की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से स्थापित किया। इस दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस **(INC)** ने केंद्र और राज्यों में सत्ता पर व्यापक नियंत्रण बनाए रखा, जिससे लोकतंत्र को प्रारंभिक स्थायित्व मिला। इस स्थिति को राजनीतिक वैज्ञानिक राजनीतिज्ञ रजनी कोठारी

ने "कांग्रेस प्रणाली" **(Congress System)**कहा जिसमें कांग्रेस पार्टी केवल एक दल नहीं, बल्कि राष्ट्र की विविधता को प्रतिबिंबित करने वाला मंच बन गई **(Kothari,1964)**। इस प्रणाली ने विपक्ष के लिए सीमित स्थान छोड़ा, लेकिन साथ ही राजनीतिक समावेशन को भी बढ़ावा दिया। इस काल में कई महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना और मजबूती भी हुई। जैसे योजना आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, और संविधानिक न्यायपालिका। संसद की कार्यवाही में जीवंत बहसें और विधायकों की सक्रियता लोकतंत्र के स्वस्थ लक्षण थे **(Morris-Jones,1957)**। हालाँकि, कुछ समस्याएँ भी उभरीं- जैसे भाषाई राज्यों की मांग, केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव, और जातीय तथा क्षेत्रीय असंतोष। फिर भी, यह दशक भारतीय लोकतंत्र के लिए एक प्रशिक्षण और जड़ जमाने का काल साबित हुआ।

4. लोकतंत्र पर संकट- आपातकाल (1975–77) भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा 25 जून 1975 को सामने आई, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल **(Emergency)** की घोषणा की। यह आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसा दौर था जिसमें संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लागू हुई, विपक्षी नेताओं को गिरफ़्तार किया गया, और संस्थानों पर कार्यपालिका का एकाधिकार बढ़ गया। इस स्थिति की पृष्ठभूमि में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का वह ऐतिहासिक निर्णय था, जिसमें इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया गया था। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू कर दिया गया। इस दौरान न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधायिका की प्रभावशीलता और मीडिया की निष्पक्षता पर गंभीर आघात हुआ **(Nayar, 1977)**। आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हिरासत में कानूनी सहायता, तथा विरोध का अधिकार लगभग निष्क्रिय कर दिए गए थे। रेलवे हड़ताल, नसबंदी कार्यक्रम, और विपक्षी आवाजों का दमन लोकतंत्र की आत्मा के विरुद्ध था **(Kothari, 1977)**। प्रेस पर सेंसरशिप और प्रचार माध्यमों का सरकार द्वारा दुरुपयोग सामान्य बात बन गई। लेकिन 1977 में जब आम चुनाव हुए, तब जनता ने स्पष्ट मत के माध्यम से इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया और जनता पार्टी की सरकार बनी। यह लोकतंत्र की आत्मशुद्धि और जनसत्ता की सर्वोच्चता का प्रमाण था **(Mehta, 2003)**।

5. गठबंधन राजनीति और क्षेत्रीय दलों का उदय- (1989–2000) 1989 के आम चुनावों ने भारतीय लोकतंत्र में एक नए युग का आरंभ किया, जिसे गठबंधन युग **(Coalition Era)** के रूप में जाना जाता है। यह कालखंड उस एकदलीय प्रभुत्व के अंत का प्रतीक था, जिसे दशकों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनाए रखा था। वी.पी. सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार का गठन और कांग्रेस की ऐतिहासिक पराजय ने सत्ता समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया। इस युग में बहुजन समाज पार्टी (बसपा), समाजवादी पार्टी (सपा), द्रविड़ मुनेत्र कड़गम **(DMK),** अन्ना डीएमके (AIADMK), शिवसेना, अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टो (TDP) और तृणमूल कांग्रेस जैसे क्षेत्रीय दलों ने निर्णायक भूमिका निभाई। इससे एक "बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक

लोकतंत्र" (multi & party competitive democracy) की स्थापना हुई, जिसमें नीतिगत निर्णयों में अधिक विविधता और जमीनी जनसमर्थन को जगह मिली। गठबंधन राजनीति का सबसे बड़ा योगदान यह था कि इसने सत्ता को विकेन्द्रित किया और भारत के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक, क्षेत्रीय और भाषाई समूहों को केंद्र की सत्ता में भागीदारी का अवसर प्रदान किया। इससे लोकतंत्र और अधिक समावेशी (inclusive) बना। हालांकि, इससे कुछ अस्थिरता भी उत्पन्न हुई, क्योंकि अल्पकालिक सरकारें बनने लगीं, जो अपने पूरे कार्यकाल को पूरा करने में विफल रहीं। इस दौर के प्रमुख घटनाक्रमों में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना (1990), राम मंदिर आंदोलन (1992), और उदारीकरण की शुरुआत (1991) शामिल हैं। मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण देने से सामाजिक न्याय के सिद्धांत को बल मिला, किंतु इसके कारण देशभर में व्यापक विरोध-प्रदर्शन भी हुए। यह सामाजिक अस्मिता की राजनीति (identity politics) के उदय का प्रतीक था। (Zoya Hasan, 2009) राम जन्मभूमि आंदोलन और बाबरी मस्जिद विध्वंस (1992) ने भारतीय राजनीति में धार्मिक अस्मिता (religious identity) के मुद्दों को प्रमुख बना दिया, जिससे भाजपा का उभार तेज़ हुआ। इसके चलते धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता की बहस ने भारतीय लोकतंत्र की दिशा और विमर्श को प्रभावित किया। (Jaffrelot, 1999)

इस काल में गठबंधन सरकारें - चंद्रशेखर, देवगौड़ा, गुजराल, और अंततः 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) भारतीय लोकतंत्र में लचीलापन और राजनीतिक परिपक्वता का उदाहरण बनीं। यह परिपक्वता इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण, विपक्ष की भूमिका और सहमति आधारित नीति निर्माण निरंतर बना रहा। (Yadav & Palshikar 2009)

6. आर्थिक उदारीकरण और लोकतंत्र- (1991–2000) 1991 में भारत ने आर्थिक संकट के जवाब में जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) की नीति अपनाई, वह न केवल आर्थिक नीति में परिवर्तन था, बल्कि यह लोकतंत्र की प्रकृति और उसके सामाजिक प्रभावों को भी गहराई से प्रभावित करने वाला मोड़ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के लिए खोल दिया गया। इस आर्थिक उदारीकरण ने राज्य की भूमिका को पुनर्परिभाषित किया, जहां पहले "वेलफेयर स्टेट" (कल्याणकारी राज्य) की धारणा थी, वहीं अब राज्य एक नियामक (regulator) की भूमिका में सीमित होने लगा। निजी पूंजी, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, और विदेशी निवेश बढ़ने लगे, जिससे आर्थिक वृद्धि तेज़ हुई, लेकिन आर्थिक असमानता भी स्पष्ट रूप से बढ़ी (Dreze & Sen 2002)।

राजनीतिक रूप से, उदारीकरण ने मध्यम वर्ग को सशक्त किया, जिसने उपभोक्तावाद, सूचना तकनीकी और शहरीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। लेकिन इसके साथ ही ग्रामीण भारत, आदिवासी समुदाय और निम्न वर्ग अपेक्षाकृत पीछे छूटने लगे। इस

विभाजन ने लोकतंत्र की समावेशिता पर प्रश्न खड़े किए। साथ ही, नव उदारवादी नीतियों की पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी ने लोकतंत्र की "लोक कल्याण" की अवधारणा को चुनौती दी। जन आंदोलनों, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ने विकास बनाम विस्थापन के द्वंद्व को सामने लाया।

7. पहचान आधारित राजनीति का विस्तार- 1990 के दशक के बाद भारतीय लोकतंत्र में पहचान आधारित राजनीति (Identity&based politics) ने उल्लेखनीय स्थान ग्रहण किया। जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय अस्मिताएँ राजनीतिक लामबंदी के प्रमुख आधार बन गईं। इस प्रवृत्ति की शुरुआत मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने (1990) से मानी जा सकती है, जिससे सामाजिक न्याय की राजनीति को बल मिला। जातिगत अस्मिता ने विशेष रूप से उत्तर भारत की राजनीति को प्रभावित किया, जहाँ बहुजन समाज पार्टी (BSP) और समाजवादी पार्टी (SP) जैसे दलों ने 'बहुजन' के प्रतिनिधित्व को केंद्र में रखा। डॉ. अंबेडकर की विचारधारा का प्रभाव और (OBC@SC@ST)वर्गों का राजनीतिक उभार लोकतंत्र में नये समूहों की भागीदारी को दर्शाता है (Jaffrelot 2003)। धार्मिक पहचान भी इस काल में प्रमुख राजनीतिक विषय बन गई। अयोध्या राम मंदिर आंदोलन और बाबरी मस्जिद विध्वंस (1992) ने भाजपा को हिंदू अस्मिता की राजनीति के केंद्र में ला दिया। इससे धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता की बहस तेज़ हुई (Hansen & Jaffrelot 2001)। इसने न केवल मतदाता व्यवहार को बदला, बल्कि राष्ट्र की राजनीतिक प्राथमिकताओं को भी प्रभावित किया। आदिवासी और क्षेत्रीय पहचानें– विशेष रूप से झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे नए राज्यों की मांगों में लोकतंत्र को अधिक विकेन्द्रीकृत और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी बनाने में सहायक रहीं (Shah, 2001)।

8. लोकतंत्र और डिजिटल युग (2014–वर्तमान)- 2014 के बाद भारतीय लोकतंत्र ने एक नया चरण प्रवेश किया– डिजिटल युग का, जहाँ राजनीति, संप्रेषण और जनमत निर्माण के तौर-तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) ने सोशल मीडिया, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल प्रचार रणनीतियों को बेजोड़ ढंग से अपनाया, जिससे चुनाव प्रचार और जनता से संवाद का तरीका पूरी तरह बदल गया। डिजिटल तकनीक ने एक ओर नागरिकों को अधिक सशक्त और सूचित बनाया, वहीं दूसरी ओर फेक न्यूज़, ट्रोलिंग, और हेट स्पीच जैसे नए खतरे भी लोकतंत्र के लिए चुनौती बन गए (Udupa, 2019)। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और यूटचूब ने राजनीतिक प्रचार, विमर्श और आक्रोश को एक नया मंच दिया है। 2014 और 2019 के आम चुनावों में डिजिटल अभियान भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के लिए एक निर्णायक उपकरण बने। हालांकि इससे "फेक न्यूज़", ट्रोलिंग, डेटा मैनिपुलेशन और चुनावों के ध्रुवीकरण जैसी चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुईं (Udupa, 2019)। WhatsApp, Facebook और YouTube जैसे माध्यमों ने सूचनाओं का प्रसार तो बढ़ाया, लेकिन उनका राजनीतिक ध्रुवीकरण में भी उपयोग हुआ। इस अवधि में आधार कार्ड, डिजिटल इंडिया, और UPI

जैसे कार्यक्रमों के ज़रिए डिजिटल गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिला, जिससे सुविधा और पारदर्शिता में वृद्धि हुई, किंतु निजता (privacy) और निगरानी (surveillance) को लेकर चिंता भी उत्पन्न हुई (Ramanathan, 2014)। राजनीतिक दृष्टि से, इस दौर में राष्ट्रवाद, सुरक्षा, और सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दे चुनावी विमर्श पर हावी रहे। विपक्ष के कमजोर होने और संस्थाओं की स्वायत्तता पर उठते सवालों ने लोकतंत्र की गुणवत्ता पर गंभीर विमर्श को जन्म दिया (Jaffrelot & Tillin, 2021)। डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT), और आधार आधारित पहचान प्रणाली ने शासन प्रणाली को डिजिटल रूप दिया, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवा वितरण में सुधार हुआ। हालांकि, युवा, महिलाएं, और सोशल एक्टिविस्ट्स के डिजिटल माध्यमों से बढ़ते हस्तक्षेप ने लोकतंत्र को नई ऊर्जा भी दी है। यह युग लोकतंत्र की संभावनाओं और खतरों दोनों को एक साथ दर्शाता है।

9. डिजिटल लोकतंत्र और चुनावी परिवर्तन- 21वीं सदी में तकनीकी क्रांति ने भारतीय लोकतंत्र के स्वरूप को नई दिशा दी है। सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology), मोबाइल क्रांति, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने न केवल जनमत निर्माण को प्रभावित किया है, बल्कि राजनीतिक सहभागिता और चुनावी प्रक्रिया को भी पुर्नपरिभाषित किया है। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग 1999 के आम चुनावों से व्यापक स्तर पर शुरू हुआ और 2004 से पूर्णत: लागू हुआ। इससे मतदान प्रक्रिया पारदर्शी और तीव्र बनी। बाद में VVPAT (Voter Verified Paper Audit Trail) को जोड़ा गया ताकि मतदाता को पारदर्शिता का भरोसा मिले (Suri, 2013)। यह तकनीकी नवाचार लोकतंत्र की विश्वसनीयता को सशक्त करता है। नवोन्मेषी नागरिक भागीदारी-जैसे ऑनलाइन याचिकाएँ, सोशल मीडिया अभियान (#MeToo, #FarmersProtest), और डिजिटल जनांदोलन- अब लोकतंत्र के नए आयाम बन चुके हैं। इससे लोकतंत्र अधिक उत्तरदायी बना, लेकिन साथ ही संस्थागत प्रक्रियाओं पर प्रत्यक्ष दबाव भी बना है।

10. समकालीन लोकतांत्रिक चुनौतियाँ- 21वीं सदी के दूसरे दशक में, भारतीय लोकतंत्र वैश्विक मंच पर एक मज़बूत और स्थिर प्रणाली के रूप में उभरा है, लेकिन इसके समक्ष कई गंभीर चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। ये चुनौतियाँ न केवल संस्थागत संरचनाओं से संबंधित हैं, बल्कि विचारधारात्मक, सामाजिक और तकनीकी स्तर पर भी लोकतंत्र की जड़ों को प्रभावित कर रही हैं।

1. संस्थागत स्वायत्तता और संतुलन का क्षरण- हाल के वर्षों में लोकतांत्रिक संस्थाओं- जैसे संसद, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, विश्वविद्यालय और मीडिया- की स्वायत्तता को लेकर गंभीर प्रश्न उठे हैं। विधायिका में वाद-विवाद की गिरती गुणवत्ता, न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभाव, और स्वतंत्र मीडिया की घटती संख्या लोकतांत्रिक विमर्श को सीमित कर रहे हैं (Jayal, 2013 (Chatterjee, 2020)।

2. नागरिक स्वतंत्रता और असहमति का दमन- धारा 124, (देशद्रोह कानून), UAPA जैसे कठोर कानूनों के उपयोग से असहमति को 'राष्ट्र-विरोध' के रूप में चिन्हित करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। मानवाधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार, छात्र और राजनीतिक विरोधियों के

खिलाफ दमनात्मक कार्रवाइयों की वृद्धि लोकतंत्र की असहमति को स्वीकार ने की क्षमता पर प्रश्नचिन्ह लगाती है (Amnesty International Report, 2021) Datar, 2017)।

3. धार्मिक ध्रुवीकरण और बहुसंख्यकवाद- भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान की भावना को बहुसंख्यकवादी राजनीति से चुनौती मिल रही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), NRC जैसे मुद्दों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना पैदा की। इससे लोकतंत्र के समावेशी और सर्वधर्म समभाव पर आधारित मूल्यों पर आघात हुआ (Jaffrelot & Tillin, 2021)।

4. सूचना का दुरुपयोग और फेक न्यूज़- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से गलत जानकारी, फेक न्यूज़ और ट्रोलिंग के ज़रिए चुनावों और जनमत को प्रभावित किया जा रहा है। यह न केवल सूचित नागरिकता के अधिकार को बाधित करता है, बल्कि सामाजिक ध्रुवीकरण को भी बढ़ाता है (Udupa, 2019)।

5. आर्थिक असमानता और जन भागीदारी में गिरावट- भले ही भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन आर्थिक विषमता लगातार बढ़ रही है। गरीबों की राजनीतिक पहुँच सीमित हो रही है जबकि कॉरपोरेट फंडिंग ने राजनीति में पैसों के प्रभाव को असमान बना दिया है। इससे लोकतांत्रिक समानता का सिद्धांत कमजोर होता है (Drèze & Sen, 2013; Oxfam Report, 2022) ।

निष्कर्ष (Conclusion)- भारतीय लोकतंत्र एक अद्वितीय प्रयोग रहा है। एक ऐसा लोकतंत्र जो अपनी विविधता, जटिलताओं, विरोधाभासों और संघर्षों के बीच भी निरंतर विकसित होता रहा है। इस शोध पत्र की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर वर्तमान तक भारत ने लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित रखने के लिए अनेक संकटों, प्रयोगों और पुनरावलोकनों का सामना किया है। संविधान की नींव ने भारत को एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और समावेशी गणराज्य का रूप दिया। प्रारंभिक दशकों में कांग्रेस प्रणाली ने स्थायित्व और संस्थागत विकास को बढ़ावा दिया, जबकि आपातकाल जैसे घटनाक्रमों ने लोकतंत्र की सीमाओं और नागरिक सजगता की शक्ति को उजागर किया। इसके बाद का गठबंधन युग, आर्थिक उदारीकरण, और पहचान आधारित राजनीति- सभी ने लोकतंत्र को अधिक समावेशी लेकिन साथ ही अधिक जटिल और संघर्षशील भी बना दिया। डिजिटल युग ने नई संभावनाओं और खतरों को जन्म दिया। सोशल मीडिया और तकनीकी साधनों ने जहाँ लोकतंत्र में भागीदारी को व्यापक बनाया, वहीं फेक न्यूज़, डेटा नियंत्रण और निगरानी ने पारदर्शिता और स्वतंत्रता पर नए प्रश्नचिन्ह खड़े किए। फिर भी, भारत का लोकतंत्र जीवित है, क्योंकि इसकी जनता सजग है, चुनाव नियमित हैं, विरोध की आवाजें मौजूद हैं, और संविधान अब भी एक दिशा-निर्देशक के रूप में कायम है। लोकतंत्र की शक्ति उसके आत्ममंथन और आत्मसुधार में निहित है, और भारत ने बार-बार यह सिद्ध किया है, कि वह इस आत्मसुधार की प्रक्रिया से गुजरने में सक्षम है।

भविष्य की दिशा- लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता को पुनर्स्थापित करना अत्यंत

आवश्यक है। नागरिक शिक्षा और राजनीतिक साक्षरता को बढ़ाना लोकतंत्र की रक्षा के लिए अनिवार्य है। डिजिटल पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा के लिए ठोस नीति और निगरानी तंत्र की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय, आर्थिक समावेशन और क्षेत्रीय असंतुलन को संबोधित करना लोकतांत्रिक स्थायित्व के लिए आवश्यक है।

जैसा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था– "हमने राजनीतिक लोकतंत्र तो प्राप्त कर लिया है, अब हमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची-

1. Austin, G. (1966). The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation. Oxford University Press.
2. Bhatia, G. (2015). Offend, Shock, or Disturb: Free Speech under the Indian Constitution. Oxford University Press.
3. Chatterjee, P. (2020). I Am the People: Reflections on Popular Sovereignty Today. Permanent Black.
4. Drèze, J., & Sen, A. (2002). India: Development and Participation. Oxford University Press.
5. Drèze, J., & Sen, A. (2013). An Uncertain Glory: India and its Contradictions. Penguin Books.
6. Hansen, T. B., & Jaffrelot, C. (Eds.). (2001). The BJP and the Compulsions of Politics in India. Oxford University Press.
7. 7. Hasan, Z. (2009). Politics of Inclusion: Castes, Minorities and Affirmative Action. Oxford University Press.
8. Jaffrelot, C. (1999). The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics. Penguin Books.
9. Jaffrelot, C. (2003). India's Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North India. Columbia University Press.
10. Jaffrelot, C., & Tillin, L. (2021). Majoritarian State: How Hindu Nationalism is Changing India. Hurst Publishers.
11. Jayal, N. G. (1999). Democracy and the State: Welfare, Secularism and Development in Contemporary India. Oxford University Press.
12. Jayal, N. G. (2013). Citizenship and Its Discontents: An Indian History. Harvard University Press.
13. Kapoor, C. (2015). The Emergency: A Personal History. Penguin Books.
14. Kohli, A. (1990). Democracy and Discontent: India's Growing Crisis of Governability. Cambridge University Press.
15. Kothari, R. (1964). The Congress "System" in India. Asian Survey,4(12),1161–1173. Kothari, R. (1970). Politics in India.
16. Orient Longman. Kumar, S., & Sinha, A. (Eds.). (2019). Indian Youth and Electoral Politics. Routledge.
17. Mathew, G. (1994). Panchayati Raj:From Legislation to Movement. Concept Publishing.

18. Mehta, N. (2022). The New BJP: Modi and the Making of the World's Largest Political Party. Westland Books.
19. Mehta, P. B. (2003). The Burden of Democracy. Penguin Books.
20. Morris-Jones, W. H. (1957). Parliament in India. Longmans Green.
21. Nayar, K. (1977). The Judgement: Inside Story of the Emergency in India. Vikas Publishing.
22. Ramanathan, U. (2014). Aadhaar and the Right to Privacy. Economic and Political Weekly, 49(13), 10–15.
23. Shah, G. (2001). Social Movements in India: A Review of Literature. SAGE Publications.
24. Suri, K. C. (2013). EVMs and Democracy in India. Journal of Democracy, 24(2), 65–72.
25. Udupa, S. (2019). Digital Hate: The Global Conjuncture of Extreme Speech. SAGE Publications.
26. Yadav, Y., & Palshikar, S. (2009). From Hegemony to Convergence: Party System in India. Economic and Political Weekly, 44(16), 34–43. Amnesty International. (2021). India: Human Rights Report. Amnesty.org.
27. Oxfam International. (2022). Inequality Kills: India Supplement. Oxfam.org.

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 6.375, ISSN 0975-4083
Vol.- 29, Hindi Edition, Year-15, April- September 2025

तिलक, गोखले के लोकतन्त्र पर विचार

• मेघा माहेश्वरी
•• रश्मि सोमवंशी

सारांश- भारतीय राजनीति में गोपालकृष्ण गोखले उदारवादियों के सिरमौर थे। उनकी महानता इस बात में थी कि उन्होंने राजनीति में नैतिक मूल्यों को स्थान दिया। वे राजनीति और नैतिकता में कोई भेद नहीं समझते थे। उन्होंने भारतीय राजनीति को अपने उच्च चरित्र और आदर्शों से प्रभावित किया। शासन तन्त्र के विरुद्ध युद्ध करते समय गोखले ने वैधानिक मार्ग अपनाया। उनका प्रयास यह था कि तथ्यों तथा तर्कों को अपनी बात का आधार बनाया जाए। गोखले का मत था कि सार्वजनिक कर्त्तव्यों तथा राजनीतिक कार्यों को पवित्र राष्ट्रीय सेवा का मार्ग समझा जाऐ। वे एडमण्ड बर्क की भाँति सावधानी की नीति, धीमे विकास और बुद्धिसंगत प्रगति के पक्षधर थे तथा बाल गंगाधर तिलक एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हिंसा को उचित मानते थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर किये जा रहे क्रूरता, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और स्वतंत्रता प्राप्ति के भारत की अखण्डता को बनाये रखने के लिए देशवासियों के साथ मिलकर संघर्ष किया। तिलक अपने दर्शन और मनोविज्ञान का आधार गीता को मानते थे, तथा वे गीता के कर्मयोगी थे, वे आजीवन कर्मशील की भाँति मैदान पर डटे रहे। उन्होंने भारत की जनता में आजादी की अलख जगाकर गाँधी जी को स्वराज की बुनियाद तैयार की, गाँधीजी ने तिलक द्वारा तैयार बुनियाद के माध्यम से देश को आजादी दिलवाने में सफलता हासिल की।

मुख्य शब्द- राजनीति, नैतिकता वैधानिक मार्ग, राष्ट्रीय सेवा, क्रूरता, अखण्डता, आजीवन कर्मशील, दर्शन, मनोविज्ञान, बुनियाद, क्रान्तिकारी।

लोकतन्त्र ऐसी व्यवस्था है, जिसमें जनता अपनी मर्जी से विधायिका चुन सकती है। यह एक प्रकार की शासन व्यवस्था है, जिसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं और एक अच्छा लोकतन्त्र वह है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक न्याय के साथ–साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था हो। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। एक लोकतांत्रिक सरकार

• रिसर्च स्कॉलर, राजनीति विज्ञान, लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी, अलवर
•• शोध निर्देशिका, लॉर्डस विश्वविद्यालय, चिकानी, अलवर

संवैधानिक कानूनों एवं नागरिक अधिकारों के दायरे में रहते हुए शासन करती है। जनता को शासन से संबंधित करने के लिए गोखले ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सुझाव दिया, इससे तिलक भी सहमत थे। उनकी दृष्टि में भारतीयों का चारित्रिक मनोबल के उन्यन का बहुत अधिक महत्व था, उनके अनुसार नैतिक मूल्यों का उचित ढंग से निर्वाह कर भारत स्वत: स्वराज्य की ओर अग्रसर हो सकता था। उनका राजनीतिक उद्देश्य सत्ता और शक्ति प्राप्त करने का न होकर सेवाधर्म निभाने का था। उनके द्वारा समय-समय पर विभिन्न सुधारों की माँग की गई है। उसके परिणाम सामने भी आये। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए वे विकास पर बल देते थे। तिलक व गोखले एक श्रेष्ठ बुद्धिजीवी व राजनीतिक विचारक थे। वे मानते थे कि भारत की प्रगति केवल राजनीतिक और सामाजिक सुधारों से नहीं हो सकती। जब तक भारत आर्थिक रूप से सम्पन्न और सशक्त नहीं बनता भारत की तरक्की नहीं होगी। भारत की गरीबी के अन्त के लिए वे चाहते थे कि देश का तेजी से औद्योगिकीकरण हों, जो आज भी आवश्यक है। भारत की दरिद्रता का एक कारण हमारा परम्परावादी होना भी है। भारत को मानसिक जड़ता समाप्त कर नई वैज्ञानिक शिक्षा व दृष्टिकोण को अपनाना चाहिये। देश में ही अधिक उत्पादन करना चाहिये, आज इन विचारकों ने देश को गरिमा प्रदान की यदि इन महान देश भक्त के चरित्र का कोई अंश हमारे ग्रहण करने योग्य है तो वह उनका धर्म है। उसी का अनुसरण हमें करना है। उनका त्याग, निर्भरता, तप, धैर्य, नम्रता, न्यायशीलता आदि गुणों को हम अन्दर विकसित कर सकते हैं। बल्कि इस बात की शिक्षा दी कि प्रत्येक भारतवासी अपने देश से प्रेम का दम भरता हो, सदा राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का ध्यान रखना चाहिये उसे अपने देश के राजनीतिक जीवन और राजनीतिक संस्थाओं को आध्यात्मिक बनाना चाहिए। "तिलक व गोखले का कहना था कि वे सभी परस्पर सहिष्णुता एवं आत्म संयम से काम लें, आपसी मतभेदों पर बल देने की बजाय परस्पर मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावनाएँ पैदा करें।" उनका कहना था कि हम सब पहले भारतीय हैं, बाद में हिन्दु, मुसलमान व ईसाई है। तभी देश की उन्नति एवं प्रगति सम्भव है। हमारे देश की स्वतंत्रता की सफलता एक भारी बलिदान पर निर्भर है। उनकी नीति बहुत अधिक श्रम साध्य थी आज हमें उनके जैसे विचारों वाले नेताओं की ही आवश्यकता है जो नि:स्वार्थ देश के लिए समर्पित हों तभी भारत का उत्थान हो सकता है।

स्वदेश प्रेम, आपस के भेद व द्वेष भुलाकर एक होकर काम करने की प्रवृत्ति राष्ट्र की विशेषताओं को बनाए रखने व राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक होते हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना के लिए त्यौहारों को मनाया जाना अत्यधिक महत्वूर्ण होता है, क्योंकि ऐसे अवसरों पर लोग जात-पाँत भूलाकर सार्वजनिक पूजा के लिए एकत्रित होते हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक एकता की प्राप्ति को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना सरल होता है। धर्म व राष्ट्रीयता एक-दूसरे से अंत: संबंधित है। एक ऐसी प्रेरणादायक शक्ति है जो लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्य हेतु सजग करते हैं। "राष्ट्रवादी नेतृत्व में सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया।"[1] धर्म और धार्मिक पहचान एक बड़े एकीकृत भारतीय राष्ट्र का अंग है। इन प्रथाओं ने हमारी संस्कृति को मनुष्य द्वारा

शोषण का अस्त्र बना लिया। इसी काल में जाति और विरोधी आन्दोलन का भी विकास हुआ। ''हम अपने जीवन में अनेक व्यक्तियों से भेंट करते हैं, कुछ जिन्दगी की दौड़ में अलग हो जाते हैं, तो कुछ काफी लम्बे समय तक साथ देते हैं।[2] इसी तरह हम अपने जीवन काल में देख सकते हैं जो हमें ये त्याग और बलिदान की सीख देते हैं, जो साथ न होकर भी राष्ट्र की प्रेरणा के स्रोत बने हुये हैं। किसी भी काम को बाहरी परिणाम से ही न्याय, अन्याय कहना बहुत असम्भव है, इसलिए वर्तमान को समझकर आवश्यकता पूर्ति हेतु कार्यक्रम बनाना चाहिये क्योंकि कर्मयोग में वृद्धि ही प्रधानता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिये थे वहीं उपदेश भारत माता ने गोखले, गाँधी, तिलक व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को दिये थे। यह सर्वमान्य बात है कि उन्होंने जो त्याग, तप का आचरण किया वह भी उन्होंने भारत माता के चरणों में अर्पण कर दिया जो भारत माता की सेवा, नैतिकता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता गुणों से सम्पन्न व्यक्ति ही कर सकता है, वे अपनी योग्यता तथा शक्ति का उपयोग जनहित के कार्य में करते थे तथा औरों को भी इसके लिए कहा करते थे।

तिलक व गोखले ने समय-समय पर अपने विचार व्यक्त किये। उन विचारों से स्पष्ट है कि वह ऐसा कोई मार्ग नहीं अपनाना चाहते थे जो, हिंसा या रक्तपात से परिपूर्ण हों, उनके विचार-शिक्षा संबंधी, राष्ट्रीय एकता संबंधी, साधन संबंधी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विचार आदि प्रमुख थे। तिलक, गोखले एक शिक्षा शास्त्री व पत्रकार के रूप में राष्ट्र की सेवा में संलग्न हुये, वे महान समाजसेवक भी थे, उन्होंने उत्तम पुस्तक भी लिखी। स्वतंत्रता, व्यक्तिगत आत्मा का प्राण है। इसे वेदान्त में ईश्वर का रूप माना है। वह अपने देश को प्राचीन स्थान पर फिर से प्रतिष्ठित होते देखना चाहते थे। भारत राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनें। एक अच्छे हिन्दु होने के नाते कभी कोई जाति भेदभाव नहीं किया, जबकि कुछ तो आज भी उनको आरोपी मानते हैं। उनकी दृष्टि से उन साधनों को अपनाया जाना चाहिये जिससे शासन का ध्यान केन्द्रित हो, वे राष्ट्रीय एकता में विश्वास करते थे।

आज जिस कामयाबी पर हम नाज कर रहे हैं। उसे हासिल करने में एक लम्बा काल बीता है। संघर्ष के बाद गुलामी की जंजीर को तोड़ा और देश में आजादी की उम्मीदों की नई सुबह हुई। इस आजादी को हासिल करने में पता नहीं कितने ही नायकों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही नायकों की लिस्ट में दो नायक थे, तिलक और गोखले। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के बड़े नेता तिलक व गोखले जिनमें राजनीतिक बदलाव के सूत्रधार, उतने ही बड़े समाज सुधारक थे, समाज सुधारों को लेकर इनकी प्रतिबद्धता आज भी मिसाल है। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ ही देश में व्यापक जातिवाद, छुआछूत के खिलाफ भी संघर्ष किया।

तिलक व गोखले ने आजीवन सबकी एकता के लिए काम किया। जब हमारे राष्ट्रवाद की शुरूआत आरम्भ हो रही थी, मीडिया या और भी अन्य तरीके से, तो उसमें गोखले व तिलक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी उनकी भूमिका ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक आलोचना करने में, उन्होंने और अन्य बहुत सारे नेताओं ने जैसे-दादाभाई नौरोजी, गाँधी अरविन्द घोष, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपतराय आदि ने बताया

कि किस तरह आर्थिक शोषण हो रहा है और हमारे देश के आधुनिक विकास में रूकावट डाल रहा है और तीसरा योगदान उनका नागरिक सुविधा में, वह खुद भी और बहुत लोग भी अखबार निकालते थे, उनका मानना था कि नागरिक स्वतंत्रता, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की, बोलने, लिखने की स्वतंत्रता पूरी होनी चाहिये। तिलक व गोखले अन्याय के प्रति सदैव आवाज उठाते रहे। नरमपंथी नेताओं व उग्रवादी नेताओं में एक खास तरह का टकराव था लेकिन जब हम आज उनको देखते हैं तो यह बहुत स्पष्ट होता है कि उनके विचारों में टकराव नहीं था, वे दो सीढ़ी थे, नरमपंथी के विचार हमारी आधुनिक राजनीति की पहली सीढ़ी थे और जो उग्रवादी थे, जैसे-तिलक, लाला लाजपतराय, विपिनचन्द्र पाल के विचार आयें, वह दूसरी सीढ़ी थे। दोनों में एक तार्किक संबंध था, परन्तु उस समय ऐसा लगता था कि दोनों के अलग-अलग विचार है। तिलक व गोखले दोनों ही नेताओं ने सरकार की आर्थिक अर्थव्यवस्था की नीति की बड़ी आलोचना की।

तिलक व गोखले के राजनीतिक विचारों का बहुत बड़ा पहलू ये था कि हमें आधुनिक प्रौद्योगिकीकरण व आधुनिक विज्ञान चाहिये, क्योंकि आधुनिक विकास सभी को करना है, परन्तु वह विकास भारतीय संसाधनों से होना चाहिए, उसके लिये पूँजी भारत की होनी चाहिये ताकि उससे जो फायदा हो वो भारत में रहेगा। गाँधीजी को सही दिशा देने का श्रेय भी गोखले और तिलक को जाता है। भारत को समझने की सिख इनको इन्हीं दोनों नेताओं से मिली थी। गाँधीजी ने गोखले और तिलक दोनों को शेर व दिशा-निर्देशक बताया। गाँधीजी का तिलक व गोखले के साथ ज्यादा समय तो नहीं बीता लेकिन गाँधीजी ने उनकी राजनीति को देखते हुये गुरू माना, जबकि कहा जाता था कि तिलक व गोखले के बीच विचारों के टकराव का रिश्ता है, लेकिन निश्चित रूप से 19वीं सदी के इतने महत्वपूर्ण नेता थे और उनके विचार इतने महत्वपूर्ण थे उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण था कि 20वीं सदी की शुरूआत में कुछ नेताओं को ये लगने लगा कि इनके विचार थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। उतना जुझारूपन नहीं है, तो गाँधीजी थोड़ा इसके खिलाफ थे। गाँधीजी का मानना था कि विचार एक श्रृंखला व सीढ़ी के रूप में होने चाहिये इसलिए यह हमारे विचारों की राजनीति की एक सीढ़ी थी जब अगली सीढ़ी पर आप पहली सीढ़ी से ही चढ़ते हैं तो जिस सीढ़ी से चढ़तें हैं, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते तो इस तरह से गाँधीजी ने दादाभाई नौरोजी, गोखले, तिलक, आर.सी. दत्त के विचारों को बहुत महत्व दिया और उन्होंने कहा- यही विचार हमारी विरासत हैं, उस वक्त तिलक व गोखले ने समाज में फैली हुई बुराईयों को दूर करने के लिए भी अनेक योगदान दिया। वे ऊँच-नीच के बंधन से मुक्त समाज की इच्छा व जाति की बेड़ियों को तोड़ने में यकीन रखते थे। इस मुद्दे पर उनकी राय बेहद स्पष्ट थी, वे कहते थे कि किसी भी समाज की उन्नति तभी सम्भव है, जब वे एक साथ मिलकर रहे तथा कथित निचली जातियों के साथ होने वाले बुरे वर्ताव की ये कड़े शब्दों में निन्दा करते थे। अगर हमारे देशवासियों की बड़ी आबादी इन हालातों में रहने को मजबूर होगी तो हम अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने और दुनिया के देशों में सम्मानजनक जगह बनाने में कामयाब कैसे हो सकते हैं। यह विचार थे,

तिलक व गोखले के उस समय के समाज को लेकर। निश्चित रूप से इस प्रक्रिया की शुरूआत 19वीं सदी में हो गयी थी। इन सब मसलों पर लगातार संघर्ष करना पड़ा। किसी न किसी मायने में वे संघर्ष आज भी जारी है, इसलिए कि सामाजिक संकीर्णता एक पारम्परिक समाज में जिस तरह से जड़े बना लेती हे, तो वह एक-दो दिन में निकलने वाली चीज नहीं होती, उसमें सदियाँ लग जाती है, लेकिन निश्चित रूप से इसकी शुरूआत 19वीं सदी में ही हो गयी थी, इसमें दोनों ही नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। दोनों ही नेताओं ने शिक्षा में आयी मुश्किलों को देखा था, इसी बात को जेहन में रखते हुये उन्होंने काम किया, क्योंकि वे मानते थे कि शिक्षा से जीवन में नई चेतना पैदा होगी, क्योंकि जीवन की हर समस्या का हल शिक्षा के अन्दर ही छिपा है। यह बहुत बड़ा कदम था, जिससे हमारी सामाजिक संकीर्णताऐं, हमारी सामाजिक समस्याओं को दूर किया जाये। दोनों ही नेता सरकार के ऊपर बारिक नजर रखते थे। जब एक बार गोखले ने फिरोजशाह मेहता से पूछा कि हम इतना समय लगाकर इतना शोध करते हैं, इतना सोच समझकर लेख लिखते हैं और सरकार से अपील करते हैं, इसका फायदा क्या होता है। सरकार तो बदलती ही नहीं है। सरकार तो वही काम करती है, जो वे करना चाहती है, तो फिरोजशाह मेहता ने कहा कि हम सरकार के लिए नहीं कर रहे, हमें पता है कि सरकार का दिमाग नहीं बदलेगा ये हम भारतीय लोगों के लिए कर रहे हैं। ये जो हमारे विचार हैं, चाहें वे शिक्षा हो, सामाजिक हो, स्वतंत्रता हो या आर्थिक विकास, ये सब विचार हम देश के लोगों तक पहुँचाते हैं ताकि उन लोगों तक एक बार पहुँच जायेंगे तब धीरे-धीरे बदलाव का सिलसिला तेज होगा, बहुत जागरूकता आयेगी। वे जनता में जागृति, त्याग, बलिदान की भावना को पैदा करना चाहते थे। अपनी योग्यता के अनुसार व व्यवहार के जरिए उन्होंने देश के लिए लक्ष्य निर्धारित किये और सफलता भी मिली। तिलक व गोखले जब तक इस देश के लिए जिए, उसकी प्रगति के लिए जिए, लेकिन देश के लिए इनका प्यार और सोच न उस वक्त भी राह दिखायी थी और इनके विचार व तर्क आज भी देश को नयी उम्मीद दे रहे हैं। जनता इनकी आवाज से एकत्रित हो जाती थी, यही ताकत सरकार को भयभीत करती थी, क्योंकि उनका उद्देश्य भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना था। आज ऐसे भावी नेताओं को याद करते हुए उन्हें भारत का निर्माता कहा गया। भारत ऐसे नेताओं को नमन करता है, उनकी बौद्धिक समझ, साहस, न्याय की भावना और स्वराज व स्वशासन के विचार लगातार प्रेरणा दे रहे हैं। आज भी हम इनको जितना समझते हैं, ऐसा लगता है वो ओर प्रासंगिक होते जाते हैं। ये 19वीं सदी में शिक्षा की बात करते है और हम आज 20वीं सदी में नयी शिक्षा में उन्हीं भावनाओ को शामिल करने की कोशिश करते दिखते हैं।

आज भी हम आत्मनिर्भर व स्वराज्य की बात करते हैं, कैसे आज भी हम हमारे सामाजिक नसों में खून बनकर दौड़ रहे हैं, उन्होंने भारतीयों को जगाने का काम किया। उत्सव ऐसा नहीं था कि पहले मनाया नहीं जाता था, लेकिन उसको सार्वजनिक स्वरूप देना, उसको एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करना, एक बहुत बड़े बदलाव की, एक तरह से उन्होंने शुरूआत की। सभी नेताओं का व स्वतंत्रता सेनानियों

का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इतिहासकारों ने पूरी तरह इनको भूलाने की कोशिश की, परन्तु उनकी छवि को मिटा नहीं सके। सत्य तो एक है, मगर उसके जाने के रास्ते अनेक हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने कोई भी मार्ग छोड़ा नहीं, न्यायालय जाकर भी आवाज उठाई लेकिन उनके साथ अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनका कहना था कि ये हमारा आपसी मामला है, हम निपटायेंगे, सुधार की भी जब बात आती है, तो बहुत से इतिहासकारों ने बहुत गलत तरीके से उपस्थित किया, लेकिन सच्चाई यह है कि वे जातिवादी नहीं थे, वे राष्ट्रवादी थे। उनका विरोध, सरकार के कानून द्वारा हस्तक्षेप था, इनकी लिखी हुई किताबें, उनके जो काम है, एक अलग तरह की गौरवमय गाथा सामने रखते हैं। वह आने वाली पीढ़ी को इन सबसे ये बताना चाहते थे कि इतिहास को फिर पीछे नहीं आने देना, जनता अपने गौरवशाली इतिहास को समझे और उस इतिहास को लेकर आगे चले और उनका निश्चित मत था कि जनता अपने आप, अपने स्वराज के लिए जुड़ जायेगी। जनता अपनी शक्ति नहीं जताती अगर वह ऐसा करे तो शासक उनके आगे शक्तिहीन हो जायेंगे। जनता में बहुत शक्ति होती है, निरंकुश शासन भी जनमत के आगे भय खाता है। वह जनता को एकजुटता तथा अपने देश के प्रति लगाव की भावना से निर्मित थे, ये धार्मिक व सांस्कृतिक इस भावना को मजबूती दी है। लाला लाजपतराय जी राष्ट्रीय आन्दोलन बनाने के लिए जनता में पद प्राप्त करने की लालसा को त्याग करने की भावना जागृत करना चाहते थे, अनेक ऐसे ही त्याग और बलिदान की मूर्ति थे पहले जनता आन्दोलन करती थी, आज नेता आन्दोलन करते हैं, क्योंकि जनता अब जागरूक हो गयी है, और ऐसे ही किसी की बातों में नहीं आने वाली। अन्याय के खिलाफ अगर आवाज नहीं उठायी तो कभी सफलता नहीं मिलेगी।

आधुनिक काल में विचारधारा के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य देश की सेवा करने वाले नागरिक तैयार करना है। लोकमत की शक्ति समुदाय में नहीं अपितु निश्चय में होती है, अगर जनसमुदाय निश्चय से न बँधे हो तो सब व्यर्थ है। देश के युवाओं को भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए संघर्ष करना होगा। मुझे विश्वास है कि इन श्रेष्ठ राजनीतिक विचारों जैसे कर्मठ व श्रेष्ठ मानव फिर अवतरित होंगे, जो देश की राजनीति को एक नया मोड़ देंगे, अंधकार के बाद ही प्रकाश का उदय होता है। "राष्ट्रवाद की आत्मा धर्म में बसती है।"[3] "उन्होंने अपना सबकुछ देश के लिए अर्पित कर दिया।"[4] "देश सेवा का संकल्प तो दृढ़ था और प्रयास भी सफल रहे, परन्तु जिस नशे को बंद करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया"[5] उसको आज भी ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को जनता से ज्यादा राजस्व की पड़ी है, और हमारा कर्त्तव्य है, सरकार को इस बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए अपील करनी चाहिए। "हमें भी इन महान नायकों की भाँति ही देश की दुर्दशा के कारणों को खोजकर उन पर आघात करना चाहिए।"[6] "तिलक व गोखले दोनों ऐसे राष्ट्रीयता के प्रतीक थे, जो आज भी लोगों में प्रेरणा के स्त्रोत बनकर पनपते रहते हैं।"[7] जिन पत्रिकाओं द्वारा जनता को सरकार से जोड़ने की कड़ी बनाया वैसे ही आधुनिककाल में मीडिया पत्रकारिता आज भी विकास में अहम स्थान रखती है, आम जनता का मार्गदर्शन करती है, राजनीतिक कार्यों पर सोचने के

लिए प्रेरित करती है। जनता की आवाज बनने का काम करती है, इसी आशा के साथ यह शोध देश की नई पीढ़ी के प्रति प्रेषित है।

संदर्भ सूची-

1. कुमार, एम., शर्मा दिप्ति, बाल गंगाधर तिलक, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2011, पृष्ठ 231.
2. भोला, रचना, "यामिनी" लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ग्रन्थ अकादमी, नई दिल्ली, 2023, पृष्ठ 19.
3. साँखला, मनोज, बाल गंगाधर तिलक 'जीवन और दर्शन', अंकित पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2013 पृष्ठ 19.
4. जोग, एन.जी., लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक (आधुनिक भारत के निर्माता), सूचना प्रसार और संचार मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली, मार्च-1969, फाल्गुन-1890, पृष्ठ 232.
5. गोपाल, राम, लोकमान्य तिलक, ग्रन्थ विकास, जयपुर, 2002, पृष्ठ 26.
6. श्रीवास्तव, सीता, भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, हिन्दु बुक सैन्टर, नई दिल्ली, 1997, पृष्ठ 14.
7. कुमार, सुशील, गुप्त, सुखपाल, लोकमान्य तिलक, नई दिल्ली, 1985, पृष्ठ 28.

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 6.375, ISSN 0975-4083
Vol.- 29, Hindi Edition, Year-15, April- September 2025

स्वेच्छातंत्रवाद का विश्लेषणात्मक अध्ययनः रॉबर्ट नॉजिक के विशेष संदर्भ में

• प्रभा जैन

सारांश- शोध पत्र का मुख्य केंद्र बिंदु स्वेच्छा तंत्रवाद है जिसके अंतर्गत रॉबर्ट नॉजिक ने व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन किया है। स्वेच्छा तंत्रवाद बीसवीं शताब्दी की विचारधारा है, जिसमें नॉजिक ने प्रतिभावान व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता देने का आग्रह किया है, उनका मानना है समाज में पूर्ण समानता असंभव कोशिश है। नॉजिक यह कहता है कि यदि संपत्ति का समान वितरण कर भी दिया जाए तो क्या विषमता समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेहनत करने वाले फिर आगे बढ़ जाएंगे और आलसी व्यक्ति पिछड़ जायेंगे। समाज में पुनः विषमता स्थापित हो जाएगी राज्य को किसी भी व्यक्ति के स्वैच्छिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उसे लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका की बजाय अत्यल्प राज्य (minimal state)की भूमिका निभानी चाहिए। नॉजिक मानता है कि संपत्ति के न्यायपूर्ण संचय के परिणामस्वरुप समाज में उत्पन्न आर्थिक विषमताएं पूर्णतया उचित होंगी। वह कहता है कि संपत्ति का वितरण कितना भी न्यायोचित क्यों ना हो मगर यदि उसके वितरण की प्रक्रिया न्यायपूर्ण नहीं है तो वह वितरण न्यायपूर्ण नहीं होगा। नॉजिक का मत है कि यदि प्रक्रिया उचित हो तो परिणामी व्यवस्था भी न्याय पूर्ण मानी जाएगी इस क्रम में नॉजिक दो मूल प्रक्रियाओं की आवश्यकता को स्पष्ट करता है प्रथम ''औचित्यपूर्ण अर्जन की प्रक्रिया''(Just aquisition) एवं द्वितीय ''औचित्य पूर्ण हस्तांतरण की प्रक्रिया।''(Just transfer) स्वेच्छा तंत्रवाद के इस पक्ष का विश्लेषण ही इस शोध पत्र का प्रमुख विषय है।

मुख्य शब्द- स्वेच्छातंत्रवाद, अधिकारिता, प्रक्रियात्मक न्याय, अत्यल्प राज्य।

विचारधारा के रूप में इच्छा–स्वेच्छातंत्रवाद का उद्भव बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अमेरिका में हुआ। तब तक लोकतंत्र पर पूंजीवादी ताकतें अपना प्रभुत्व जमा चुकी थीं। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कारपोरेट संस्कृति का असर साफ दिखने लगा था। साम्राज्यवाद अपने पराभव के दौर में था, पुरानी विचारधाराएं अप्रासंगिक होती जा रही थी। था। नई प्रौद्योगिकी के आगमन से परंपरागत उत्पादन प्रविधियों पर संकट मंडराने लगा था। बड़ी पूंजीपति कंपनियां लोगों के दिलो–दिमाग पर कब्जा कर, उन्हें

• श्री भवानी निकेतन पी.जी. महिला महाविद्यालय, जयपुर

उपभोक्तावादी वस्तुओं की तरफ आकर्षित कर रही थी। राजनीतिक अस्थिरता एवं अदूरदर्शिता के बीच महत्त्वपूर्ण निर्णयों पर पूंजीपति घरानों का असर साफ नजर आने लगा था। उनकी ओर से निहित स्वार्थ हेतु उपभोक्ताकरण का अभियान जोर-शोर से चलाया जा रहा था। तेजी से उभरता मीडिया उनका सबसे बड़ा मददगार बना हुआ था। ऐसे प्रलोभनकारी परिवेश में मनुष्य की भौतिक इच्छाओं का फैलाव होना स्वाभाविक था। पूंजीवादी शक्तियां भी यही चाहती थीं कि मनुष्य परंपरागत मूल्य जो उसे संयम और त्याग का पाठ पढ़ाती हैं, के नियंत्रण से मुक्त हो। विचारकों का बड़ा वर्ग उनसे बाहर लाने को कटिबद्ध था। फलस्वरूप बीसवीं शताब्दी तक मानवीय स्वतंत्रता और समानता के पक्ष में माहौल पूरी तरह बन चुका था। नए विचारों के आलोक में विश्व-भर में लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हुईं। उनका संघर्ष किसी भी प्रकार के वर्चस्ववाद के विरुद्ध था। इस बीच अपनी अनुकूलनवादी प्रवृत्ति के कारण पूंजीवादी ताकतें भी लोकतांत्रिक परिवेश का लाभ उठाने में कामयाब हुईं। शती के मध्याह्न तक पूंजीवाद दुनिया के आधे से अधिक देशों को अपने प्रभाव में ले चुका था। फलस्वरूप मानवाधिकार समर्थक ऐसे अनेक बुद्धिजीवी प्रकाश में आए, जो पूंजीवाद की चमक-दमक से प्रभावित थे और उसी में मानवीय समस्याओं का हल खोजते थे। इच्छा-स्वेच्छातंत्रवाद जैसी मुखर विचारधाराओं का उभार उसी दौर की घटना है।

स्वेच्छातंत्रवाद- यह व्यक्ति की पूर्ण स्वायत्तता (Autonomy) या स्वतंत्रता में विश्वास करता है। यह उन सब संस्थाओं से उसकी मुक्ति (Liberation) की कामना करता है जो उसकी विश्व दृष्टि को सीमित करती हैं। अत: यह राजनीतिक संस्थाओं के अलावा धर्म, परिवार और ऐसे रीति-रिवाज को भी समाप्त कर देना चाहता है जो व्यक्ति को किसी बने-बनाए साँचे में ढालने की कोशिश करते हैं। दार्शनिक स्तर पर, यह मानव जीवन के भाग्यवादी दृष्टिकोण (Deterministic Outlook) का खंडन करता है और यह विश्वास करता है कि मनुष्य का व्यक्तित्व, चरित्र, चिंतन और कर्म उसकी परिस्थितियों के परिणाम नहीं माने जा सकते। दूसरे शब्दों में, यह मनुष्य को स्वयं अपने भाग्य का निर्माता मानता है। अत: यह व्यक्ति की कार्य स्वतंत्रता (Freedom Action) पर लगाए गए समस्त सामाजिक और क़ानूनी प्रतिबंधों के विरुद्ध है। राजनीतिक क्षेत्र में, स्वेच्छातंत्रवाद यह मांग करता है कि मनुष्य को अपनी प्रतिभा और सूझबूझ के बल पर अपनी उन्नति और समृद्धि का पूर्ण अवसर देने के लिए उसकी आर्थिक गतिविधि को सब तरह के प्रतिबंधों (Restraints) से मुक्ति प्रदान की जानी चाहिए।

रॉबर्ट नॉजिक एक अमेरिकी दार्शनिक थे। इन्हें एक स्वेच्छातंत्रवादी विचारक के रूप में जाना जाता है। बीसवीं शताब्दी का यह अराजकतावादी विचारक न्याय की स्थापना के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करता है। इस लक्ष्य-प्राप्ति के लिए वह राज्य की सीमित भूमिका का समर्थन करता है। इसलिए कुछ विद्वान उसे अर्ध-अराजकतावादी भी मानते हैं। उसने जोर देकर कहा था कि अपने जीवन पर सर्वाधिक अधिकार संबंधित व्यक्ति का है।परिवार, समाज और देश बाद में आते हैं। व्यक्ति-स्वातंत्र्य का आधार ही यह भावना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का मान रखने, उसको लक्ष्य मानकर उसके अनुरूप आचरण करने का पूरा-पूरा

अधिकार है। यह एक व्यक्तिवादी द्रष्टिकोण है। चूंकि सुखवाद और व्यक्तिवाद परस्पर पूरक और सहायक विचारधाराएं हैं, इसलिए अधिकांश स्वेच्छातंत्रवादी विचारक स्वयं को सुखवादी दर्शन के करीब मानते थे। वे पूंजीवाद का सीधे समर्थन नहीं करते। सर्व-स्वातंत्र्य का पक्ष एक मुक्त, आत्मनिर्णयी व्यक्ति और समाज की रचना उनका ध्येय है, लेकिन पूंजी के आधार पर समाज में जिस प्रकार का विभाजन स्वाभाविक रूप से आ जाता है, उस पर भी वह कोई विचार नहीं करते।। इस तरह वे जाने-अनजाने पूंजीवाद का अप्रत्यक्ष समर्थन करते हुए नजर आते हैं। वे सुखवाद का समर्थन भी इसलिए करते हैं क्योंकि यह व्यक्तिमात्र की स्वतंत्रता की राह को आसान बनाता है।मगर कोरे सुखवादी द्रष्टिकोण से समाज में न्याय की स्थापना असंभव है। रॉबर्ट नॉजिक स्वयं यह मानता था कि सुखवाद न्याय की राह का सबसे बड़ा पत्थर है। यदि सब अपने-अपने सुख की स्पर्धा में होंगे तो उन लोगों के सुख की चिंता जो किसी कारणवश दौड़ से बाहर हैं, अथवा दौड़ में पिछड़ चुके है-कौन करेगा ! इस तर्क के साथ नॉजिक सुखवादी दर्शन को, विशेषकर न्याय के संदर्भ में, करीब-करीब नकार ही देता है।

जॉन लॉक से प्रभावित अध्ययन- रॉबर्ट नॉजिक की पुस्तक 'अनार्की, स्टेट और यूटोपिया' जॉन लॉक(1632-1704) के मानवाधिकार संबंधी विचारों के आगे का चिंतन है। राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत मानवाधिकारों का पक्ष लेते हुए उसने लिखा था कि मनुष्य प्रकृति से ही मुक्त और समान होता है। प्रकृति से उसे जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति-संबंधी अधिकार प्राप्त होते हैं। उन्हीं के आधार पर वह समाज से जुड़ता है। समाज व्यक्ति की निजी एवं सार्वजनिक इच्छा-आकांक्षाओं का विस्तार है। उसकी स्थिरता, संपन्नता तथा अपनी स्वाधीनता के सुखमय भोग हेतु मनुष्य अपनी नैसर्गिक स्वतंत्रता के एक हिस्से को समाज और सरकार को सौंप देता है। उसी से उन दोनों को वैधता और ताकत प्राप्त होती है। चूंकि सरकार लोगों की इच्छा से बनती तथा उनकी सहमति से चलती है, इसलिए उसका प्रथम कर्तव्य लोगों की स्वाधीनता तथा अधिकारों की रक्षा करना है। रॉबर्ट नॉजिक जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों को स्वीकारता है। उसके अनुसार ये अधिकार मनुष्य होने की कसौटी हैं, इसलिए इनका किसी प्रकार से उल्लंघन मनुष्यता के प्रति अक्षम्य अपराध है। चूंकि सभी के जीवन-संबंधी अधिकार बराबर हैं, इसलिए मनुष्य के संपत्ति-संबंधी अधिकार सामाजिक नैतिकता से बंधे होते हैं। वे तभी तक मान्य हैं जब तक संपत्ति का अर्जन और हस्तांतरण विधिमान्य तरीके से, बगैर किसी हिंसा, धोखाधड़ी और क्षोभ के संभव हो सके। नॉजिक के अनुसार संपत्ति अधिकार तथा उनके अंतरण की संबंधी न्याय के तत्संबंधी तीन सामान्य सिद्धांतों द्वारा समझी जा सकती है। संपत्ति **अर्जित करने का न्यायपूर्ण सिद्धांत-** नॉजिक इसके अंतर्गत संपत्ति अर्जित करने की उचित प्रक्रिया की बात करता है, जिसके माध्यम से उन संपत्तियों को अर्जित किया जा सके, जिस पर किसी का निजी स्वामित्व ना हो, अर्थात जो प्राकृतिक संपत्ति हो। यहां नॉजिक प्राकृतिक संपत्ति को अर्जित कर निजी स्वामित्व में लाने की बात करता है, इसी कारण इस संपत्ति को मूल संपत्ति की संज्ञा देता है। प्राकृतिक संपत्ति को अर्जित करने के प्रश्न पर नॉजिक लॉक के कदमों पर चलता है। नॉजिक,

लॉक की तरह कहता है कि प्रकृति की सभी चीजें सभी के लिए हैं अत: व्यक्ति श्रम द्वारा उसे प्राप्त कर सकता है, उस पर स्वामित्व स्थापित कर सकता है क्योंकि श्रम व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति होती है। मगर श्रम द्वारा संपत्ति अर्जित करने के मार्ग में नॉजिक ने दो तरह की सीमाओं की बात की है।

प्रथम- उतनी ही संपत्ति अर्जित किया जाए जितना उपभोग किया जा सके अर्थात् संपत्ति नष्ट ना हो।

द्वितीय- प्राकृतिक संपत्ति से श्रम द्वारा उतना ही अर्जित की जाए कि वह दूसरों के लिए भी बची रह सके अर्थात् अनावश्यक रूप से संपत्ति का संग्रह ना हो। नॉजिक द्वारा लगाई गई दूसरी सीमा में हमें महात्मा गांधी के उस कथन की झलक मिलती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ष्पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधन मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं मगर उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं।''

संपत्ति के हस्तांतरण का न्यायपूर्ण सिद्धांत- नॉजिक इस सिद्धांत के अंतर्गत उन प्रक्रियाओं की बात करता है जिसमें किसी संपत्ति के स्वामित्व को बदला जा सके अर्थात् ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी एक व्यक्ति द्वारा अधिकृत संपत्ति पर किसी अन्य का अधिकार हो सके, इसके लिए दो मार्गों की बात करते हैं। प्रथम, पारस्परिक लेनदेन एवं द्वितीय, उपहार। प्राकृतिक लेन देन अथवा विनिमय से नॉजिक का तात्पर्य 'स्वैच्छिक विनिमय' से है, जिसमें व्यक्ति उस सम्पत्ति के बदले जिसकी अधिकृतता का वह त्याग कर रहा है कुछ लाभ प्राप्त करने के प्रति आशान्वित भी होता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति द्वारा किसी दुकान से जब कोई वस्तु क्रय की जाती है तो वहां विनिमय की प्रक्रिया संपन्न होती है, जहां व्यक्ति क्रय की गई वस्तु के उपभोग के माध्यम से अपनी आत्मसंतुष्टि को अधिकतम् करने के लिए मुद्रा का त्याग करता है; वहीं दुकानदार 'लाभजनित आत्मसंतुष्टि' को अधिकतम करने के लिए वस्तु का त्याग करता है। द्वितीय, उपहार जिसे नॉजिक स्वेच्छा से संपत्ति हस्तांतरण का न्यायोचित माध्यम मानते हैं। इन दोनों माध्यमों में नॉजिक 'पारस्परिक लेनदेन अथवा विनिमय' को श्रेष्ठ माध्यम मानते हैं तथा उपहार के माध्यम से संपत्ति हस्तांतरण को द्वितीयक माध्यम मानते हैं।

अन्यायोचित संपत्ति में परिशोधन का सिद्धांत- नॉजिक परिशोधन सिद्धांत के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियों की बात करता है जिसमें संपत्ति का हस्तांतरण समाज द्वारा मान्य विधि द्वारा नहीं किया गया है। यह संभव है कि प्रथम दो मान्य विधियों के अतिरिक्त अन्य किसी विधि से संपत्ति अर्जित की गई हो, जो समाज में मान्य ना हो, जैसे जोर-जबरदस्ती द्वारा, चोरी से, करारोपण द्वारा या छीनकर आदि असंवैधानिक तरीके से संपत्ति अर्जित की गई हो। नॉजिक कहता है कि ऐसे हस्तांतरण चाहे वे भूतकाल में हुए हों अथवा वर्तमान में हुए हो उसमें सुधार किया जाना आवश्यक है । इस हस्तांतरण के विरुद्ध वह संवैधानिक कार्यवाही की बात करता है । इसके साथ-साथ नॉजिक यह भी कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अनुबंध को भंग करता है तो वह अन्याय पूर्ण है। इस तरह अर्जित संपत्ति वापस ले ली जाएगी तथा उस पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह वैधानिक कार्यवाही क्षतिपूर्ति व दायित्व बोध के रूप में भी हो सकती है। इस तरह नॉजिक संपत्ति के अधिकार से सम्बद्ध अपने तीन सिद्धान्तों के माध्यम से क्रमश: व्यक्तिगत संपत्ति

उद्घाटित करने, व्यक्तिगत स्वामित्व की संपत्ति का हस्तांतरण करने तथा अन्यायपूर्ण स्वामित्व की स्थिति में उपचार की व्यवस्था करता है। यहां नॉजिकयह स्पष्ट करता है कि उपरोक्त तीनों सिद्धांतों के पूर्णत: अनुपालन के बाद यदि विषमता में वृद्धि होती है तो भी विषमता गलत नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि संपत्ति अर्जित करने या हस्तानांतरित करने की किसी भी बाह्य कारक के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के लिए कोई जगह नहीं है तथा इसके लिए राज्य रूपी किसी भी अन्य संस्था से किसी भी प्रकार की स्वीकार्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सभी के सम्मिलित सिद्धांत को नॉजिक द्वारा न्याय का अधिकृतता का सिद्धांत कहा गया है। संपत्ति संबंधी अधिकारों को लेकर उनका आग्रह इतना अधिक है कि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य जो मानवीय स्वतंत्रता की असली पहचान है, कदाचित पीछे छूटा प्रतीत होता है।

अत्यल्प राज्य की अवधारणा- नॉजिक प्राकृतिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को श्रेष्ठतम मानव अधिकार की संज्ञा देता है तथा इसकी रक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति को स्वीकार करता है। ध्यातव्य है कि हम पहले भी उल्लेख कर चुके हैं। नॉजिक लॉक का अनुसरण करते हुए 'प्राकृतिक अवस्था' की बात करता है, जिसमें प्राकृतिक अधिकारों के समक्ष उत्पन्न अनेक समस्याओं की बात करता है जैसे अधिकारों का उल्लंघन अथवा मान्य विधियों की अवहेलना कर संपत्ति पर स्वामित्व स्थापित करना, जिसके समाधान के लिए 'अत्यल्प राज्य की उत्पत्ति की बात करता है क्योंकि वह समझौतावादी विचारों की तरह राज्य के संरक्षणवादी भूमिका को स्वीकार नहीं करता है। नॉजिक कहता है कि यह राज्य इस अर्थ में अत्यल्प होंगे कि वह अपने क्षेत्र के समस्त नागरिकों को न तो संरक्षण प्रदान करेगा और ना ही शक्ति के प्रयोग का एकाधिकार रखेगा। यही कारण है कि नॉजिक इसे प्रभुतासंपन्न राज्य की संज्ञा नहीं देता है। इस तरह वह प्राकृतिक अधिकारों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए एक इकाई के रूप में अत्यल्प राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करता है। वह स्वीकार करता है कि यदि अत्यल्प राज्य का निर्माण एवं कार्यान्वयन ठीक ढंग से किया जाए तो अधिकारों के उल्लंघन से बचा जा सकता है और यह भी कहता है कि कानून के उल्लंघन अथवा समझौते को भंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही के अतिरिक्त अत्यल्प राज्य की अन्य कोई भूमिका नहीं होगी। अब यहां एक स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि नॉजिक का अत्यल्प राज्य क्या नहीं कर सकेगा? इस प्रश्न का उत्तर संपत्ति के अधिकार से संबद्ध कर दिया जाना उचित होगा। हम यह पहले भी कह चुके हैं कि नॉजिक मानता है कि संपत्ति के न्यायपूर्ण संचय के परिणामस्वरुप समाज में उत्पन्न आर्थिक विषमताएं पूर्णतया उचित होंगी। जिससे स्पष्ट होता है कि नॉजिक संपत्ति के अधिकार की वकालत करता है। वह कहता है कि संपत्ति का वितरण कितना भी न्यायोचित क्यों ना हो मगर यदि उसके वितरण की प्रक्रिया न्यायपूर्ण नहीं है तो वह वितरण न्यायपूर्ण नहीं होगा। इस तरह वह समाजवादी विचारधारा का खंडन करता है।

कराधान व्यवस्था का विरोध- नॉजिक कराधान व्यवस्था का विरोध करता है। सरकार और प्रशासन द्वारा उसके पक्ष में दिए जाने वाले अनेक तर्कों के बावजूद, वह इसे लागू रखने के लिए कतई तैयार नहीं था । उसके अनुसार कराधान की पद्धति ही दोषपूर्ण

है। वह मनुष्य की स्वतंत्रता और संपत्ति संबंधी अधिकारों में सेंध लगाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह कराधान को एक प्रकार की चोरी मानता है। ऐसी चोरी जो सरकार अथवा राज्य द्वारा कानून और अधिकार के नाम पर की जाती है। सरकार टैक्स वसूलने के लिए बलप्रयोग का सहारा ले सकती है। उसके अनुसार मनुष्य के वैध संपत्ति-अधिकार पर, उसकी इच्छा के बगैर हस्तक्षेप करने का अधिकार सरकार समेत किसी को भी नहीं है। तदनुसार गरीबों के लिए नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, भोजन, आवास आदि संबंधी कोई भी गतिविधि जो कराधान के नाम पर जनता से बलपूर्वक ऐंठी गई धनराशि द्वारा संचालित है, अवैध मानी जाएगी। अराजकतावादी नॉजिक का मानना था कि राज्य को अल्पाधिकार संपन्न होना चाहिए। उसका दायित्व नागरिक-कल्याण के लिए बनाए गए विधान को लागू करना तथा अपराध जैसे डकैती, चोरी, धोखादड़ी, लूट-खसोट, मारपीट आदि के मामलों में समाज की रक्षा तक सीमित है। बाकी दायित्व नागरिकों द्वारा अपने विवेक, संगठन, सहकार, स्वातंत्र्यबोध एवं समानता की भावना से संपन्न होने चाहिए। नॉजिक राज्य द्वारा आरोपित करों को अन्यायपूर्ण बताता है तथा उसे बंधुआ मजदूरी की संज्ञा देता है। वह कहता है कि राज्य लोगों से संपत्ति लेकर अन्य लोगों में बाँटता है वह गलत है, नॉजिक इतना अवश्य स्वीकार करता है कि राज्य अपने समस्त व्यवस्थाओं के संचालन के लिए करारोपण कर सकता है। वह कहता है कि राज्य द्वारा गरीबों का भला करने के लिए कोई भी कर लेने का अधिकार नहीं है। नॉजिक यह कहता है कि यदि संपत्ति का समान वितरण कर भी दिया जाए तो क्या विषमता समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेहनत करने वाले फिर आगे बढ़ जाएंगे और आलसी व्यक्ति पिछड़ जायेंगे। समाज में पुन: विषमता स्थापित हो जाएगी राज्य को किसी भी व्यक्ति के स्वैच्छिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उसे लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका की बजाय अत्यल्प राज्य की भूमिका निभानी चाहिए। नॉजिक की पुस्तक पूंजीवाद का समर्थन करती हैं यह समतावाद का विरोध करती है और स्वतंत्रता या स्वच्छंदता का समर्थन करती है। नॉजिक एक समकालीन उदारवादी विचारक है किंतु आलोचनाओं से मुक्त नहीं रह पाया है नॉजिक के न्याय सिद्धांत की निम्न प्रकार से आलोचना की गई है। नॉजिक की पहली आलोचना यह की जाती वह प्रक्रियात्मक न्याय को जॉन राल्स की तरह सर्वमान्य बनाने में असफल रहा है उसने अपने न्याय सिद्धांत को अत्यधिक सरलीकृत कर दिया है इससे वह कम प्रभावी हो गया है। इस आधार पर वह राज्य को राजनीतिक एवं जनसामान्य से पृथक कर निजीकरण व पूँजीवाद का समर्थक बन जाता है जिस पर राज्य में कोई नियंत्रण ना हो। इस आधार पर नॉजिक संपत्ति संकेंद्रण को न्याय संगत सिद्ध करने का प्रयत्न कर समानता का घोर विरोधी भी बन जाता है। आलोचक नॉजिक को 'विषमता के भक्त' की संज्ञा देते हैं। नॉजिक की एक अन्य आलोचना के रूप में कहा जाता है कि नॉजिक एक निर्मम विचारक है क्योंकि वह कहता है कि जो गरीब है वह इसलिए गरीब है क्योकि उसकी तकदीर ही गरीब है, वे उस लायक ही हैं अतरू राज्य इनकी गरीबी दूर करने के लिए करारोपण के आधार पर दूसरों का पैसा लेकर वह इन्हें क्यों दे? वह तो यह भी कहता है कि राज्य द्वारा कर उतना ही लगाना चाहिए जितना सुरक्षा की आवश्यकता को पूर्ण करने

के लिए आवश्यक है। इस पर आलोचकों का कहना है कि गरीबी किसी की शौक नहीं होती है। इसलिए गरीबी निवारण राज्य का कर्तव्य है। राज्य द्वारा गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए। इसीलिए नॉजिक के इस सिद्धांत को आलोचक अमानवीय एवं अनैतिक मानते हैं।

निष्कर्ष- नॉजिक ने राज्य अर्थात अल्पतम राज्य का वाणिज्यीकरण कर दिया है जिसमें अल्पतम राज्य से उसका तात्पर्य एक वाणिज्यक उपक्रम से है। इस तरह वह राज्य को प्रशासनिक, राजनीतिक आदि मामलों से पृथक एक ऐसा यन्त्र मात्र मानता है जो लोगों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता हो, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। नॉजिक राल्स के सकारात्मक हस्तक्षेपवादी लोक कल्याणकारी राज्य का खंडन करते हैं, जो कि आधुनिक युग में नॉजिक की एक प्रमुख आलोचना है। इसके संदर्भ में नॉजिक कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा तो अभी 100 वर्ष पुरानी है। उसके पहले भी कल्याणकारी कार्य होते रहे हैं, जिनका संपादन समय-समय पर राज्यों के बजाए समाज द्वारा आगे आकर किया जाना चाहिए। वे कहते हैं कि राज्य लोक कल्याणकारी कार्य अपने हाथ में लेकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। अनेक अनैतिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल रहा है। राजनीति एवं प्रशासन का नौकरशाहीकरण हो रहा है। अत: नॉजिक अपने सिद्धांत के समर्थन में उपरोक्त तर्क दिए जाने के बाद भी आलोचना से नहीं बच सके क्योंकि आधुनिक युग में राज्य की सर्वमान्य अवधारणा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है।

सन्दर्भ सूची-

1. नाजिक, रॉबर्ट, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया बेसिल ब्लैक वेल लिमिटेड, ऑक्सफोर्ड1980 पृष्ठ-149 वही पृष्ठ-151
2. दाधीच, नरेश, समसामयिक राजनीतिक सिद्धान्त, जयपुर, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2015
3. वुल्फ जोनाथन रॉबर्ट नोजिक प्रापर्टी जस्टिस एंड द मिनिमल स्टेट पृष्ठ-10
4. चौबे, कमल नयन, (अनु.), समकालीन राजनीति-दर्शन एक परिचय, दिल्ली, पियर्सन, 2013
5. गुर्जर, लीलाराम, बीसवीं सदी के राजनीतिक विचारक, नई दिल्ली, मनोहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 1997
6. गाबा, ओम प्रकाश, राजनीति-चिन्तन की रूपरेखा, नोएडा, मयूर पेपर बैक्स, 2012अमर्त्य सेन: द आइडिया ऑफ जस्टिस, पेंगयुइन यू. के. 2010.
7. दुबे, एम. पी. सोशल जस्टिस: डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसपल्स एण्ड बियॉण्ड, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2015

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 6.375, ISSN 0975-4083
Vol.- 29, Hindi Edition, Year-15, April- September 2025

स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की सहभागिता: बिहार का अध्ययन

•पवन कुमार त्रिभुवन

सारांश- भारत दुनियां का सबसे बड़ा जीवंत लोकतांत्रिक राष्ट्र है, राष्ट्र की सफलता और विफलता इस बात पर करती है कि देश की आधी आवादी जनसंख्या महिलाओं की शासन में सहभागिता कितनी हैं? लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि शासन में सभी भागीदारी सुनिश्चित हो, किन्तु देश की शासन में महिलाओं की सहभागिता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रश्न यह है कि क्या आज राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नारीवादी आन्दोलन अपने अनेक सोपानों में विकसित हो रहे हैं। क्या इस आधी जनसंख्या की अनदेखी कर सतत सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है? लोकतंत्र के सशक्तीकरण के लिए लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे 73वें संविधान संशोधन ने सफल बनाया है। इसे 73वें संविधान संशोधन से बिहार प्रदेश में महिलाओं की स्थिति और उनकी राजनीति में सहभागिता का अध्ययन करना ही इस शोध पत्र का उद्देश्य हैं।

मुख्य शब्द- स्थानीय स्वशासन, महिला सहभागिता, 73वां संविधान संशोधन 1993, आरक्षण, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, वर्ल्ड इकोन,मिक फोरम, हिन्दु कोड बिल, महिला सशक्तीकरण।

भारत दुनियां का सबसे बड़ा जीवंत लोकतांत्रिक राष्ट्र है, राष्ट्र की सफलता और विफलता इस बात पर करती है कि देश की आधी आबादी जनसंख्या महिलाओं की शासन में सहभागिता कितनी हैं? लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि शासन में सभी भागीदारी सुनिश्चित हो, किन्तु देश की शासन में महिलाओं की सहभागिता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रश्न यह है कि क्या आज राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नारीवादी आन्दोलन अपने अनेक सोपानों में विकसित हो रहे हैं। क्या इस आधी जनसंख्या की अनदेखी कर सतत सामाजिक–आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है? लोकतंत्र के सशक्तीकरण के लिए लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे 73वें संविधान संशोधन ने सफल बनाया है। इसे 73वें संविधान संशोधन से बिहार प्रदेश में महिलाओं की स्थिति और उनकी राजनीति में सहभागिता का अध्ययन करना ही इस शोध पत्र का उद्देश्य हैं।

• शोध छात्र, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभागी, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

प्रस्तावना- भारतीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की नीव की मजबूती और सफलता के लिए आवश्यक है कि शासन में सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो ताकि देश का सामाजिक–आर्थिक विकास सतत रुप से हो सकें। किन्तु दुखद पहलु यह है कि देश का 50% जनसंख्या जो कि महिलाओं का है सहभाहिता आज भी एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ हैं । समाजशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों और शिक्षाविदों के बीच पिछ्ले कुछ वर्षों से महिलाओं की स्थिति और उसकी सहभागिता पर गहन चिंतन हो रहे है। राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर नारीवादी आन्दोलन अपने अनेक सोपानों पर विकसित हो रहे हैं । इस आन्दोलन ने राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय समाज में महिलाओं की जागरुकता को बल मिला हैं। लेकिन यह विकास जिस रुप में हर स्तर पर होना चाहिए नहीं हुआ हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र महिलाओं की सहभागिता अभी भी चिंता का विषय हैं । वर्ल्ड इकोन, मिक फोरम (WEF) की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में, भारत में महिलाओं की स्थिति में विश्व स्तर पर भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर हैं, जो पिछले साल की तुलना में दो स्थान नीचे हैं। यह रिपोर्ट लैंगिक समानता के विभिन्न पहलुओं में भारत की स्थिति को दर्शाती हैं जिसमें आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण शामिल हैं।

1992 में भारतीय संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने व पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत (गांव स्तर), पंचायत समिति (खण्ड स्तर) और जिला परिषद (जिला स्तर) को सशक्त बनाने के लिए, संवैधानिक मान्यता मिली। स्थानीय स्वशासन प्रणाली क्षेत्रीय स्तर पर जनहित के कार्यों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए एक संवैधानिक प्रयास हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य हैं देश के सबसे नीचले व अंतिम पैदान पर खड़े ग्रामीण लोगों के लिए बुनियादी सेवाओं का प्रावधान, ग्रामीण सड़कों, शुद्ध पेय जल की आपूर्ति, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सुधार जैसे क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करना हैं। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2006 में राज्य की आधी आबादी (महिलाओं) को स्थानीय स्वशासन में 50% आरक्षण देकर राज्य की महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाए गए। स्थानीय स्वशासन में 50% महिलाओं की सहभागिता ने पंचायत में पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय को बढ़ावा दिया हैं। स्थानीय स्वशासन प्रणाली में जन–सहभागिता लोकतांत्रिक पद्धति की विशेषता होती हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि, "भारत गांवों का देश हैं, भारत की उन्नति गांव की उन्नति पर निर्भर करता है । "74.3 प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में स्थानीय स्वशासन का महत्व स्वत: सिद्ध होता है। भारत जैसे देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जन–सहभागिता बनाने के लिए पंचायती राज की व्यवस्था की गई हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही जन–कल्याण हेतु स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास के लिए प्रयास किए गए हैं। लोक सभा और विधान सभा में प्रतिनिधियों का चयन करने हेतु व्यस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया हैं। सन् 15 अगस्त, 1947 को आजादी मिलने के पश्चात् भारत में स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में नए रुप में पहल की गई। 1952 में संविधान लागू होने के साथ ही संविधान में स्थानीय

स्वशासन को राज्य की संस्थागत आत्मा भी बन गया और राज्यों के नीति निदेशक सिद्धांतों मे स्पष्ट कहा गया है कि, राज्य का कर्तव्य होगा की वह ग्राम पंचायतों का इस तरीके से संगठित करें की पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की इकाईयों के रुप में कार्य कर सकें। पंचायती राज सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर आधारित एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था हैं। आधुनिक समय में पंचायती राज का प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि इससे प्रांतीय एवं केन्द्रीय सरकार का कार्य हल्का होता हैं। इसके अलावे इसने लोकतंत्र को सफल बनाने में और आर्थिक नियोजन विकास कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं।

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992- संविधान के अनुच्छेद 40 में यह अंकित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए बहुत ही सही कदम उठाया और ऐसा ही शक्तियों और प्राधिकार प्रदान करने को कहा गया हैं। जो उन्हें स्वायत शासन की हरेक निकायों को पुर्नजीवित करने का कार्य किया। इकाईयों को कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो किंतु अनुच्छेद 40 में इस कार्य के लिए पूरे बिहार में ही इस स्थानीय स्वशासन के निर्वाचन कराए गए। किंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में यह विचार किया गया कि इन स्थानीय इकाईयों के गठन के लिए संविधान में ही विनिर्दिष्ट उपबंध कर स्थापित करवाया जाए। संविधान में ही मार्गदर्शन को क्रियान्वित करके धरातल पर उतरा जा सकें। विभिन्न व्यवस्था को संसाधन के लिए पंचायती राज व्यवस्था में लाने का कार्य किया गया। राज्यों के लिए विधानमंडल में विस्तृत विधिया बनाया गया और इसी विचार को परोपकार समझकर लोगों को बदहाली से बचाया गया। इसी विचारों के फलस्वरुप 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के रुप में प्रत्याभूत हुआ। यह अधिनियम अप्रैल, 1993 से विस्तृत हुआ। संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के पूर्ववर्ती भाग 8 के बाद एक नया हिस्सा भाग 9 पंचायत की शीर्षक को जोड़ा गया। जैसा कि ज्ञात है कि संविधान में अनुच्छेद 243 के क से ण तक जोड़ते हुए देश में पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं से गठन आवश्यक विषय मानकर समाहित किया गया हैं। हर एक पहलुओं को ध्यान में रखकर तत्वों को जोड़ा गया कि पंचायत की आमजन के लिए मूलभूत सुविधा से वंचितों को सम्मिलित किया जाए। जिन राज्यों में जनसंख्या 20 लाख से कम है उन राज्यों में पंचायत जरुरी नहीं माना गया हैं ऐसे ही समय-समय पर जरुरत की सुविधा को लाने के लिए संविधान में संशोधन कर आमजन के लिए एक उपलब्धि हासिल की। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता से ग्रामीण समाज और स्थानीय शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ हैं। 1992 के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई, जिसमें पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान था। बिहार प्रदेश में इस आरक्षण को 2006 में बढ़ाकर 50% कर दिया गया, जिससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में चमत्कारी वृद्धि हुई। इस कदम ने महिलाओं को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न स्तरों पर महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होने का अवसर प्रदान किया। पंचायती राज व्यवस्था के तहत, महिलाओं को न केवल

चुनाव लड़ने का अधिकार मिला बल्कि ग्राम स्तर पर प्रशासनिक और विकासात्मक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाने लगीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ्ता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर महिलाएं अधिक संवेदनशील और प्रभावी साबित हो रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, बच्चों की शिक्षा में बढ़ोत्तरी और गांवों में स्वच्छ्ता अभियानों को सफलता पूर्वक लागू किया। महिलाओं के नेतृत्व में पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही में भी वृद्धि हुई हैं। बिहार में शराब बंदी कराने में और भ्रष्टाचार के खिलाफ विचारधाराओं का स्वागत हुआ हैं। यह प्रक्रिया न केवल महिलाओं ले लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक समृद्ध और न्यायपूर्ण भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता ने यह साबित कर दिया है कि जब महिलाओं को उचित अवसर और मंच मिलता हैं, तो वे न केवल अपनी समस्याओं को हल करने में सक्षम होती हैं, बल्कि समाज को एक बेहतर और समृद्ध दिशा में भी ले जाती हैं। उनके योगदान से पंचायतों में विकास कार्यों की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ हैं और सामाजिक न्याय की भावना मजबूत हुई हैं। नि:संदेह पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी ने बिहार के ग्रामीण समाज में एक महत्वपूर्ण और साकारात्मक परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाया हैं।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की वास्तविक भूमिका- वास्तविकता के धरातल पर अगर देखा जाए तो बिहार राज्य के पंचायती राज संसाथानों में महिलाओं को 50% आरक्षण के बावजूद निर्वाचित महिला प्रतिनिधि ग्राम पंचायतों में कोई कारगर भूमिका नहीं निभा पा रहीं हैं। इसका एक मुख्य कारण है कि उनके पास गांव के प्रशासन के लिए उपयुक्त जानकारी व पर्याप्त कौशल प्राप्त नहीं हैं। जिसके फलस्वरुप उनके पति ही पंचायत के कर्ता-धर्ता बन जाते हैं। हालांकि आरक्षण के बावजूद सत्ता के छ्द्म उपयोग की विषम परिस्थिति विनिर्मित हुई हैं। स्प्ष्ट प्रशासनिक निर्देशों के उपरांत भी प्रधानपति या अन्य रिश्तेदार उनके अधिकारों का छद्म उपयोग करते देखे जा सकते हैं। इसके आलावा विकास कार्यों के प्रति जागरुकता का अभाव और छद्म सत्ता केन्द्रों के उदय के कारण महिलाओं की पंचायती राज में परस्थिति कमजोर हुई हैं। इसके अनेक कारण हैं जैसे महिला का अशिक्षित रहना, राजनीति में अनुभव की कमी, राजनीतिक चेतना का अभाव और अधिकार प्राप्ति हेतु उत्साह में कमी। इसके अतिरिक्त आर्थिक रुप से दूसरों पर आश्रित होना, कार्य करने की स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं। भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक रीतियां, विश्वास तथा रुढ़ियां जो समाज पर सामाजिक नियोग्यताएं ग्रामीण पंचायत बैंठकों में प्रतिभाग करने लिए भी किसी पारिवारिक पुरुष जैसे पिता, पति या भाई की आवश्यकता महसूस होना। अत: कहा जा सकता है कि ग्रामीण महिला प्रतिनिधियों में किसी प्रकार की ऊर्जा, उत्साह व कर्मठता की कमी नहीं हैं, उनमें कर्तव्य निष्ठा व समर्पण से काम करने की शक्ति मौजूद हैं।

पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता निर्धारण और सरकारी योजनाएं- देश में पंचायती राज में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता निर्धारण की आवश्यकता को देखते हुए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से 17 अप्रैल, 2017 को देशभर में महिलाओं की क्षमता के निर्माण और महिला पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण के बारे में एक विस्तृत मॉडच्यूल शुरु किया गया । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों के शासन और प्रशासन के क्षेत्र में पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमताओं, दक्षताओं और कौशल का विकास करके उन्हें अधिकार-सम्पन्न बनाना हैं। यह प्रशिक्षण पाठचक्रम देश भर में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राज्यों के ग्रामीण विकास संस्थानों और पंचायतों की निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैं । यह प्रशिक्षण प्रतिभगिता पर आधारित है जिसमें सामूहिक चर्चाओं, व्याख्यानों, प्रदर्शन, क्षेत्र का दौरा करना, कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता हैं।

निष्कर्ष- भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आधी आवादी को पंचायती राज संस्थानों में सीटों का आरक्षण का प्रावधान महिला सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित हो रहा हैं । इसका सबसे बड़ा लाभ बिहार जैसे राज्य में देखने को मिल रहा हैं जहाँ गांव-गांव में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ हैं। यह सच्चाई है कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के मामले में बिहार भारत का शीर्ष राज्य हैं। हालांकि, इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष हैं। तात्पर्य यह है कि पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं का कारगर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में आने वाली तमाम बाधाओं और चुनौतियों को दूर करने के लिहाज से अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी हैं । इसके लिए संस्थागत और प्रशासनिक सुधारों को अमल में लाने और महिला प्रतिनिधियों के कौशल विकास व उनकी क्षमता निर्माण से जुड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की जरुरत हैं। इसके साथ ही महिला प्रतिनिधियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों से जुड़े हर तरह के ऑकड़ों को जुटाना भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसा करने से ना केवल महिलाओं की राजनीतिक हैसियत सशक्त होगी, बल्कि भारत की चुनावी राजनीति में महिलाओं की बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

संदर्भ सूची-

1. International journal of Political Science and Governance 2023; 5 (2): 51-
2. भारतीय स्थानीय स्वशासन चेतकर झा एवं परमेश्वर झा, नोवेल्टी एंड कंपनी, पटना, पेज नं0 -2, 2017
3. बिहार में ग्राम पंचायत एवं सुशासन डॉ. सीताराम सिंह, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी।
4. बिहार पंचायती राज अधिनियम ईस्टर्न बुक एजेंसी, पटना।
5. बिहार पंचायती राज विभाग, होम पेज।
6. ग्रामीण विकास और पंचायती राज, प्रो. पुष्पा वाढ़ेल रावत प्रकाशन नई दिल्ली, पेज– 103, 2017

7. बिहार सामाजिक एवं कल्याण विभाग, होम पेज।
8. दृष्टि कोचिंग नोट्स, बिहार के पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली।
9. यूएन वीमेन (2024), तथ्य और आंकड़े : महिला नेतृत्व और राजनीतिक भागीदारी।

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 6.375, ISSN 0975-4083
Vol.- 29, Hindi Edition, Year-15, April- September 2025

गढ़वाल हिमालय के मांगल गीत

• डी. एस. भण्डारी

सारांश- लोक गीत लोक जीवन के बीच से उपजते हैं। वे बनाए नहीं जाते वरन् सावन के उमड़ते घुमड़ते बादलों की तरह बरसते हैं। हमें मालूम नहीं होता कि उन्हें कब किसने रचा है? यह अनादि अनंत और सर्वव्यापी होते हैं। इन लोकगीतों में अनुभूतियों की अभिव्यक्ति होती है। लोकगीत एक कण्ठ से होकर दूसरे कण्ठ में सुरक्षित हो जाते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ते हैं। लोकगीतों का क्षेत्र निस्सीम है। विषय की दृष्टि से भी कोई क्षेत्र इनके लिए वर्जित नहीं है, जीवन का प्रत्येक क्षेत्र और जीवन का प्रत्येक विषय लोक गीतों में समाहित होते हैं। जीवन के मांगलिक पक्ष और संस्कारों से संबद्ध सभी लोकगीत यहां मांगलगीत कहे जाते हैं। गढ़वाल हिमालय में मांगल गीतों के वैदिक सूत्र मिलते हैं। यही मांगल शब्द अब विवाह गीतों के लिए रूढ़ हो गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में गढ़वाल हिमालय के मांगल गीतों की विवेचना की गई है।

मुख्य शब्द- लोक गीत, लोक जीवन, अनंत, सर्वव्यापी

विवाह वर्णन के लिए प्राचीन काव्यों में मंगल शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है। बंग्ला, हिन्दी, राजस्थानी जैसे अनेक साहित्य में मंगल काव्य उपलब्ध हैं।[1] बंगाल में 16वीं से 19वीं शताब्दी तक मंगल काव्यों का बाहुल्य रहा है, हिन्दी में इस काव्य परम्परा का निर्वाह तुलसीदास नर हरिदास, नंददास आदि की रचनाओं में मिलता है। इससे भी पहले पृथ्वीराज रासों में बिना मंगल प्रस्ताव खण्ड में मंगल परम्परा का आभास मिलता है।[2] संत कबीरदास ने दुलहिन गावहु मंगलाचार में उसी प्राची परम्परा का उल्लेख किया है। ऐसा प्रतीत होता है मंगल परम्परा काव्य की लौकिक परम्परा रही होगी और काव्य में उसका प्रसार लोक के माध्यम से ही हुआ होगा।

गढ़वाल के मांगल गीत विवाह की विभिन्न क्रियाओं और अनुष्ठानों से सम्बन्धित होते हैं और वर बहू दोनों घरों में गाये जाते हैं। गायिकाएं कुल कन्याएं या कुल बहुए होती है, जिन्हें मंगल्यानी कहा जाता है। यहां विवाह की कोई ऐसी क्रियाा नहीं है जो मांगल गीतों के बिना सम्पन्न होती है। वेदी बनाने, चौक पूरते, मंगल स्नान करते वस्त्राभूषण पहनते, स्तंभ पूजा करते, बारात का स्वागत करते तिलक धारण करते, सप्तपदी के समय बारात विदाई के समय बहू के गृह प्रवेश के समय गाये जाते हैं।[3]

• विभागाध्यक्ष, हिन्दी, बालगंगा महाविद्यालय, सेन्दुल (टिहरी गढ़वाल)

गढ़वाल हिमालय का यह क्षेत्र धार्मिक भावनाओं का पुनीत क्षेत्र रहा है। विवाह के आरम्भ में देवताओं के आह्वान और उनकी स्तुति के गीत गाये जाते हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए पूर्व में देवताओं की स्तुति की यहां बहुत पुरातन परम्परा रही है। धरतीमाता, कूर्म देवता भूमिपाल पंच देवों सूर्य, गणेश देवी, शिव विणु से कार्य की सफलता हेतु प्रार्थना की जाती है और उन्हें इस कार्य सर्व प्रथम आमंत्रित किया जाता है।

पिंजरी का सुआ अटारी का सुआ
सुन पंछी सुआ लाल पंछी सुआ
ब्रहमा जी का घर होवली सावित्री देवी
वे घर वी देवी तैं न्यूतू दी आवा
पैले न्यूते पैले न्यूते वदेमुखी ब्रह्म
आज चैंद ब्रह्म जी को काज।[4]

निमंत्रण के लिए संदेश वाहक के लिए सुआ से भी प्रार्थना की गई है कि वह ब्रह्म जी के घर सावित्री जी, विष्णु जी घर लक्ष्मी जी, महादेव जी के घर पार्वती जी और रामचन्द्र जी के घर सीता जी को न्यौता देकर आए ऐसा करने पर उसकी चोंच को सोने के मढ़ाने चांदी का घोंसला बनाने तथा पंखों को मोतियों से जड़ने की बात मांगलगीतों के कही गई है। विवाह में सम्मिलित होने के लिए देवताओं को ही निमंत्रण नहीं दिया जाता वरन हल्दी वादियों मालू की पत्तियों धान की क्यारियां व कामधेनु को भी आमंत्रित किया जाता है।

आज न्यूतीयालीन हल्दानु की बाड़ी, आज चैंद हल्दी को काज आज न्यूतियालीन मैंन साट्यों की सटेड़ी- निमंत्रण के पश्चात् विवाह सम्बन्धी सामग्रियां एकत्र करने का कार्य प्रारम्भ होता है। विवाह वेदी बनाना भी एक प्रारम्भिक कार्य है इस अवसर पर भी अनेक मांगल गीत गाये जाते हैं। विवाह कार्य को पूर्ण करने के लिए ब्रह्म जी से प्रार्थना की जाती है, मंगल स्नान विवाह की एक प्रमुख क्रिया हैं। वर कन्याओं को स्नान करवाने के लिए माँ बहिन चाची, भाभी सखियों को निमंत्रण दिया जाता है। स्नान करवाने पर उन्हें लाख वर्ष जीने का आशीष दिया जाता है।

न्यूती बुलावा सुहाग सुहागिनी
न्यूती बुलावा बैनी दगड़याणी
लाख वर्ष जियान तुम जुग जुग रयान तुम।[5]

वर वधु पर देवत्व का आरोपण किया जाता है वह पूजनीय माने जाते हैं। डॉ. गोविन्द चातक कहते हैं कि विवाह के अवसर पर वर वधू देवी देवताओं के समान पूज्य माने जाते हैं स्नान कराने वाली सुहागिनें दोने हाथों से दूब के गुच्छे लेकर समस्त सामग्री में डुबोकर सात बार वर-कन्या के चरणों, घुटनों, कंधो और सिर से छुवाती हुई, वंदना के रूप में यह भूमिका निभाती हैं। इसे स्थानीय भाषा में 'बाँध' कहते हैं। मंगल स्नान के पश्चात् कन्या का रूप दिव्यता को प्राप्त करता है उसे लक्ष्मी सावित्री और पार्वती के अनुरूप माना गया है।

कैसे देखलो पार्वती को रूप
ऐसो देखलो पार्वती को रूप
धार मां की जोन जनी
दिवा जसी जोत
ऐसो देखलो पार्वती को रूप।[6]

नखशिख पद्धति के आधार पर कन्या के रूप का वर्णन किया जाता है।

धार मां जोन जनी
दिवा जनी जोत
ऐसे देखलो पार्वती रूप
कमरी देखली हिरणी समान
छाती देखेली कैलासू समान
आंखी त देखेली कमल सी पांखुड़ी
केशत देखेला सौण सी रिमझिम।[7]

स्नान के उपरान्त वस्त्र धारण की क्रिया के भी कई मांगलगीत गाये जाते हैं। वस्त्रों के साथ कन्या जब सुहाग नथ धारण करती है तब इस अवसर का महत्व अधिक बढ़ जाता है। इस समय गाये जाने वाले मांगलों में कन्या की ओर से पिता को सम्बोधित आभू'ाणों की याचना की जाती है।

मंगल स्नान और वस्त्रधारण के पश्चात् विवाह की बेला में बारात आगमन मुख्य आकर्षण होता है। इस अवसर पर जो मांगल गाये जाते हैं। उनमें यह चिन्ता दिखाई गई है कि वर कौन है? कैसा है? उसके माता-पिता कौन है? इसके साथ ही बारात के स्वागत सत्कार की तैयारी के लिए पिता को भी जाग्रत किया जाता है। इस अवसर पर भी वर-कन्या पर देवत्व का आरोपण किया जाता है। कन्यादान और सप्तपदी विवाह का प्रमुख संस्कार होता है। यहां कुछ जातियों में विवाह विक्रय भी प्रचलित है। वैदिक काल में भी इसके सबूत मिलते हैं। विवाह का एक अन्य रूप कोल सांटो भी मिलता है। रवांई जौनपुर में विवाह का एक अन्य रूप सेवा विवाह भी प्रचलित है। वर्तमान समय में कन्यादान के महत्व को अधिकांश स्वीकार करते हैं।[7]

दी देवा बाबा जी कन्या को दान
दानू मा कू दान हौलू कन्या कू दान
हीरादान, मोतीदान सब कोई करला
तुम देला बाबाजी कन्या को दान
तुम होला बाबा जी संगत शोभा
तुम होला बाबाजी पुण्य का लोभी।[8]

इन संस्कारों के साथ, स्तंभ पूजा, जुठो पिठो।

गोत्रोच्चार, कंकण बंधन, पाणिग्रहण आदि रशमें सम्पादित की जाती हैं। स्तंभ पूजा में कन्या पिता को उनकी पूजा करने की प्रार्थना करती है। जूठो पिठो में वर और कन्या को एक दूसरे का जूठा खिलाया जाता है।

इस प्रथा के सूत्र पौराणिक है। इसे वर बधू की एकता का प्रतीक माना गया है।

इस अवसर पर हास–परिहास का अवसर प्राप्त होता है। कन्या को सुकुल में जन्मा बताया जाता है जबकि वर को लोहार के बेटा बताया जाता है और उसे वर का झूठा खाने से मना किया जाता है। बारात स्वागत के समय भोजन के समय वर के गोत्रोच्चार के समय कंकण तोड़ने के अवसर पर जो मांगल गाये जाते हैं, उन लौकिक हास–परिहास दिखाई देता है।

अग्नि को विवाह का साक्षी माना जाता है। अग्नि स्थापन के अवसर पर अग्नि को त्योता दिया जाता है–

आई जावा अग्नि मेरा मात लोक
त्वै बिना अग्नि यज्ञ नी होंन्दा

विवाहित जीवन की सार्थकता नारी के लिए मातृत्व में मानी जाती है। अत: विवाह की भावना के साथ हमेशा पुत्र प्राप्ति की भावना जुड़ी रहती है। ऋगवेद और अर्थव वेद में यह भावना अनेक स्थानों पर दोहराई गई है। कौशिक सूत्र गोविल गृहसूत्र जैमिनीय गृहयसूत्र आदि में इस प्रथा का वर्णन किया गया है। अग्नि को आहुति देते समय कन्या की गोद में बालक बिठाा दिया जाता है। कन्या के सन्तान प्राप्त करने की कामना अनेक वैदिक ग्रन्थों में की गई हैं यहां कन्या के आंचल में फलों का उपहार रखने की प्रथा प्रचलित है। इस प्रथा को यहां छोलका कहा जाता है।

छोलियां दे छोलियां दे बामण
केला छोलंग विजोरा सिरीफल।
धंक दालिम मोत्यों की थाल
छोलियां दे छोलियां दे बामण।
नाती पूतन गोद भरी लौदूं
सभी देवी ऐन पार्वती नी आयी।।
नाती पूतन गोद भी लौंदू।।

इस गीत में लक्ष्मी और पर्वती के आमंत्रण के पीछे भी छोलका की वही मूल भावना है। अत: वे दुल्हन के लिए गोद भरने की कामना लेकर आने का आश्वासन देती हैं। विवाह का सबसे महत्पूर्ण संस्कार सप्तपदी के साथ विवाह संम्पन्न माना जाता है। इस समय गाये जाने वाले मांगल में भांवरे गिनाई जाती हैं।

पेलो फेरो फेरी लाड़ी कन्या च कुवांरी
दुजो फेरो फेरी लाड़ी मां की च दुलारी।

गढ़वाल मांगल और उनमें वर्णित सप्तपदी में जो समानता दिखाई देती है वह इस बात का प्रमाण है कि विवाह की इस क्रिया का आधार कोई लौकिक विधि ही रही होगी जिसका प्रभाव क्षेत्र में बहुत व्यापक रहा होगा। यही कारण है कि गढ़वाली बुंदेली अवधी सभी लोक भाषाओं में सप्तपदी गीत का एक बहुत कुछ मिलता जुलता दिखाई देता है। यहां विवाह से पूर्व कन्या को नग्निका कहा जाता है। विवाह में अवसर पर कन्या लक्ष्मी स्वरूपणी मानी जाती है। विवाह बन्धन की सूचना देने वाले एक मांगल गीत में वर और कन्या की पवित्रता और आदर्श सम्बन्ध को व्यक्त करते हुए यह कहावत है कि शिव नें पार्वती को, विष्णु ने लक्ष्मी को और मेघ ने भूमि को व्याहा है।

मांगल गीत, सप्तपदी अथवा विवाह सम्पन्न तक की पूर्ण नहीं हो जाते, वरन कन्या विदाई और बारात प्रस्थान के समय भी बहुत भावपूर्व मांगल गीत गाये जाते हैं। विदाई के समय माता-पिता का संचित स्नेह मांगल गीतों में फूट पड़ता है, कन्या के बचपन की सम्पूर्ण स्मृतियां मांगल गीतों में सुनाई देती है। हर्ष विवाद की कई अभिव्यक्ति इस समय दिखाई देती है। सूर्य ढल गया है, बारातियों के पहुंचने की चिन्ता भी इस समय मांगलगीतों में सुनाई देती है। माता पिता के स्नेह को छोड़कर एक अनजाने देश में जाने का दु:ख कन्या मांगल गीतों में व्यक्त करती है।

काल डांडा पीछ बाबा दी काली च कुरेड़ी
बाबा की एकुली मीं लगदी डैर
कनकैक जौलू बाबा जी विसम विदेश
तव दगड़ि जोला लाड़ी तेरू दीदा भूला
त्वैतें बेटी में एकुली न भेंजूं।
त्वै तई बेटी मीं एकुली न भेंजू।[9]

नये जीवन की प्राप्ति के प्रयास में जिसका सर्वस्व पीछे छूट गया हो उसमें पूर्व जीवन के प्रति ममता का भाव होने स्वाभाविक है। इस कारण विदा होते समय कन्या इन छूटते और टूटते सम्बन्धों का हृदय की समस्त करूणा के साथ स्मरण किया बिना कैसे रह सकती है। एक सहज पीड़ा उसके हृदय में डोलती है-

आज छूटी माई का हाथ
आज छूटी बौड़ी का साथ
आज छूटी आंगणी को खेल
आज छूटी धियाणी को मेल

अधिकांश मांगल कन्या घर पर ही गाये जाते हैं। वर के घर पर गाये जाने वाले मांगलो की संख्या अपेक्षाकृत कम है, एक घर से प्रस्थान करते समय और दूसरा वधू के प्रवेश के समय। कन्या का गृह प्रवेश मांगल्य का सूचक माना जाता है। नई वधु का प्रवेश शोभा और सौभाग्य का प्रतीक रहा है।-

निष्कर्ष- मांगल गीत विवाह अनुष्ठानों की भाव भूमि पर आधारित हैं। सम्पूर्ण मांगल गीतों में हर्ष और विशादमय वातावरण दिखाई देता है। मांगल गीतों में मानव प्रकृति का एकाकार दिखाई देता है। विवाह सम्पन्न होने पर भी पिता इस कार्य में जो भी सहयोगी रहते है, उनके धन्यवाद देते हैं। मांगल गीतों का उद्‌गम स्रोत, वैदिक, उपनिशद् व पूराण साहित्य में दिखाई देता है।

संदर्भ सूची-

1. अगर चन्द नाहटा प्राचीन काव्यों की रूप परम्परा, पृ. 46
2. डॉ. गोविन्द चातक गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ. 110
3. डॉ. गोविन्द चातक गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ. 111
4. डॉ. गोविन्द चातक गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ. 112
5. डॉ. गोविन्द चातक गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ. 112
6. देवेन्द सत्यार्थी धरती गाती है, पृ. 240

7. देवेन्द सत्यार्थी धरती गाती है, पृ. 240
8. डॉ. गोविन्द चातक गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ. 115
9. डॉ. गोविन्द चातक गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ. 55

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 6.375, ISSN 0975-4083
Vol.- 29, Hindi Edition, Year-15, April- September 2025

महाकवि भवभूति की कृतियों में धर्म का स्वरूप (आराध्य देवों के विशेष संदर्भ में)

• मधु

सारांश- मनुष्य द्वारा कृत सभी सत् कर्म धर्म हैं। मानव द्वारा कृत ये सभी सत्कर्म कालान्तर में विभिन्न प्रकार के रूपों को धारण करते हुए अपने आराध्य देव, कर्मकाण्ड, पूजा, व्रतोपवास, तपस्या एवं दर्शन आदि विभिन्नाङ्गो से युक्त हो गया। अपनी इसी विशिष्टता के कारण धर्म अपने विभिन्नङ्गो एवं भेदों के साथ वैदिककाल से अधुनापर्यन्त समस्त साहित्यक ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। भवभूति शैवमतानुयायी थे और उनके काव्यों में शिव विषयक वर्णन विविधता से प्राप्त होते हैं। मालतीमाधव के मंगलाचरण में भगवान शिव की स्तुति के क्रम में भवभूति ने उनके स्वरूप को प्रकट करते हुए उनके गले में कपालमाला, सिर से गिरती हुयी गगा, भाल स्थित तृतीय नेत्र एवं जटाओं आदि से युक्त बताया है। मंगलाचरण में भगवान शंकर के स्वरूप के साथ ही उनके ताण्डव नृत्य का भी वर्णन आया है जिसमें उनके भक्तों द्वारा वाद्ययंत्रों को बजाये जाने का उल्लेख है।

सानन्दं नन्दिहस्ताहतमुरजवाहूतकौमारबर्हि।
त्रासान्नासाग्रन्धं विशति फणिपतौ भोगसंकोचभाणि।।

संस्कृत साहित्य के अन्यतम कवियों की श्रेणी में स्थित महाकवि भवभूति का काल एक तरफ जहाँ राजनैतिक अस्थिरता एवं आर्थिक विभिन्नता के काल के रूप में चित्रित होता है वहीं भारतीय धर्म की प्रत्येक भावनाओं से पूर्ण एवं पल्लवित भी दृष्टिगत होता है। भवभूमि ने भी अपने नाटकों में तत्कालीन समाज में विद्यमान भारतीय धर्म के इसी भक्तिभावना को अपनी कृतियों में धर्म के स्वरूप में आराध्य देवों का वर्णन प्रस्तुत किया है। जिसको आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना ही इस शोधपत्र का उद्देश्य है।

मुख्य शब्द- कवि, आराध्य, देव,धर्म, कर्म, वैदिक, संस्कृत साहित्य

धर्म समाज का ऐसा आवरण है जिसमें आच्छादित होकर मनुष्य अपने अंदर व्याप्त जंगलीपन को छोड़कर एक सभ्य एवं सुसंस्कृत वातावरण का निर्माण करता है। "धृ" धातु से निस्पन्न धर्म के अर्थ एवं व्याख्या पर वैदिक काल से ही मनीषियों के चिंतन प्राप्त होते हैं। कालांतर में इसकी व्युत्पत्ति अनेक प्रकार से प्राप्त होती है। यथा "धरति

• सह आचार्या, संस्कृत विभाग, एस आर डी ए गर्ल्स पीजी कॉलेज हाथरस

लोक वा असौ सः धार्यते यः सः धर्मः" अर्थात् जो संसार को धारण करता है अथवा जिसको मनुष्य धारण करता है वह धर्म है। धर्म प्रजा का धारण करता है या जो धारण के साथ रहे वही धर्म है–

धारणात् धर्म इत्याहु धर्मेण विधृतारू प्रजा।
यः स्वाद् धारण संयुक्त स धर्म इति निश्चयः।।[1]

मनुष्य द्वारा कृत सभी सत् कर्म धर्म हैं. मानव द्वारा कृत ये सभी सत्कर्म कालान्तर में विभिन्न प्रकार के रूपों को धारण करते हुए अपने आराध्य देव, कर्मकाण्ड, पूजा, व्रतोपवास, तपस्या एवं दर्शन आदि विभिन्नाङ्गो से युक्त हो गया। अपनी इसी विशिष्टता के कारण धर्म अपने विभिन्नङ्गो एवं भेदों के साथ वैदिककाल से अधुनापर्यन्त समस्त साहित्यक ग्रन्थों में उपलब्ध होता है।

संस्कृत साहित्य के अन्यतम कवियों की श्रेणी में स्थित महाकवि भवभूति का काल एक तरफ जहाँ राजनैतिक अस्थिरता एवं आर्थिक विभिन्नता के काल के रूप में चित्रित होता है वहीं भारतीय धर्म की प्रत्येक भावनाओं से पूर्ण एवं पल्लवित भी दृष्टिगत होता है। भवभूमि ने भी अपने नाटकों में तत्कालीन समाज में विद्यमान भारतीय धर्म के इसी भक्तिभावना को अपनी कृतियों में धर्म के स्वरूप में आराध्य देवों का वर्णन प्रस्तुत किया है। जिसको आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना ही इस शोधपत्र का उद्देश्य है।

प्राचीन काल से ही भारतीय समाज स्वयं को किसी असीम शक्ति से रक्षित एवं पालित मानता हुआ उस असीम शक्ति को ब्रह्म, विष्णु, शिव, दुर्गा, सरस्वती, सूर्य, अग्नि आदि रूपो में स्वीकार करता है। यही असीम शक्तियां भारतीय धर्म में आराध्य देव नामक संज्ञा से परिलक्षित है। भवभूति ने अपनी कृतियों में भी देवभावना का व्यापक स्वरूप प्रस्तुत किया है। उनकी कृतियों में आराध्य देवी की स्तुति के साथ–साथ महात्म्य, स्वरूप आदि का वर्णन दृष्टिगोचर होता है–

भवभूति शैवमतानुयायी थे और उनके काव्यों में शिव विषयक वर्णन विविधता से प्राप्त होते हैं। मालतीमाधव के मंगलाचरण में भगवान शिव की स्तुति के क्रम में भवभूति ने उनके स्वरूप को प्रकट करते हुए उनके गले में कपालमाला, सिर से गिरती हुयी गगा, भाल स्थित तृतीय नेत्र एवं जटाओं आदि से युक्त बताया है। मंगलाचरण में भगवान शंकर के स्वरूप के साथ ही उनके ताण्डव नृत्य का भी वर्णन आया है जिसमें उनके भक्तों द्वारा वाद्ययंत्रों को बजाये जाने का उल्लेख है–

"सानन्दं नन्दिहस्ताहतमुरजवाहूतकौमारबर्हि
त्रासान्नासाग्रन्धं विशति फणिपतौ भोगसंकोचभाणि ।।"[2]

महावीरचरित में ही वर्णित है कि पिनाकभंजन के पश्चात् राम से परशुराम के इस कथन में कि यदि मैने पिनाकभजन के पश्चात् कोई प्रतिकार नहीं किया तो मैं किस मुख से माता पार्वती एवं भगवान शिव के पास जॉऊगा–

"शत्रुमूलमनुत्खाय न पुनर्द्रष्टुमुत्सहे।
त्र्यम्बकं देवमाचार्यमाचार्यानीं च पार्वतीम।।"[3]

भगवान शिव के इस स्तुति विषयक पूजन–अर्चन के साथ–साथ शिव

मन्दिर का उल्लेख मालती-माधव अवलोकिता और बुद्धरक्षिता के परस्पर वार्तालाप में प्राप्त होता है-

अवलोकिता-अहं खलु भगवत्या माधवसकाशमनुप्रेषिता ।
सन्दिष्टं च तस्य शंकरपुरसम्बधिकुसुमोद्यानं गत्वा कुजनिकुंजपर्यन्तरक्ता शोकगहेन तिष्ठति।।[4]

भवभूति काव्य में विष्णु का माहात्म्य शिवानुरूप विभिन्न स्थलों पर न प्राप्त होता हुआ तीन स्थलों पर ही वर्णित है। किन्तु ये भी वर्णन तत्कालीन समाज में विष्णु के माहात्म्य को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त है। पौराणिक कथाओं में विष्णु के विभिन्न अवतारी में स्थित तृतीय अवतार बराह के माहात्म्य का वर्णन करते हुए सम्पात्ति नै समुद के भयंकर गढ़गड़ाहट की तुलना बराह के गुर्राहट से की है-

"यद्वैकुण्ठवराहकण्ठकुहरस्फारोचलभैरव
ध्यानोध्यण्डमकाण्डकालरजनीपर्यन्यवद् गर्जति।।"[5]

भगवान विष्णु के साथ भगवान् के चरण कमल की वन्दना करते हुए गंगा रूप ध्वज वाला बताया गया है-

"कल्पस्यादौ मम परिचयस्तावदासीदुदस्था।
द्यावद्विष्णोरूपपि चरणस्यारूगङ्गापताकः ।।"[6]

दशकुमारचरित के मंगलाचरण में दण्डी ने भी विष्णु को त्रिविक्रम, चरणदण्ड को ब्राह्मण का छाता, पृथ्वी रूपी नौका के कूपदण्ड आदि के समान स्वीकार करते हुए वन्दना की है। मालतीमाधव में मदनोत्सव के पश्चात् मकरन्द से माधव के सौन्दर्य का वर्णन करते हुए कामदेव को ही निर्माणकर्ता ब्रह्म के रूप में किया है-

"तस्या सखे ! निर्यतामन्दुकलामृणाल-
ज्योत्स्नादि कारणभून्मदनश्च वेधाः।"[7]

भगवान ब्रह्म के निवास स्थान के रूप में बैराज एवं अक्षय लोक का वर्णन आता है। उत्तररामचरित में राम ने इस लोक को आध्यात्मिक तथा दिव्य विषयों का सुख बताया है और वहीं पवित्रादि अणिमादि सम्पत्तियों को भी विद्यान बताया है। ये समस्त आध्यात्मिक वर्णन यह संकेत करते हैं कि तत्कालीन समाज में ब्रह्म, विष्णु एवं महेश (शिव) प्रमुख देव के रूप में विद्यमान थे। तथा ये लोग जन-जन के देवता के रूप में स्वीकृत थे।

स्थानीय वैदिक देवताओं में सूर्य की स्थति अन्यतम हैं। भवभूति ने अपने नाटकों में सूर्य को आराध्य देव के रूप में चित्रित इनकी विभिन्न स्थितियों का वर्णन अतिविशिष्टता के साथ किया है। मालतीमधव के मंगलाचरण में सूर्यदेव को समस्त भुवनों के दीपरूप में स्तुति करते हुए सूत्रधार कहता है कि हे विश्वमय प्रभो ! तुम समस्त मंगलात्मक तेजो के निधान हो, मुझे समस्त सौख्य सम्पादन समर्थ लक्ष्मी प्रदान करो, हमारे सभी पापों को नष्ट करते हुए मगलकार्य सम्पादन के लिए अनेक प्रकार के मंगल प्रदान करो। सूर्य को महावीरचरित में आदिपुरुष वंश प्रवर्तक एवं त्रिवेदीसार कहा गया है-

"रामः यः पूर्वेषां न कुलस्य प्रतिष्ठा देवः साक्षादेष धाम्नां निधानम।
त्रय्याः सारः कोऽपि मूर्तो विवश्वान्प्रत्यासन्नः पुष्पकारोहणेन ।।"[8]

ऋग्वेद के 250 सूक्तों में इन्द्रवर्णन अपने आप ही उनकी विशेषताए माहास्य को व्यक्त करता है। जलसृष्टि के देवता के रूप में स्वीकृति इन्द्र की उपमा अन्य तात्कालिक राजाओं से दी गयी है। वसिष्ठ विश्वामित्र आदि स्वर्गलोग वासी इन्द्र को दशरथ का मित्र कहते हैं–

"वसिष्ठविश्वामित्री–इष्टापूर्वविधेः सपत्नशमनात्प्रेयान्मधीन सखा।
येन घौरिथ ब्रजिणा वसुमति दीरेण राजवन्ती।।"[9]

भट्टिकाव्य में भी इन्द्र को पराक्रम से युक्त कहा गया है। हरिवंशपुराण में वर्णित है। कि स्वकल्प में स्थित इन्द्र सबसे प्रधान देव है, समस्त देवो को श्रृङ्गाररस से परिपूर्ण मालती–माधव में कामदेव वर्णन विभिन्न स्थलों पर एवं विविध प्रकार से प्राप्त होता है। मालती और माधव के परस्पर काममहोत्सव में कामदेव को रतिनूतन मूर्तिमान कहा गया है–

"कामन्दकी– साक्षात्काम नवमिव रतिमलितीमाधवंयद् ।
गाढोत्कण्ठालुलितलुलितैरङ्गकैस्ताम्यतीति ।।"[10]

ऋग्वेद में 200 सूक्तों में अग्नि का स्तवन किया गया है। तत्कालीन समाज में अग्नि को भगवान् एवं होम और अन्य कार्यों में साक्षी के रूप में माना जाता था। उत्तररामचरित में सीता विरह में मूर्छावस्था के पश्चात् सहायतार्थ आह्वाहन करने में राम ने अग्नि को भगवन् कहकर सम्बोधित किया है–

"रामः हा अम्ब भगवती।। हा भगवन् पावक।"[11]

अग्निदेव अपने इसी महात्यम के कारण तत्कालीन समाज में किसी कार्य के साक्षी के रूप में प्राप्त होते हैं। महाभारत में तो अग्नि को समस्त देवताओं का प्रतीक माना गया है। प्राचीनकाल से ही भारतीय धर्मव्यवस्था की बहुदेववाद की परम्परा में विद्यमान समस्त देवों की अपनी विशिष्टता है। सम्भव है कि भिन्न–भिन्न विशिष्टताएँ ही बहुदेववाद की जननी हो जैसे ब्रह्म सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता एवं शिव संहारक है उसी प्रकार यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। महावीरचरित में पिनाक मंगोपरान्त परशुराम समस्त क्षत्रिय समाज का पुनः नाश करने के लिए उद्यत होते हुए कहते हैं कि यह मेरा धनुष यमराज के मुख का अनुकरण करने वाला हो जाये और इसकी प्रत्यंचा रूपी जिह्वा से ऊँची कोटि के दन्त लिपटे है–

"जनकः– ज्याजिह्वया वलयितोत्कटकोटिदंष्ट्रमुद्गारिघोरघनर्धरघोषमेतत् ।
ग्रासप्रसक्तह सदन्तकवक्त्रयन्त्रजूम्याविसस्थिविकटोदरमस्तु चापम् ।।"[12]

स्वर्ग लोक में स्थित विभिन्न देवताओं में विद्यमान कुबेर धन के देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। राम रावण के युद्ध में रावण का नाश सुनिश्चित होने पर कुबेर ने अलका को बचे हुए जनों को समझाने एवं विभीषण के राज्याभिषेक को देखने के लिए भेजा था–

"अलका– अहं किल वैमात्रेण पौलस्त्येन गन्धर्वराजाध्वित्ररथादमुं।
वृत्तान्तमुपलभ्य शिष्टबन्धुप्रतिबाधनाय विभीषणस्य च लङ्काभिषेक
साक्षात्कारणाय।।"[13]

भारतीय इतिहास में वर्णित यन्त्रों के स्थापित पुष्पक विमान के स्वामी के रूप में कुबेर का उल्लेख प्राप्त होता है। महावीरचरित में रावणबधोपरान्त कुबेर ने पुष्पक विमान को रामवशवर्ती होने की आज्ञा दी थी। पुनः राम द्वारा पुष्पक विमान को कुबेर के पास जाने को आदेश दिया गया था। महावीरचरित में अन्य देवों के ही अनुरूप कुबेर का राम के प्रति भक्तिभाव वर्णित किया गया है। रावण वध के पश्चात राम राज्याभिषेक के समय स्तुतिगान हेतु कुबेर द्वारा किन्नरों को भेजा गया था–

"देव !भवन्तमेकपिङङ्गाचलेश्वरनिदेशादुपश्लोकपितु साकेत ।
यत्पुराणस्यैव पुसोऽभिव्यक्तिपर्यायनिष्ठ महःसाक्षात्क्रियते ।।"[14]

देवों के साथ-साथ देवियों का भी माहात्म्य भवभूति कालीन समाज में –ष्टिगत होता है। रावण सीता के सौन्दर्य का वर्णन करते हुए सीता के सौन्दर्य के समक्ष लक्ष्मी के सौन्दर्य को तुच्छ मानता है –

"मुख यदि किमिन्दुना यदि चलांचले लोचने। किमम्बुवहऽम्बरैयदि तनूरियं कि श्रिया।।"[15]

वाणी की अधिष्ठात् देवी के रूप में सरस्वती का उल्लेख भवभूति ने विभिन्न स्थलों पर किया है और विद्या को सरस्वती के समान स्वीकार किया है–

"जनकः विद्यां बागिक यामसूत भवती तद्वन्तु या दैवतं ।
तस्यास्वत्वद्दुहितुस्तथा विशसन के दारूणेऽगृष्यथा ।।"[16]

भवभूति रचित नाटकों में नागों को भगवान शिव के समीपस्थ स्वीकार करते हुए शिव-स्तुति में नागों की माहात्म्य के साथ वर्णित किया गया है। नागों के साम्राज्य इत्यादि की कल्पना करते हुए बासुकी को उनके राजा के रूप में स्वीकार किया गया है। यहाँ नागदेवता की विशिष्टता का वर्णन राम की प्रशंसात्मक स्तुति में आया है। कि जब तक शेषनाग पर पृथ्वी है। तब तक त्रिलोक में लोग आपके निर्मल यश को गाते रहेंगे–

"यावत्फणीन्द्रशिरसि क्षितिवक्रमेतद्यावत्पुनर्ग्रहण शयल विहायः।
वैदेहि तावदमलो भुवनेषु पुण्य श्लोक प्रशस्तवरितैरूपगीयतां ते।"[17]

मालतीमाधव में मालती के विवाह से पूर्व मालती द्वारा नगर देवता के पूजन का वर्णन है. पूजन में प्रयुक्त पुष्प, गन्ध माल्यादि के साथ नवीन वस्त्रों एवं रत्नों को भी धारण किया जाता था। स्त्रियों द्वारा यह पूजा नगर में ही स्थित नगरदेवता के मन्दिर में होती थी–

"कपालकुण्डला–यावच्च सम्बन्धिनो न परापतन्ति तावद्वत्सया मालल्या नगर देवतागृहमविहनमलाय गम्यतामित्यादिशति भगवती कामन्दकी।।"[18]

उत्तररामचरित में भागीरथी का परिचय भवभूति ने पृथ्वी के मुख से दशरथ के कुलदेवता के रूप में कराय है–

"पृथिवी इयं ते श्वशुरकुलदेवता भागीरथी।"[19]

इस प्रकार प्रस्तुत सभी साक्ष्य भवभूति की कृतियों में स्थित वैदिक एवं लौकिक देवताओं तथा आराध्यों के महात्म्य को प्रदर्शित करते हैं।

संदर्भ सूची-

1. महाभारत परिमल पब्लिकेशन, दिल्ली, 2001, शांति पर्व 109/11
2. मालती माधव, 1/2
3. मालती माधव, 5/23
4. मालती माधव पृष्ठ सं. 104
5. महावीर चरित, 5/2
6. महावीर चरित 5/10
7. मालती माधव 1/24
8. महावीर चरित 7/21
9. महावीर चरित 3/1
10. मालती माधव 2/18
11. उत्तर रामचरितम पृष्ठ सं. 75
12. महावीर चरित 3/41
13. महावीर चरित 3/16
14. महावीर चरित 1/42
15. महावीर चरित 94
16. उत्तर रामचरितम 4/7
17. महावीर चरित 7/6
18. मालती माधव पृष्ठ सं. 214
19. उत्तर रामचरितम पृष्ट सं. 410

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 6.375, ISSN 0975-4083
Vol.- 29, Hindi Edition, Year-15, April- September 2025

भारतीय दार्शनिक परम्परा में समत्व योग

• कमलेश कुमार सिंह

सारांश- महायान बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और गीता- तीनों में साधना का मूल आधार समत्व योग माना गया है। बौद्ध आष्टांगिक मार्ग में 'सम्यक' दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म आदि के माध्यम से राग-द्वेष से मुक्त होकर समभाव प्राप्त करने की शिक्षा दी गई है। जैन परंपरा में सम्यक् दर्शन, ज्ञान और चरित्र के त्रिविध साधना पथ को समत्व योग से जोड़ा गया है, जहाँ सभी प्राणियों के प्रति आत्मवत दृष्टि और मैत्रीभाव रखना मुख्य साधन है। गीता में समत्व को साधना और साध्य दोनों रूपों में प्रस्तुत किया गया है। कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग की विविध व्याख्याओं के बावजूद गीता का मूल उपदेश है, 'समत्वं योग उच्यते।' समत्व योग का तात्पर्य जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, राग-द्वेष से परे रहकर सभी प्राणियों में समान भाव रखना और परमात्म स्वरूप में स्थित होना है। यह केवल दार्शनिक अवधारणा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है, जहाँ अनुकूलता-अनुकूलता, सिद्धि-असिद्धि या सुख-दुःख में सम रहने वाला ही सच्चा साधक है। इस प्रकार समत्व योग भारतीय साधना परंपरा का केंद्रीय तत्व है, जो व्यक्ति को न्यायपूर्ण, संतुलित और व्यापक चेतना की ओर ले जाता है।

मुख्य शब्द- समत्व योग, आष्टांगिक मार्ग, सम्यक् दर्शन-ज्ञान-चरित्र, गीता का योगशास्त्र, राग-द्वेष से मुक्त साधना

महायान बौद्ध दर्शन में साधना हेतु जिस आष्टांगिक मार्ग का सुझाव दिया गया है उसमें सम या सम्यक् पक्ष पर विशेष बल दिया गया है। महायान बौद्ध साधना के आठ साधन पक्ष हैं जिसे साधक को सम्यक् रूप से पालन करने का निर्देश दिया गया है। बौद्ध दर्शन में सम्यक् (समत्व) प्रत्येक साधन पक्ष का अनिवार्य अंग है। यहाँ सम्यक् होने का तात्पर्य यह है कि ये साधन व्यक्ति को राग–द्वेष की वृत्तियों (मन या चित्त का व्यापार) से उपर उठने में कितनी सहायता करते हैं? यह सम्यकत्व ही वह मूल तत्व है जो व्यक्ति को राग, द्वेष एवं मोह से अलग करता है। आष्टांगिक मार्ग का आठवाँ एवं अन्तिम सोपान सम्यक् समाधि है। समाधि का व्यापक अर्थ ध्यान की अवस्था मात्र न होकर चित्त की वृत्तियों का 'समत्व' है। वस्तुतः जब तक चित्त की वृत्तियाँ सम या स्थिर नहीं होती तब तक समाधि लाभ संभव नहीं हो पाता है। सूत्रकृतांगचूर्णि में भी कहा गया है कि राग–द्वेष का परित्याग ही चित्त की वृत्तियों का समत्व यानि समाधि है।[1] बौद्ध धर्म के कई मूल ग्रंथ पालि

• सहायक प्राध्यापक, दर्शनशास्त्र, बी॰एम॰डी॰ कॉलेज, दयालपुर, वैशाली (बिहार)-844502

भाषा में लिखे गए हैं। पालि भाषा का सम्मा शब्द भी सम और समत्व के अर्थ में ही प्रयोग हुआ है। स्वयं महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि जिन्होंने धर्मों को ठीक प्रकार से जान लिया है, जो किसी मत, पक्ष या वाद में नहीं है वे सम्बुद्ध हैं, समद्रष्टा हैं और विषम स्थिति में भी उनका आचरण सम रहता है।[2] आष्टांगिक मार्ग के दृष्टि (ज्ञान), संकल्प (आचरण), कर्म, वाणी आदि के साथ लगा सम बौद्ध दर्शन में समत्व योग का प्रतीक है जो इन सभी को सम बनाने का निर्देश देता है। संयुक्त निकाय में वर्णित है कि बोधिसत्त्वों का मार्ग सम है एवं बोधिसत्त्व विषम परिस्थितियों में भी सम का आचरण करते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो समत्व बुद्धि से आचरण करता है तथा जिसकी वासनाएँ शान्त हो गई हैं जो जितेन्द्रिय है संयम एवं ब्रह्मचर्य का पालन करता है, सभी प्राणियों के प्रति दण्ड का त्याग कर चुका है अर्थात् सभी के प्रति मैत्री भाव रखता है एवं किसी को कष्ट नहीं देता है। ऐसा व्यक्ति चाहे वह आभूषणों को धारण करने वाला गृहस्थ ही क्यों न हो वस्तुतः श्रमण है, भिक्षुक है। जैन परम्परा के समान बौद्ध परम्परा में भी कहा गया है कि समत्व का आचरण करने वाला ही श्रमण है, बोधिसत्त्व है।[3] आत्मवत दृष्टि से भी महायान विचारधारा में समत्व का अर्थ निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है। बुद्ध ने कहा है कि जैसा मैं हूँ वैसे ही जगत् के सभी प्राणी हैं। सभी मनुष्य, मनुष्य होने के नाते एक समान हैं। इसलिए सभी प्राणियों को अपने समान समझकर आचरण करें। चार ब्रह्म विहार में भी समत्व योग का चिन्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मैत्री, करुणा एवं मुदिता का मुख्य आधार आत्मवत दृष्टि है जो मूल रूप से समत्व ही है। इसी प्रकार उपेक्षा जो मध्यस्थ भावना है के लिए सुख-दुःख, प्रिय-अप्रिय में समभाव का होना आवश्यक हैं। मूलतः बौद्ध महायान विचारधारा जिस माध्यस्थ वृत्ति पर केन्द्रित है वह समत्व योग ही है। महायान का सम्बुद्धत्व ही समत्व है। सम्बुद्धत्व का एक अर्थ यह भी है कि 'यह बुद्ध ही समत्व है।'

जैन विचारधारा में नैतिक एवं आध्यात्मिक साधना के मार्ग को समत्व योग कहा जाता है। जैन धर्म साधना में सभी प्राणियों के प्रति मैत्रीभाव रखना समत्व योग है। सम अर्थात् राग और द्वेष की वृत्तियों से रहित मन की स्थिति प्राप्त करना समत्व योग है। जैन साधना पद्धति में समत्व योग शब्द एक ओर सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान एवं सम्यक् चरित्र रूप त्रिविध साधना पथ को समाहित किए हुए है तो दूसरी ओर इस त्रिविध साधना पथ के साध्य (मोक्ष) से भी जुड़ा हुआ है। जैन धर्म के इस त्रिविध साधना को आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में चित्तवृत्ति का समत्व, बुद्धि का समत्व और आचरण का समत्व कह सकते हैं। इस प्रकार जैन विचारधारा का साधना पथ वस्तुतः समत्व योग की ही साधना है। यह मानव चेतना के तीन पक्ष भाव, ज्ञान एवं संकल्प के आधार पर त्रिविध बन गया है एवं इन तीनों को सम बनाने का प्रयास ही समत्व-योग की साधना है। जैन दर्शन में कषायों के सन्दर्भ में भी कहा गया है कि शम् (प्राकृत रूप सम) अर्थात क्रोध आदि कषायों को शांत करना समत्व योग है। सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखना समत्वयोग है। बौद्ध एवं गीता के साधना पद्धति के समान यहाँ भी वर्णित है कि सभी प्राणियों के प्रति आत्मवत दृष्टि रखना ही समत्वयोग है।

गीता के साधना पद्धति का मूल भी समत्व योग की साधना है। भगवद्गीता में समग्र रूप से समदृष्टि, समबुद्धि, समत्व, समत्वरूप, समदर्शी, समभाव, एकीभाव, सम आदि शब्दों का बार-बार प्रयोग हुआ है। अत: हम कह सकते हैं कि गीता का मूल उपदेश 'समत्व योग' है। गीता को 'योगशास्त्र' भी कहा गया है। योग शब्द युज् धातु से बना है। युज् धातु का प्रयोग दो अर्थों में हुआ है। एक अर्थ है जोड़ना, संयोजित करना और दूसरा अर्थ है संतुलित करना, मन की स्थिरता आदि। गीता दोनों अर्थों में उसे स्वीकार करती है। अब प्रश्न यह है कि यदि गीता एक योगशास्त्र है तो ज्ञानयोग का शास्त्र है या कर्मयोग का शास्त्र है या भक्तियोग का शास्त्र है ? आचार्य शंकर के अनुसार गीता ज्ञानयोग का प्रतिपादन करती है। बाल गंगाधर तिलक उसे कर्मयोग शास्त्र कहते हैं। रामानुज, बल्लभाचार्य एवं निम्बार्क के अनुसार गीता का मूल विषय भक्तियोग है। गाँधीजी ने कर्म एवं भक्ति का समन्वय करते हुए उसे 'अनासक्ति योग' कहा। गीता ज्ञान, कर्म एवं भक्ति के माध्यम से यथार्थ को आदर्श से जोड़ने का कार्य करती है। योग शब्द का अर्थ जब हम जोड़ने वाला मानते हैं, तो यह साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जब हम योग को मन की स्थिरता के अर्थ में लेते हैं, तो वह स्वत: साध्य हो जाता है। योग की पहली व्याख्या 'योग: कर्मसु कौशलम्' का अर्थ है कर्म में कुशलता ही योग है। यहाँ योग साधन रूप में है। योग की दूसरी व्याख्या 'समत्वं योग उच्यते' का अर्थ है कि समत्व ही योग है। यहाँ योग साध्य है साधन नहीं है। इस प्रकार हम पाते हैं कि गीता योग की दो व्याख्या करती है। एक साधन योग की तो दूसरा साध्य योग की। गीता जब ज्ञान, कर्म एवं भक्ति योग की चर्चा करती है तो ये उसकी साधन योग की व्याख्याएँ हैं। जब समत्व योग की चर्चा होती है तो यह साध्य योग है। गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है-

योगस्थ: कुरु कर्माणि संब त्यक्त्वा धनंजय।
सिद्धयसिद्धयो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्चते।।[4]

अर्थात् हे धनंजय ! तू आसक्ति को त्यागकर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि से योग में स्थिर होकर कर्तव्य कर्मों को कर क्योंकि समत्व ही योग कहलाता है। भगवद्गीता में उल्लेखित समत्व की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं कि - हे धनंजय ! योग में स्थित होकर केवल ईश्वर के लिये कर्म करो। लेकिन ईश्वर को प्रसन्न करने के उद्देश्य की कामना को छोड़कर कर्म करो। फल एवं तृष्णा से रहित पुरुष के द्वारा कर्म किये जाने पर अन्त:करण की शुद्धि से उत्पन्न होने वाली ज्ञान प्राप्ति ही सिद्धि है और उससे विपरीत (ज्ञान प्राप्ति का न होना) असिद्धि है। ऐसी सिद्धि-असिद्धि में सम होकर अर्थात् दोनों को समान समझकर कर्म करे। इसी सिद्धि और असिद्धि में सम होने को योग कहते हैं।[5]

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।
सुखं वा यदि वा दु:खं स योगी परमो मत:।।[6]

अर्थात् हे अर्जुन ! जो योगी अपनी भाँति सभी जीवों को सुख एवं दु:ख सब में सम देखता है वह समत्व योगी सर्वश्रेष्ठ है। शंकराचार्य के अनुसार 'ज्ञानस्य फलम समत्वं'। अर्थात् ज्ञान का फल समत्व है। ब्रह्म ज्ञानी का चित्त सदा सम रहता है। अद्वैत

वेदान्त में समत्व की अवधारणा केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है बल्कि ब्रह्म ज्ञान के साक्षात्कार से उत्पन्न प्राकृतिक स्थिति है जहाँ कोई द्वैत नहीं रह जाता। अद्वैत वेदान्त में समत्व का अर्थ है– 'सर्वभूतेषु ब्रह्म–ष्टि' यानि हर वस्तु में, जीव एवं क्रिया में ब्रह्म का दर्शन करना।

यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न बिजुगुप्सते।।[7]

अर्थात् जो सभी भूतों को अपनी ही आत्मा में देखता है, और आत्मा को सभी भूतों में देखता है– वही समत्व को जानने वाला है, वह किसी से द्वेष नहीं करता। सभी प्राणियों के प्रति आत्मवत दृष्टि रखना समत्व है। जैसे मुझे सुख प्रिय एवं अनुकूल है तथा दु:ख अप्रिय एवं प्रतिकूल है वैसे ही जगत् के सभी प्राणियों को सुख अनुकूल एवं प्रिय है तथा दु:ख अप्रिय एवं प्रतिकूल है। इस प्रकार जो सभी प्राणियों में अपने ही समान सुख एवं दु:ख को क्रमश: अनुकूल एवं प्रतिकूल भाव से अनुभव करता है वह किसी अन्य के प्रति बुरा आचरण नहीं करता, वही समदर्शी है। यही बात महायान साधना में भी उद्धृत है–

परात्मसमतामादौ भावयेदेवमादरात्।
समदु:खसुखा: सर्वे पालनीया मयात्मवत्।।[8]

अर्थात् जैसे हम अपने लिए दु:ख नहीं चाहते और सुख की इच्छा करते हैं वैसे ही हर एक प्राणी भी सुख का अभिलाषी है और दु:ख का अनिच्छुक है। अत: हम अपने दु:ख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के लिए जैसी कोशिश करते हैं, वैसी कोशिश हर एक प्राणी के लिए भी करनी चाहिए। समत्व योग भारतीय साधना का केन्द्रीय तत्व है लेकिन इस समत्व की उपलब्धि विभिन्न दर्शनों में अलग–अलग है। बौद्ध, जैन एवं गीता समत्व की उपलब्धि के लिए त्रिविध साधना मार्ग बताते हैं। चेतना के ज्ञान, भाव एवं संकल्प पक्ष को समत्व से युक्त या सम्यक् बनाने के लिए जैन दर्शन सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान एवं सम्यक् चरित्र का प्रतिपादन करते हैं। बौद्ध दर्शन प्रज्ञा, शील और समाधि की व्याख्या करती है जिसमें सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाक, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति एवं सम्यक् समाधि आदि आष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी गई है। गीता ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग की बात करती है एवं उसमें समत्व का प्रतिपादन करती है। बौद्ध एवं गीता दोनों दर्शनों में समत्व की व्याख्या मध्यम मार्ग के रूप में की गई है। बौद्ध धर्म की तरह गीता में भी मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया है। भोगवाद एवं आत्मपीड़ा इन दो अतिरेक सिद्धान्त की बौद्ध एवं गीता दोनों दर्शनों में निन्दा की गई है। इन दो अतियों के बीच समन्वय करते हुए गीता में कहा गया है कि–

नात्यऽतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनऽत:।
न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन।।[9]

अर्थात् हे अर्जुन! यह समत्व योग न तो बहुत खाने वाले का न बिल्कुल नहीं खाने वाले का न बहुत सोने वाले का न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है।

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु।
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दु:खहा।।[10]

यथोचित जीवन-यापन करने, योग्यतानुसार प्रयत्न करने एवं यथायोग्य सोने एवं जागने वाले का ही समत्व योग सिद्ध होता है एवं इस योग से जीवन सफल होता है एवं दु:खों का नाश होता है।

इहैव तैर्जित: सर्गो येषां साम्ये स्थितं मन:।
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिता:।।[11]

अर्थात् परमात्म तत्व या स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करने पर जब मन-बुद्धि में राग-द्वेष, कामना, विषमता आदि का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब मन-बुद्धि में स्वत: समता की भावना आ जाती है, लानी नहीं पड़ती है। परमात्म तत्व में दोष, विकार या विषमता है ही नहीं। प्रकृति से राग पूर्वक संबंध बनाने से दोष आता है, इसलिए जिन महापुरुषों का अन्त:करण निर्दोष और सम हो गया है और वे परमात्म तत्व को प्राप्त कर लिये हैं।[12]

महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में 'योगचित्तवृत्ति निरोध:। तदा द्रष्टु:स्वरूपेऽवस्थानम्' अर्थात् चित्तवृत्ति निरोध-रूप साधन को 'योग' कहा गया है। इस योग के परिणाम स्वरूप द्रष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाती है। इस प्रकार पतंजलि के योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया गया है, उसी को गीता 'योग' कहती है। 'तं विद्याद्दु:खसंयोगवियोगं योगसळिज्ञतम्।'[13] तात्पर्य है कि जिसमें दु:खों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए जो ध्यान योग का भी लक्ष्य है। गीता चित्तवृत्तियों से सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक स्वत:सिद्ध सम-स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को 'योग' कहती है। इस योग अर्थात् समता में स्थित होने पर फिर कभी इससे वियोग यानि व्युत्थान नहीं होता, इसलिये इसे 'नित्ययोग' भी कहते हैं। चित्तवृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है, पर समता में स्वत:सिद्ध स्थिति का अनुभव होने पर 'निर्विकल्प बोध' (सहज अवस्था) होता है। निर्विकल्प बोध अवस्था नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण अवस्थाओं से अतीत तथा उनका प्रकाशक एवं सम्पूर्ण योग-साधनों का फल है। अवस्था तो निर्विकल्पक और सविकल्पक दोनों होती है, पर बोध केवल निर्विकल्पक ही होता है। इस प्रकार गीता का योग पतंजलि के योग से बिल्कुल अलग है।[14]

निष्कर्ष- समत्व योग केवल सिद्धान्त नहीं बल्कि जीवन जीने की एक विधा है। हमारे विचारों, व्यवहारों, निर्णयों और अपेक्षाओं में जब हम प्रेरित होते हैं तो धीरे-धीरे न्यायपूर्ण संतुलित और व्यापक चेतना की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि वह सबको ब्रह्म रूप ही देखता है। उसे किसी से राग-द्वेष नहीं, किसी से अपेक्षा नहीं। सभी कर्म उसमें समत्व रूप से प्रवाहित होते हैं। समत्व भी दो तरह की होती है - साधनरूप समत्व और साध्यरूप समत्व । साधनरूप समता अन्त:करण की होती है और साध्यरूप समता परमात्म स्वरूप की होती है। सिद्धि-असिद्धि, अनुकूलता-प्रतिकूलता आदि में सम रहना अर्थात् अन्त:करण में राग-द्वेष का न होना साधनरूप समता है, जिसका वर्णन गीता में अधिक हुआ है। इस साधनरूप समता से जिस स्वत:सिद्ध समता की प्राप्ति होती है, वह साध्यरूप समता है। जिस मनुष्य को समत्व भाव की प्राप्ति करनी है उसे व्यवसायात्मिका बुद्धि (दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि या एक मात्र लक्ष्य पर केन्द्रित) का अभ्यास करनी होती है। ऐसा साधक जब

व्यवहार क्षेत्र में आता है, तब उसके सामने सिद्धि-असिद्धि, लाभ-हानि, अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति आदि आने पर वह उसमें सम रहता है, राग-द्वेष नहीं करता। इस साधनरूप समता के द्वारा वह संसार से ऊँचा उठ जाता है।[15]

सन्दर्भ सूची-

1. सूत्रकृतांगचूर्णि, 1/2/2 (सन्दर्भ जैन, बौद्ध और गीता का साधना मार्ग डॉ. सागरमल जैन, पृ. 8, 1998)
2. संयुक्त निकाय 1/1/8, (सन्दर्भ जैन, बौद्ध और गीता का..... पृ.- 8, 1998)
3. धम्मपद 388, तुलना उतराध्ययन, 25/32
4. श्रीमदभगवद्गीता, अध्याय 2/48
5. श्रीमद्भगवद्गीता साधक-संजीवनी, स्वामी रामसुखदास, गीता प्रेस गोरखपुर, संवत् 2082, पृ.- 131
6. श्रीमदभगवद्गीता, अध्याय 6/32
7. ईश्वास्य उपनिषद, लोक 6
8. बोधिचर्यावतार, आचार्य शान्तिदेव, प्रवचनकार परम पावन दलाई लामा अनुवादक आचार्य कर्मा मोनलम, सम्पादक प्रो. रामशंकर त्रिपाठी, प्रकाशक केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ, (वाराणसी) 8/90 पृ.- 177, 2015
9. श्रीमदभगवद्गीता, अध्याय 6/16
10. श्रीमदभगवद्गीता, अध्याय 6/17
11. श्रीमदभगवद्गीता, अध्याय 5/19
12. श्रीमद्भगवद्गीता साधक-संजीवनी, स्वामी रामसुखदास, गीता प्रेस गोरखपुर, संवत् 2082, पृ.- 393
13. श्रीमदभगवद्गीता, अध्याय 6/23
14. श्रीमद्भगवद्गीता साधक-संजीवनी, स्वामी रामसुखदास, गीता प्रेस गोरखपुर, संवत् 2082, पृ.- 131
15. श्रीमद्भगवद्गीता साधक-संजीवनी, स्वामी रामसुखदास, गीता प्रेस गोरखपुर, संवत् 2082, पृ.- 132

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 6.375, ISSN 0975-4083
Vol.- 29, Hindi Edition, Year-15, April- September 2025

19वीं सदी में राजपूताना की देशी रियासतों में प्रशासनिक आधुनिकीकरण: एक ऐतिहासिक अवलोकन

• राम देव जाट

सारांश- औपनिवेशिक शासन में ब्रिटिश भारत के समान राजपूताना में भी आधुनिकता का प्रसार हो रहा था। मुगल साम्राज्य का पतनोन्मुख होना, राजस्थानी राज्यों में पारस्परिक संघर्ष एवं गृह-कलह, राजस्थान की राजनीति में मराठों का प्रवेश, मराठों के हाथों राजस्थानी राज्यों की बर्बादी, पिण्डारियों की लूटमार, सामन्ती समस्या और राजपूताना पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना, ऐसी विशिष्ट ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, जिसने मध्यकालीन जड़ता को समाप्त कर एक नवीन दृष्टिकोण उत्पन्न कर दिया। देशी रियासतो के अँग्रेजों के सम्पर्क में आने के फलस्वरूप यहाँ पुरातन शासन व्यवस्था के स्थान पर नयी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित होने लगती है। शोधार्थी ने प्रस्तुत शोध पत्र में राजपूताना की देशी रियासतों में वैकल्पिक आधुनिकता के प्रतिमान को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जो पश्चिमी आधुनिकता का हूबहू अनुकरण नहीं करता है वहीं दूसरी तरफ परम्पराओं का पूर्ण रूप से विरोध भी नहीं करता है।

मुख्य शब्द- प्रशासन, न्याय, देशी रियासतें, ब्रिटिश साम्राज्य, परिवर्तन, परम्परा, आधुनिकता।

राजपूताना में आधुनिकीकरण का विकास- लार्ड वैलेजली की सहायक संधि प्रथा के अनुसार राजपूताना के राज्यों के साथ सन् 1803 से 1823 ई. तक ईस्ट इंडिया कम्पनी ने सहायक संधियां सम्पन्न की, जिसके कारण राज्यों में बाह्य आक्रमणों का भय पूरी तरह समाप्त हो गया तथा राज्यों के आपसी विवाद और झगड़े भी समाप्त हो गये। अत: अब अव्यवस्थित प्रशासन को व्यवस्थित किया जा सकता था। राजस्थान पर अपनी सर्वोपरि सत्ता स्थापित करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने राज्यों के आन्तरिक प्रशासन पर अपना पूर्ण वर्चस्व स्थापित करने तथा अपने आर्थिक हितों की वृद्धि करने की दृष्टि से राज्यों में अपने समर्थक सामन्तों और मुत्सद्दियों को प्रशासन में प्रभावशाली एवं शक्तिशाली बनाने में अत्यधिक रुचि ली, फिर भी ब्रिटिश सरकार को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। परम्परावादी सामन्तों के भय के कारण शासक वर्ग भी प्रशासन में सुधार लागू करने में हिचक रहा था। इन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार ने परम्परागत शासन व्यवस्था पर से सामन्तों का प्रभाव समाप्त कर शासन व्यवस्था का

• सहायक आचार्य, इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

आधुनिकीकरण करने का निश्चय किया। किन्तु उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्रशासन का आधुनिकीकरण करने में ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य न तो स्वच्छ प्रशासन प्रदान करना था और न राज्यों की उन्नति करना था, बल्कि आधुनिकीकरण की ओट में किसी-न-किसी रूप में ब्रिटिश हितों को लाभ पहुँचाना था।

रियासतों में प्रशासनिक सुधारों का युग- जयपुर-मुगल संबंध स्थापित होने के बाद जयपुर नरेशों का मुगल शासन पद्धति से परिचय हुआ जिसके परिणामस्वरूप जयपुर राज्य के प्रशासन पर मुगलों के शाही प्रशासन का प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगता है। मुगल शासन प्रणाली का अनुकरण करते हुए जयपुर शासकों ने अपने राज्य को अनेक परगनों, तहसीलों और ग्रामों में विभाजित कर प्रशासन को पुनर्गठित किया। जिसके परिणामस्वरूप प्रभावशाली नौकरशाही का उत्कर्ष हुआ, लेकिन राज्य की समस्त शक्तियाँ शासक में निहित होती थीं। ईस्ट इण्डिया कम्पनी से सन्धियाँ करने से पूर्व तक सभी राज्यों में शासक अपने ही द्वारा नियुक्त बड़े-बड़े पदाधिकारियों से परामर्श लिया करता था। किन्हीं-किन्हीं राज्यों में ये पद वंशानुगत हो गये थे। प्रत्येक राज्य में नवोदित नौकरशाही के लिए कोई निश्चित नियम नहीं थे, अतः इस नौकरशाही का स्वेच्छाचारी होना स्वाभाविक ही था। सन् 1818 ई. की ब्रिटिश राजपूताना की संधियों के फलस्वरूप देशी रियासतों में कम्पनी का पॉलिटिकल एजेन्ट नियुक्त किया जाने लगा जिसका दायित्व रियासत में खिराज की वसूली, शांति व्यवस्था कायम रखना तथा रियासतों की आंतरिक एवं बाह्य प्रशासनिक नीतियों के बारे में गवर्नर जनरल को अवगत करवाना था। जिससे राज्यों में ब्रिटिश समर्थक पदाधिकारियों का उत्कर्ष हुआ, जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेण्टों के आदेशानुसार कार्य करने लगे। इससे प्रशासन में शासकों का महत्त्व घट गया। अब ब्रिटिश सरकार ने सामन्तों और मुत्सद्दियों को अपने पक्ष में रखने की नीति त्यागकर ब्रिटिश प्रान्तों से अपने विश्वस्त एवं स्वामिभक्त लोगों को राज्यों के महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करने की नीति अपनायी। ब्रिटिश प्रान्तों से लाये गये इन अधिकारियों के माध्यम से अब राज्यों के प्रशासन को ब्रिटिश प्रान्तों के प्रशासन के अनुरूप ढालने का प्रयास किया गया। सर विलियम ली वार्नर ने अपनी पुस्तक द नेटिव स्टेटस् ऑफ इंडिया में अंग्रेजों के भारतीय राज्यों के साथ संबंध को तीन भागों में विभक्त किया है। सन् 1857 ई. तक ब्रिटिश सरकार देशी रियासतों के प्रति 'अधीनस्थ अलगाव' व 'अपने सुरक्षित घेरे में सीमित रहने की नीतियों' पर कार्य किया, किन्तु 1857 ई. के बाद ब्रिटिश नीति में नया परिवर्तन आया और देशी रियासतों के प्रति 'अधीनस्थ एकीकरण की नीति 1858-1919' अपनायी गयी। अतः उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक राजपूताना का प्रशासन ब्रिटिश प्रान्तों के अनुरूप हो गया। प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को मण्डलों में विभक्त किया गया, मण्डलों को अनेक निज़ामतों में बाँटा गया और निज़ामतों को फिर अनेक तहसीलों में बाँटा गया। जयपुर राज्य को कोटड़ियो में बाँटा गया था और प्रत्येक निज़ामत के मुख्य अधिकारी को नाज़िम कहा जाता था। इन प्रशासनिक इकाइयों के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी थे।

सार्वजनिक चिकित्सालयों की स्थापना, जेल व्यवस्था में सुधार तथा राज्य कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु नये सेवा नियम आदि आधुनिकीकरण की दिशा में किये गये महत्त्वपूर्ण कार्य कहे जा सकते हैं।

औपनिवेशिक सता का जनकल्याण के प्रति दृष्टिकोण साम्राज्य हित से प्रेरित थे। आधुनिकीकरण की दिशा में कार्यान्वित किये गये नये नियमों का सर्वाधिक प्रभाव न्याय व्यवस्था, उद्योग, व्यापार वाणिज्य, संचार एवं परिवहन के क्षेत्र में पड़ा। इन चीजों ने प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सत्ता को लाभ पहुँचाया था। शिक्षा, चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में सुधारों की गति अत्यन्त ही मन्द रही क्योंकि इन सेवाओं पर किया गया व्यय ब्रिटिश साम्राज्य के अनुकूल नहीं था। ब्रिटिश सता के लिए 1857 का वर्ष संकट में रहा। इसके बाद भारतीय परिवार ग्राम तथा सामाजिक संस्थाओं इत्यादि पर ब्रिटिश शासन ने सुधार कार्यों को नगण्य कर दिया। सन् 1857 के विद्रोह के पूर्व समाज में प्रचलित कुरीतियों, जैसे- सती-प्रथा, कन्या-वध, डाकिन-प्रथा, स्त्रियों व बच्चों का क्रय-विक्रय आदि की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ, जिन्हें दूर कर राजस्थान के सामाजिक जीवन में भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आरम्भ की गयी।

परम्परागत न्याय संरचना में सुधार- सन् 1839-40 ई. से राजस्थान के लगभग सभी राज्यों में न्याय व्यवस्था के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आरम्भ हो गयी थी तथा 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक तक इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हो चुकी थी। मराठा और पिण्डारियों की लूटपाट के कारण राजस्थान में न्याय व्यवस्था पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो चुकी थी। अतः राजपूताना के राज्यों के साथ सन्धियाँ (1817-18 ई.) सम्पन्न करने के बाद अँग्रेजों ने सर्वप्रथम न्याय व्यवस्था में सुधारों की तरफ ध्यान दिया। सन् 1839 ई. से पूर्व जयपुर में न्याय और शासन विभाग एक ही थे। किन्तु 1839 ई. में जब जयपुर की राजमाता को अभिभावक पद से हटाकर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेण्ट के नियन्त्रण में शासन परिषद् का गठन किया गया तब पॉलिटिकल एजेण्ट थोर्सबी ने न्याय विभाग को पृथक् कर, ब्रिटिश प्रान्तों में प्रचलित अदालतों के अनुरूप राज्य में दीवानी और फौजदारी अदालतें स्थापित कर दीं, जो ब्रिटिश प्रान्तों में प्रचलित न्यायिक नियमों के अनुसार कार्य करने लगीं। नये कानूनों के अन्तर्गत, कानून की दृष्टि में व्यक्ति की समानता स्वीकार की गयी तथा धीरे-धीरे, जाति, धर्म, वंश, पद और प्रतिष्ठा के आधार पर उपलब्ध सुविधाएँ समाप्त कर दी गयीं। उदाहरणार्थ, राजस्थान के राज्यों में राजपूत सामन्तों को अपने गढ़ अथवा हवेली में शरण देने का अधिकार था और किसी को शरण देना राजपूत सामन्त के लिए बड़ी प्रतिष्ठा की बात समझी जाती थी, किन्तु अब उनका यह विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। सामन्तों के न्यायिक अधिकार काफी बढ़े-चढ़े थे, लेकिन इन न्यायिक अधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया। कुछ प्रमुख सामन्तों को राज्य के न्यायालय में 'स्टाम्प शुल्क' व 'न्यायालय शुल्क' देने से मुक्त रखा गया था, किन्तु नये नियमों के अन्तर्गत उनका यह विशेषाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। राजस्थान के अधिकांश राज्यों में शासक की पूर्व अनुमति के बिना स्थानीय सामान्य न्यायालयों में सामन्तों के विरुद्ध अभियोग नहीं

चलाया जा सकता था, लेकिन अब ऐसी परम्पराएँ समाप्त कर दी गयीं। बीकानेर राज्य में तो सामान्य न्यायालयों को भी सामन्तों के विरुद्ध अभियोगों की सुनवाई करने तथा उनके विरुद्ध 'कुर्की ' के आदेश जारी करने के अधिकार दे दिये गये। इस प्रकार प्रतिष्ठित सामाजिक वर्गों को पूर्व में प्रदान किये गये न्यायिक विशेषाधिकार समाप्त कर दिये गये।नये नियमों के लागू होने से पूर्व मुकदमे की कार्यवाही मौखिक होती थी, केवल एक बही में वादी और प्रतिवादी का हाल लिखा दिया जाता था और रोजनामचे में फैसला दर्ज कर लिया जाता था। किन्तु अब स्पष्टतया गवाहियों आदि का विवरण रखा जाने लगा और फैसले लिखे जाने लगे। चोरी-डकैती की तरफ विशेष ध्यान दिया गया तथा इसके लिए पुलिस विभाग का पुनर्गठन किया गया। जयपुर राज्य ने तो अपने पुलिस विभाग का पुनर्गठन करने के लिए 1917 ई. में ब्रिटिश सी. आई. डी. के निरीक्षक मगनराज व्यास की सेवाएँ प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त कीं। इस प्रकार ब्रिटिश संरक्षण के बाद पुलिस विभाग में निरन्तर सुधार किये जाते रहे तथा 20वीं सदी के दूसरे दशक तक राजस्थान के अधिकांश राज्यों के पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गयी। वैसे, प्रशासन के आधुनिकीकरण की यह प्रक्रिया स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद पुनः गतिशील हुई, जो आज भी चल रही है।

संदर्भ सूची-

1. प्रकाश व्यास, राजस्थान का सामाजिक इतिहास, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2001, पृ. 323
2. पूर्वोक्त, पृ. 323
3. आर.एल. शुक्ल, आधुनिक भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 2002, पृ. 400
4. पूर्वोक्त् पृ. 326
5. मुंशी राधामोहनलाल, जयपुर इतिहास (हस्तलिखित), राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर, पृ. 10, (चित्रा तंवर द्वारा उद्धृत)
6. व्यास, राजस्थान का, पृ. 326

- प्रकाश व्यास, राजस्थान का सामाजिक इतिहास, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2001, पृ. 323 पूर्वोक्त, पृ. 323
- आर.एल. शुक्ल, आधुनिक भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 2002, पृ. 400 पूर्वोक्त् पृ. 326
- मुंशी राधामोहनलाल, जयपुर इतिहास (हस्तलिखित), राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर, पृ. 10, (चित्रा तंवर द्वारा उद्धृत) व्यास, राजस्थान का, पृ. 326
- महाराजा रामसिंह द्वितीय की व्यक्तिगत डायरी, जनवरी-अगस्त, 1870, सिटी पैलेस लाइब्रेरी, जयपुर
- मैलिका कम्बेरा लैंड्रस (संपा.), महाराजा रामसिंह डायरी (अंग्रेजी में अनुवादित), सिटी पैलेस लाइब्रेरी, जयपुर, 2016
- फतेहसिंह, जयपुर राज्य का संक्षिप्त इतिहास, आयुवानसिंह स्मृति संस्थान, जयपुर, संवत् 2074
- एस.एस. जैकब एंड टी. एच. हैन्डले, जैपुर इनेमल्स्, डब्ल्यू रिग्स्, इल्म हाऊस, लंदन, 1886
- टी.एच. हैन्डले, मेडिको-टोपोग्राफिकल अकाउण्ट ऑफ जैपुर, कलकत्ता सैन्ट्रल प्रेस,

कलकत्ता, 1895

- फर्डिनेंड टॉनीज, कम्युनिटी एंड सोसाइटी (गेमेइनशाफ़्ट एंड गेसेलशाफ़्ट), चार्ल्स पी. लूमिस द्वारा अनुवादित, डोवर प्रकाशन, न्यूयॉर्क, 2002
- मैक्स वेबर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी: एन आउटलाइन ऑफ इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी (गुएंथर रोथ एंड क्लॉस विटिच द्वारा संपादित), यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, बर्कले, 1978
- एस.एन. आइजेनस्टाट, मॉडर्नाइज़ेशन: प्रोस्टेट एंड चेंज, प्रेंटिस-हॉल, एंगलवुड़ क्लिफ़्स, 1966
- कमला मालू, दी हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स इन राजपूताना (1858-1900 ई.), हिमांशु पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1987
- विजय कुमार वशिष्ठ, 1857 रिवॉल्ट इन दी प्रिंसली स्टेट ऑफ जयपुर, बुक ट्रीजर, जोधपुर, 2008
- शारदा बसराय, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट इन राजस्थान, एस चन्द एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, 1975
- हनुमान शर्मा, नाथावतों का इतिहास, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, 2009
- राम पाण्डे, रेलवेज् इन राजस्थान, शोधक, 1982, जयपुर

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 6.375, ISSN 0975-4083
Vol.- 29, Hindi Edition, Year-15, April- September 2025

कम्बुज कला एवं भारतीय प्रभाव : एक अनुशीलन

• सत्यवीर कुमार पासवान

सारांश- कम्बुज कला का काल गुप्तकाल से तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी तक फैला रहा। प्रारंभिक मंदिरों और मूर्तियों में भारतीय गुप्तकला का गहरा प्रभाव दिखाई देता है, विशेषकर मकरतोरण, चौत्य खिड़कियों, हरिहर प्रतिमाओं और बुद्ध मूर्तियों में। धीरे-धीरे ख्मेर शैली का स्वतंत्र विकास हुआ जिसमें भारतीय और चीनी दोनों प्रभावों का मिश्रण रहा। अंकोरवाट और अंकोरथोम जैसे विशाल नगर-मंदिर कम्बुज कला के उत्कर्ष के प्रतीक बने, जिनमें रामायण-महाभारत की कथाएं उकेरी गईं। जयवर्मन द्वितीय, सूर्यवर्मन प्रथम और द्वितीय सहित अनेक शासकों ने मंदिर, दुर्ग और नगरों का निर्माण कराया। यह कला न केवल धार्मिक भावना का प्रतीक थी बल्कि राजसत्ता और 'देवराज' परंपरा से भी जुड़ी रही। तेरहवीं शताब्दी के बाद बौद्ध प्रभाव बढ़ा और पन्द्रहवीं शताब्दी तक यह शिल्प धीरे-धीरे लुप्त हो गया। आज भी अंकोरवाट और अंकोरथोम के खंडहर भारतीय प्रभाव से संपृक्त कम्बुज कला की भव्यता का प्रमाण हैं।

मुख्य शब्द- कम्बुज कला, गुप्तकालीन प्रभाव, अंकोरवाट और अंकोरथोम, मूर्ति एवं मंदिर स्थापत्य, भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव

कम्बुजीय कला का काल प्राय: आठ सौ वर्षों का है, गुप्तकाल से (प्रारंभ होकर) प्राय: तेरहवीं सदी तक। व्याधपुर की प्राचीन नगरी में जिन प्राचीरों के भग्नावशेष मिले हैं उनसे पता चलता है कि वे वर्गाकार थीं। उनकी एक भुजा प्राय: डेढ़ किलोमीटर लंबी थी। वहां वृषभ शीर्षयुक्त एक ही पत्थर खण्ड का एक स्तंभ भी मिला है। कम्बुज में अन्यत्र भी ईटों और पत्थरों के बने मन्दिरों के अवशेष मिले हैं जिनका काल गुप्तकाल या उसके शीघ्र बाद का छठी–सातवीं सदियों का है।[1] हन्चेई के मन्दिरों में मकरतोरण बने हैं, उड़ते हुए हंसों की उकेरी आकृतियां भी वहां उपलब्ध हैं और भारतीय गुप्त मन्दिर (भीतर गांव) की तरह चौत्य खिड़कियों या मेहराबों में मस्क कोरे गए हैं। इसी प्रकार के मस्तक धारण करने वाले चौत्य, शिखर प्रेई कुक के कम्पोन थोम के मन्दिर में भी हैं। यहां लगभग पचास ईंट के बने मन्दिरों के अवशेष हैं जिनके तोरणद्वार 'मकर' लांछित हैं।[2] स्पष्टत: इन

• वि.वि. प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, ति. माँ. भागलपुर विश्वविद्यालय, (भागलपुर)

पर भारतीय गुप्तकालीन प्रतीकों की छाप है। गुप्त प्रभाव से प्रभावित और भी अनेक मंदिर कुलेन के गिरिशिखर पर हैं जहां पत्थर काट कर हाथियों का परम्परा उकेरी गई हैं।

कम्बुज कलावर्त में अनेक ऐसी प्रतिमाएं हैं जिनका आकलन–मान भारतीय प्रतिमाओं की शालीनता से किसी मात्रा में कम नहीं। समूचे कला के इतिहास में उनका अपना असामान्य स्थान है।[3] इनमें फ्नोम दा की खड़ी नारी प्रतिमा संभवत: चौथी सदी ईस्वी की है। रोमलोक की खड़ी बुद्ध मूर्तियां भी अगली ही सदी की हैं जो अपने दमखम में भारत के बुद्धों के निकट व अनुरूप हैं। कुमार स्वामी की राय में ब्रुसेल्स में रखी लोकेश्वर की मूर्ति भारतीय विद्या से प्रभावित फूनान की कला की मूर्धन्य कृति है।

कम्बुजीय प्रतिमा- आकलन में स्वयं वहां की मूर्तियां अपने रूपायन की प्रौढ़ता और आकर्षण में अपना सानी नहीं रखतीं। कहीं–कहीं तो लगता है कि जीवन का समूचा तत्व खींचकर प्रतिमा में एकस्थ कर दिया गया है। प्राक्–खमेर ब्राह्मणकला का एक रूप काम्पोन थोम हरिहर की प्रतिमा में प्रस्फुटित हुआ है। यह अब फोम पेम के संग्रहालय में है। इसके आभूषण सुरूचि से चुने गए हैं जो रत्नजटित मेखला तक ही सीमित हैं। फ्नोस दा की एक दूसरी हरिहर की मूर्ति इसी प्रकास की पेरिस के संग्रहालय मूजी गीम्ये में सुरक्षित है। दोनों मूर्तियां संभवत: सातवीं सदी की हैं। अगली दो सदियों का इतिहास प्राय: तमाच्छन्न है। मूर्तनों का भी कम्बुज में प्राय: अभाव है। ख्मेर की क्लासिकल कला का फिर भी शीघ्र ही प्रादुर्भाव होता है जो उत्तर की स्थानीय काष्ठ परम्परा से ही प्रभावित है। भारतीय प्रभाव उसपर पर्याप्त कम हो गया है। अब चीन का प्रभाव भी उस वास्तु पर लक्षित होने लगता है यद्यपि भारतीय प्रतीक सर्वथा अज्ञात है। अब वहां के वास्तु पर मानव मुखीय स्तंभ, गारूणी निगस्ते और नागयुक्त सेतु प्रदर्शित होते हैं जो दूर की अपनी विद्या में चाहे भारतीय रहे हों, उनका अपना विकास चीन के ही वास्तु से हुआ है।[4] मूर्तिरूपों में भी अन्तर पड़ गया है। केशविन्यास की मध्य रेखा सर्वथा सीधी हो जाती है, भू रेखा भी एक सीध में अन्वित होने लगती है, ओष्ठाधर भर उठते हैं, उनके आकार भी बढ़ जाते हैं। अप्सराओं की मुखाकृतियां तो असामान्य दिव्य और आकर्षक हो जाती हैं। उनका मायिक सौन्दर्य, उनकी मुद्रा की गंभीरता के बावजूद, खिल उठता है। पर पौराणिक परिकल्पना में कोई अन्तर नहीं पड़ता, अधिकतर वह भारतीय ही बनी रहती है। शैव और तान्त्रिक महायान के देवताओं की प्रचुरता पूर्ववत् रहती है। प्रधानत: दो प्रकार की प्रतिमाओं का यहां विशेषत: उल्लेख समीचीन होगा। राजाओं की प्रतिमाएं अब पितराधन के अर्थ प्रयुक्त होने लगती हैं। राजा अपने आराध्य का अनुवर्ती नाम धारण करते हैं और उनकी मृत्यु के बाद उनकी सन्तति उनकी प्रतिमा बाह्यरूप से देववत् बना उसे प्रतिष्ठित करती और पूजती है। इस संबंध के ईटों के बने अनेक मन्दिरों के अवशेष कम्बुज में सुरक्षित हैं।[5] 'देवराज' विधा की प्रतिमाएं और भी भावात्मिका हैं। अभिप्राय इसका भी राजा–देवता से है जिसका प्रचलन जयवर्मन द्वितीय ने महेन्द्र पर्वत पर किया। इस पूजन का पहला पुरोधा शिव कैवल्य था जिसके कुल में यह पूजन परम्परागत हो गया। स्टोक काक थोम के प्रसिद्ध अभिलेख (1042 ई.) से प्रमाणित है कि जयवर्मन ने इसकी प्रतिष्ठा कम्बुज की प्रखर नीति से रक्षा के लिए की थी। वास्तु के क्षेत्र में जयवर्मन द्वितीय (802–869) द्वारा निर्मित हरिहरालय, अमरेन्द्रपुर और महेन्द्र पर्वत नाम की राजधानियों

का उल्लेख यहां अनिवार्य है। अमरेन्द्रपुर का आधुनिक प्रतिनिधि बत्तमबंग जिले का बन्तेई छमेर है, विशाल मन्दिर और दुर्ग के रूप में। ख्मेरों ने यहां नगरदुर्ग और मन्दिर का निर्माण अत्यंत जीवन्त रूप में किया है। चारों ओर जलपूर्ण परिरपाएं चली गई हैं जिन्हें लांघने के लिए देवासुर संयुक्त नागसेतु बने हैं, छतों के गोलाध के ऊपर ऊंची मीनारें हैं और गैलरियां उत्कीर्णनों से सज उठी हैं। द्वारा नाग–तोरणों से लांछित हैं। हरिहरालय अंकोर थोम के पास का प्राह खान है जिसका अधिकतर स्वरूप अमरेन्द्रपुर के ही तरह है यद्यपि अपने विन्यास में वह उससे लघुतर है। उसके घेरे की खरिखा प्राय: 120 फुट चौड़ी है, दीवारें इसकी प्राय: 2400 फुट लंबी है। जिनमें चारों ओर ऊंचे स्तंभ युक्त द्वार हैं, द्वारों पर मानवमुख–अभिप्राय हैं। दीवारों के निगस्ते गरूड़ा कृतिक हैं। नगर के मध्य विशाल मन्दिर खड़ा था। इसके अतिरिक्त भी मन्दिरों की एक अटूट परम्परा चलती चली गई है। नगर के पूर्व में कभी जल से लहरती 900 फुट लंबी और 3000 फुट चौड़ी झील थी जो अब सूख गई है। झील के बीचोबीच पत्थर के आधार पर खड़ा "नियाक–पियान" का विशाल मन्दिर है।[6] नगर और राजप्रासाद नि:संदेह विपुल थे और अपने जीवन काल में जनसंकुल रहे होंगे। महेन्द्र पर्वत का आज का प्रतिनिधि बॅग में आलेआज माना जाता है। विद्वान् उसे अंकोरवात का समकालीन अथवा उससे भी बाद का मानते हैं। इसकी निर्माण कला भी असाधारण और दर्शनीय है। कम्बुज के कोर थोम अंकोर वात की बड़ी प्रसिद्ध है। अंकोर थोम उसके मन्दिरों के भग्नावशेषों का विस्तार है। उसका निर्माण वर्मनों की राजधानी (थोम राजधानी) के रूप में हुआ है। वह निर्माण प्राय: 860 ई. में प्रारंभ हुआ और लगभग 900 तक वह बनकर तैयार हो गया। परिचम के पड़ोसी थाई पहले कम्बुज के ख्मेर साम्राज्य के अधीन थे परन्तु चौदहवीं सदी के मध्य उन्होंने कम्बुज पर आक्रमण करना प्रारंभ किया और अंकोर थोम को बारंबार जीता और लूटा। लाचार होकर ख्मेरों को वह राजधानी छोड़ देनी पड़ी। धीरे–धीरे बांस के वनों की बाढ़ ने नगर को सभ्य जगत् से सर्वथा पृथक कर दिया और उसकी सत्ता अंधकार में विलीन हो गई। नगर भी टूट कर अधिकतर खंडहर हो गया। उन्नीसवीं सदी के अन्त में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने पांच दिनों की नौका–यात्रा के बाद उस नगर और उसके खंडहरों का पता लगाया। नगर तोन्ले साप नामक महासरोवर के उत्तरी तट पर सदियों सोता पड़ा रहा था जहां पास ही दूसरे तट पर विशाल मन्दिरों के भग्नावशेष खड़े थे।[7]

आज का अंकोर थोम एक विशाल नगर का खंडहर है। उसके चारों ओर 330 फुट चौड़ी खाई दौड़ती है जो कभी जल से भरी रहती थी। नगर और खाई के बीच एक विशाल वर्गाकार प्राचीर नगर की रक्षा करती थी। प्राचीर में अनेक भव्य महाद्वार बने थे। महाद्वारों के ऊंचे शिखरों को त्रिशीर्ष दिग्गज अपने मस्तक पर उठाए खड़े हैं। विभिन्न द्वारों से पांच विभिन्न राजपथ नगर के मध्य तक पहुंचते हैं। विभिन्न आकृतियों वाले सरोवरों के भग्नावशेष अपनी जीर्णावस्था में भी आज अपने निर्माता की प्रशस्ति गाते हैं। नगर के बीचोंबीच शिव का विशाल मन्दिर है जिसके तीन भाग हैं। प्रत्येक भाग का अपना ऊंचा शिखर है। मध्य शिखर की ऊंचाई लगभग 150 फुट है। इन ऊंचे शिखरों के चारों ओर अनेक छोटे–छोटे शिखर बने हैं जो संख्या में प्राय: 50 है। इन शिखरों के चारों ओर समाधिस्थ शिव की मूर्तियां स्थापित हैं। मन्दिर का शिल्प आश्चर्यजनक है। उसकी

दीवारों पर पशु, पक्षी, पुष्प, लताएं तथा विभिन्न मुद्राओं में नृत्यांगनाएं निरूपित है। मन्दिर वास्तु की दृष्टि से विश्व की अद्‌भुत विभूति है और प्राचीन पौराणिक वस्तु के अवशेषों में तो सर्वथा एकाकी है। अंकोर थोम के मन्दिर और भवन, उसके प्राचीन राजपथ और सरोवर सभी उस नगर की समृद्धि के सूचक हैं।[8] नगर का निर्माण अगस्त्य के पुत्र और इन्द्रदेवी के पति राजा इन्द्रवर्मन प्रथम (877–889) ने कुछ सीमा तक कराया था। बारहवीं सदी के लगभग सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोरवाट में विष्णु का एक विशाल मन्दिर बनवाया। इस मन्दिर की रक्षा भी एक चतुर्दिक खाई करती है जिसकी चौड़ाई लगभग 700 फुट है। दूर से यह खाई झील के समान दृष्टिगोचर होती है। मन्दिर के पश्चिम की ओर इस खाई को पार करने के लिए एक पुल बना है। पुल के पार मन्दिर में प्रवेष के लिए एक विशाल द्वार लगभग 100 फुट चौड़ा है। मन्दिर के अंगांगो पर समस्त रामायण मूर्तियों में अंकित है। इनसे स्पष्ट है कि विदेशों में जाकर भी प्रवासी कलावन्तों ने भारतीय कला विस्तार किया था।

प्रमाणत: अंकोर थोम जिस कंबुज देश की राजधानी था उसमें विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश आदि की पूजा प्रचलित थी। इन मन्दिरों के निर्माण में जिस कला पद्धति का अनुकरण हुआ है वह भारतीय गुप्त कला से प्रभावित जान पड़ता है। अंकोर वात के मन्दिरों, तोरणों, द्वारों और शिखरों के अलंकरण में युक्त कला प्रतिबिंबित है। एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि यशोधरपुर (अंकोर थोम का पूर्व नाम) का संस्थापक नरेश यशोवर्मन– "अर्जुन और भीम जैसा वीर, सुश्रुत जैसा विद्वान, तथा शिल्प, भाषा, लिपि एवं नृत्य कला में पारंगत था।"[9] उसने अंकोर थोम और अंकोर वाट के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी आश्रम स्थापित किए जहां रामायण, महाभारत, पुराणों तथा अन्य भारतीय ग्रंथों का अध्ययन–अध्यापन होता था। अंकोरवाट के हिन्दू मन्दिरों पर बाद में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा और कालांतर में उनमें बौद्ध भिक्षुओं ने निवास भी किया।[10]

नई राजधानी लिंगपुर का निर्माण जयवर्मन पंचम ने कराया जहां उसने और उसके पुत्र हर्षवर्मन द्वितीय ने निवास किया। 948 ई० के एक अभिलेख में इसके निर्माण का उल्लेख हुआ है। इसके भग्नावशेष अंकोर से दूर कोह केर में हैं, कुलेन पर्वत के परे घने जंगल में हैं। वहां समूची शिलाओं के अनेक लिंग बने हैं। इनके पश्चिम में प्रधान मन्दिर है जिनके चारों ओर परिखा, नागसेतु आदि हैं। महाभारत और रामायण के दृश्यों से संयुक्त विशाल मन्दिर जयवर्मन षष्टम् ने भी बनवाया। इसके शिखर को, जो अब नष्ट हो गया है 'गिरिशृंग' कहा जाता था। इसके और जयेन्द्रगिरि–प्रासाद के निर्माण शिल्पी का नाम शिवब्रह्म था जिसे पारिश्रमिक सात दासों का मूल्य मिला था।[11]

सूर्यवर्मन प्रथम (1002–1050) और उसके मंत्रियों ने अनेक निर्माण कार्य किए और उन्होंने ब्राह्मण और बौद्ध दानों धर्मों को संपन्न किया। उसके शासनकाल का एक विशाल मन्दिर ता केओ, अंकोर के पूर्व और ता प्रोह्म के उत्तर में स्थित था। इसे राजगुरू पंडित योगेश्वर ने शिव–कपालेश्वर को समर्पित किया था। इसमें मूलत: शिव और दुर्गा की मूर्तियां प्रतिष्ठित थीं।[12] दग्रेक पर्वत की ढलान पर अत्यन्त अलंकृत प्राह विहेआर बना है। उत्तर की ओर से चढ़ाई धीरे–धीरे उठती है और दर्शक सहसा करीब डेढ़ हजार फुट की ऊंचाई पर जा खड़ा होता है।[13] मन्दिर शिव–शिखरेश्वर का है, प्रकृति के

सौन्दर्य को मंडित करता दोनों ओर लाओस पहाडियां फैली चली गई हैं और दक्षिण की ओर हरितवन सागर-सा लहराता है।[14]

अंकोर वात के निर्माण और लोप के साथ कम्बुज की कला का प्राय: अन्त हो गया। तेरहवीं-चौदहवीं सदियों में कुछ बौद्ध मन्दिर-बिहार निश्चय ही बने पर वस्तुत: वहां का शिल्प समाप्त प्राय: था। पन्द्रहवीं सदी में स्वयं अंकोर वात वीरान हो गया। पर आज भी उस भग्ननिर्माणमाला के अवशेष अपने शिखरों, परिखाओं, देवासुर प्रतिमाओं, गरुड़-बाणासुर कथाओं आदि द्वारा अपने विस्मृत संसार की याद दिलाते हैं। हीनयाल का प्रादुर्भाव भी इस शिल्प लोप का कारण बना जो धीरे-धीरे कम्बुज पर ही हावी हो गया। ब्राह्मण धर्म के कुछ अवशेष अब मात्र ब्राह्मण-कुलों के क्रिया-कलापों में बच रहे हैं। स्पष्टत: कम्बुज की कला भारतीय कला की ही प्रतिबिम्ब परिलक्षित होती है।

संदर्भ सूची-

1. द इण्डियनाइज्ड स्टेट्स ऑफ साउथ इस्ट एशिया, सोदेस, पृ.-36.
2. वही, पृ.-57.
3. कुमारस्वामी, हिस्ट्री ऑफ इण्डियन आर्ट, पृ.-182.
4. वही, पृ.-196.
5. कम्बुज देश, मजुमदार, पृ.-13.
6. हिन्दू कालनिज इन द फार इप्ट, मजूमदार, पृ.-177.
7. हिन्दी विश्वकोष, खण्ड-1, पृ.-13, डॉ. पद्मा उपाध्याय का अंकारे थोम सम्बन्धित आलेख।
8. वही, पृ.-16.
9. वही, पृ.-18.
10. वही, पृ.-19.
11. वृहत्तर भारत, उपाध्याय, भगवत शरण, नई दिल्ली, पृ.-248.
12. ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इस्ट एशिया, हॉल, पृ.-69.
13. वही, पृ.-72.
14. इन्सक्रिप्शन्स टु कम्बोज, सेदेस, पृ.- 203.

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 6.375, ISSN 0975-4083
Vol.- 29, Hindi Edition, Year-15, April- September 2025

सैनिक विद्रोह की कड़ी में 1857 ई. में रामगढ़ बटालियन का शौर्यपूर्ण इतिहास

• मनीता कुमारी यादव

सारांश- सन् 1857 के संग्राम में मेरठ सैनिक विद्रोह की चिंगारी देश के कई हिस्सों में फैल गई। विभिन्न देशी रियासतों और आम जनता के साथ ही साथ सैनिक टुकड़ियों पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। इसी संदर्भ में क्षेत्रीय इतिहास की दृष्टि से रामगढ़ बटालियन की अंग्रेजों के विरुद्ध सक्रियता अहम् है। इस बटालियन ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और 1857ई. के विद्रोह में निर्णायक भूमिका निभाई। 1857 ई. के भारतीय विद्रोह के दौरान, रामगढ़, बटालियन के सैनिकों ने 30 जुलाई को विद्रोह किया था। यह विद्रोह हजारीबाग में हुआ था और इसके दो दिन बाद 02 अगस्त को डोरंडा छावनी में भी विद्रोह हुआ था। इन विद्रोहों में रामगढ़ बटालियन के जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खान और हजारीबाग के जयमंगल पांडेय जैसे नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यदि 1857 ई. के विद्रोह के कारणों का अवलोकन किया जाए तो रामगढ़ बटालियन के मामले में सैनिकों के साथ भेदभाव और किसानों से जमीन छीनने के कारण यह विद्रोह भड़क उठा। रामगढ़ बटालियन के विद्रोह ने 1857 के विद्रोह को छोटानागपुर क्षेत्र में और अधिक व्यापक बना दिया। विद्रोहियों ने राँची की ओर कूच किया और डोरंडा छावनी में भी विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को हिला कर रख दिया और स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मुख्य शब्द-सैनिक विद्रोह, शौर्यपूर्ण इतिहास, भेदभाव, जमीन

यदि 1857 ई. के विद्रोह के कारणों का अवलोकन किया जाए तो रामगढ़ बटालियन के मामले में सैनिकों के साथ भेदभाव और किसानों से जमीन छीनने के कारण यह विद्रोह भड़क उठा। रामगढ़ बटालियन के विद्रोह ने 1857 के विद्रोह को छोटानागपुर क्षेत्र में और अधिक व्यापक बना दिया। विद्रोहियों ने राँची की ओर कूच किया और डोरंडा छावनी में भी विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को हिला कर रख दिया और स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जून के महीने में 12 तारीख को रोहिणी (देवघर, संथाल, परगना) पूर्वी अनियमित

• सहायक प्रोफेसर, इतिहास विभाग, बी.डी. कॉलेज, मीठापुर, पटना, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, (पटना)

घुड़सवार सेना विद्रोह कर चुकी थी। इस महीने में रामगढ़ बटालियन के मुख्यालय डोरंडा (राँची) में दानापुर छावनी से कंपनी की एक सैन्य टुकड़ी आई थी। संभवत: रामगढ़ बटालियन और दानापुर छावनी के सिपाहियों के बीच इसी समय अंग्रेजों के विरुद्ध विचार-विमर्श हुआ था। 26 जुलाई को दानापुर छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और उसके पाँच दिनों बाद ही हजारीबाग स्थित 8वीं देसी पैदल सेना में शामिल रामगढ़ बटालियन की दो कंपनियाँ भी बगावत कर बैठी। उत्तर भारत में कई स्थानों पर देसी सेना की टुकड़ियों का विद्रोह आग की तरह फैल चुका था जिसे लेकर तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड कैनिंग अत्यंत चिंतित थे। इस विद्रोह में वार्तालापों की अहम् भूमिका रही है। हजारीबाग के उपायुक्त कैप्टन सिम्पसन को होने वाले विद्रोह की जानकारी अपने नौकर से मिली। सूचना मिलते ही सिपाहियों के विद्रोह पर जाने के कुछ पहले कैप्टन डॉ. डलप्रैट एवं सीतागढ़ के कॉफी बागान के मालिक लिबर्ट के साथ भाग खड़े हुए। उन्होंने हजारीबाग के समीप ईचाक की ओर जाने वाले जंगल का रास्ता चुना। वह समझ गए थे कि शेष सिपाहियों की स्थिति भयावह है। रात को भयाक्रांत इन गोरे साहबों ने एक मठ में शरण लीं। इन रामगढ़ बटालियन के विद्रोह की आक्रामकता इतनी अधिक थी कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। दूसरी तरफ, वह ग्रैण्ड ट्रंक रोड (जी.टी. रोड) पर स्थित बगोदर के लिए रवाना हो गए।

31 जुलाई, 1857 की शाम हजारीबाग शहर में रामगढ़ बटालियन की दो कंपनियों ने निर्धारित समय पर विद्रोह कर दिया। विद्रोहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। फिर कोषागार पर भी, जिसमें 93,872 रुपए थे। इस तरह विद्रोही सिपाहियों ने धावा बोलकर दो जेलों का फाटक खोल दिया। उस समय इन जेलों में करीब 900 बंदी थे। अस्पताल और दवाखाना पर कब्जा कर विद्रोही दल एक डॉक्टर तथा दवाओं की पेटियाँ भी अपने साथ ले चला। उसने कॉफी प्लाण्टर व्हीलर के बँगले में भी आग लगा दीं। छोटा नागपुर की आयुक्त डाल्टन के अनुसार, करीब ग्यारह वर्षों से कॉफी व्यवसाय में लगे व्हीलर का बँगला हजारीबाग के सर्वश्रेष्ठ बँगलों में से एक था।

विद्रोहियों ने धाबा बोलकर जेल से मुक्त किए गए बंदियों के कई संथाल दल (1855-56) के दौरान बंदियों को जेल से छुड़ाया। जब ये बंदी मुक्त हुए तब यह परिणाम हुआ कि दक्षिणी हजारीबाग और मानभूम के कुछ हिस्सों में फिर से संथाल विद्रोह भड़क उठा। उस समय के महत्वपूर्ण क्षेत्र गोमिया-पेटरवार-चास-गोला-छतरपुर-जयनगर इलाके में भड़का यह संथाल विद्रोह भी सन् संत्तावन की लड़ाई का महत्वपूर्ण अंग था। इसी हजारीबाग जेल में उस समय सम्बलपुर जिले के दो बागी बंधु- सुरेंद्र साही और उदंत साही भी सजायाफ्ता कैदी थे।

31 जुलाई, 1857ई. को हजारीबाग में रामगढ़ बटालियन की दो कंपनियों का विद्रोह तो एक शुरूआत थी। धीरे-धीरे रामगढ़ बटालियन से प्रभावित होकर विभिन्न जगहों पर तैनात बटालियन की बाकी टुकड़ियों ने भी विद्रोह कर दिया। 31 जुलाई के हजारीबाग के रामगढ़ बटालियन के विद्रोह के बाद 02 अगस्त, 1857 को बटालियन के मुख्यालय डोरंडा (राँची) के सिपाहियों ने भी विद्रोह का बिगुल फूँक दिया। उसके

परिणामस्वरूप छोटा नागपुर के कार्यकारी आयुक्त इ०टी० डाल्टन को अपने लाव–लश्कर के साथ मुख्यालय छोड़ना पड़ा। इसी बीच 05 अगस्त, 1857 को मानभूम के जिला मुख्यालय पुरूलिया में तैनात रामगढ़ बटालियन के सिपाही भी इस जंग में कूद पड़े। 18 अगस्त को छोटानागपुर प्रमंडल के सभी जिलों में मार्शल लागू कर दिया गया। उसी दिन डाल्टन ने रैट्रे के बगोदर स्थित सिक्ख बटालियन के 40 जवानों की टुकड़ी की अगुवाई में बरही आकर कैम्प किया। 03 सितम्बर को चाईबासा स्थित बटालियन के सिपाही भी इस विद्रोह में शामिल हो गए।

31 जुलाई को विद्रोह करने के बाद विद्रोही सिपाही, सुरेन्द्र साही उदंत साही तथा जेल से मुक्त अनेक बंदियों के साथ कुँवर सिंह की सेना में शामिल होने के लिए पलामू के रास्ते रोहतासगढ़ के लिए कूच कर गए। इस समय दो सौ से भी अधिक लोगों का यह जत्था बरास्ता बादाम पुराने हजारीबाग–राँची रोड से आगे बढ़ा। जब अंग्रेजी शासन कायम हो गया, हजारीबाग से राँची के लिए यह सैनिक रास्ता बनाया गया था। बादाम इसी रास्ते पर बड़का– गाँव थानान्तर्गत करणपुरा घाटी के पूर्वी छोर पर स्थित्त है।

छोटानागपुर क्षेत्र में हजारीबाग से सिपाही विद्रोह की शुरुआत का प्रतीकात्मक महत्व भी था। लगभग करीब 1780 ई. के आस–पास एक यूरोपियन कमाण्डर के अधीन रामगढ़ बटालियन की यहीं स्थापना हुई थी। इस समय चतरा रामगढ़ जिले का मुख्यालय था। चतरा से ईचाक जानेवाली सड़क के किनारे स्थित ओकनी और हजारी गाँवों के नजदीक इस बटालियन का मुख्यालय बनाया गया। (सर्वेयर जनरल जेम्स रेनेल द्वारा 1779 में प्रकाशित इस जिले के सबसे पुराने मानचित्रों में इस जगह का नाम ओकनहजारी के रूप में दर्ज है। हजारी गाँव में आम के बैग थे, जिससे यह जगह बाद में हजारीबाग कहलाने लगा)। आधुनिक हजारीबाग शहर का विकास रामगढ़ के बटालियन की छावनी के साथ जुड़ा है। इस तरह रामगढ़ बटालियन के विद्रोह का बिगुल सबसे पहले वहीं फूँका गया, जहाँ इस बटालियन की नींव रखी गई थी।

हजारीबाग में सिपाही विद्रोह (31 जुलाई) की खबर मिलने के बाद छोटा नागपुर प्रमण्डल के कार्यकारी आयुक्त एडवर्ट हुएट डाल्टन के होश उड़े हुए थे। सुगौली (23 जुलाई) और दानापुर (26 जुलाई) के विद्रोह की आग अब काफी सुलग चुकी थी। आरा पर दानापुर छावनी के विद्रोही सैनिकों का कब्जा था और कुँवर सिंह वहाँ अपनी सरकार स्थापित कर चुके थे। रामगढ़ बटालियन के सिपाहियों की अच्छी खासी संख्या शाहाबाद, छपरा तथा बिहार जिले के सिपाहियों की थी। कुँवर सिंह द्वारा स्थापित सरकार के मुखिया हरकिशन सिंह के रामगढ़ बटालियन की सिपाहियों से संपर्क की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता था। डोरंडा (राँची) बटालियन का मुख्यालय था और अब वहाँ भी विद्रोह कभी–भी भड़क सकता था।

अब प्रमण्डलीय मुख्यालय सुरक्षित नहीं रह गया था। हजारीबाग के साथ–साथ डोरंडा के छावनी पर भी विद्रोह का असर पड़ा। इन छावनियों में सामान्तर विद्रोह चल रहा था इसकी जानकारी बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना से प्राप्त हुए है। 01 अगस्त, 1857 को डाल्टन राँची से डोरंडा छावनी आ गए। उन्होंने छावनी के कर्नल राबिन्स से गुफ्तगू की और वहीं रात बिताई। 02 अगस्त, 1857 को लेफ्टिनेंट ग्राहम की कमान में बटालियन की

एक टुकड़ी को विद्रोहियों को निरस्त्र करने हजारीबाग रवाना करना था। डाल्टन को लगा था कि मुख्यालय के जवानों को हजारीबाग विद्रोह की सूचना नहीं मिली थी।

जब ग्राहम का दल ओरमाँझी पहुँचा ही था कि जमादार माधव सिंह के नेतृत्व में जवानों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने चार हाथियों समेत तोप और गोला-बारूद अपने कब्जे में ले लिया, ग्राहम की संपत्ति भी जप्त कर ली और राँची में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह फैलाने के उद्देश्य से वह वापस राँची की ओर चल पड़े। माधव सिंह के साथ इस विद्रोह की अगवाई करने वालों में एक नाम सूबेदार नादिर अली खाँ भी थे।

इस विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खान, जय मंगल पाण्डेय, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव (राँची के एक प्रमुख विद्रोही नेता थे, जिन्होंने रामगढ़ बटालियन के विद्रोहियों का समर्थन किया)। शेख भिखारी यह भी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के सहयोगी थे और ये भी रामगढ़ बटालियन के विद्रोह में शामिल थे। अंग्रेजों के द्वारा शोषण व अत्याचार से यहाँ 1857 से पहले भी कई बार अंग्रेजों के खिलाफ जन-आंदोलन हो चुका था। लेकिन 1857 के क्रांति ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। 10 मई, 1857 को मेरठ में विद्रोह की शुरूआत हुई जिसकी चिंगारी हजारीबाग में 25 जुलाई, 1857 को पहुँच गई और इस दिन यहाँ विद्रोह की शुरूआत हुई। उस समय हजारीबाग के अंतर्गत रामगढ़, चतरा, गिरिडीह और कोडरमा आता था। 1857 की लड़ाई में हजारीबाग जिले क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हजारीबाग क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के लोगों ने इसलिए विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया क्योंकि अंग्रेजों ने उनसे जबरन जमीन हड़प ली थी। किसानों पर अंग्रेजों द्वारा मनमानी कर वसूली की जाती थी एवं रामगढ़ सैनिक बटालियन में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव की जाती थी। यही कारण है कि अंग्रेजों के खिलाफ हजारीबाग में 27 जुलाई को 1857 की क्रांति आग की तरह फैल गई। दानापुर के सैनिकों एवं आरा के शाहाबाद के बाबू कुँवर सिंह के विद्रोह की सूचना मिलने पर ही हजारीबाग, राँची, चाईबासा और पुरूलिया के सैनिकों ने विद्रोह का झंडा लहराया था। इसका नेतृत्व बाबू कुँवर सिंह के भाई अमर सिंह ने किया था। 30 जुलाई को सैनिकों ने सबसे पहले प्रिंसिपल असिस्टेंट तथा अंग्रेज अधिकारियों के बंगलो को आग लगा दी। प्रिंसिपल असिस्टेंट के बंगले का सारा सामान जल गया और उसके दो घोड़े विद्रोही ले गये। सरकारी दफ्तरों तथा महफिस खाना को भी जला दिया गया। जिस कारणवश आग और धुँआ सभी जगह फैल गया। उसी दिन हजारीबाग जेल से कैदियों को छुड़ा लिया गया। इसलिए खज़ाना लूटने वालों के हाथ 72,000 नगद और 17,875 रुपये के स्टांप पेपर तथा डाक टिकट लगे। इसके पश्चात् उनका ध्यान अंग्रेज अफसरों को पकड़ने की ओर गया, लेकिन तब तक वह सभी भाग चुके थे।

परंतु इन अक्षरों का पीछा करते हुए विद्रोही बगोदर तक गये और जब उन्हें नहीं पकड़ सके, तो चौक से लूटपाट की गयी। गवर्नर जनरल कैनिंग को इस विद्रोह की खबर तार के द्वारा मिला। इसे रामगढ़ के राजा शंभू नारायण सिंह ने बगोदर तार घर से भेजा था। कैनिंग बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रेडरिक से नाराज हो गये। उसने हेलिडे को कहा कि

तत्कालीन प्रगति में रामगढ़ के राजा को प्रोत्साहित करें। लॉर्ड कैनिंग ने रामगढ़ राजा को तार द्वारा सूचित किया कि उनकी रक्षा के लिए अंग्रेज सेना भेजी जा रही थी। उधर, अंग्रेजों को खुश करने की दृष्टि से रामगढ़ राजा ने अपने भाई कुमार रामनाथ सिंह को हजारीबाग के प्रमुख नागरिकों से विचार-विमर्श के लिए भेजा। अधिकारियों की सहायता के लिए 20 बैरकदार को भी तैनात किया गया। इस घटना से राजा के अधीनस्थ जमींदार भी उनसे नाराज थे। इनमें से अधिकांश ने विद्रोहियों का साथ दिया।

विद्रोह के शुरू होते ही राजा की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि उसने महल के सभी दरवाजे बंद कर लिए और सारी रात अपनी जिम्मेदारी और ब्रिटिश राज की सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहे। उनके भाई रामनाथ सिंह लोगों को समझा-बुझा रहे थे। फिर भी अनेक लोग विद्रोह में शामिल हो गये। हजारीबाग पर कब्जा करने के बाद वहाँ के विद्रोह पिठोरिया मार्ग होकर राँची की ओर चल पड़े। इसी बीच, हजारीबाग में विरोधियों को दबाने के लिए प्रिंसिपल असिस्टेंट ने 200 अंग्रेज सैनिकों को बगोदर में तैनात करने का आग्रह किया था। उसने इलाहाबाद जाने वाले 50 हाथियों को बगोदर में विद्रोहियों से लड़ने के लिए रोक लिया था। उसने सैनिकों को भी बगोदर भेजने का आग्रह किया था। उसके आग्रह पर सिक्ख कंपनी को बगोदर की ओर भेजा गया। 30 जुलाई को जब 01 या 02 बजे दिन में हजारीबाग में सैनिकों द्वारा विद्रोह किये जाने की सूचना अंग्रेजों को मिली तब से अंग्रेज अधिकारियों में खलबली मच गई थी। 01 अगस्त को कप्तान राँची पहुँचकर कमिश्नर डाल्टन को इसकी जानकारी दी। हजारीबाग में विद्रोहियों को कुचलने के लिए ले. ग्राहम ने 02 सूबेदार, 02 जमींदार, 09 नायक, 03 डचूल घरों एवं 02 हजार सिपाहियों के साथ भेजा। ले. ग्राहम के रामगढ़ पहुँचते ही उन्हीं के टुकड़ी के माधव सिंह सूबेदार और नादिर अली खान के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इन विद्रोही सिपाहियों ने तोप- गोलों और बारूद के साथ बैलगाड़ियों और 04 हाथियों को अपने कब्जे में कर लिया। इसलिए ले. ग्राहम ने जमींदार और कुछ वफादार घुड़सवार सैनिकों की सहायता से जान बचाकर भाग निकला। इसी बीच अंग्रेज अधिकारी डाल्टन हजारीबाग पहुँचकर रामगढ़ राजा से संपर्क किया। उसने राजा से आग्रह किया कि हजारीबाग में विद्रोह को शांत करने का प्रयास करें। 05 अगस्त को डाल्टन ने रामगढ़ के एक सूबेदार, 01 जमींदार, 02 नायक 17 सिपाहियों को हजारीबाग जेल की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया।

हजारीबाग के प्रिंसिपल असिस्टेंट मेजर सिंपसन ने रानीगंज भाग जाने के बाद डाल्टन ने लोहरदगा के असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टन डेविस्को को हजारीबाग का प्रभार सौंपा। हजारीबाग के विद्रोही सैनिक बिहार में कुँवर सिंह से मिलने के लिये जा रहे थे। उन्हें रोकने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने 02 कंपनियाँ अंग्रेज मद्रासी सैनिकों की टुकड़ियों को भेज दिया गया। रामगढ़ में घटवाल लोग विद्रोहियों का साथ दे रहे थे। उस दौरान ग्राहम ने भी घटवालों को धमकी दिया कि जो विद्रोहियों का साथ देगा, उसे मार दिया जाएगा। फिर भी घटवाला और विद्रोही हार नहीं माने। वे अंग्रेज अधिकारियों के साथ संघर्ष करते रहे। यह लोग महाजनों द्वारा हड़पी गई जमीन वापस लेने के लिए

अंग्रेजों से लड़ रहे थे। 11 सितंबर को हजारीबाग से राँची के डोरंडा पहुँचकर विद्रोही 04 तोपों सहित काफी मात्रा में गोला–बारूद और खजाना लूट लिया। विद्रोही वीर कुँवर सिंह मिलने के लिए जा रहे थे। इसी बीच 17 सितंबर, 1857 को अंग्रेज का पक्षपाती भोला सिंह सैनिकों के साथ रामगढ़ घाटी पहुँचकर विद्रोहियों को रोक दिया। विद्रोहियों एवं भोला सिंह के बीच काफी संघर्ष हुआ। इससे बदला लेने के लिए डाल्टनगंज में विद्रोही अंग्रेज समर्थक जमींदारों की हत्या करने लगे तथा उनके घर भी जला रहे थे। एक अन्य विरोधी नादिर अली खाँ भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। इन्होंने माधव सिंह के साथ विद्रोह में अगुवाई की थी। चतरा क्षेत्र में विद्रोही सुरक्षित ठहरे हुए थे। वहाँ मेजर अंग्रेज सिपाहियों ने अचानक धाबा बोल दिया था। जब अंग्रेजों ने 300 मीटर की दूरी से ही एनफील्ड राइफल से अंग्रेज सिपाही गोली चलना शुरू कर दिया। इसके जवाब में विद्रोही भी गोली चलाये।

इस प्रकार दोनों ओर से अंधाधुंध गोलियाँ बरस रही थी। इसी दौरान मेजर सिंपसन और लेफ्टिनेंट अर्ल. के सिक्ख सैनिकों ने एक सिपाही और एक जमादार को मार डाला। सूबेदार नादिर अली खान ने अंग्रेज सिपाहियों के तोपों पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान सूबेदार अली खान ने अपने साथियों का बदला लेते हुए कई अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया। लेकिन इसी बीच ले. डोंट ने बांयी ओर से सूबेदार नादिर अली खान पर हमला कर दिया। इस हमले में वह बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बावजूद भी विद्रोही सिपाही अंग्रेजो से लड़ते रहे। लगभग 50 विद्रोही सिपाही बुरी तरह घायल हो गये। जय मंगल पांडे और सूबेदार माधव सिंह उनका नेतृत्व कर रहे थे। अभी युद्ध चल ही रहा था कि माधव सिंह सिपाहियों की टुकड़ी के साथ चतरा बाजार की ओर भाग गये। उसे पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रूपये का इनाम घोषित किया। इस युद्ध में अंग्रेज की ओर से 46 अंग्रेज और 10 सिक्ख मारे गए थे। इसी बीच 03 अक्टूबर को जय मंगल पांडे और नादिर अली खान पकड़े गये।

1857 एक्ट के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया। इसी मुकदमे के तहत 04 अक्टूबर को चतरा के हर तालाब के सामने उन्हें फांसी दी गयी। चतरा तालाब के पास अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोहियों को गिरफ्तार कर उन्हें आम के पेड़ों में फाँसी दी गयी। इसके बाद 77 मृतक सिपाहियों को एक साथ ही दफनाया गया। दूसरे दिन 150 एवं 10 अन्य मृतकों को दफनाया गया था। चतरा के हर तालाब को आज भी फाँसीहर पोखरा के नाम से जाना जाता है।

संदर्भ सूची-

1. म्युटिनी पेपर्स (बंगाल सरकार के सचिव ए.आर. यंग के नाम छोटा नागपुर के आयुक्त ई. टी. डाल्टन के पत्र: 05 अगस्त, 1857 से 15 सितम्बर, 1858 तक)।
2. यंग के नाम डाल्टन के पत्र : 21 जून, 03 दिसम्बर एवं 20 दिसम्बर, 1858 तथा 10 अगस्त, 15 सितम्बर, 30 सितम्बर, 20 अक्टूबर एवं 24 नवम्बर, 1859।
3. द्वितीयक स्रोत: दत्त, कालीकिंकर, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, पटना 1957।
4. चौधरी, प्रसन्न कुमार व श्रीकांत, 1857 बिहार–झारखंड में महायुद्ध, राजकमल प्रकाशन,

पहला संस्करण, 2008. अंशुमन, अशोक व श्रीकांत, गदर इन तिरहुत, चौधरी, पी.सी. रॉय, 1857 पद Bihar (Chota Nagpur And Santhal Parganas) Revenue Department, Bihar, Patna 1957.

आलेख-

1. सुर, निखिल, छोटा नागपुर एंड दि राइजिंग ऑफ 1857, बंगाल पास्ट एंड प्रजेंट, खंड 105 संख्या 200, 2011



Centre for Research Studies Rewa-486001 (M.P.) India

Registered Under M.P. Society Registration Act,
1973, Reg. No. 1802, Year-1997
www.researchjournal.in

ISSN 0975-4083

9 770975 408002

Published by Dr. Gayatri Shukla on behalf of Gayatri Publications Rewa- 486001 (M.P.)
Printed at Glory Offset, Nagpur